



सत्यमेव जयते

Hkkj r ds  
fu; æd&egkys[kki j h{k d  
dk

31 ekpl 2007 dks I eklr gq o"kZ dk

çfronu

¼l foy½

---

---

fcgkj I j dkj

---

---



सत्यमेव जयते

Hkkj r ds

fu; æd&egkys[kki j h{kd  
dk

31 ekpl 2007 dks l eklr gq o"kl dk

çfronu

¼l foy½

---

fcgkj l j dkj

---

fc"k; &l ph

	l nHkZ	
	dfMdk	i "B
प्राक्कथन		
विहंगावलोकन		
v/; k; &I		
jkT; l jdkj dk foUk		
प्रस्तावना	1.1	1
राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाये गये कार्य प्रणाली	1.2	3
कुल प्राप्तियों की मात्रा एवं प्रवृत्ति	1.3	5
संसाधनों का उपयोग	1.4	8
विनिधानित प्राथमिकताओं द्वारा व्यय	1.5	13
परिसम्पत्तयों एवं दायित्त्व	1.6	18
अनिर्वाहित दायित्त्व	1.7	21
ऋण निर्वाहता	1.8	23
घाटा प्रबंधन	1.9	25
राजकोषीय अनुपात	1.10	27
निष्कर्ष	1.11	29
v/; k; &II		
vko\ u çkFkfedrk, j rFkk fofu; ksx		
प्रस्तावना	2.1	31
विनियोजन लेखाओं का सारांश	2.2	31
आवंटन प्राथमिकताओं की पूर्ति	2.3	32
बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय नियंत्रण	2.4	38
v/; k; &III		
fu"i knu ys[kki jh{kk		
y?kq fl pkbZ foHkkx		
बिहार में नलकूप परियोजना	3.1	41–52
l ekt dY; k.k foHkkx		
समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई सी डी एस) परियोजना	3.2	53–69
i Fk fuekZk foHkkx		
बाढ़ प्रभावित जिलों में पथों का निर्माण एवं अनुरक्षण	3.3	70–83

	I nHkZ	
	dfMdk	i "B
xkeh.k fodkl foHkkx		
मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	3.4	84-104
ykd LokLF; vfHk; æ.k foHkkx		
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	3.5	105-116
v/; k; &IV		
I à knu ys[ kki j h{kk		
di V @nfofu; kstu@xcu@gkfu	4-1	117
xkeh.k fodkl foHkkx		
सरकारी राशि का दुर्विनियोजन	4.1.1	117-118
jktLo , oa Hkfe I qkkj foHkkx		
त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबंधन	4.1.2	118-120
i Fk fuekZ k foHkkx@xkE; vfHk; æ.k I æBu		
कपटपूर्ण भुगतान एवं पथ कार्य का अवमानक कार्यान्वयन	4.1.3	120-122
xkE; vfHk; æ.k I æBu foHkkx		
संदिग्ध संपीडन पर कपटपूर्ण भुगतान	4.1.4	122-124
Hkou fuekZ k foHkkx		
संदेहास्पद कपटपूर्ण भुगतान	4.1.5	124-125
कपटपूर्ण भुगतान	4.1.6	125-127
ykd LokLF; vfHk; æ.k foHkkx		
कपटपूर्ण भुगतान	4.1.7	127-128
i ; kbj.k , oa ou foHkkx		
कपटपूर्ण भुगतान	4.1.8	129-130
संदेहास्पद वनरोपण और बाढ़ के बाद अनुरक्षण पर संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान	4.1.9	130-131
xkeh.k fodkl foHkkx		
कपटपूर्ण भुगतान	4.1.10	131-132
ty l d k/ku foHkkx		
कपटपूर्ण भुगतान	4.1.11	132-133
नहर कार्य का संदिग्ध संपादन	4.1.12	133-134
xkeh.k fodkl foHkkx		
रिक्शों और टेलों का संदिग्ध क्रय एवं फर्जी वितरण	4.1.13	134-135

	I nHkZ	
	dfMdk	i "B
i Fk fuekZ k foHkkx		
पीपा पुल के विघटन और पुनर्संयोजन में हानि	4.1.14	135-137
<i>fu"Qy@0; FkZ 0; ; , oa vf/kd Hkqxrku</i>	4-2	137
ty l d k/ku foHkkx		
व्यर्थ व्यय	4.2.1	137-138
कटाव निरोधी कार्य के अपूर्ण संपादन पर निष्फल व्यय	4.2.2	138-140
ekuo l d k/ku fodkl foHkkx ½mPprj f' k{k½		
वेतन का अधिक भुगतान एवं शिक्षकों की सेवा का अवैध नियमितीकरण	4.2.3	140-143
ekuo l d k/ku fodkl foHkkx		
महँगाई भत्तों का अधिक भुगतान	4.2.4	143-144
<i>l fofnd nkf; ùoka dk mYy@ku l ondka dks vns l gk; rkj i fjk; @fu"Qy 0; ;</i>	4-3	144
i 'kq kyu , oa eRL; foHkkx@ekuo l d k/ku fodkl foHkkx@LokLF; , oa i fjokj dY; k.k foHkkx		
निष्फल व्यय	4.3.1	144-146
Hkou fuekZ k foHkkx		
विशेष मरम्मति कार्य का संदिग्ध निष्पादन	4.3.2	146-147
ty l d k/ku foHkkx		
निष्फल व्यय	4.3.3	147-148
परिहार्य व्यय	4.3.4	148-149
xg ¼i fy l ½ foHkkx		
निष्फल व्यय	4.3.5	149-150
ty l d k/ku foHkkx		
अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय	4.3.6	150-151
xkeh.k fodkl foHkkx		
निष्फल व्यय	4.3.7	151-152
y?kq fl pkbZ foHkkx		
निष्फल व्यय	4.3.8	153-154
xkeh.k fodkl foHkkx		
निष्फल व्यय	4.3.9	154-155

		I अंक	
		दफ्तरी	पृष्ठ
वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली		4-4	155
ekuo l d k/ku fodkl foHkkx			
निधि का अवरोधन एवं ब्याज की हानि		4.4.1	155-156
कम्प्यूटर के क्रय पर निरर्थक व्यय		4.4.2	156
Je] fu; kst u , oa çf' k{k.k foHkkx			
वृद्धावस्था पेंशन निधि की कम प्राप्ति, दुरुपयोग और अनुपयोग		4.4.3	157-158
i 'kq kyu , oa eRL; ¼nq/k mRi knu fodkl ½ foHkkx			
केन्द्रीय अनुदान का दुरुपयोग		4.4.4	158-159
fu; ked ekeys@vf; fer 0; ; vkj vl;		4-5	159
ykd LokLF; vfHk; æ.k foHkkx			
अनियमित क्रय और संदिग्ध उपयोग		4.5.1	159-160
विज्ञापन की छपाई पर अनियमित व्यय		4.5.2	160-161
fo/kku l Hkk l fpoky;			
अनियमित व्यय		4.5.3	161-162
mtkz foHkkx			
अनियमित व्यय		4.5.4	163
v/; k; &V			
l j dkjh foHkkxka ea vkrfjd fu; æ.k ç.kkyh			
df"k foHkkx			
कृषि विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली		5.1	165-175
i f'f' k"V			
I	Hkkx&d l j dkjh ys[ks dh l j puk , oa Lo: i	1.1	177
	Hkkx&[k foÜk ys[ks dk vfHkU; kl	1.1	178-179
	Hkkx&x v/; k; &I ea iz; Pr 'kCnka dh l ph , oa mudh x.kuk dk vk/kkj	1.2	180
	1.2 राज्य के निजी राजकोषीय सुधार मार्ग के परिणाम संकेतक	1.2.2	181
II	वर्ष 2006-07 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	1.2	182-185
III	निधि का स्रोत एवं उपयोग	1.2	186

		I nHkZ	
		dfMdk	i "B
IV	मार्च 2007 तक भुगतान किए गए सहायता अनुदान जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सितम्बर 2007 तक अप्राप्त थे	1.5.5	187
V	स्वायत्तशासी निकायों द्वारा राज्य विधायिका को सौंपे गए लेखाओं की वस्तुस्थिति का विवरण	1.5.6	188
VI	बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार	1.6	189-190
VII	राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े	1.6	191-192
VIII	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रम जिन्होंने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है	1.6.3	193
IX	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं	1.6.3	194
X	वैसे क्षेत्र जिसमें वृहत बचत (दस करोड़ रुपये एवं उससे अधिक) हुई	2.3.2	195-199
XI	वैसे मामले जहाँ व्यय बजट प्रावधान से कम हुआ (एक करोड़ रुपये से अधिक तथा प्रत्येक मामले में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत थे)	2.3.3	200-203
XII	सतत बचत के मामले, प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये या अधिक या कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या अधिक	2.3.4	204
XIII	वर्ष 1977-78 से 2005-06 तक का आधिक्य	2.3.5	205
XIV	अधिकाई व्यय के महत्वपूर्ण मामले जिसके लघु शीर्षों में प्रावधान के विरुद्ध प्रत्येक में एक करोड़ रुपये या अधिक का आधिक्य था	2.3.5	206-207
XV	लघु शीर्षों में बिना बजट प्रावधान के व्यय प्रत्येक मामले में लघु शीर्षों में प्रावधान के विरुद्ध 20 लाख या अधिक का व्यय	2.3.5	208-209
XVI	विवरणी जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे	2.3.7	210-212
XVII	मामलों की विवरणी जहाँ प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक की बचत)	2.3.7	213-214
XVIII	अनुचित/अत्यधिक अभ्यर्पितों की विवरणी (एक करोड़ रुपये या अधिक)	2.3.8	215-216
XIX	अभ्यर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचत (एक करोड़ रुपये से अधिक)	2.3.9	217-218
XX	मार्च 2007 के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि	2.3.9	219-221

		I nHkz	
		dfMdk	i "B
XXI	संपूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं किये जाने की विवरणी (पाँच करोड़ रुपये या अधिक के प्रत्येक मामले)	2.3.10	222–223
XXII	अनुदान में वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण	2.3.12	224
XXIII	मार्च 2007 में व्यय की तीव्रता	2.3.13	225
XXIV	(I) असमाशोधित व्यय की विवरणी	2.3.14	226–228
	(II) विभागवार असमाशोधित व्यय की विवरणी	2.3.14	229
XXV	(I) योजनागत योजना के अंतर्गत बचत की विवरणी	2.3.15	230
	(II) योजनागत योजनाओं के अंतर्गत पाँच करोड़ रुपये या अधिक की बचत विवरणी	2.3.15	231–236
XXVI	आकस्मिक कोष से अग्रिम की अनियमित आहरण के दर्शाये गये मामले की विवरणी	2.3.16	237–243
XXVII	नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (1998–99) के कंडिका 4.1 में इंगित तथा 2002–07 तक विद्यमान अनियमितताओं/कमियों की विवरणी	3.1.13	244
XXVIII	2002–03 से 2006–07 के दौरान योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणी की कुल जनसंख्या एवं संख्या का विवरण	3.2.9.1	245
XXIX	चॉकलेट का जाँच प्रतिवेदन का ब्यौरा	3.2.9.4	246
XXX	ऑगनबाड़ी केन्द्रों की संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	3.2.17.1	247
XXXI	नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (1998–99) के कंडिका 4.1 में इंगित तथा 2002–07 तक विद्यमान अनियमितताओं/कमियों की विवरणी	3.2.18	248–249
XXXII	स्पष्ट स्थल का उल्लेख किये बिना निष्पादित कार्य की विवरणी	3.3.8.4	250
XXXIII	कार्य का निष्पादन एवं माप एक ही दिन किये जाने के कारण संदेहास्पद भुगतान का विवरण	3.3.8.4	251
XXXIV	समान स्थल पर दुबारा मरम्मत कार्य किए जाने के फलस्वरूप संदिग्ध भुगतान एवं अलकतरा की अधिप्राप्ति किए बिना ही अलकतरा कार्य का संपादन एवं माप बही में संदिग्ध प्रविष्टि	3.3.8.4	252
XXXV	अवधि विस्तार पर नहीं वसूली गयी दंड का विवरण	3.3.8.7	253–254
XXXVI	कार्यों के अवयवों की अपूर्णता से संबंधित निरर्थक व्यय का विवरण	3.3.8.8	255



		I nHkZ	
		dfMdk	i "B
XXXVII	गुणवत्ता जाँच किये बिना किये गये भुगतान का विवरण	3.3.9.2	256
XXXVIII	एस जी आर वाई/काम के बदले अनाज/नरेगा निधि के दुरुपयोग की विवरणी	3.4.7.2	257-258
XXXIX	अन्य कार्यालयों को अंतरित किए गए निधि का विवरण	3.4.7.2	259
XL	जॉब कार्डों का अधि प्रतिवेदन	3.4.9.4	260
XLI	अनाज का लेखा नहीं किया जाना	3.4.10.2	261
XLII	जांचे गये जिलों में एस.जी.आर.वाई एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत लंबित अग्रिमों की सूची	3.4.10.6	262
XLIII	विभागीय प्राधिकारियों द्वारा खाली गनी बोरे के नहीं बेचे जाने के कारण हानि का विवरण	3.4.11	263
XLIV	31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा (सिविल) प्रतिवेदन में इंगित परन्तु विद्यमान अनियमितताएँ	3.4.16	264-266
XLV	31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा (सिविल) प्रतिवेदन में इंगित परन्तु विद्यमान अनियमितताएँ।	3.5.15	267-268



- 1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
- 2 इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- 3 शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, विभिन्न विभागों में सम्पादन लेखापरीक्षा तथा कृषि विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से सम्बन्ध रखते हैं।
- 4 सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।
- 5 प्रतिवेदन में उल्लेखित वैसे मामले हैं जिन्हें वर्ष 2006-07 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ-साथ वैसे मामले भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे; वर्ष 2006-07 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं।



इस प्रतिवेदन के दो अध्यायों में बिहार सरकार के वर्ष 2006-07 के वित्तीय एवं विनियोग लेखे पर की गई टिप्पणी को समावेशित करते हुए तीन अन्य अध्यायों में चयनित कार्यक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम, सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ-साथ सरकार के वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा से संबंधित छः निष्पादन समीक्षाओं तथा 35 कंडिकाओं को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकी नमूना प्रणाली के साथ-साथ विवेक के आधार पर लिए गए हैं। कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए अपनाई गई विशेष लेखापरीक्षा प्रणाली का उल्लेख समीक्षाओं के भीतर किया गया है। सरकार के दृष्टिकोण पर विचारोपरांत ही लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए एवं अनुशंसाएँ की गई हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति एवं कुछ योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकार के निष्पादन के साथ-साथ कृषि विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणी का सारांश निम्नलिखित हैं :

### jkT; ljdkj dk foRr

वर्ष 2005-06 की अवधि में मुख्य मानकों – राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों के सापेक्ष मूल्यों में वर्ष 2006-07 में राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ। वर्ष 2006-07 में राजकोषीय स्थिति सुधार मुख्य रूप से पूर्व वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार से सहायतानुदान (57.4 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय कर स्थानांतरण (27.6 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि के कारण था। वर्ष 2002-07 की अवधि में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 80 प्रतिशत के आस पास रहा जिससे सेवाओं के विस्तार एवं परिसंपत्तियों के उपार्जन हेतु अपर्याप्त संसाधन बचे। यद्यपि वर्ष 2006-07 में राजस्व व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय वर्ष में राज्य के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा सामान्य आकलन से अधिक था एवं वेतन व्यय, पेंशन दायित्व, ब्याज भुगतान एवं अनुदान गैर योजनागत राजस्व व्यय का करीब 69 प्रतिशत था।

राजकोषीय घाटा का लगातार होना उधार निधि पर बढ़ती निर्भरता को इंगित करता है। बढ़ती राजकोषीय दायित्व के साथ साथ सरकारी निवेश पर प्रतिफल की नगण्य दर एवं ऋण एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज लागत वसूली के परिणामस्वरूप मध्यम से दीर्घकाल के लिए ऋण की अनिर्वाह योग्य स्थिति हो सकती है यदि उपयुक्त एवं आने वाले वर्षों में दोनों कर एवं करेतर स्रोतों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों का उपाय न हो।

### vko&u i kFkfedrk, W rFkk fofu; ksx

वर्ष 2006-07 के दौरान 34,047.33 करोड़ रुपए के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध 27,143.57 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 34,047.33 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान के विरुद्ध 6,903.76 करोड़ रुपए की समग्र बचत थी जो 6,903.98 करोड़ रुपए की बचत एवं 0.22 करोड़ रुपए के आधिक्य का निवल परिणाम था। वर्ष 1977-78 से 2005-06

तक 7,024.71 करोड़ रुपए के अधिक व्यय को भारत के संविधान की धारा 205 के तहत राज्य विधान मंडल से विनियमित कराने की आवश्यकता है।

**jkT; uydii ifj; kstuk**

राज्य नलकूप परियोजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि के द्वारा उनकी आमदनी को बढ़ाना था। परियोजना के विभिन्न फेजों के कार्यान्वयन पर आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाता था जिसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड ऋण के द्वारा होना था। नलकूप परियोजना सिंचाई के लक्षित लाभ को देने में विफल रहा क्योंकि सिंचाई संभाव्यता का उपयोग बहुत कम था। कार्य-व्यय की तुलना में स्थापना-व्यय मानक से काफी अधिक थे। सामग्रियों के अत्यधिक क्रय, क्रियान्वयन में विलंब एवं जल-कर की न्यून वसूली ने फेज-VIII के क्रियान्वयन पर विपरीत असर डाला। योजना अपर्याप्त था क्योंकि नई परियोजनाओं हेतु वि. परि. प्रति. को तैयार करते समय पूर्व के फेजों से प्राप्त सबक पर विचार नहीं किया गया। अनियोजित क्रय के कारण डी जी सेटों एवं सवमर्सिबुल मोटर पम्पों का अधिक क्रय किया गया। अनियमित अवधि विस्तार देने से भी परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ। सांस्थिक वितरण तंत्र कमजोर थे जिससे 59 प्रतिशत नलकूपों के लिए ही उपभोक्ता समितियों का गठन किया गया। कार्यरत उपभोक्ता समितियों द्वारा सिंचाई एवं जल-कर का कोई लेखा संधारित नहीं किया गया। लक्षित सिंचाई का केवल छः प्रतिशत उपयोग किया जा सका अतएव किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य पूर्णतः विफल रहा। परियोजना के नियोजन, क्रय एवं लेखांकन प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करने में अनुश्रवण कोषांग विफल रहा।

(कंडिका 3.1)

**I efdr cky fodkl I ok, W¼vkbZ I h Mh , I ½ ifj; kstuk**

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई सी डी एस) परियोजना छः वर्ष की उम्र तक के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता का विकास करने के लिए था। योजना का अभाव, पूरक पोषण कार्यक्रम का खराब क्रियान्वयन, आँगनबाड़ी केन्द्रों में संरचनात्मक अभाव, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ उपलब्ध कराने में विफलता जैसी अनेकों त्रुटियों से राज्य में योजना का क्रियान्वयन ग्रसित था। योजना में खामी थी एवं निदेशालय के पास योजना के लिए आवश्यक आधारभूत सांख्यिकीय आँकड़े नहीं थे। आँगनबाड़ी केन्द्रों में लक्षित आबादी की भागीदारी मानक से काफी कम थी। आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास अपर्याप्त भवन थे तथा अधिक संख्या में केन्द्र झोपड़ी के साथ साथ खुले आकाश के नीचे चल रहे थे। संयुक्त रूप से निरीक्षित तिहत्तर प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाए गए। पूरक पोषण कार्यक्रम के अधीन पोषण का वितरण अपर्याप्त था तथा घर ले जाने वाले राशन के वितरण का कोई प्रमाणिक अभिलेख नहीं था। आँगनबाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति किए गए लेमनचुस अवमानक गुणवत्ता के थे। समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के बीच समन्वय का अभाव था क्योंकि नर्स प्रत्येक बुधवार को आँगनबाड़ी केन्द्र का दौरा नहीं कर रही थीं। अधिकतर आँगनबाड़ी केन्द्रों को औषधि बैग के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

(कंडिका 3.2)

### सड़क का प्रभावकारी नेटवर्क सेवाओं एवं वस्तुओं के परिवहन एवं लोगों के भ्रमण योग्यताओं में वृद्धि कर आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं को अधिकतम करता है।

बाद प्रभावित जिलों में वर्ष 2002-07 के दौरान सड़क का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य अकुशल नियोजन एवं अनियमित कार्यपालन के रूप में चरितार्थ हुआ। वर्ष 2002-07 के दौरान मात्र 11 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए थे। कार्य में उपयोग किए गये स्टोन मेटल एवं अलकतरा का गुण नियंत्रण नहीं किया गया था। अवास्तविक एवं स्फीतिय प्राक्कलन तैयार किया गया जो कि अतिरिक्त लागत एवं संदेहास्पद कार्यपालन का कारण बना। संविदा प्रबंधन कमजोर था जो कि अधुरे कार्यों पर निरर्थक व्यय एवं अयोग्य संविदादाताओं को कार्य प्रदान करने से प्रतिविम्बित होता है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली ध्वस्त थी जो कि कार्यों का संदेहास्पद निष्पादन, बीजक के बगैर उठाये गये अलकतरा के लिए भुगतान तथा कार्यों का दुबारा अभिलेखन इत्यादि से स्पष्ट था।

(कड़िका 3.3)

### ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु केन्द्र संपोषित योजनायें थीं।

शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर इ जी एस) लागू की गई। 2002-07 में क्रियान्वित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ने न तो समुचित रोजगार का सृजन किया न ही टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्ति का निर्माण किया। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए योजना नहीं बनाई गई। कार्यक्रम प्रबंधन कमजोर था तथा अनुपालन विफलतायें जारी थी जो उपस्थिति नामावली पर संदेहास्पद कपटपूर्ण भुगतान तथा खाद्यान्नों के वितरण से परिलक्षित होता था। एन आर इ जी एस में परिकल्पित आंतरिक नियंत्रणों को अभी भी स्थापित किया जाना था।

(कड़िका 3.4)

### त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) का उद्देश्य सभी ग्रामीण टोलों को सुरक्षित पेयजल सुविधा से आच्छादित करना तथा पेयजल व्यवस्था एवं स्रोतों की सुग्राह्यता सुनिश्चित करना था।

अकुशल संविदा प्रबंधन के कारण योजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ तथा लक्ष्य से कम चापाकलों की स्थापना हुई। स्वजलधारा जो ग्रामीण क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को संस्थागत करने के उद्देश्य से शुरू की गई वह हाजीपुर, जो राज्य का सेक्टर रिफार्म का जिला था, में भी जल मुहैया कराने में विफल रही चूँकि सभी योजनाएँ अपूर्ण रही। जल जाँच हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण एवं अपर्याप्त थी चूँकि जैविक एवं रसायनिक गंदगी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। वर्ष 2002-07 के दौरान पाइप जलापूर्ति, चापाकलों तथा स्वजलधारा के अंतर्गत भारी संख्या में अपूर्ण योजनाओं के कारण ए आर डब्ल्यू एस पी राज्य में पेय जल प्रदान करने में विफल रही। नई योजनाओं के बदले चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कम प्राथमिकता दिए जाने से 2002-07 के दौरान अपूर्ण योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य में अधिशोषित प्रखंडों के रहने के बावजूद भू-जल के उपयोग के लिए कोई योजना नहीं थी। विशेष मरम्मत निष्फल व्यय में परिणत हुआ क्योंकि पाइप वांछित गहराई तक नहीं डाले गये थे। गुणवत्ता नियंत्रण

प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि फील्ड टेस्ट किटों का वितरण नहीं किया गया था। अनुश्रवण प्रणाली निष्प्रभावी थी, जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि विभाग के पास राज्य में कार्यान्वित हो रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं थी।

(कांडिका 3.5)

### दृष्टिकोणों का विश्लेषण; अ.क.क.क.

कृषि विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण पायी गयी। बजटीय एवं व्यय नियंत्रण कमजोर था जैसा कि बजट प्रावधान के विरुद्ध तदन्तर बचत, बैंक शेष एवं रोकड़ बही शेष के बीच असमायोजित अन्तर, लंबित डी सी विपत्र तथा असमायोजित अग्रिम से परिलक्षित था। विभाग ने अपना मैनुअल विगत 50 वर्षों से अद्यतन नहीं किया था। अप्रभावी संचालन नियंत्रण के परिणामस्वरूप वर्ष 2002-07 के दौरान कुल स्थिर फसल क्षेत्र के कृषि उत्पादन में कमी के साथ ही साथ मृदा एवं जल जाँच प्रयोगशाला की स्थापना नहीं हुई। निष्क्रिय कर्मचारियों पर वेतन भुगतान अकुशल मानव शक्ति प्रबंधन को प्रदर्शित करता था। आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तार अपर्याप्त था तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार द्वारा करवाए गए सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुक्रिया का अभाव था।

(कांडिका 5.1)

### लाभकारी ज्ञानों के अभाव

सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय संपादन लेखापरीक्षा, जो नमूना जाँच तक सीमित थी, से 175.67 करोड़ रुपये के कपटपूर्ण भुगतान, दुर्विनियोजन, हानि, संदेहास्पद, निष्फल, अत्यधिक, निष्क्रिय, अनियमित, अपव्ययी, फलहीन, परिहार्य और दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आये जो निम्नलिखित थे :

10.50 करोड़ रुपये के दुर्विनियोग, कपटपूर्ण भुगतान, संदेहास्पद क्रय, कार्य का संदेहास्पद निष्पादन एवं सरकारी हानि के मामले ग्रामीण विकास विभाग (94.86 लाख रुपये), राजस्व व भूमि सुधार विभाग (2.10 करोड़ रुपये), पथ निर्माण विभाग (1.17 करोड़ रुपये), ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (1.15 करोड़ रुपये), भवन निर्माण विभाग (1.11 करोड़ रुपये), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (20.98 लाख रुपये), वन एवं पर्यावरण विभाग (1.43 करोड़ रुपये) तथा जल संसाधन विभाग (2.38 करोड़ रुपये) में पाए गए।

49.26 करोड़ रुपये के अपव्ययी, फलहीन, अत्यधिक व्यय के मामले जल संसाधन विभाग (7.09 करोड़ रुपये), मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग (41.37 करोड़ रुपये) और मानव संसाधन विकास विभाग (80.87 लाख रुपये) में पाए गए।

84.22 करोड़ रुपये के परिहार्य एवं फलहीन व्यय के मामले ग्रामीण विकास विभाग (73.39 करोड़ रुपये), मानव संसाधन विकास विभाग (38.46 लाख रुपये), भवन निर्माण विभाग (58.66 लाख रुपये), जल संसाधन विभाग (2.99 करोड़ रुपये), गृह (पुलिस) विभाग (2.61 करोड़ रुपये), लघु सिंचाई विभाग (2.59 करोड़ रुपये), पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (33.69 लाख रुपये) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (96.97 लाख रुपये) में पाए गए।



2.41 करोड़ रुपये के निष्क्रिय व्यय, निधी के अवरुद्धीकरण/ दुरुपयोग के मामले मानव संसाधन विकास विभाग (1.09 करोड़ रुपये), श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (97.66 लाख रुपये) एवं पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (34.10 लाख रुपये) में पाए गए।

29.28 करोड़ रुपये के निधी के अनियमित व्यय/क़य के मामले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (1.22 करोड़ रुपये), विधान सभा (26.42 करोड़ रुपये) एवं उर्जा विभाग (1.64 करोड़ रुपये) में पाए गए।

कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व व भूमि सुधार विभाग में रोकड़ शेष में कमी (9.32 लाख रुपये) और असमायोजित अग्रिमों (41.12 लाख रुपये) तथा अस्वीकृत अभिश्रओं (1.69 करोड़ रुपये) से संबंधित दो दुर्विनियोजन के मामले प्रकाश में आये।

(कंडिका 4.1.1 एवं 4.1.2)

पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग में कम सामग्रियों का उपयोग (63.90 लाख रुपये), संदेहास्पद संपीडन (98.96 लाख रुपये), अत्यधिक खपत एवं सामग्री की दुलाई (96.59 लाख रुपये), संदेहास्पद वाणिकी (1.08 करोड़ रुपये) तथा अपात्र व्यक्तियों को इंदिरा आवास योजना निधि के भुगतान (57.91 लाख रुपये)के मामले प्रकाश में आये।

(कंडिका 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.9 एवं 4.1.10)

जल संसाधन विभाग में बोल्टर पीचिंग (1.05 करोड़ रुपये) एवं नहर कार्य का कार्यान्वयन (1.33 करोड़ रुपये) से संबंधित दो संदेहास्पद मामले प्रकाश में आये।

(कंडिका 4.1.11 एवं 4.1.12)

जल संसाधन विभाग में बारम्बार अपूर्ण कार्य करने के कारण 6.67 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ क्यों कि चंपारण तटबंध के पतजिरवा के निकट 26.50 मील से 32 मील के बीच 2004-06 के दौरान तटबंध में हर वर्ष कटाव हुआ।

(कंडिका 4.2.2)

भीमराव अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय में सेवा के अनियमित नियमितीकरण, स्वीकृत बल से अधिक पदों के प्रचालन और वेतन के अनियमित निर्धारण के फलस्वरूप 41.37 करोड़ रुपये का अधिक एवं अनियमित भुगतान।

(कंडिका 4.2.3)

आई. जी. (प्रोवीजन) के द्वारा किरासन तेल जेन सेट की अविवेकपूर्ण खरीद के परिणामस्वरूप 2.61 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.3.5)

ग्रामीण विकास विभाग में स्व. ज. ग्रा. स्व. यो. के तहत आठ जिलों में 3.86 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय एवं अनुदान के 69.04 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान।

(कंडिका 4.3.7)

मानव संसाधन विकास विभाग में बिना परियोजना प्रतिवेदन और कार्यान्वयन योजना के निधि की निकासी के फलस्वरूप 22 करोड़ रुपये की निधि का अवरोधन एवं 71 लाख रुपये के ब्याज की हानि।

(कंडिका 4.4.1)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में प्रतियोगी बोली से बचने के लिए क्रय आदेश को टुकड़े में विभाजित कर 76.49 लाख रुपये के अतिरिक्त पुर्जे का अनियमित क्रय किया गया। इसके अलावा सामग्री का उपयोग संदिग्ध था क्योंकि सामग्री खाता और चापाकल के निर्धारित स्थान अभिलेखित नहीं थे।

(कंडिका 4.5.1)

v/; k; &I

jkt; l jdkj dk foUk

1-1 çLrkouk

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा में रखे जाते हैं। बिहार सरकार का वित्त लेखा 19 विवरणियों में तैयार किया जाता है जिसमें बिहार राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं व्यय को राजस्व एवं पूँजीगत के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त लेखा की रूप रेखा [k में प्रदर्शित है।

1-1-1 çkflr; k, oa l forj. kka dk l kjkd k

वर्ष 2006-07 के लिए बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय तथा लोक लेखा से प्राप्तियाँ/संवितरण समाहित है जो वित्त लेखे के विवरणी-I एवं अन्य विस्तृत विवरणियों से परिलक्षित होते हैं।

वर्ष 2006-07 के लिए राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण

क्र.सं./श्रेणी

2005-06	çkflr; k	2006-07	2005-06	l forj. k	2006-07		
[k.M d % jktLo					xj ; kst uk	; kst uk	dy
17,836.71	I. jktLo çkflr; k	23,083.19	17,756.00	I. jktLo 0; ;	16,519.74	4,065.31	20,585.05
3,561.10	कर राजस्व	4,033.08	8,522.79	सामान्य सेवाएँ	8,205.83	437.20	8,643.03
522.30	करेत्तर राजस्व	511.28	6,861.92	सामाजिक सेवाएँ	5,538.38	2,378.83	7,917.21
10,420.59	संघीय कर/शुल्कों का हिस्सा	13,291.72	2,367.09	आर्थिक सेवाएँ	2,771.53	1,249.28	4,020.81
3,332.72	भारत सरकार से अनुदान	5,247.11	4.20	सहायतानुदान एवं अंशदान	4.00	---	4.00
[k.M [k % i wthxr							
-	II. fofo/k i wthxr çkflr; k		2,083.90	II. i wthxr 0; ;	78.76	5,132.37	5,211.13
50.86	III. __.k , oa vfxeka dk l forj. k	7.40	1,747.82	III. __.k , oa vfxeka dk l forj. k	115.84	199.48	315.32
3,770.37	IV. ykd __.k çkflr; k	2,357.86	980.76	IV. ykd __.k dh vnk; xh			1,024.98
	V. vkdfLedrk fuf/k			V. vkdfLedrk fuf/k			
5,694.52	VI. ykd ys[kk çkflr; k	9,224.07	4,414.87	VI. ykd __.k l forj. k			8,016.04
1,518.47	Vkj fHkd udn 'k'sk	1,887.58	1,887.58	Vfre udn 'k'sk			1,407.58
28,870.92	dy ; ksx	36,560.10	28,870.92	; ksx			36,560.10

\* अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर।

वर्ष 2006-07 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं :

- पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 5,246 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वृद्धि में मुख्य रूप से संघीय करों एवं शुल्क में राज्यांश (2,871 करोड़ रुपये),

भारत सरकार से अनुदान (1,914 करोड़ रुपये) एवं कर राजस्व (472 करोड़ रुपये) अंशदाता है।

- ऋण एवं अग्रिम की वसूली वर्ष 2005-06 के 51 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2006-07 में 7.40 करोड़ रुपये हो गई।
- वर्ष 2006-07 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा राज्य के कुल व्यय में 4524 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसमें पूँजीगत व्यय 3127 करोड़ रुपये (69 प्रतिशत) राजस्व व्यय 2829 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) का अंशदान था परन्तु वर्ष के दौरान वृद्धि को 1433 करोड़ रुपये (-32 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में कमी से प्रतिपूरित कर दिया गया।
- लोक ऋण प्राप्तियों में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 1413 करोड़ रुपये की कमी मुख्यतः बाजार ऋण में 1414 करोड़ रुपये की कमी के कारण हुई। दूसरी ओर लोक ऋण की अदायगी में पूर्ववर्ती वर्ष के 981 करोड़ रुपये में 44 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान लोक लेखा प्राप्ति में 3530 करोड़ रुपये के वृद्धि के विरुद्ध लोक लेखा संवितरण में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 3601 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- राज्य के उपर्युक्त राजकोषीय लेनदेन का निवल प्रभाव चालू वर्ष के आरंभ में आरंभिक शेष के 1888 करोड़ रुपये के स्तर से 31 मार्च 2007 को 480 करोड़ रुपये के नगद शेष में कमी के रूप में प्रदर्शित था।

### 1-1-2 *ef; l pdka }kjk jkT; ds jkt dks'kh; fLFkfr*

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति मुख्य सूचकों द्वारा rkfydk 1-2 में दी गयी है।

#### rkfydk 1-2

*##i; s djkm+esh*

2005-06	Øe la	<i>ef; l eq</i>	2006-07
17,837	1.	<i>jktLo çkflr; k; (2+3+4)</i>	23,083
3,561	2.	कर राजस्व (निवल)	4,033
522	3.	करेत्तर राजस्व	511
13,754	4.	अन्य प्राप्तियाँ	18,539
51	5.	<i>xj __.k i pthxr çkflr; k;</i>	7
51	6.	जिसमें ऋणों की वसूली	7
17,888	7.	<i>dy çkflr; k; (1+5)</i>	23,090
16,689	8.	<i>xj ; kst uk 0; ;</i>	16,714
15,020	9.	राजस्व लेखा पर	16,520
3,649	10.	जिसमें ब्याज भुगतान	3,416
23	11.	पूँजीगत लेखा पर	78
1,646	12.	संवितरित ऋण	116
4,899	13.	<i>; kst uk 0; ;</i>	9,397
2,736	14.	राजस्व लेखा पर	4,065
2,061	15.	पूँजीगत लेख पर	5,133
102	16.	संवितरित ऋण पर	199
21,588	17.	<i>dy 0; ; (13+8)</i>	26,111
(+81)	18.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (1-9-14)	(+) 2,498
(-3,700)	19.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+) (1+5-17)	(-) 3,021
(-51)	20.	प्रारंभिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (10-19)	(+) 395

rkfydk 1-2 प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2006-07 के दौरान पूर्व वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में 5246 करोड़ रुपये (29 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 2829

करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई फलतः पूर्ववर्ती वर्ष के 81 करोड़ रुपये की अपेक्षा वर्ष 2006-07 में राजस्व अधिशेष में 2417 करोड़ रुपये की वृद्धि एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत 44 करोड़ रुपये की कमी के साथ-साथ पूँजीगत व्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों के संवितरण में 1694 करोड़ रुपये की वृद्धि के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में वर्ष 2005-06 के 3700 करोड़ रुपये की अपेक्षा वर्ष 2006-07 में 679 करोड़ रुपये की कमी हुई। राजकोषीय घाटे में कमी के साथ ब्याज भुगतान में 233 करोड़ रुपये की कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के 51 करोड़ रुपये के घाटे की अपेक्षा वर्ष 2006-07 में 395 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अधिशेष हुआ।

**1-2 jkt dks'kh; fLFkfr ds fu/kkZ .k gsrq vi uk; h x; h dk; ; l ç. kkyh**

वित्तीय लेखाओं के विवरणियों से प्राप्तियों एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समूहों में प्रवृत्ति का विश्लेषण जहाँ भी आवश्यक हो पिछले पाँच वर्षों की अपेक्षा, प्रेक्षणों एवं उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। राज्य वित्तीय के पुनर्रचना योजना में बारहवें वित्त आयोग (बा. वि. आ.) ने कुछ राजकोषीय समूहों के लिए प्रतिमानक/उच्चतम सीमा की अनुशंसा की एवं अन्य के लिए भी प्रतिमानक प्रेक्षण बनाया। इसके अलावे बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया एवं तदनुसार पाँच वर्षों की अवधि (2005-06 से 2009-10) तक राजकोषीय सुधार मार्ग अपनाये जाने की अनुशंसा की ताकि मध्यम से दीर्घ काल की अवधि में राज्य की राजकोषीय स्थिति में उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम/नियम के लागू होने से सुधार हो सके। बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमानक/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनका प्रेक्षण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम के अंतर्गत विधानमंडल में चालू वित्तीय वर्ष में मुख्य राजकोषीय योग के प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। जी एस डी पी को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर संकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी एस डी पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया।

अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 1999-2000 को आधार मानते हुए प्रकाशित नई जी एस डी पी श्रृंखला का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इन प्रतिशतताओं एवं उत्पादकता अनुपात के आकलन में किया गया। विगत पाँच वर्षों की जी एस डी पी और उसकी वृद्धि दर की प्रवृत्ति को rkydk 1-3 में दिखलाया गया है।

rkydk 1-3 % th , l Mh ih ea of) ds çofÜk

çDdyu	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	64,275	65,994	71,092	76,568	81,270
of) dh nj %çfr'kr½					
जी एस डी पी	13.17	2.67	7.72	7.70	6.14

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, निदेशालय, बिहार सरकार

सकल घरेलू राज्य उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के संदर्भ के साथ-साथ, कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि का उत्पादकता गुणक का विश्लेषण यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि संसाधनों का जुटाव, व्यय की प्रकृति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चल रहे हैं या जी एस डी पी के अलावे अन्य कारणों से भी प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य राजकोषीय समूहों के उद्देश्य से मुख्य शीर्षों के अंतर्गत इन्हें

वर्गीकृत किया गया है। (i) मात्रा एवं स्त्रोतों के आधार पर संसाधन (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसंपत्तियों एवं दायित्व तथा (iv) घाटा प्रबंध (i f j f ' k " V & II , o a III)। एक निकाय के रूप में राज्य सरकार का सकल वित्तीय प्रदर्शन अनुपातों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे राजकोषीय समाविष्टों के संबंधात्मक व्याख्या के लिए साधारणतया अपनाया जाता है। राजकोषीय समाविष्टों के प्रवृत्ति एवं प्रकारों के निर्धारण में उपयोग हुए कुछ चयनित शब्दों का वर्णन i f j f ' k " V 1-1 H k k X X में दिये गये हैं।

1-2-1 j k t d k s " k h ; m ù k j n k f ; ù o , o a c t V ç c ð k u ¼ , Q v k j c h , e ½ v f / k f u ; e 2006

राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ. आर. बी. एम) के लिए अप्रील 2006 में अधिनियम बनाया। अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एवं सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत संरचना के सुधार हेतु कार्य क्षेत्र में वृद्धि एवं राजस्व घाटा का प्रगतिशील विलोपन, राजकोषीय घाटा में कमी, राजकोषीय धारणीयता के साथ-साथ संगत दूरदर्शी ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय क्रियाप्रणाली में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यम रूप के ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन हेतु उत्तरदायी है।

अधिनियम में पारित राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों के परिणाम के साथ-साथ राज्य सरकार

- (क) वित्तीय वर्ष 2006-07 के शुरुआत से एवं यदि राजस्व घाटा होता है तो राजस्व घाटा/सकल घरेलू राज्य उत्पाद अनुपात में प्रत्येक वर्ष आर्थिक स्थिति के अनुसार कम से कम 0.1 प्रतिशत की कमी, जिससे 2008-09 तक राजस्व घाटा का विलोपन हो जाये एवं उसके बाद राजस्व अधिशेष उत्पन्न हो।
- (ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 के शुरुआत से राजकोषीय घाटा/सकल घरेलू राज्य उत्पाद अनुपात में प्रत्येक वर्ष कम से कम 0.3 प्रतिशत तक की कमी करनी होगी यदि यह तीन प्रतिशत से अधिक एवं वर्ष 2008-09 तक तीन प्रतिशत से अधिक न हो।

आंतरिक अवरोधों या प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य असाधारण स्थितियों से उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इस प्रभाग के अंतर्गत राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकती है। ज्योंही ऐसे घाटा की राशि उपर्युक्त सीमा से अधिक हो, प्रथम शर्त में निर्दिष्ट अभिप्रायों एवं अभिप्राय के मामले में विवरणी सदन या विधानमंडल के सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

1-2-2 , Q v k j c h , e v f / k f u ; e @ f u ; e k a e a o f . k r j k t d k s " k h ; y { ; k a d h ç k f l r g r q i F k v k j s [ k

राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय सुधार पथ विकसित किया है जिसमें वर्ष 2004-05 से वर्ष 2009-2010 की अवधि के लिए क्रियान्वयन की निर्धारित तिथि के साथ परिणामी सूचकों के मील के पत्थर को प्रदर्शित किया गया है (i f j f ' k " V & 1-2)। एफ आर बी एम अधिनियम में पारित राजकोषीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिए परिणाम संकेतकों के अंतर्गत उपलब्धि एवं/अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) पंचाट के लिए भारत सरकार द्वारा गणना किये राज्य के राजकोषीय घाटा की प्रत्याशित वार्षिक दर की कमी को सूचित किया गया है।

1-2-2-1 jkt dks'kh; fooj.kh

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के कंडिका 5 के अंतर्गत आवश्यक वर्ष 2006-07 के लिए विस्तृत वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय नीति विवरणी के साथ-साथ मध्यावधि वित्तीय नीति एवं राजकोषीय नीति का कार्य योजना तैयार किया गया एवं सदन के समक्ष (मार्च 2007) प्रस्तुत किया गया। विवरणी वर्ष 2006-07 के लिए अपने राजकोषीय सुधार मार्ग के राजस्व घाटा 611 करोड़ रुपये (बजट आकलन) एवं राजकोषीय घाटा 4582 करोड़ रुपये (बजट आकलन) प्रदर्शित किया गया जो कि बाद में पुनरीक्षित कर राजस्व अधिशेष 752 करोड़ रुपये एवं राजकोषीय घाटा 6898 करोड़ रुपये प्रक्षेपित किया गया।

1-2-2-2 jkt dks'kh; fLFkfr dh e/; kof/k l eh{k

संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम 2006 के धारा 11.1 के अनुपालन में, वित्त विभाग को बजट में प्रदर्शित प्राप्तियों एवं व्यय के प्रवृत्ति की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में करनी है एवं समीक्षाओं का परिणाम विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की गई है किन्तु की गई समीक्षा का सार इस कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है।

1-3 dy çkflr; ka dh ek=k , oa çofr

राज्य सरकार के कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा सहायतानुदान सन्निहित है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे निवेश से प्राप्ति, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक संसाधनों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से कर्ज) से प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार एवं लोक लेखा से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। rkfydk 1-4 प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 34673 करोड़ रुपये थी। इनमें से कुल प्राप्तियों का 67 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों 23083 करोड़ रुपये थी। शेष कर्ज एवं लोक लेखा प्राप्तियों से आई।

rkfydk 1-4 % dy çkflr; ka dh ek=k , oa of) ea çofl

##i; s djkm+ e#

jkt; dh çkflr; ka dk L=kr	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I jktLo çkflr; k	10,968	12,456	15,714	17,837	23,083
II i pthx çkflr; k	4,206	5,079	7,637	3,821	2,365
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	16	10	15	51	7
लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,190	5,069	7,622	3,770	,
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
III vkdfLed fuf/k	--	--	--	--	--
IV ykd ys[kk çkflr; k	5,584	7,440	4,093	5,694	9,224
अ. लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	963	987	1,198	1,087	1,012
ब. आरक्षित निधि	144	--	189	440	--
स. जमा एवं अग्रिम	3,027	3,154	3,129	1,886	3,014
द. उचंत एवं विविध	333	2,079	(-),661	211	160
ई. प्रेषण	1,117	1,220	1,238	2,070	5,038
dy çkflr; k	20,758	24,975	27,444	27,352	34,672

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों का क्रमशः 67 एवं 7 प्रतिशत था। राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2002-03 में 20,758 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 34672

करोड़ रुपये हो गई। ऋण पूँजीगत प्राप्तियों जो भविष्य अदायगी के लिए बाध्य है वर्ष 2002-03 में 4190 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2006-07 में 2358 करोड़ रुपये हो गई। लोक लेखा प्राप्तियाँ भी वर्ष 2005-06 के 5694 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 9224 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण जमा एवं अग्रिम का 1886 करोड़ रुपये से बढ़कर 3014 करोड़ रुपये एवं प्रेषण का 2070 करोड़ रुपये से बढ़कर 5038 करोड़ रुपये हो जाना था।

### 1-3-1 jktLo çkflr; kš

वित्त लेखा की विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में इनके अपने कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। समग्र राजस्व प्राप्तियाँ उसकी वार्षिक वृद्धि दर जी एस डी पी से इन प्राप्तियों का अनुपात तथा उनकी उत्प्लावकता rkfydk 1-5 में प्रदर्शित है।

### rkfydk 1-5 % jktLo çkflr; k; vk/kkjHkr ekud

##i; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व प्राप्तियाँ (आर आर)	10,968	12,456	15,714	17,837	23,083
निजी कर (प्रतिशत)	2,761(25)	2,890(23)	3,347(21)	3,561(20)	4,033(17)
करेत्तर राजस्व (प्रतिशत)	261(2)	320(3)	418(3)	522(3)	511(2)
केन्द्रीय कर स्थानांतरण (प्रतिशत)	6,549(60)	7,628(61)	9,117(58)	10,421(58)	13,292(58)
सहायता अनुदान (प्रतिशत)	1,397(13)	1,618(13)	2,832(18)	3,333(19)	5,247(23)
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.47	13.57	26.16	13.51	29.41
राजस्व प्राप्ति/जी एस डी पी (प्रतिशत)	17.10	18.90	22.10	23.30	28.40
राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात) <sup>1</sup>	0.87	5.07	3.39	1.75	4.79
राज्य का निजी कर उत्प्लावकता (अनुपात)	1.45	1.75	2.05	0.83	2.16
राज्य के निजी कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	0.61	2.91	1.65	2.11	2.22
जी एस डी पी की वृद्धि (प्रतिशत)	13.17	2.67	7.72	7.70	6.14

### I kekl; çofr

राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2002-07 की अवधि में अपने मात्रा में प्रगतिशील वृद्धि प्रदर्शित की है जिसमें राज्य के अपने करों के अंश में कमी हुई, सहायता अनुदान के अंश में वृद्धि हुई तथा केन्द्रीय अंतरण एवं करेत्तर राजस्व गौण परिवर्तनों के साथ कमोवेश समान रहे। वर्ष 2006-07 की अवधि में 29 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य के निजी करों (13.25 प्रतिशत), केन्द्रीय कर स्थानांतरण (27.55 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान (57.43 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण थी।

dj jktLo % पूर्ववर्ती वर्ष (3561 करोड़ रुपये) की अपेक्षा चालू वर्ष (4033 करोड़ रुपये) में कर राजस्व में 13.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। rkfydk 1-6 वर्ष 2006-07 की

<sup>1</sup> प्लावकता गुणांक लचीलापन या आधार परिवर्तनशील में दिये गये परिवर्तन के राजकोषीय परिवर्तनशीलता की अनुक्रियाशीलता की मात्रा प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2006-07 की अवधि में राजस्व उत्प्लावकता 2.2 का अर्थ है राजस्व प्राप्तियों में 2.2 प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति। यदि जी एस डी पी एक प्रतिशत से बढ़ जाता है।



अवधि में कर राजस्व की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। विक्रय कर (52 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (11 प्रतिशत) एवं राज्य उत्पाद पर कर (9 प्रतिशत) राज्य कर राजस्व का मुख्य स्रोत था। निबंधन शुल्क को 8.4 प्रतिशत से घटाकर छः प्रतिशत करने एवं वर्ष 1994 में वाहनों पर आरोपित काफी उच्च कर (तीन से 12 गुणा वृद्धि) के उन्मूलन के कारण वाहन, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत कर राजस्व की उगाही में कमी हुई। "विशेष समझौता कार्ड योजना" को मार्च 2006 में वापस ले लिये जाने के कारण भी वाहनों से राजस्व की वसूली में कमी आई।

rkfydk 1-6 % dj jktLo

##i ; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Hk&jktLo	36	34	33	55	75
enkd , oa fuc/ku	348	418	429	505	455
jkt; mri kn	242	240	272	319	382
foØ; dj	1,648	1,637	1,891	1,734	2,081
okgu dj	178	209	213	302	181
vl; dj *	309	352	509	646	859
dy	2,761	2,890	3,347	3,561	4,033

\* अन्य करों में आय एवं व्यय पर कर, कृषि भूमि के अलावे अचल संपत्ति पर कर, माल एवं यात्री पर कर, बिजली एवं शुल्क कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क शामिल है।

dj&kj jktLo % करेत्तर राजस्व जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.21 प्रतिशत है में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 11 करोड़ रुपये की कमी हुई। चालू वर्ष में करेत्तर राजस्व में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (4.03 करोड़ रुपये) तथा पथ एवं पुलों (4.70 करोड़ रुपये) से वृद्धि हुई परंतु करेत्तर राजस्व में लोक सेवा उपयोग, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति से कमी हुई।

राज्य सरकार द्वारा आकलन की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ नीचे दिये गये हैं :

##i ; s djkm+e#

	ckjgoa folk vk; ksx }kjk vkdyu	jkt dks'kh; l rkkj iFk ea jkt; l jdkj }kjk vkdyu	okLrfod
	(1)	(2)	(3)
कर राजस्व	5,681	4,523	4,033
करेत्तर राजस्व	959	342	511

कर राजस्व/करेत्तर राजस्व की उगाही बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष के लिए प्रक्षेपित आकलन से कम थी। बारहवें वित्त आयोग के निर्धारण की अपेक्षा कर राजस्व में 41 प्रतिशत जबकि करेत्तर राजस्व में 87 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2006-07 के लिए राजकोषीय सुधार पथ में निजी कर की उगाही 4033 करोड़ रुपये थी जो प्रक्षेपित उगाही 4523 करोड़ रुपये से 490 करोड़ रुपये कम थी यद्यपि करेत्तर राजस्व के मामले में प्रक्षेपित आकलन से अधिक थी।

dlnh; dj LFkkukarj.k % केन्द्रीय कर स्थानांतरण में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 2871.13 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई एवं यह राजस्व प्राप्तियों का 58 प्रतिशत था। वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर (1271.25 करोड़ रुपये), सीमा शुल्क (560.95 करोड़ रुपये), सेवा कर (506.73 करोड़ रुपये) एवं निगम कर के अलावे अन्य आय (490.96 करोड़ रुपये) में हुई।

लग्ग; र्क वुण्कु % चालू वर्ष में भारत सरकार से सहायतानुदान वर्ष 2005-06 के 3333 करोड़ रुपये से बढ़कर 5247 करोड़ रुपये हो गई। वृद्धि मुख्य रूप से राज्य योजना कार्यक्रम (890 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित योजना (488 करोड़ रुपये), केन्द्रीय योजना कार्यक्रम (54 करोड़ रुपये) एवं गैर योजना अनुदान (482 करोड़ रुपये) के अंतर्गत थी। राज्य कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान अन्य योजना अनुदान में कमी के साथ-साथ प्रखंड अनुदान में तीव्र वृद्धि हुई जो वर्ष 2005-06 के 796.51 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 2218.19 करोड़ रुपये हो गया। बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) के अनुशंसाओं के अनुसार, वर्ष 2006-07 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त गैर योजना अनुदान में, निर्दिष्ट अनुदानों में शिक्षा हेतु 486.17 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य हेतु 322.57 करोड़ रुपये, लोक भवन हेतु 89.90 करोड़ रुपये एवं 77.34 करोड़ रुपये पथ एवं पुलों हेतु शामिल थे। स्वास्थ्य (849.87 करोड़ रुपये) एवं भवन (180.37 करोड़ रुपये) पर व्यय बारहवें वित्त आयोग द्वारा इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित गैर योजना राजस्व व्यय क्रमशः 880.98 करोड़ रुपये एवं 216.91 करोड़ रुपये के प्रक्षेपण से नीचे था। भारत सरकार से सहायतानुदान का विस्तृत विवरण र्कfydk 1-7 में दिया गया है।

र्कfydk 1-7 % Hkkjr l jdkj l s l gk; rk vupku

##i; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राज्य योजना कार्यक्रम हेतु अनुदान	670.05	1,169.28	1,642.90	1,555.66	2,445.24
गैर योजना अनुदान	290.32	151.56	683.99	1,201.08	1,683.41
केन्द्रीय योजनाओं हेतु अनुदान	436.95	45.95	10.33	89.99	144.29
केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	--	250.83	494.61	485.99	974.17
<b>dy</b>	<b>1,397.32</b>	<b>1,617.62</b>	<b>2,831.83</b>	<b>3,332.72</b>	<b>5,247.11</b>
पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा वृद्धि/कमी का प्रतिशत	32.17	15.77	75.06	17.69	57.44

1-4 l d k/kuka dk mi ; ksx

1-4-1 0; ; ea of)

वित्त लेखे की विवरणी 12, लघु शीर्षों द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय तथा वृहत शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय प्रदर्शित करती है। राज्य अपने राज सत्ता के परिचालन, सामाजिक एवं आर्थिक सेवा प्रदान करने संबंधी वर्तमान तरीका को बनाए रखने, पूंजीगत व्यय एवं निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के नेटवर्क फैलाने तथा अपने ऋण सेवा दायित्व के निर्वहन के लिए संसाधनों की उगाही करता है। राज्य का कुल व्यय वर्ष 2002-03 के 13972 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 26111 करोड़ रुपये हो गया। कुल व्यय इसका वार्षिक वृद्धि दर तथा राज्य जी एस डी पी एवं राजस्व प्राप्तियों से व्यय का अनुपात तथा जी एस डी पी एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित उत्प्लावकता को र्कfydk 1-8 में दर्शाया गया है।

रक्यदक 1-8 % द्य 0; ; & vk/kkjHkr ekud  
%eW; #i ; s dj kM+ea , oa vU; çfr'kr e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कुल व्यय (कु. व्य.)*	13,972	16,829	16,971	21,588	26,111
वृद्धि दर	12.36	20.45	0.84	27.21	20.95
कुल व्यय/जी एस डी पी अनुपात	21.74	25.50	23.90	28.20	32.13
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय अनुपात	78.50	74.02	92.59	82.62	88.40
fuEukfdr l s dgy 0; ; dh mRlykodrk					
जी एस डी पी (अनुपात)	0.94	7.66	0.11	3.53	3.41
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.08	1.51	0.03	2.01	0.71

\* कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में शामिल है।


चालू वर्ष में कुल व्यय में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 4524 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसमें राजस्व व्यय का हिस्सा 2829 करोड़ रुपये एवं पूँजीगत व्यय का 3127 करोड़ रुपये था, साथ ही साथ ऋण एवं अग्रिमों के संवितरणों में 1433 करोड़ रुपये (-32 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष की अवधि में गैर योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि एवं योजनागत व्यय में 4498 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा योजनागत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से परिवहन (पूँजीगत 1387 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास (राजस्व 271 करोड़ रुपये, पूँजीगत 885 करोड़ रुपये) शिक्षा (राजस्व : 443 करोड़ रुपये एवं पूँजीगत : 77 करोड़ रुपये) ; उद्योग एवं खनिज क्षेत्र (राजस्व : 48 करोड़ रुपये, पूँजीगत 406 करोड़ रुपये), जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व 100 करोड़ रुपये, पूँजीगत 130 करोड़ रुपये), श्रम कल्याण (राजस्व : 158 करोड़ रुपये) ; उर्जा (पूँजीगत 132 करोड़ रुपये) एवं सामाजिक कल्याण (राजस्व : 80 करोड़ रुपये) के अंतर्गत देखा गया। चालू वर्ष की अवधि में कुल व्यय का 88 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से एवं शेष पूँजीगत प्राप्तियों एवं उधार निधि से पूरा किया गया। वर्ष 2006-07 में कुल व्यय से जी एस डी पी का उत्प्लावकता 3.41 रहा जो यह प्रदर्शित करता है कि आय में वृद्धि की अपेक्षा कुल व्यय से जी एस डी पी का लचीलापन अधिक था।

dk; dyki ds }kjk dgy 0; ; dh çofr % कार्यकलाप के संदर्भ में कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सहायतानुदान तथा ऋणों एवं पेशगियों से समायुक्त माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों के पारस्परिक अंश को रक्यदक 1-9 में दर्शाया गया है।

रक्यदक 1-9 % 0; ; ds ?kVd & ikjLifjd vdk

%çfr'kr e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सामान्य सेवाएँ	47.63	42.77	46.38	39.81	33.70
ब्याज भुगतान	45.97	46.59	44.52	42.81	38.83
सामाजिक सेवाएँ	29.04	24.93	29.06	33.31	32.60
आर्थिक सेवाएँ	17.96	17.01	17.89	18.76	32.48
ऋण एवं अग्रिम	5.35	15.27	6.65	8.10	1.21
सहायतानुदान	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02



व्यय के इन घटकों के पारस्परिक अंश का संचालन यह दर्शाता था कि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2002-03 में 29.04 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 32.60 प्रतिशत हो गया, इसी अवधि के दौरान सामान्य सेवाओं का पारस्परिक अंश 47.63 प्रतिशत से घटकर 33.70 प्रतिशत हो गया जिनमें ब्याज भुगतान वर्ष 2002-03 में 45.97 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 में 38.83 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2005-06 में संवितरित ऋण एवं अग्रिमों 8.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 में 1.21 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं का अंश 13.72 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 18.76 से बढ़कर 32.48 प्रतिशत हो गया।

#### 1-4-2 jktLo 0; ; dk çHkko

कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने एवं भूत के दायित्व जिससे राज्य के अंतःसंरचना एवं नेटवर्क सेवा के परिणाम में कोई वृद्धि नहीं होती है, के भुगतान के लिए किया जाता है। समग्र राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, राजस्व प्राप्तियों एवं जी एस डी पी के साथ राजस्व व्यय का अनुपात एवं इसकी उत्प्लावकता को rkfydk 1-10 में दर्शाया गया है।

#### rkfydk 1-10 % jktLo 0; ; % vk/kjHkkr l jpkuk ekud

##i; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व व्यय (आर. ई.) इनमें से	12,255	12,711	14,638	17,756	20,585
गैर योजना राजस्व व्यय (एन पी आर ई)	10,901 (89)	11,627 (91)	12,642 (86)	15,020 (85)	16,520 (80)
योजना राजस्व व्यय (पी आर ई)	1,354 (11)	1,084 (9)	1,996 (14)	2,736 (15)	4,065 (20)
of) nj %çfr'kr½					
राजस्व व्यय	9.82	3.72	15.16	21.30	15.93
एन पी आर ई का वृद्धि दर	5.92	6.66	8.73	18.81	9.99
पी आर ई का वृद्धि दर	56.17	(-)19.94	84.13	37.07	48.57
आर ई/टी ई प्रतिशत	88	76	86	82	79
एन पी आर ई/जी एस डी पी (प्रतिशत)	16.96	17.20	17.78	19.62	20.33
एनपीआरई टीई के प्रतिशत रूप में	78.02	69.09	74.49	69.58	63.27
एन पी आर ई आर आर के प्रतिशत के रूप में	99.39	93.34	80.45	84.21	71.57
fuEukfdr ds l kFk jktLo 0; ; dh mRlykodrk					
जी एस डी पी (अनुपात)	0.75	1.39	1.96	2.77	2.59
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.86	0.27	0.58	1.58	0.54

(टी. ई. ऋण एवं अग्रिम दर्शाता है।)

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2002-03 के 12255 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 20585 करोड़ रुपये हो गया। गैर योजनागत राजस्व व्यय (एन पी आइ ई) और योजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) बढ़कर क्रमशः वर्ष 2002-03 के 10901 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 16520 करोड़ रुपये तथा तथा वर्ष 2002-03 के 1354 करोड़ रुपये से वर्ष 2006-07 में 4065 करोड़ रुपये हो गया। पूर्व वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2006-07 की अवधि में एन पी आर ई एवं पी आर ई के अंतर्गत क्रमशः 1500 करोड़ एवं 1329 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार के आकलन की तुलना में वास्तविक गैर योजना राजस्व व्यय नीचे दिये गये हैं :

₹ ; s djkm+e#

	Vh , Q I h }kjk vkdyu	jkt dks'kh; l qkkj ekx ea jkT; l jdkj }kjk fd; kx; k vkdyu	okLrfod , u i h vkj bl
	(1)	(2)	(3)
xg ; kstuk jktLo 0; ;	15,263	17,608	16,520

राजकोषीय सुधार मार्ग में प्रदर्शित 17608 करोड़ रुपये गैर योजना राजस्व व्यय (16520 करोड़ रुपये) से 1088 करोड़ रुपये नीचे था तथापि बारहवें वित्त आयोग द्वारा मानक निर्धारण से 1257 करोड़ रुपये अधिक था।

1-4-3 çfrc) 0; ;

1-4-3-1 oru ij 0; ;

rkfydk&1-11 में योजना एवं गैर योजना शीर्षों के तहत वेतन पर व्यय में प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है।

rkfydk 1-11 % oru ij 0; ;

₹ ; s djkm+e#

' kh"kl	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वेतन पर व्यय जिसमें*	5,073.07	5,019.88	5,005.36	5,783.35	6,016.21
गैर योजना शीर्ष	4,748.05	4,467.59	4,564.16	5,152.79	5,538.57
योजना शीर्ष **	325.02	552.29	441.20	630.56	477.64
जी एस डी पी के प्रतिशत में	7.89	7.61	7.04	7.55	7.40
आर आर के प्रतिशत में	46.25	40.30	31.85	32.42	26.06
आर ई के प्रतिशत में	41.40	39.49	34.19	32.57	29.23

राज्य के राजस्व प्राप्ति का लगभग 26 प्रतिशत केवल वेतन पर व्यय किया गया था। वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान जी एस डी पी से वेतन व्यय की प्रतिशतता 7.89 से 7.40 प्रतिशत के मध्य थी। गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत वेतन व्यय में वृद्धि वर्ष 2002-03 के 4748 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 5539 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान योजना शीर्ष के अंतर्गत यह 325 करोड़ रुपये से

631 करोड़ रुपये के बीच रहा। वर्ष 2006-07 के दौरान वेतन व्यय में 233 करोड़ रुपये (4.03 प्रतिशत) की बढ़त मुख्यतः सरकारी कर्मियों के विभिन्न भत्तों में बढ़त के कारण थी। निवल ब्याज भुगतान एवं पेंशन को मिलाकर कुल वेतन विपत्र राजस्व व्यय का 41 प्रतिशत था एवं राज्य सरकार को उपयुक्त उपाय आरंभ कर इसके स्तर को घटाकर 35 प्रतिशत करने की आवश्यकता थी जैसा कि अवार्ड अवधि के दौरान अपनी योजना के अनुरूप राज्य की वित्त व्यवस्था को पुनःसंरचित करने के लिए बारहवीं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित था।

### 1-4-3-2 i dku Hkqrku

rkfydk 1-12 % i dku ij 0 ; ;

№i ; s djkm+e#

शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पेंशन पर व्यय	2,049	2,269	2,325	2,456	2,497
वृद्धि दर	(-)9.85	10.74	2.47	5.63	1.67
जी एस डी पी से प्रतिशत रुपये में	3.19	3.44	3.27	3.21	3.07
आर आर से प्रतिशत रुपये में	18.68	18.22	14.80	13.77	10.82
आर ई से प्रतिशत रुपये में	16.72	17.85	15.88	13.88	12.13

पेंशन भुगतान वर्ष 2002-03 के 2049 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 2497 करोड़ रुपये हो गया। जब सेवा निवृत्ति की तिथि पर लगी दो वर्षों की रोक समाप्त होगी (मार्च 2007) तब राज्य का पेंशन दायित्व और बढ़ने वाला है। सरकार ने वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर 3020 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान परिगणित कर पूर्वानुमान किया था जो कि वर्ष 2006-07 के वास्तविक व्यय (2497 करोड़ रुपये) से 523 करोड़ रुपये अधिक था। राज्य सरकार ने पेंशन मद पर दीर्घ अवधि के दायित्व को घटाने के लिए केन्द्रीय पद्धति पर एक नयी अंशदायी पेंशन योजना भी प्रारंभ किया है जो 1 सितंबर 2005 को या उसके बाद योगदान देने वाली कर्मियों पर लागू थी। राजकोषीय सुधार मार्ग में राज्य सरकार एवं बारहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण की तुलना में वास्तविक पेंशन भुगतान नीचे rkfydk &1-13 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-13 % c{ks .kka dh ryuk ea okLrfod i dku Hkqrku

№i ; s djkm+e#

	ckjgosa folk vk; ks }kjk fd; k x; k vkdyu	jkt dks'kh; l qkkj exZ ea jkT; l jdkj }kjk fd; k x; k vkdyu	i dku ij okLrfod 0 ; ;
	(1)	(2)	(3)
i dku ij Hkqrku	2,945	3,020	2,497

### 1-4-3-3C; kt Hkqrku


rkfydk&1-14 में वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में ब्याज भुगतान पर व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है।

rkfydk 1-14 % C; kt Hkqrku

o"kl	dy jktLo çkflr; k;	dy jktLo 0; ;	C; kt Hkqrku	fuEukfdr ea C; kt Hkqrku dh çfr' krrk	
	%#i ; s djkm+e#			jktLo çkflr; k;	jktLo 0; ;
2002-03	10,968	12,255	3,022	27.55	24.66
2003-04	12,456	12,711	3,343	26.84	26.30
2004-05	15,714	14,638	3,474	22.11	23.73
2005-06	17,837	17,756	3,649	20.46	20.55
2006-07	23,083	20,585	3,416	14.80	16.59

घाटे के वित्त पोषण हेतु उधार पर निर्भरता जारी रहने के कारण निरपेक्ष तौर पर ब्याज भुगतान वर्ष 2002-03 में 3022 करोड़ से 13.04 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2006-07 में 3416 करोड़ रुपये हो गया। ब्याज भुगतान में बढ़ोत्तरी ने विकास व्यय एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया था। केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से ऋणों के समेकन के कारण वर्ष 2006-07 में ब्याज भुगतान राजकोषीय सुधार मार्ग (4210 करोड़ रुपये) एवं टी एफ सी (4220 करोड़ रुपये) में प्रक्षेपित आकलन से कम था।

वर्ष 2002-03 से 2006-07 में गैर विकास व्यय की वृद्धि को नीचे ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है।



1-5 fofu/kkfur çkFkfedrvka }kjk 0; ;

1-5-1 0; ; dh xq koUkk

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अंतःसंरचना की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता का द्योतक होती है। इसलिए पूँजीगत व्यय का कुल व्यय के साथ ही जी एस डी पी से अनुपात एवं चालू सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के दक्ष एवं प्रभावी तरीके से चलाए रखने के लिए किए जा रहे राजस्व व्यय का समानुपात व्यय की गुणवत्ता का निर्धारण करेगा। कुल व्यय एवं जी एस डी पी के साथ इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। वर्ष 2002-07 के दौरान इन अनुपातों को rkfydk 1-15 दर्शाती है।

rkfydk 1-15 % 0; ; dh xq koukk ds l pd

1/4#i ; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
iqthxr 0; ;	970	1,549	1,205	2,084	5,211
jktLo 0; ;	12,255	12,711	14,638	17,756	20,585
इनमें से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के साथ	6,568	7,058	7,968	11,241	16,994
(i) वेतन घटक	2,934 (45)	3,824 (54)	3,699 (46)	4,304 (38)	4,110 (24)
(ii) गैर वेतन घटक	3,634 (55)	3,234 (46)	4,269 (54)	6,937 (62)	12,884 (76)
dy 0; ; dh ifr'krk ds : i ea % .k , oa vfxæ dks NkM+dj 1/2					
पूँजीगत व्यय	7	11	8	11	20
राजस्व व्यय	93	89	92	89	80
th , l Mh ih dh çfr'krk ds : i ea					
पूँजीगत व्यय	1.51	2.35	1.69	2.72	6.41
राजस्व व्यय	19.07	19.26	20.59	23.19	25.33

(कोष्ठक के अंक सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गए कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं गैर वेतन अंश की प्रतिशतता को दर्शाता है।)

राज्य के कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश काफी अधिक था एवं वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान 80 से 93 प्रतिशत तक था जिसने पूँजीगत व्यय के अंश को सात से 20 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किए गए राजस्व व्यय वर्ष 2002-03 के 6568 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 16994 करोड़ रुपये हो गया। यद्यपि वेतन एवं गैर वेतन दोनों घटकों पर इस अवधि के दौरान (सिवाय वेतन घटक के जो वर्ष 2005-06 के 4304 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2006-07 में 4110 करोड़ हुआ) व्यय बढ़ा लेकिन वर्ष 2003-04 को छोड़कर गैर वेतन घटक का अंश लगातार अधिक रहा। चूँकि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में गैर वेतन मद का अंश वर्ष 2005-06 के 62 प्रतिशत के बढ़कर वर्ष 2006-07 में 76 प्रतिशत हो गया था, वर्ष 2006-07 के दौरान गैर वेतन मद में किए गए व्यय में स्पष्ट वृद्धि पायी गयी।

1-5-2 l kelftd l okvka ij 0; ;

यह तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं पेयजल तथा स्वच्छता सुविधा इत्यादि जैसे जन विकास सूचकों का गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक विकास से महत्वपूर्ण संबंध है, राज्य में इन सेवाओं के विस्तार एवं दक्षतापूर्ण तरीके से किए जाने के संबंध में एक आकलन तैयार करना दूरदर्शिता होगी। वर्ष 2002-07 के दौरान राज्य में सामाजिक सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का सारांश rkfykd 1-16 में दिया गया है।

rkfydk 1-16 % l kelftd l okvka ij 0; ;

1/4#i ; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
f' k{kk} ØhMk dyk , oa l dfr					
jktLo 0; ;	2,703.51	2,821.76	3,142.23	4,393.96	5,252.55
इनमें से					
(क) वेतन घटक	1,729.02	2,126.25	2,128.60	2,326.50	2,357.00
	974.49	6,95.51	1,013.63	2,067.46	2,895.55
(ख) गैर वेतन घटक	46.69	54.16	17.59	29.14	106.44
	<b>2,750.20</b>	<b>2,875.92</b>	<b>3,159.82</b>	<b>4,423.10</b>	<b>5,358.99</b>
iqthxr 0; ;					
mi ; kx %vkj bl \$ l h b1/2					



	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
LokLF; , oa ifjokj dY; k.k					
jktLo 0; ; इनमें से	553.30	534.25	607.47	876.94	984.61
(क) वेतन घटक	297.74	476.23	459.29	618.75	587.59
(ख) गैर वेतन घटक	255.56	58.02	148.18	258.19	397.02
i pthxr 0; ;	18.34	4.78	21.94	137.91	168.13
mi ; ksx %vkj bl \$ l h bl/2	<b>571.64</b>	<b>539.03</b>	<b>629.41</b>	<b>1,014.85</b>	<b>1,152.74</b>
tyki fr] LoPNrk] vkokl , oa 'kgjh fodkl					
jktLo 0; ; इनमें से	219.11	200.49	251.09	407.49	513.73
(क) वेतन घटक	55.03	72.51	73.40	80.16	93.52
(ख) गैर वेतन घटक	164.08	127.98	177.69	327.33	420.21
i pthxr 0; ;	75.02	75.74	69.64	124.20	252.64
mi ; ksx %vkj bl \$ l h bl/2	<b>294.13</b>	<b>276.23</b>	<b>320.73</b>	<b>531.69</b>	<b>766.37</b>
vU; l keftd l ok, j					
jktLo 0; ; इनमें से	439.79	476.93	794.19	1,183.53	1,166.32
(क) वेतन घटक	111.56	190.89	210.52	330.19	165.24
(ख) गैर वेतन घटक	328.23	286.04	583.67	853.34	1001.08
i pthxr 0; ;	2.07	28.76	28.11	37.18	68.66
mi ; ksx %vkj bl \$ l h bl/2	<b>441.86</b>	<b>505.69</b>	<b>822.30</b>	<b>1,220.71</b>	<b>1,234.98</b>
; ksx %l keftd l ok, j/2					
jktLo 0; ; इनमें से	3,915.71	4,033.43	4,794.98	6,861.92	7,917.21
(क) वेतन घटक	2,193.35	2,865.88	2,871.81	3,355.60	3,203.35
(ख) गैर वेतन घटक	1,722.36	1,167.55	1,923.17	3,506.32	4,713.21
i pthxr 0; ;	142.12	163.44	137.28	328.43	595.87
mi ; ksx %vkj bl \$ l h bl/2	<b>4,057.83</b>	<b>4,196.87</b>	<b>4,932.26</b>	<b>7,190.35</b>	<b>8,513.08</b>

(कोषक के अंक गैर योजनागत वेतन मद की वेतन मद से प्रतिशतता को इंगित करती है)

सामाजिक क्षेत्र में आवंटन वर्ष 2002-03 के 4058 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 8513 करोड़ रुपये हो गया जो सरकार की सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। चालू वर्ष में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (8513 करोड़ रुपये) कुल व्यय का 33 प्रतिशत एवं विकास व्यय<sup>2</sup> का 50 प्रतिशत है। शिक्षा पर व्यय में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 936 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर पूर्व वर्ष की अपेक्षा केवल 138 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाया गया है। बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत गैर योजनागत वेतन व्यय में केवल पाँच से छः प्रतिशत तक की वृद्धि होनी चाहिए जबकि अवार्ड अवधि में गैर योजना शीर्षों के अंतर्गत गैर वेतन व्यय में प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तथापि व्यय (योजना एवं गैर योजना दोनों को लेते हुए) की प्रवृत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में राजस्व व्यय में वेतन मद पर पूर्व वर्षों की अपेक्षा क्रमशः 9.3 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गैर वेतन मदों पर इन वर्षों में क्रमशः 104 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत की वृद्धि

<sup>2</sup> विकास व्यय सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।

हुई। उसी प्रकार शिक्षा एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत वेतन मद पर व्यय में वर्ष 2005-06 में 44 प्रतिशत की वृद्धि एवं 2006-07 में 5 प्रतिशत की कमी हुई जबकि गैर वेतन मद में इन दो वर्षों में 74 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं दोनों में व्यय पद्धति सामान्यतः बारहवें वित्त आयोग के मानकों के अनुसार थी।

1-5-3 *vkffkd l okvka ij 0; ;*

आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वैसे सभी व्यय सम्मिलित है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की आर्थिक उत्पादकता की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। कुल व्यय का 32.88 प्रतिशत एवं विकास व्यय का 50 प्रतिशत व्यय आर्थिक सेवाओं (8481 करोड़ रुपये) पर किया गया था (rkfydk 1-17)। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उर्जा तथा परिवहन पर आर्थिक सेवाओं के व्यय का लगभग 61.94 प्रतिशत व्यय किया गया था।

rkfydk 1-17 % vkffkd {ks= ij 0; ;

*W#i; s djkm+ e#*

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
<i>df'k , oal e) xfrfof/k; k;</i>					
<i>jktLo 0; ; Wvkj bL</i> इनमें से	249.29	248.66	396.84	410.45	585.15
(क) वेतन मद	126.86	173.20	173.33	191.49	225.94
(ख) गैर वेतन मद	122.43	75.46	223.51	218.96	359.21
<i>i pthxr 0; ; W h bL</i>	5.67	5.67	10.32	93.19	11.24
<i>mi ; ks Wvkj bL \$ l h bL</i>	<b>254.96</b>	<b>254.33</b>	<b>407.16</b>	<b>503.64</b>	<b>596.39</b>
<i>fl pkbL , oa ck&lt;+fu; a . k</i>					
<i>jktLo 0; ; Wvkj bL</i> इनमें से	356.74	319.09	473.02	482.77	435.30
(क) वेतन मद	189.59	247.61	242.28	265.93	296.88
(ख) गैर वेतन मद	167.15	71.48	230.74	216.84	138.42
<i>i pthxr 0; ; W h bL</i>	309.88	521.36	442.52	591.46	631.70
<i>mi ; ks Wvkj bL \$ l h bL</i>	<b>666.62</b>	<b>840.45</b>	<b>915.54</b>	<b>1074.23</b>	<b>1067.00</b>
<i>fo   r , oamtkL</i>					
<i>jktLo 0; ; Wvkj bL</i> इनमें से	36.66	1.15	1.74	1.42	1080.64
(क) वेतन मद	--	--	--	--	--
(ख) गैर वेतन मद	36.66	1.15	1.74	1.42	1080.64
<i>i pthxr 0; ; W h bL</i>	--	300.39	26.50	302.01	433.76
<i>mi ; ks Wvkj bL \$ l h bL</i>	<b>36.66</b>	<b>301.54</b>	<b>28.24</b>	<b>303.43</b>	<b>1514.40</b>
<i>ifjogu</i>					
<i>jktLo 0; ; Wvkj bL</i> इनमें से	194.08	204.61	224.61	285.01	414.14
(क) वेतन मद	190.98	85.01	83.63	107.45	104.64
(ख) गैर वेतन मद	3.10	119.60	140.98	177.56	309.50
<i>i pthxr 0; ; W h bL</i>	90.97	61.53	144.06	274.99	1661.57

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
mi ; ksx %vkj bZ \$ I h bZ	285.05	266.14	368.67	560.00	2075.71
vU; vkfFkd I dk, j					
jktLo 0; ; %vkj bZ इनमें से	926.70	724.67	939.47	1,187.44	1,505.58
(क) वेतन मद	69.47	284.31	198.92	251.60	279.20
(ख) गैर वेतन मद	857.23	440.36	740.55	938.84	1226.38
i pthxr 0; ; % h bZ	340.18	474.55	376.18	421.90	1721.89
mi ; ksx %vkj bZ \$ I h bZ	1,266.88	1,199.22	1,315.65	1,609.34	3,227.47
dy %vkfFkd I dk, %					
jktLo 0; ; %vkj bZ इनमें से	1,763.47	1,498.18	2,035.68	2,367.09	4,020.81
(क) वेतन मद	576.90 (23)	790.13 (28)	698.16 (23)	816.47 (20)	906.66 (11)
(ख) गैर वेतन मद	1,186.57	708.05	1,337.52	1,550.62	3,114.15
i pthxr 0; ; % h bZ	746.70	1,363.50	999.58	1,683.55	4,460.16
dy; ksx %vkj bZ \$ I h bZ	2,510.17	2,861.68	3,035.26	4,050.64	8,480.97

वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान राजस्व लेखा में आर्थिक सेवाओं पर राज्य का कुल व्यय 1498 करोड़ रुपये से 4021 करोड़ रुपये के बीच एवं पूँजीगत लेखा में 747 करोड़ रुपये से 4460 करोड़ रुपये तक था जिनमें से वेतन भुगतान पर व्यय 11 से 28 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2005-06 की अपेक्षा वर्ष 2006-07 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय दोगुना से अधिक था यह 4051 करोड़ रुपये से बढ़कर 8481 करोड़ रुपये हो गया। फलतः चालू वर्ष में 4430 करोड़ रुपये की व्यय में वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में 1654 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसमें से विद्युत बोर्ड को संसाधन अंतर के रूप में भुगतान (1077.50 करोड़ रुपये), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (175 करोड़ रुपये) एवं परिवहन (129 करोड़ रुपये) शामिल था। आर्थिक क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2005-06 के 1684 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 4460 करोड़ रुपये हो गया। फलतः चालू वर्ष में 2776 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। परिवहन (1387 करोड़ रुपये) एवं उर्जा (132 करोड़ रुपये) के पूँजीगत व्यय में अधिक वृद्धि थी। चालू वर्ष में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर राजस्व या पूँजीगत किसी लेखा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं प्रदर्शित हुआ।

#### 1-5-4 Lfkkuh; fudk; ka , oa vU; I LFkkuka dks foUkh; I gk; rk

वर्ष 2002-07 के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदान एवं ऋणों के द्वारा दी गई सहायता का परिमाण rkfydk 1-18 में प्रस्तुत किया गया है।

rkfydk 1-18 % Lfkkuh; fudk; ka , oa vU; I LFkkuka dks foUkh; I gk; rk  
%#i; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों इत्यादि)	461.13	545.94	564.99	803.65	845.17
नगर निगम एवं नगर पालिकाओं	99.98	83.71	117.91	277.56	141.13

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज्य संस्थान	292.34	133.92	2.63	3.75	6.50
विकास अभिकरण	34.81	3.87	110.15	18.56	3.20
अस्पताल एवं अन्य चैरिटेबुल संस्थान	--	--	5.00	3.00	--
अन्य संस्थान	133.45	20.99	12.68	3.92	21.23
<b>; kx</b>	<b>1,021.71</b>	<b>788.43</b>	<b>813.36</b>	<b>1,110.44</b>	<b>1,017.23</b>
राजस्व व्यय से प्रतिशतता के रूप में सहायता	8.34	6.20	5.56	6.25	4.94

वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान राज्य के द्वारा दी गई सहायता राजस्व व्यय का पाँच से आठ प्रतिशत के बीच थी।

### 1-5-5 *mi ; kfxrk i ek.k i =k ds i Lrqt dj.k ea foyc*

वर्ष 2006-07 तक भुगतान किए गए कुल 4676.57 करोड़ रुपये के अनुदानों से संबंधित 21196 उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ. प्र.) में से 4454.54 करोड़ रुपये राशि के 21166 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। लंबित उ. प्र. की विभागवार विवरणी *ijff'k"V&IV* में दी गई है।

### 1-5-6 *Lok; Ûk'kkI h fudk; k ds fu"i knu dk I kj*

राज्य में तीन निकायों के लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा सौंपे जाने, लेखापरीक्षा को लेखा समर्पित करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किए जाने एवं विधायिक में इसका प्रस्तुतीकरण *ijff'k"V&V* में दर्शाया गया है।

## 1-6 *i fj | Ei fÛk; k; , oa nkf; Ûo*

सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि एवं भवन जैसी अचल सम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। हालाँकि सरकारी लेखा सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को जरूर दर्शाता है। 31 मार्च 2006 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2007 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार *ijff'k"V&VI* दर्शाता है। जहाँ इस परिशिष्ट में दायित्व मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे तथा आरक्षित निधि से प्राप्तियों से निर्मित होता है, परिसम्पत्तियाँ मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं अग्रिमों और नकद शेष से निर्मित होती है। *ijff'k"V&VII* वर्ष 2002-07 की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्त व्यवस्था पर कालबद्ध आँकड़ा प्रदर्शित करता है। वास्तविक रूप से, पूर्व वर्ष की अपेक्षा परिसंपत्तियों में 4995 करोड़ रुपये (12.97 प्रतिशत) एवं दायित्वों में 2497 करोड़ रुपये (5.21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### 1-6-1 *fl pkbz dk; k ds foÛkh; i fj.kke*

सरकार के वित्त लेखे के विवरण 3 में सिंचाई कार्य का वित्तीय परिणाम प्रदर्शित है जो दर्शाता है कि वर्ष 2006-07 के दौरान कोई उत्पादक कार्य नहीं हुआ। वर्ष 2006-07 तक चार पूर्ण नहरों में सरकार ने 3.76 करोड़ रुपये का पूँजीगत परिव्यय किया। वर्ष 2006-07 में इन नहरों से 6.01 करोड़ रुपये की वसूली हुई जबकि 5.28 करोड़ रुपये रख रखाव मद पर व्यय किया गया। फलतः 0.73 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

1-6-2 वि०क०/११; कस्तुकी

31 मार्च 2007 तक अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित परियोजना सूचना रकfydk 1-19 में दी गई है।

रकfydk 1-19 % वि०क०/११; कस्तुकीका धि०/११; कस्तुकी #११/११

क्र० सं०	परियोजना का नाम	2006-07 का अनुमानित व्यय (₹ करोड़)
1	कोशी परियोजना	389.15
2	गंडक परियोजना फेज II	47.50
3	उत्तर कोयल परियोजना	836.11*
4	दुर्गावती जलाशय	361.09*
5	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	745.54*
6	नकटी जलाशय परियोजना	14.01
	<b>कुल</b>	<b>2,393.40</b>

\* विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आँकड़ा

1-6-3 फोल्कलो; ओ.के.के.टी.; द मि०

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अद्विवाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप किए जाते हैं। इन उपक्रमों को वित्तीय परिचालन के परिणाम को दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखा तैयार करना पड़ता है जिससे सरकार उनके कार्यों के परिणाम को निर्धारित कर सके। प्रोफार्मा लेखा तैयार करने में विभागवार बकाये की स्थिति क्रमशः 1977-78, 1978-79 में दिए गए हैं। 1977-78 में वर्णित नौ इकाईयों ने शुरुआत से ही अपना खाता प्रस्तुत नहीं किया है एवं 1979-80 में वर्णित तीन इकाईयों ने 1977 से 1987 का खाता प्रस्तुत नहीं किया है।

1-6-4 फुओ'क, ओ०/११/११

31 मार्च 2007 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थानों में 821.10 करोड़ रुपये का निवेश किया था (रकfydk 1-20)। विगत पाँच वर्षों में इस निवेश का प्रतिफल शून्य प्रतिशत था जबकि वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान इस उधार पर सरकार ने औसतन 7.15 से 9.59 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान किया था।

रकfydk 1-20 % फुओ'क ११/११/११

वर्ष	निवेश (₹ करोड़)	औसत दर (%)	प्रतिफल (%)	ब्याज भुगतान (₹ करोड़)
				कुल
2002-03	694.34	0.02	शून्य	9.00
2003-04	700.01	0.04	0.01	9.00
2004-05	708.66	0.04	शून्य	9.59
2005-06	805.64	0.04	शून्य	8.20
2006-07	821.10	0.04	शून्य	7.15

वर्ष 2006-07 के अंत तक सरकार ने सांविधिक निगमों में 105.63 करोड़ रुपये, सरकारी कंपनियों में 343.80 करोड़ रुपये, संयुक्त पूंजी कंपनियों में 3.88 करोड़ रुपये एवं सहकारी बैंकों तथा समितियों में 367.79 करोड़ रुपये का निवेश किया था। सरकारी उधार पर औसत 7.15 प्रतिशत ब्याज की दर पर 58.71 करोड़ रुपये के विरुद्ध इन निवेशों पर प्रतिफल महज 0.04 करोड़ रुपये थे।

### 1-6-5 jkT; I jdkj }kjk \_\_.k , oa vfxæ

सहकारिता समितियों, निगम एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार इन संस्थानों/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती आ रही है। 31 मार्च 2007 को कुल 13822 करोड़ रुपये का ऋण एवं अग्रिम लंबित थे (rkfydk 1-21)। इन ऋण अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त ब्याज पूर्व वर्ष के 1.59 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 में 1.27 प्रतिशत थी।

### rkfydk 1-21 %jkT; I jdkj }kjk çnÜk \_\_.kka ij vks r C; kt dh çkflr %#i; s djkm+ e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आरंभिक शेष	7,473.60	8,205.21	10,763.68	11,876.69	13,573.65
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	747.19	2,568.92	1,127.84	1,747.82	315.32
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	15.58	1,045.00	14.83	50.86	7.40
अंत शेष	8,205.21	10,763.68	11,876.69	13,573.65	13,881.57
निवल वृद्धि	731.61	2,558.47	1,113.01	1,696.96	307.92
प्राप्त ब्याज	53.01	23.08	75.06	216.07	175.99
बकाये ऋणों एवं अग्रिमों में प्रतिशत के रूप में ब्याज	0.65	0.21	0.63	1.59	1.27
औसत ब्याज दर	9.00	9.00	9.59	8.20	7.15
ब्याज प्राप्त एवं भुगतान में अंतर (प्रतिशत में)	8.35	8.79	8.96	6.61	5.88

वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम 315.32 करोड़ रुपये से 2568.92 करोड़ रुपये के मध्य थे। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किये गये कुल ऋण एवं अग्रिम का 57 प्रतिशत खपत विद्युत परियोजनाओं पर ऋण (179.29 करोड़ रुपये) के रूप में हुई थी। वर्ष 2006-07 में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम में कमी का मुख्य कारण उर्जा क्षेत्र में 1077.50 करोड़ रुपये का संसाधन अंतर के रूप में सहायता प्रदान करना था। सरकार उर्जा क्षेत्र को वापसी एवं उस पर ब्याज सुनिश्चित किये बिना ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया। वर्ष 2002-07 की अवधि में उर्जा क्षेत्र से ऋण का कोई पुनर्भुगतान नहीं हुआ।

### 1-6-6 jkdM+ 'ks'k dk ççdku

सामान्यतः यह वांछित होता है कि राज्य के संसाधनों का प्रवाह उसके व्यय के दायित्वों के सदृश हो। हालाँकि संसाधनों के प्रवाह तथा व्यय के दायित्वों के बीच अस्थायी प्रतिकूलता की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए) की एक प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की संचालन की

गणना सीमा तीन वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की औसत पर की जाती है एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम की संचालन सीमा रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर सरकार की प्रतिभूति मात्रा पर निर्भर करते हुए निर्धारित की जाती है। बिहार सरकार के लिए 1 अप्रैल 2006 से अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 425 करोड़ रुपये थी। चालू वर्ष में पहली अप्रैल 2006 के प्रभाव से विशेष अर्थोपाय अग्रिम 19.79 करोड़ रुपये से 519.74 करोड़ रुपये के बीच थी। इन अग्रिमों को मार्च 2006 से राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूति के विरुद्ध उपलब्ध कराया गया।

राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवर ड्राफ्ट इसके उपयोग करने की संख्या तथा भुगतान किये गये ब्याज की विवरणी rkfydk&1-22 में वर्णित है।

rkfydk 1-22 % jkT; ds vFkkk k; vfxæ , oa vkøj Mk¶V

rkfydk 1-22 % jkT; ds vFkkk k; vfxæ , oa vkøj Mk¶V

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
<b>vFkkk k; vfxæ</b>					
वर्ष के दौरान उपभोग	7.12	1,708.45	3.50	शून्य	शून्य
अवसर की संख्या	शून्य	40	1	शून्य	शून्य
लंबित डब्लू एम ए यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किया गया ब्याज भुगतान	0.13	3.71	नगण्य	शून्य	शून्य
दिनों की संख्या	1	49	3	शून्य	शून्य
<b>vkøj Mk¶V</b>					
वर्ष के दौरान उपयोग	शून्य	1,142.89	शून्य	शून्य	शून्य
अवसर की संख्या	शून्य	5	शून्य	शून्य	शून्य
दिनों की संख्या	शून्य	44	शून्य	शून्य	शून्य
किया गया ब्याज भुगतान	शून्य	1.42	शून्य	शून्य	शून्य

1-7 vfuokfgr nkf; Uo

राज्य के कुल दायित्व में राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत दायित्व साथ ही लोक क्षेत्र उपक्रम द्वारा ली गयी ऋण एवं प्रतिभूति सहित विशेष उद्देश्य गाड़ी तथा अन्य समतुल्य साधन जिसके मूलधन एवं/या ब्याज को राज्य बजट के द्वारा संपोषित किया जाता है, सम्मिलित है।

1-7-1 jkt dks'kh; nkf; Uo & ykcd \_\_.k , oa çfrHk¶r; kj

दायित्व के दो वर्ग यथा लोक ऋण एवं अन्य दायित्व हैं। राज्य के आंतरिक ऋण में समाहित लोक ऋण को समेकित निधि – पूँजीगत लेखा के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी में प्रतिवेदित किया जाता है। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

निर्गत विशेष प्रतिभूति एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमें शामिल हैं। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य अपने संचित निधि को ऋणाधार बनाकर समय-समय पर विधायिका के अधिनियम द्वारा निर्धारित वैसी सीमा के अंदर भारत के प्रादेशिक सीमा के भीतर ऋण ले सकता है एवं निर्धारित सीमा के अधीन गारंटी दे सकता है। तथापि राज्य में कोई ऐसी सीमा के संबंध में कानून पारित नहीं किया गया है। अन्य दायित्व जो लोक लेखा का एक भाग हैं, में लघु बचत योजना, भविष्य निधि एवं अन्य जमाओं के अंतर्गत जमा सम्मिलित हैं।

rkfydk 1-23 राज्य के राजकोषीय दायित्वों, उसके वृद्धि दर, इन दायित्वों का जी एस डी पी, राजस्व प्राप्तियाँ एवं स्वयं के संसाधनों के प्रति अनुपात तथा इन मानकों के प्रति राजकोषीय दायित्व की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।

rkfydk 1-23 % jkt dks'kh; nkf; ūo & emy ekud

%eW; #i; s djkm+es, oa vuj kr i fr'kr e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजकोषीय दायित्व <sup>3</sup>	35,249	37,453	42,483	46,495	49,089
वृद्धि दर	10.56	6.25	13.43	9.44	5.58
fuEukfdr jkt dks'kh; nkf; ūo l s vuj kr					
जी एस डी पी	54.84	56.75	59.76	60.72	60.40
राजस्व प्राप्तियाँ	321.38	300.68	270.35	260.67	212.66
स्वयं के संसाधन	1,166.41	1,166.76	1,128.37	1,138.75	1,080.30
fuEukfdr dk jkt dks'kh; nkf; ūo l s mRlykodrk					
जी एस डी पी	0.80	2.34	1.74	1.23	0.91
राजस्व प्राप्तियाँ	0.92	0.46	0.51	0.70	0.19
स्वयं के संसाधन	0.66	1.01	0.78	1.12	0.49

राज्य का समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2002-03 के 35249 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 49089 करोड़ रुपये हो गया। राज्य के राजकोषीय दायित्व में समेकित निधि दायित्व एवं लोक लेखा दायित्व शामिल हैं समेकित निधि दायित्व (35065 करोड़ रुपये) में बाजार ऋण (26828 करोड़ रुपये) एवं भारत सरकार से ऋण (8237 करोड़ रुपये) शामिल हैं। लोक लेखा दायित्व (14024 करोड़ रुपये) में लघु बचत, भविष्य निधि (9161 करोड़ रुपये) एवं अन्य दायित्व (4863 करोड़ रुपये) सन्निहित हैं। वर्ष 2006-07 में वृद्धि दर 9.44 से घटकर 5.58 प्रतिशत हो गई। राजकोषीय दायित्व का जी एस डी पी से अनुपात 2002-03 के 54.84 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 60.40 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर ये दायित्व राजस्व प्राप्तियों के 2.13 गुना एवं राज्य के स्वयं के संसाधन के 10.80 गुना थे। वर्ष के दौरान जी एस डी पी के साथ इन दायित्वों की उत्प्लावकता 0.91 प्रतिशत थी। वर्ष 2002-07 के दौरान ऋण एवं जी एस डी पी का बढ़त हुआ अनुपात दर्शाता था कि

<sup>3</sup> आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमें, लघु बचतें एवं अन्य दायित्वों (अर्थोपाय अग्रिम एवं आकस्मिकता निधि छोड़कर) सहित।



ऋण असह्य था। सरकार ने सरकार द्वारा उगाहे गए “ऋण परिशोधन हेतु कोष” जैसे निक्षेप निधि का गठन नहीं किया है।

### 1-7-2 ऋण निधि का गठन & वित्त निधि का गठन

जिन कर्जदारों के लिए राज्य द्वारा प्रतिभूति दिए गए हैं अगर उनके द्वारा अवहेलना होती है तब प्रतिभूतियाँ राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हो जाती हैं। सरकार ने राज्य के समेकित निधि की सुरक्षा के लिए दी गई प्रतिभूतियों पर कोई स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं किया है। प्रतिभूति निर्मुक्ति निधि जैसा कोई कोष अब तक सृजित नहीं किया गया है।

वित्त लेखे की विवरणी 6 के अनुसार 1-24 में वर्ष 2002-03 से लेकर चालू वर्ष की समाप्ति तक राज्य द्वारा दिए गए प्रतिभूति की अधिकतम राशि एवं लंबित प्रतिभूतियाँ दर्शायी गयी है।

1-24 में वर्ष 2002-03 से लेकर चालू वर्ष की समाप्ति तक राज्य द्वारा दिए गए प्रतिभूति की अधिकतम राशि एवं लंबित प्रतिभूतियाँ दर्शायी गयी है।

संख्या: 1/2006

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रतिभूति की अधिकतम राशि	(अ)	1,531.08	1,531.08	1,531.08	1,537.73
लंबित प्रतिभूति राशि	393.44	470.72	473.44	604.87	607.76
राजस्व प्राप्तियाँ	10,968	12,456	15,714	17,837	23,083
राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रतिभूति की प्रतिशतता	--	12.29	9.74	8.58	6.66

(अ) सूचना अनुपलब्ध दर्शाता है

लंबित प्रतिभूति की राशि वर्ष 2002-03 के 393.44 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 607.76 करोड़ रुपये हो गई। सहकारिता बैंक एवं समितियों (170 करोड़ रुपये), बिहार राज्य वित्त निगम (179 करोड़ रुपये) एवं बिहार विद्युत बोर्ड (139 करोड़ रुपये) इन प्रतिभूतियों के मुख्य प्राप्त कर्ता थे। सरकार द्वारा प्रतिभूति की सीमा निर्धारित करने हेतु कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया। इन प्रतिभूतियों के कारण होने वाली हानियों की घटना से बचने हेतु सरकार द्वारा कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया।

## 1-8 ऋण निधि का गठन

किसी समयावधि तक ऋण और जी एस डी पी अनुपात को स्थिर रखने की सरकार की सामर्थता को ऋण निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसमें ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल रहते हैं। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसम्पत्ति की पर्याप्तता का भी उल्लेख करता है एवं अतिरिक्त ऋणों के लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण को चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए। ऋण निर्वाहता के लिए पूर्व शर्त है ऋण/जी एस डी पी अनुपात के रूप में ऋण स्थिरता।

### 1-8-1 ऋण निधि का गठन

स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो। ऋण जी एस डी पी अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या घनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिए गए दर

विस्तार (जी एस डी पी वृद्धि दर – ब्याज दर) एवं परिमाण विस्तार (ऋण  $x$  दर विस्तार), ऋण निर्वाहता की स्थिति बताता है। यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार शून्य है तो, ऋण – जी एस डी पी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार ऋणात्मक हो, ऋण – जी एस डी पी अनुपात बढ़ेगा एवं घनात्मक मामले में ऋण जी एस डी पी अनुपात अंततः घटेगा। राजकोषीय परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति जो ऋण स्थिरता की प्रगति को प्रदर्शित करता है rkfydk 1-25 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-25 %  $\frac{\text{वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर}}{\text{वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की दर}}$

%i ; s dj km+ e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर	9.00	9.00	9.59	8.20	7.15
वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की दर	13.17	2.67	7.72	7.70	6.14
वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर - वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की दर	4.17	-6.33	-1.87	-0.50	-1.01
वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर - वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की दर	1,329.52	(-) 2,231.26	(-) 700.37	(-) 212.42	(-) 469.60
वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर - वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की दर	+34.00	-1,020.00	+2,232.00	-51.00	+395.00

rkfydk 1-25 से स्पष्ट है कि वर्ष 2002-07 पाँच वर्षों की अवधि के दौरान आरंभिक घाटा/अधिशेष के साथ परिमाण विस्तार की प्रवृत्ति घनात्मक तथा ऋणात्मक के बीच रही है, परिणामतः राजकोषीय दायित्व से जी एस डी पी का अनुपात आरंभ में 2002-03 में 55 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 60 प्रतिशत हुई एवं दो वर्षों 2005-06 एवं 2006-07 में इसी स्तर पर रही। वर्ष 2002-07 की अवधि में राजकोषीय एवं आरंभिक घाटा एवं राजकोषीय घाटा के साथ जी एस डी पी का अनुपात में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति से राज्य की ऋण स्थिरता एवं आने वाले वर्षों में उच्चतर ऋण निर्वाही क्षमता के संबंध में अनुमान लगाना अपरिपक्व होगा।

1-8-2  $\frac{\text{वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर}}{\text{वर्ष 2002-03 के ऋण निर्वाहता की दर}}$

ऋण स्थिरता एवं इसकी निर्वाहता के लिए दूसरा सूचक आरंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि की पूर्ति हेतु राज्य की गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि की पर्याप्तता है। यदि आरंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि की पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है। rkfydk 1-26 वर्ष 2001-07 की अवधि के लिए संसाधन अंतर को प्रदर्शित करता है।

rkfydk 1-26 %  $\frac{\text{वर्ष 2001-07 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर}}{\text{वर्ष 2001-07 के ऋण निर्वाहता की दर}}$

%i ; s dj km+ e#

वर्ष	वर्ष 2001-07 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर				वर्ष 2001-07 के ऋण निर्वाहता की दर
	वर्ष 2001-02 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर	वर्ष 2001-03 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर	वर्ष 2001-04 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर	वर्ष 2001-05 के ऋण निर्वाहता की वृद्धि दर	
2002-03	1,132	1,144	393	1,537	-405
2003-04	1,482	2,536	321	2,857	-1,375
2004-05	3,263	11	131	142	3,121
2005-06	2,159	4,442	175	4,617	-2,458
2006-07	5,202	4,756	-233	4,523	679

सतत ऋणात्मक संसाधन अंतर ऋण की अनिर्वाहता को प्रदर्शित करता है जबकि घनात्मक संसाधन अंतर राज्य को ऋण के निर्वाह की क्षमता को बल प्रदान करता है। rkfydk 1-26 से स्पष्ट है कि प्राप्तियों में वृद्धि आरंभिक व्यय में वृद्धि की पूर्ति हेतु भी पर्याप्त नहीं है और इसलिए राज्य के पास ऋणात्मक संसाधन अंतर है। बाद के वर्षों की अवधि में जबकि गैर ऋण प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि हुई किन्तु आरंभिक व्यय एवं ब्याज

भुगतान में वृद्धि मामूली था, फलतः घनात्मक संसाधन अंतर रहा एवं पुनः 2005-06 में अधिक ऋणात्मक संसाधन अंतर एवं चालू वर्ष में घनात्मक अंतर मुख्य रूप के आरंभिक व्यय में मामूली वृद्धि एवं ब्याज भुगतान में कमी के कारण थी। ये प्रवृत्तियाँ ऋण निर्वाहता के संबंध में राज्य की अस्थिर स्थिति को प्रदर्शित करता है जो कि विगत तीन वर्षों 2004-07 की अवधि में राजकोषीय दायित्व से जी एस डी पी के स्थिर किन्तु उच्च अनुपात द्वारा संपुष्ट होता है।

### 1-8-3 fuf/k; k dh fuoy mi yC/krk

ऋण के निर्वाहता का अन्य महत्वपूर्ण सूचक पूर्व के अनुबंधित दायित्वों से संबंधित मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के उपरांत निधियों की निवल उपलब्धता है। ब्याज एवं पुनर्भुगतानों की देयता के बाद आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य दायित्वों के लिए कुल उपलब्ध निधि वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान (-)9 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच नीचे ऊपर होती रही। वर्ष 2006-07 में कुल उपलब्ध निधि (-) 692 करोड़ रुपये (-) 13 प्रतिशत थी। वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान कुल ऋण प्राप्ति 5314 करोड़ रुपये से 10907 करोड़ रुपये के मध्य थी।

नीचे rkfydk 1-27 राज्य के विगत पाँच वर्षों की आंतरिक ऋण प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान तथा अन्य राजकोषीय दायित्वों की स्थिति बतलाती है।

### rkfydk 1-27 % m/kkj yh x; h fuf/k; k dh fuoy mi yC/krk

%#i; s djkm+e#

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
<b>vkrfjd __.k</b>					
प्राप्तियाँ	2,935	4,249	5,969	3,769	2,355
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	923	1,766	2,047	2,485	3,168
निवल उपलब्ध निधि	2,012	2,483	3,922	1,284	(-)813
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	69	58	66	34	(-)35
<b>Hkkjr l jdkj l s cklr __.k , oa i s kfx; k;</b>					
प्राप्तियाँ	1255	820	1654	2	3
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	3195	3894	3881	1512	744
निवल उपलब्ध निधि	(-)1,940	(-)3,074	(-)2,227	(-)1,510	(-)741
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	(-)155	(-)375	(-)135	(-)755	(-)247
<b>vl; nkf; Uo</b>					
प्राप्तियाँ	3,137	3,119	3,284	2,283	2,956
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	2,629	3,303	3,199	1,431	2,094
निवल उपलब्ध निधि	508	(-)184	85	852	862
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	16	(-)6	3	37	29
<b>dl; nkf; Uo</b>					
प्राप्तियाँ	7,327	8,188	10,907	6,054	5,314
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	6,747	8,963	9,127	5,428	6,006
निवल उपलब्ध निधि	580	(-)775	1780	626	(-)692
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	8	(-)9	16	10.34	(-)13

### 1-9 ?kkVk cca?ku

सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेकशीलता का सूचक है। पुनः घाटे के वित्तपोषित करने तथा संसाधन को बढ़ाने एवं उसे उपयोग करने का तरीका राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण परिचायक है।

1-9-1 ?kkVk e# çofÜk

वर्ष 2003-04 तक राज्य में राजस्व घाटा रहा जो कि वर्ष 2004-05 में राजस्व अधिशेष में परिणत हो गया और तब से राज्य ने अनेक परिवर्तनों के बावजूद अधिशेष बनाये रखा है। वर्ष 2006-07 की अवधि में पूर्व वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में 5246 करोड़ रुपये (29 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 2829 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई फलतः वर्ष 2006-07 में राजस्व अधिशेष में 2417 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिस कारण राजस्व अधिशेष वर्ष 2005-06 के केवल 81 करोड़ रुपये से तीव्र रूप से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 2498 करोड़ रुपये हो गई। राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधार एवं इसके कुल संसाधन में अंतर का द्योतक है वर्ष 2002-03 के (-)2988 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में अंतर वर्ष परिवर्तन के साथ (-)3021 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा में कमी के साथ-साथ ब्याज भुगतान में 233 करोड़ रुपये की कमी के कारण वर्ष 2005-06 के 51 करोड़ रुपये के घाटा से वर्ष 2006-07 में 395 करोड़ रुपये का आरंभिक अधिशेष हुआ जैसा कि rkfydk 1-28 में प्रदर्शित है। जी एस डी पी के अनुपात के रूप में वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटा 3.07 प्रतिशत एवं राजकोषीय घाटा (-) 3.72 प्रतिशत पर पहुँच गया था।

rkfydk 1-28 %jkt dks'kh; vl rgyu %emy ekud

ekud	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
jktLo ?kkVk %i ; s dj kM+ e# %vkj Mh#	(-),287	(-)255	(+)1,076	(+)81	(+)2,498
jkt dks'kh; ?kkVk %i ; s dj kM+ e# %, Q Mh#	(-),2,988	(-),4,363	(-),1,242	(-),3,700	(-),3,021
vkj fHkd ?kkVk %i ; s dj kM+ e# %i hMh#	(+)34	(-),1,020	(+)2,232	(-),51	(+)395
vkj Mh @ th , l Mh ih %çfr'kr#	(-),2.00	(-),0.39	(+)1.51	(+)0.11	(+)3.07
, Q Mh @ th , l Mh ih %çfr'kr#	(-),4.65	(-),6.61	(-),1.75	(-),4.83	(-),3.72
ih Mh @ th , l Mh iy %çfr'kr#	(+)0.05	(-),1.55	3.14	(-),0.07	(+)0.49
vkj Mh@ , Q Mh %çfr'kr#	(+)43.07	(+)5.84	*	*	*

\* इन वर्षों के दौरान राज्य ने राजस्व अधिकाय को अनुभव किया।

1-9-2 ?kkVk@vf/k'ks'k dh xq koÜkk

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात एवं आरंभिक घाटा से आरंभिक राजस्व घाटा<sup>4</sup> एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) में परिमाणात्मक बदलाव राज्य के वित्तीय घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करेगा। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात प्रदर्शित करता है कि चालू खपत के लिए ऋण निधियों का किस हद तक उपयोग किया गया। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा के उच्च अनुपात से प्रदर्शित

<sup>4</sup> आरंभिक राजस्व घाटा राज्य के ब्याज रहित राजस्व व्यय एवं गैर ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर है, जो प्रदर्शित करता कि किस हद तक राज्य का गैर ऋण प्राप्तियाँ राजस्व लेखा के अधीन आरंभिक व्यय को करने में समर्थ है।

हुआ कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था एवं उधार का अंश बढ़ रहा था जिसका कोई परिसंपत्ति आधार नहीं था। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात वर्ष 2002-03 में 43 प्रतिशत से तीव्र रूप से घटकर वर्ष 2003-04 में 6 प्रतिशत हो गया एवं इसके बाद लगातार वर्ष 2004-07 की अवधि में राज्य में राजस्व अधिशेष रहा।

2002-07 के दौरान राज्य के आरंभिक घाटा या अधिशेष के परिणामी घटकों के विभाजन से प्राप्त परिणाम असंतुलित हैं (rkfydk 1-29)।

राज्य की गैर ऋण प्राप्तियाँ न केवल पूंजीगत लेखा के अधीन आरंभिक व्यय<sup>5</sup> के लिए पर्याप्त था, बल्कि राजस्व लेखा के अधीन भी व्यय हेतु कुछ प्राप्तियाँ शेष थी। आरंभिक घाटा का अधिशेष मुख्य रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध निधि का उपयोग न किया जाना या राज्य को करों के अंश में वृद्धि के स्थानांतरण एवं भारत सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने के कारण था।

rkfydk 1-29 % vkj fHkd ?kkVk@vf/k' k'sk & ?kVdka dk vyx gksuk

o"KZ	xj _.k çkflr; kj	vkj fHkd jktLo 0; ;	i pthxr 0; ;	_.k , oa vfxeka dk l forj .k	vkj fHkd 0; ;	fuEukfdr dk jktLo 0; ; ds l kFk vkj fHkd ?kkVk %&%@ vf/k' k'sk %\$½	fuEukfdr dk i pthxr 0; ; ds l kFk vkj fHkd ?kkVk %&%@ vf/k' k'sk %\$½
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2002-03	10,984	9,233	970	747	10,950	(+) 1,751	(+) 34
2003-04	12,466	9,368	1,549	2,569	13,486	(+) 3,098	(-) 1,020
2004-05	15,729	11,164	1,205	1,128	13,497	(+) 4,565	(+) 2,232
2005-06	17,888	14,107	2,084	1,748	17,939	(+) 3,781	(-) 51
2006-07	23,090	17,169	5,211	315	22,695	(+) 5,921	(+) 395

गैर ऋण प्राप्तियाँ 2002-03 के 10,984 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 23,090 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार, उपरोक्त अवधि में प्रारंभिक व्यय, जिसमें प्रारंभिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और सरकार द्वारा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है, 10,950 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,695 करोड़ रुपये हो गई। 2002-07 की पूरी अवधि के दौरान प्रारंभिक राजस्व व्यय राज्य की गैर ऋण प्राप्तियों से कम रही जिसके कारण प्रारंभिक राजस्व अधिशेष रहा। हालांकि गैर ऋण प्राप्तियों से संबंधित आरंभिक व्यय ने मिश्रित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया और 2002-07 के दौरान भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। उदाहरणस्वरूप 2003-04 एवं 2005-06 के दौरान प्रारंभिक व्यय गैर ऋण प्राप्तियों से क्रमशः (-)1,020 करोड़ रुपये एवं (-) 51 करोड़ रुपये अधिक रही वहीं शेष तीन वर्षों में राज्य ने प्रारंभिक अधिशेष को अनुभव किया जोकि 2002-03 में 34 करोड़ रुपये एवं 2004-05 में 2,232 करोड़ रुपये के मध्य रही।

<sup>5</sup> राज्य का आरंभिक व्यय, वर्ष के दौरान कुल व्यय एवं निवल ब्याज भुगतान लेन देन पर व्यय को दर्शाता है।

**1-10 jkt dks'kh; vuq kr**

राज्य के वित्त को सुदृढ़, नम्य एवं अभेद्य होना चाहिए। निम्न rkfydk 1-30 कुछ सूचकों के सापेक्ष वर्ष 2002-07 के दौरान सरकार वित्त की सार-स्थिति को दर्शाती है जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता व प्रभावशीलता तथा उनकी प्रयुक्तता को निर्धारित करने व महत्त्व के क्षेत्रों को उजागर करने तथा उसके प्रमुख पहलुओं को समझने में मदद करती है।

**rkfydk 1-30 % jkt dks'kh; fLFkr dk l pd %cfr'kr e%**

jkt dks'kh; l pd	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
<b>I l d k/ku l %kVU</b>					
राजस्व प्राप्ति/जी एस डी पी	17.10	18.90	22.10	23.30	28.40
राजस्व उत्प्लावकता	0.87	5.07	3.39	1.75	4.79
स्वयं कर/जी एस डी पी	4.30	4.38	4.71	4.65	4.96
<b>II 0; ; cca'ku</b>					
कुल व्यय/ जी एस डी पी	21.74	25.50	23.90	28.20	32.13
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ	78.50	74.02	92.59	82.62	88.40
राजस्व व्यय/कुल व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित)	87.71	75.53	86.25	82.25	78.84
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर वेतन व्यय/राजस्व व्यय	22.61	28.76	24.39	24.62	19.97
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर गैर वेतन व्यय/राजस्व व्यय	23.74	14.75	22.28	28.48	62.59
पूँजीगत व्यय/कुल	7	11	8	11	20
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (ऋण एवं अग्रिम को छोड़कर)	6.72	10.71	7.18	10.14	19.60
राजस्व प्राप्ति के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता	1.08	1.51	0.03	2.01	0.71
राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता	0.86	0.27	0.58	1.58	0.54
<b>III jkt dks'kh; vl rgyu dk cca'ku</b>					
राजस्व घाटे (रुपये करोड़ में)	(-)1,287	(-)255	(+)1,076	(+)81	(+)2,498
राजकोषीय घाटा (रुपये करोड़ में)	(-)2,988	(-)4,363	(-)1,242	(-)3,700	(-)3,021
आरंभिक घाटा (रुपये करोड़ में)	(+)34	(-)1,020	(+)2,232	(-)51	(+) 395
राजस्व घाटा (रुपये करोड़ में)	43	6	(-)87	(-)2	(-)82.69
<b>IV jkt dks'kh; nkf; ðo dk cca'ku</b>					
राजकोषीय दायित्व/जी एस डी पी	54.84	56.75	59.76	60.72	60.40
राजकोषीय दायित्व/आर आर	321.38	300.68	270.35	260.67	212.66
राजस्व प्राप्ति के साथ राजकोषीय दायित्व की उत्प्लावकता	0.92	0.46	0.51	0.70	0.19
स्वप्राप्ति के साथ राजकोषीय दायित्व की उत्प्लावकता	0.66	1.01	0.78	1.12	0.49
कुल उपलब्ध निधि	580	(-)775	1780	626	(-)692
<b>V vl; jkt dks'kh; fLFkr l pd</b>					
निवेश पर प्रतिफल	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04
चालू राजस्व से शेष (रुपये करोड़ में)	(-)1039	(-)638	924	685.02	2995.78
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (दायित्व)	72	72	78	80	86

जी एस डी पी से राज्य का स्व कर एवं राजस्व प्राप्तियों का अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता को प्रदर्शित करता है। राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता राज्य के संसाधनों के पहुँच में वृद्धि एवं कर क्षेत्र की प्रकृति बतलाता है। राजस्व प्राप्तियों में केवल राज्य के कर एवं करेतर संसाधन ही शामिल नहीं है बल्कि संघीय सरकार से स्थानांतरण भी शामिल है। चालू वर्ष की अवधि में जी एस डी पी से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात पूर्व वर्ष की अपेक्षा पाँच प्रतिशत की वृद्धि होकर 28 प्रतिशत है। वर्ष 2002-07 (वर्ष 2005-06 में सीमांतिक द्वास के अलावे) की अवधि में जी एस डी पी से स्व कर के अनुपात में लगातार वृद्धि हुई।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता एवं इसके संसाधन संघटन प्रयास से संबंधित निर्वाहता को इंगित करता है। वर्ष 2002-07 की अवधि में राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में 79 से 88 प्रतिशत के बीच प्रभावी रूप से रहा। यद्यपि वर्ष 2002-06 के दौरान कुल व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा परंतु वर्ष 2006-07 की अवधि में तीव्र रूप से बढ़ा। कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात लगातार 100 प्रतिशत से कम रहा जो प्रदर्शित करता है कि कुल व्यय के एक भाग की पूर्ति उधार निधि से की जाती है। विगत तीन वर्षों (2004-07) की अवधि में राज्य ने राजस्व अधिशेष बनाये रखा है एवं इसलिए केवल पूँजीगत लेखा के अंतर्गत व्यय की पूर्ति ही उधार द्वारा की जाती है।

चालू वर्ष में राज्य की राजकोषीय स्थिति में राजकोषीय सूचकों के मद में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। चालू राजस्व से शेष में तीव्र वृद्धि वर्ष 2005-06 में 685 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 2996 करोड़ रुपये होना राज्य के वित्तीय दायित्वों हेतु परिसंपत्तियों का बैक-अप प्रदर्शित करता है।

## 1-11 fu"d"kl

राजस्व, राजकोषीय एवं आरंभिक घाटा जैसे मुख्य कारकों के संदर्भ में राज्य की वर्ष 2002-07 अवधि की समग्र राजकोषीय स्थिति में मिश्रित प्रवृत्ति परिलक्षित होता है। वर्ष 2005-06 की अवधि में इन मुख्य राजकोषीय मानकों के सार्पक्षिक मूल्यों से वर्ष 2006-07 में राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ। वर्ष 2006-07 में राजकोषीय स्थिति में सुधार मुख्य रूप से पूर्व वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार से सहायतानुदान (57.4 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय कर स्थानांतरण (27.6 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि के कारण था। राज्य के व्यय प्रतिरूप से स्पष्ट है कि वर्ष 2002-07 की अवधि में वार्षिक परिवर्तनों के साथ सेवाओं के विस्तार एवं परिसंपत्तियों के उपार्जन की अपर्याप्त संसाधन को छोड़ते हुए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 80 प्रतिशत के आस पास रहा। यद्यपि वर्ष 2006-07 में राजस्व व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय वर्ष में राज्य के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा सामान्य आकलन से अधिक था एवं वर्ष 2006-07 की अवधि में तीन घटक - वेतन व्यय, पेंशन दायित्व, ब्याज भुगतान एवं अनुदान गैर योजनागत राजस्व व्यय का करीब 69 प्रतिशत था। व्यय में ये प्रवृत्तियाँ आबंटित प्राथमिकताओं में परिवर्तन की आवश्यकता इंगित करती हैं। राज्य की वित्तीय लेखाओं में राजकोषीय घाटा का लगातार होना उधार निधि पर बढ़ती निर्भरता को इंगित करता है। बढ़ती राजकोषीय दायित्व के साथ साथ सरकारी निवेश पर प्रतिफल की नगण्य दर एवं ऋण एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज लागत वसूली के परिणामस्वरूप मध्यम से दीर्घकाल के लिए ऋण की अनिर्वाह योग्य स्थिति हो सकती है यदि उपयुक्त एवं आने वाले वर्षों में कर एवं करेतर स्रोतों दोनों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों का उपाय न हो।

v/; k; &II

vko&u çkFkfedrk, j rFkk fofu; ksx

## 2-1 çLrkouk

प्रति वर्ष तैयार किये जाने वाले विनियोग लेखा में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के दोनों भारित एवं दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूँजीगत एवं राजस्व व्ययों को दर्शाया जाता है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय क्या विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के तहत है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है उसे उस प्रकार प्रभारित किया गया है अथवा नहीं। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है अथवा नहीं।

## 2-2 fofu; kstu ysçkkvka dk I kjkd k

54 अनुदानों एवं विनियोजनों के विरुद्ध वर्ष 2006-07 की अवधि में किये गये वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति निम्नवत है :

I kj .kh&I

¼#i; s djkm+e#

	0; ; dh çdfr	ewy vunku@ fofu; kstu	ijd vunku@ fofu; kstu	diy	okLrfod 0; ;	cpr
दत्तमत	I. राजस्व	17,528.95	2,955.18	2,0484.13	17,133.50	3,350.63
	II. पूँजीगत	4,912.17	1,653.20	6,565.37	5,211.03	1,354.34
	III. ऋण एवं अग्रिम	331.97	199.69	531.66	315.32	216.34
कुल दत्तमत		<b>22,773.09</b>	<b>4,808.07</b>	<b>2,7581.16</b>	<b>22,659.85</b>	<b>4,921.31</b>
भारित	IV. राजस्व	4,250.62	15.59	4,266.21	3,458.64	807.57
	V. पूँजीगत	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
	VI. ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VII. लोक ऋण	2,196.94	2.92	2199.86	1,024.98	1,174.88
diy Hkkfjr		<b>6,447.56</b>	<b>18.61</b>	<b>6,466.17</b>	<b>4,483.72</b>	<b>1,982.45</b>
vkdfLed fuf/k dk fofu; kstu ¼; fn dkbz gk½					-	-
diy ; ksx		<b>29,220.65</b>	<b>4826.68</b>	<b>34047.33</b>	<b>27143.57</b>	<b>6903.76</b>

\* ये सभी आँकड़े राजस्व व्यय (रुपये 7.09 करोड़) में कमी के रूप में लेखाओं में सामंजित वसूली का बिना दर्शाये हैं।



कुल व्यय में वर्ष के दौरान सार आकस्मिक विपत्र पर निकासी किए गए 3849.30 करोड़ रुपये शामिल हैं जिसमें से 2375.04 करोड़ रुपये की निकासी अकेले मार्च 2007 माह में की गई थी। इसमें से केवल 87.80 करोड़ रुपये के विस्तृत आकस्मिक विपत्र अक्टूबर 2007 तक महालेखाकार (ले. एवं ह.) को समर्पित किए गए थे परिणामस्वरूप 3761.50 करोड़ रुपये की राशि असमायोजित रही। सा. आ. विपत्र के असमायोजन की विस्तृत चर्चा कंडिका 2.4.3 में की गई है।

इसके अतिरिक्त, कुल व्यय का कम से कम 4.09 करोड़ रुपये तक कम दर्शाया गया जिसके लिए वर्ष 2006-07 के दौरान कोषागारों से अभिश्रव प्राप्त नहीं किये गये तथा व्यय को राज्य की संचित निधि में लेखांकित नहीं किया गया एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) के उचंत खाता में रखा गया।

### 2-3 *vko/ u çkFkfedrkvk dh i frz*

#### 2-3-1 *vko/ u çkFkfedrkvk }kjk fofu; kst u*

कुल प्रावधान 34047.33 करोड़ रुपये के विरुद्ध कुल बचत 6903.76 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत) थी जो 6903.98 करोड़ रुपये के बचत एवं 0.22 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था। कुल बचत 6903.76 करोड़ रुपये में से 4158.20 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत) राजस्व मद के एवं 1354.34 करोड़ रुपये (20 प्रतिशत) पूँजीगत मद के थे। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार विनियोजन सं. 5 में 0.22 करोड़ रुपये आधिक्य के विनियमन की आवश्यकता नहीं थी चूँकि आधिक्य वर्ष 2005-06 में निर्गत चेक उसी वर्ष के आबंटन के विरुद्ध कोषागार एवं महालेखाकार द्वारा वर्ष 2006-07 में लेखांकित किया गया। बचत/आधिक्य के विवरण नियंत्री पदाधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण विचलन के स्पष्टीकरण हेतु भेजे गये थे जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2007)।

#### 2-3-2 *ogr~cpr*

अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति, विगत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय आदि प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर विभागों को अपने प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता थी। बजट निर्माण तथा बजट प्रबंधन के सिद्धांतों को नहीं लागू करने के कारण निधियों का अविवेकपूर्ण विनियोग हुआ जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, लोक कार्य आदि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वृहत् बचत हुई। नौ मामले जिसमें आठ अनुदान एवं एक विनियोजन शामिल थे, 100 करोड़ रुपये या अधिक की अत्यधिक बचत एवं प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत से अधिक कुल 3621.25 करोड़ रुपये (कुल बचत 6903.98 करोड़ रुपये का 52 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत पायी गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

I kj . kh&II

1/4#i ; s djkm+e#

Øe l a	vunku l a , oa uke	vunku			okLrfod 0; ;	cpr	çko/kku l s cpr dk çfr'kr
		ey	ij d	dy			
jktLo & nUker							
1.	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	981.43	277.03	1,258.46	903.11	355.35	28.24
2.	39. आपदा प्रबंधन विभाग	157.65	51.56	209.21	56.67	152.54	72.91
3.	48. शहरी विकास विभाग	684.39	51.76	736.15	384.38	351.77	47.79
4.	50 लघु सिंचाई विभाग	415.09	10.81	425.90	135.91	289.99	68.09
5.	51. कल्याण विभाग	786.95	67.90	854.85	570.19	284.66	33.30
i pthxr&nUker							
6.	10. ऊर्जा विभाग	769.69	80.08	849.77	620.16	229.61	27.02
7.	36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	419.70	147.20	566.90	248.27	318.63	56.21
8.	49. जल संसाधन विभाग	976.80	70.39	1,047.19	583.37	463.82	44.29
i pthxr&Hkkfjr							
9.	14. लोक ऋण का पुनर्भूगतान	2,196.94	2.92	2,199.86	1,024.98	1,174.88	53.41
dy		<b>7388.64</b>	<b>759.65</b>	<b>8148.29</b>	<b>4527.04</b>	<b>3621.25</b>	

58 योजनाओं में शामिल 8 अनुदानों एवं एक विनियोजन में 3626.23 करोड़ रुपये (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये या अधिक) की वृहत् बचत हुई जिसके विवरण *iff'k"V&X* में दिये गये हैं। इसने घटिया कोष प्रबंधन एवं त्रुटिपूर्ण बजट आकलन की तैयारी को दर्शाया।

बचत के कारणों को विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया। कुछ मामलों में बचत का कारण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निधि जारी न किया जाना, योजना परिव्यय में कटौती, पदों का रिक्त रहना एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के कारण निधि का आहरित न होना एवं 12वें वित्त आयोग द्वारा उदृष्ट निधि का अधिक प्रावधान होना था।

2-3-3 cpr ds vll; ekeys

वैसे 31 मामलों में जहाँ एक करोड़ रुपये या उससे अधिक तथा प्रत्येक मामले में कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था, कुल बचत 4130.70 करोड़ रुपये की हुई जैसा कि *iff'k"V&XI* में दर्शाया गया है।

### 2-3-4 I rr cpr

24 मामलों में शामिल 20 अनुदानों एवं विनियोजनों के प्रत्येक मामले में कुल प्रावधानों का 10 प्रतिशत एवं अधिक तथा दो करोड़ रुपये एवं अधिक की सतत बचत पायी गयी जैसाकि *ifff'k"V&XII* में दर्शाया गया है।

### 2-3-5 vkf/kD; ds fofu; eu dh vko'; drk

#### çko/kku I s vf/kd vkf/kD; ds fofu; eu dh vko'; drk

भारत के संविधान की धारा 205 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अनुदान या विनियोग से अधिक हुए व्यय को राज्य विधानमंडल से विनियमित कराये। वर्ष 1977-78 से 2005-06 तक 7024.71 करोड़ रुपये के अधिक व्यय अभी तक (अक्टूबर 2007) विनियमित नहीं कराये गये। यह विनियोजनों पर वैधानिक नियंत्रण का उल्लंघन है। विवरण *ifff'k"V&XIII* में दर्शाया गया है। अविनियमित आधिक्य व्यय के लंबे समय तक स्पष्टीकरण के प्रस्तुतीकरण करने में असफल होने से वित्तीय अनियमितता, जैसे कपट, गबन आदि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

#### y?kq 'kh"kk& ea i ko/kku I s vf/kd dk 0; ;

पाँच अनुदानों एवं विनियोजनों के छह मामलों में, प्रत्येक मामले में स्वीकृत प्रावधान से एक करोड़ रुपये या अधिक तक का व्यय हुआ, कुल 341.57 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया जैसा कि *ifff'k"V&XIV* में प्रदर्शित किया गया है।

#### fcuk i ko/kku ds 0; ;

बजट नियमावली के अनुसार किसी योजना/सेवा पर बिना प्रावधान के व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि यह पाया गया कि बिना मूल प्राक्कलन में प्रावधान या पूरक माँग या कोई पुनर्विनियोजन आदेश के ही नौ मामलों में (प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये या अधिक) 91.21 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जैसा कि *ifff'k"V&XV* में दर्शाया गया है।

#### ubz I dk@ubz I dk I q &

संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि नई सेवा पर व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरणी में उल्लेख न होने पर विधान मंडल द्वारा पारित निर्दिष्ट प्राधिकरण के बाद ही व्यय किया जा सकता है। पूर्व के दत्तमत अनुदान से दोगुना या दो लाख रुपये, जो भी अधिक हो, अधिक व्यय वृद्धि नई सेवा कहलाती है।

दो मामलों में कुल 2.64 करोड़ रुपये का व्यय, जो कि नई सेवा/नई सेवा संयंत्र माना जाना चाहिए था, विधानमंडल के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किये बिना पुनर्विनियोजन से पूरा किया गया। इन मामलों को सारणी III में दिया गया है। व्यय न तो मूल/पूरक प्रावधानों और न ही आकस्मिकता निधि से अग्रिम द्वारा ही किया गया था।

I kj . kh&III

ubz l ok e# 0; ;

##i ; syk[k e#

Øe l a	vumkuka dh l a	ys[kk 'kh"kz %ogr@y?k@mi @foLr'r ys[kk 'kh"kz	ctV cko/kku@ i ufofu; kst u	0; ;
1	44	2202 सामान्य शिक्षा 0109.बिहार शिक्षा परियोजना 2202-01-800-0109	0.00	256.10
2	50	2702 लघु सिंचाई 0101 सरकारी नलकूप 2702-03-103-0101	0.00	8.20
		dy	0.00	264.30

2-3-6 emy ctV , oa ijd cko/kku

वर्ष के दौरान 4826.68 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो मूल बजट प्रावधान (29220.65 करोड़ रुपये) का 16.52 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष 10.06 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान 4823.76 करोड़ रुपये का कुल पूरक अनुदान (लोक ऋण को छोड़कर) प्राप्त किया गया जबकि अंतिम कुल बचत (लोक ऋण को छोड़कर) 5728.88 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार 4823.76 करोड़ रुपये का पूरक अनुदान अनावश्यक था।

2-3-7 vuko'; d@vR; f/kd ijd cko/kku

- अगस्त 2006 से मार्च 2007 तक की अवधि के 44 मामलों में 1213.08 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि इन मामलों में व्यय अपने मूल प्रावधानों तक भी नहीं हो पाया गया था जिसे *ijff'k"V&XVI* में दर्शाया गया है।
- 23 मामलों में मात्र 2321.29 करोड़ रुपये के वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध 3245.46 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त किये गये परिणामतः 924.17 करोड़ रुपये (प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक) की बचत हुई जैसा कि *ijff'k"V&XVII* में विवरण दिया गया है।

इससे ज्ञात हुआ कि वित्त विभाग ने पूरक प्रावधानों के प्रस्ताव की संवीक्षा विस्तारपूर्वक नहीं किया।

2-3-8 fuf/k dk vR; f/kd@vuko'; d i ufofu; kst u

पुनर्विनियोजन में निधि का स्थानांतरण एक ही अनुदान के अंतर्गत एक इकाई से, जहाँ बचत की संभावना हो, दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, में की जाती है। नौ अनुदानों/पुनर्विनियोजनों के 16 मामलों में, प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक का पुनर्विनियोग, 214.50 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन द्वारा आहरण अनुचित था जबकि 88.07 करोड़ रुपये का अधिक व्यय पहले ही हो चुका था जैसा कि *ijff'k"V&XVIII* में वर्णित किया गया है। इससे ज्ञात हुआ कि नियंत्रि पदाधिकारी, बिहार बजट नियमावली के प्रावधान 135 के अनुसार अभ्यर्पित राशि का आकलन करने में असफल रहे।

### 2-3-9 व्यय करने वाले विभागों के द्वारा अपनी बचत का अनुमान होते ही इन अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके किसी भाग को वित्त विभाग में अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए था तथापि वर्ष 2006-07 के अंत में राजस्व प्रभाग के अनुदानों/विनियोजनों के 28 मामलों तथा पूँजीगत प्रभाग के अनुदानों/विनियोजनों के 11 मामलों में 2466.57 करोड़ रुपये की बचत, प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक, का अभ्यर्पण विभागों के द्वारा नहीं किया गया था जैसा कि *ifff'k"V&XIX* में वर्णित है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजट नियंत्रण की मौलिक जिम्मेदारी संभालने में असफल रहे।

### 2-3-10 78 मामलों में 6903.98 करोड़ रुपये की कुल बचत में से 4460.30 करोड़ रुपये मार्च 2007 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये जो कि व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। विवरण *ifff'k"V&XX* में दिये गये हैं। बचत के अभ्यर्पण में विलम्ब के कारण निधि का उपयोग दूसरे उद्देश्य हेतु नहीं किया जा सका।

### 2-3-11 23 योजनाओं में शामिल 19 अनुदानों एवं विनियोजनों में राज्य सरकार 1863.35 करोड़ रुपये के संपूर्ण प्रावधान (प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये से अधिक) का उपयोग करने में असफल रही। संपूर्ण प्रावधान जैसा कि *ifff'k"V&XXI* में दर्शाया गया है पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किये गये। यह अनुमानित एवं अवास्तविक बजट का परिणाम था।

### 2-3-12 छः मामलों में अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत की अपेक्षा अधिक थी। 168.36 करोड़ रुपये की बचत के विरुद्ध 197.94 करोड़ रुपये की राशि अभ्यर्पित हुई। परिणामतः 29.58 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ *ifff'k"V&XXII*।

### 2-3-13 वित्तीय नियमों के अनुसार सरकारी व्यय का वितरण पूरे वर्ष एक समान होना चाहिए। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता उक्त प्रावधान का सरासर उल्लंघन माना जाता है। वर्ष 2006-07 की चारों तिमाही एवं मार्च 2007 की व्यय विवरणी (राजस्व एवं पूँजीगत) *ifff'k"V&XXIII* में दर्शायी गयी है जिससे यह पता चलता है कि मार्च 2007 को समाप्त होने वाली तिमाही एवं केवल मार्च में किया गया व्यय कुल व्यय का क्रमशः 58 एवं 42 प्रतिशत था जो बजट राशि का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष के अंत में करने की प्रवृत्ति का द्योतक है।

लेखा परीक्षा में विश्लेषित व्यय की तीव्रता का कारण योजनाओं की स्वीकृति में बिलंब एवं वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की विमुक्ति थी जो कि इंगित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता को रोकने के लिए विहित नियंत्रणों का अनुपालन नहीं किया गया।

### 2-3-14 *vi ek'kkf/kr 0;* ;

वित्तीय नियमों के अनुसार विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय के विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार (ले. एवं ह.) द्वारा दर्ज आँकड़ों से प्रत्येक तिमाही कराया जाना चाहिए। वर्ष 2006-07 की अवधि में लगभग 204 नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा 100 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए 21838.05 करोड़ रुपये के व्यय वर्ष के अंत तक उच्च स्तर पर बारम्बार अनुस्मार के बाद भी असमाशोधित रहे। जबकि पूरे वर्ष में 147 अंचल पदाधिकारियों ने 940.14 करोड़ रुपये व्यय का आंशिक समाशोधन किया एवं 57 अंचल पदाधिकारियों ने 11,142.27 करोड़ रुपये के व्यय का समाशोधन किया ही नहीं। विस्तृत विवरणी *ijff'k"V&XXIV(I)* में दी गई है। असमाशोधित व्यय कुल व्यय (24,143.57 करोड़ रुपये) का 80 प्रतिशत था।

यह देखा गया कि 21,838.05 करोड़ रुपये के कुल असमाशोधित व्यय में से 21,598.50 करोड़ रुपये (*ijff'k"V&XXIV(II)*) वित्त, मानव संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य, गृह, पथ एवं पुल, सामाजिक कल्याण, राजस्व, उद्योग, श्रम एवं नियोजन, शहरी विकास, विधि, कृषि, पशुपालन एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित थे।

विभिन्न विभागों के नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय के असमाशोधन से गबन, कपट जैसी गंभीर अनियमितता, जिसका पता नहीं चल पाया, की संभावना थी जैसा कि 1996-97 तक पशुपालन विभाग के मामले में देखा गया।

### 2-3-15 ; *kstuk dk fu"iknu*

सरकारी व्यय का वर्गीकरण मुख्यतः योजना तथा गैर-योजना एवं राजस्व तथा पूँजीगत में किया गया है। योजना एवं पूँजीगत व्यय सम्पत्ति के सृजन से जबकि गैर योजना तथा राजस्व व्यय रख रखाव, स्थापना एवं सेवाओं पर व्यय से जाना जाता है।

वर्ष 2006-07 के लिए राज्य सरकार के विनियोग लेखा में यह देखा गया कि 12,223.85 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से राज्य सरकार ने 9397.15 करोड़ रुपये व्यय किया एवं विभिन्न राज्य योजना मदों (2166.14 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (585.20 करोड़ रुपये) एवं केन्द्रीय योजना मद (75.36 करोड़ रुपये) के अंतर्गत शेष बची हुई 2826.70 करोड़ रुपये की राशि (प्रावधान का 23 प्रतिशत) *ijff'k"V&XXV(I)* का व्यय करने में विफल रही।

65 मामलों में शामिल 26 अनुदानों एवं विनियोजनों में 5665.46 करोड़ रुपये प्रावधान के विरुद्ध 2660.79 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) की भारी बचत, प्रत्येक मामले में पाँच करोड़ रुपये से अधिक, राज्य सरकार द्वारा योजनागत योजनाओं के अक्रियान्वयन या धीमा क्रियान्वयन के कारण हुई जैसा कि *ijff'k"V&XXV(II)* में दर्शाया गया है। 11 मामलों में राज्य सरकार 541.21 करोड़ रुपये के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग करने में विफल रही *ijff'k"V&XXV(II)*। चूँकि सरकार के बजट के योजनागत व्यय के स्तर तक पहुँचने में विफल रहने के कारण भारी बजटीय बचत (47 प्रतिशत) हुई।

### 2-3-16 *vkdfled dks'k / s vfxe*

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधान के अनुसार बिहार आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 के अंतर्गत आरंभिक समग्र निधि एक करोड़ रुपये के साथ बिहार आकस्मिक कोष की स्थापना की गई। विधानमंडल की स्वीकृति से मार्च 1998 से कोष की राशि बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दी गई। कोष अप्रत्याशित एवं

नई सेवा पर आकस्मिक व्यय करने हेतु विधानमंडल का प्राधिकार मिलने तक राज्यपाल को व्ययन निपटान हेतु अग्रदाय की तरह था। तदनन्तर, ऐसे व्यय की स्वीकृति राज्य विधान मंडल से प्राप्त की जाती है और समतुल्य राशि संचित निधि से आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित की जाती है। राज्यपाल की ओर से, वित्त विभाग, बिहार का सचिव आकस्मिकता निधि का प्रभारी होता है।

I kj . kh IV

vkdfLedrk fuf/k dk mi ; kx

en	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1. आहरण की संख्या	38	92	181	249
2. कुल आहरण (रुपये करोड़ में)	151.48	368.60	497.13	732.37
3. आहरण कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में	0.69	1.39	1.72	2.15
4. वापसी की प्रतिपूर्ति	प्रतिपूर्ति	प्रतिपूर्ति	प्रतिपूर्ति	प्रतिपूर्ति

प्रावधान के अनुसार अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रकार के व्यय हेतु कोष से अग्रिम आहरित किया जा सकता है, जिसका विधानमंडल के प्राधिकरण तक स्थगन वांछनीय नहीं होगा। इसे तब प्राप्त किया जाता है जब पूरक माँग एवं संबंधित विनियोग विधेयक पारित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो। कुल 732.37 करोड़ रुपये के आहरण की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि 611.35 करोड़ रुपये का आहरण अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रकार के नहीं थे जैसा कि *ifj'k"V&XXVI* में दर्शाया गया है। वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता, छुट्टी रियायती यात्रा भत्ता, आकस्मिकता, वाहन का क्रय, सी एस एस एवं ऐसे सभी ज्ञात एवं प्रत्याशित व्यय का कोष से आहरण संविधान में प्रावधानित आकस्मिक निधि के निर्माण की भावना से मेल नहीं खाता था। इसने बजट प्रस्ताव के समय राजस्व घाटा को कम प्रदर्शित करने के अलावे बजट प्रावधान के अवास्तविक व्यय को छुपाया। न वित्त विभाग और न ही दूसरे विभाग ने आकस्मिकता निधि से आहरण में सतर्कता बरती। बिहार वित्त नियमावली के अनुसार अनियमित अग्रिमों की स्वीकृति के लिए वित्त एवं संबंधित विभाग के सचिव जिम्मेदार थे।

2-4 ctVh; çfØ; k , oa 0; ; fu; æ. k

2-4-1 ctV cukus ds fy, ys[ kki z kkyh dh vuns[ kh

सतत् बचत, सतत आधिक्य, निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन, अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नहीं होना, वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता इत्यादि के मामले जिसकी चर्चा इस अध्याय में पहले की गयी है, बजटीय व्यय नियंत्रण के अभाव का द्योतक था।

2-4-2 ol fy; k rFkk m/kkjka dh çofr

सरकार द्वारा अपनाई गई सकल बजट प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत अनुदान के लिए माँग, सभी उधार एवं वसूली को छोड़कर जो व्यय की कमी के रूप में लेखा में सामंजित है, सकल व्यय के लिए होता है। बजट आकलनों में संभावित वसूली एवं उधार अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2006-07 में 17 अनुदानों/विनियोजनों के मामलों में 7.09 करोड़ रुपये की वास्तविक वसूली व्यय की कमी के रूप में सामंजित की गई जबकि बजट आकलन में

0.009 करोड़ रुपये की वसूली का प्रावधान अनुदान एवं विनियोजन के केवल तीन मामलों में ही किया गया। पुनः लेखा में किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत वसूली, यदि कोई हो, को नहीं प्रदर्शित किया गया। पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस बिन्दु को उठाने के बावजूद सरकार द्वारा बजट प्रक्रिया के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया जिसमें संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत (राजस्व तथा पूँजीगत) व्यय की कुल राशि के लिए अनुदानों/विनियोजनों हेतु माँग किया जाना चाहिए तथा वसूलियों को व्यय की कमी के रूप में "प्राप्ति" एवं "वसूली" की कटौती शीर्ष के नीचे अलग अलग दर्शाया जाना चाहिए। वर्ष 2006-07 के विनियोग लेखा के *ifff'k"V&I* में विस्तृत विवरण दिये गये हैं।

### 2-4-3 I kj vkdfLed foi =k dk vl ek; kstu

बिहार वित्तीय नियमावली के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी डी ओ) द्वारा सार आकस्मिक (ए सी) विपत्रों की निकासी स्थायी आदेशों अथवा वित्त विभाग की सहमति के साथ सरकार के प्रशासी विभागों की स्पष्ट स्वीकृति के बाद ही की जाएगी। एक वित्तीय वर्ष में कोषागार से सार आकस्मिक विपत्रों पर अग्रिम के आहरण के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को तैयार कर महालेखाकार (ले. एवं ह.) के यहाँ कोषागार से आहरण की तिथि के बाद छः महीने की 25 तारीख तक अवश्य भेजना है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो स्वयं प्रतिहस्ताक्षर के लिए अधिकृत नहीं हैं उन्हें विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समय-समय पर अपने नियंत्री पदाधिकारियों से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार (ले. एवं ह.) को भेजना है।

उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया कि बहुत से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा इन नियमों की अवहेलना की गई एवं नियंत्री पदाधिकारी इन गलतियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने में असफल रहे। महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना के यहाँ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोई भी विस्तृत आकस्मिक विपत्र व्यय मद का विवरण एवं संबंधित अभिश्रवों के साथ निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषागार में सार आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतीकरण में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना था कि पिछले एसी विपत्रों का सार आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दिये गये एवं जिस मद के लिए अग्रिम ली गई उसी मद पर व्यय किया गया। न तो कोई निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने सार आकस्मिक विपत्र पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और न ही कोषागार पदाधिकारियों द्वारा नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों से ऐसे प्रमाण पत्र की माँग हेतु दवाब दिया गया एवं नि. एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागारों से निकासी किये गये पिछले ए सी विपत्रों का डी सी विपत्र जमा किये बगैर एसी विपत्रों पर अग्रिमों की निकासी करते रहे।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि एसी विपत्रों पर कुल 8063.96 करोड़ रुपये की निकासी के विरुद्ध केवल 315.32 करोड़ रुपये के डी सी विपत्र ही महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना को समर्पित किये गये। वर्ष 2002-03 से 2006-07 की पाँच वर्षों की अवधि में बार-बार अनुरोध एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों के बावजूद 7748.64 करोड़ रुपये का डी सी विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि I kj .kh V में दिखाया गया है।



I kj . kh v

1/1/1; s djkm+e#

Øe l a	o"kl	, l h foi = dh j kf' k	Mh l h foi = dh j kf' k	, l h foi = dh 'kSk j kf' k
1	2002-03	332.22	4.32	327.90
2	2003-04	548.41	33.77	514.64
3	2004-05	957.72	90.54	867.18
4	2005-06	2,376.31	159.58	2,216.73
5	2006-07	3,849.30	27.11	3,822.19
	dy	<b>8,063.96</b>	<b>315.32</b>	<b>7,748.64</b>

नियम के तहत जैसा कि आवश्यक है कि नि. एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा डी सी विपत्रों के प्रस्तुतीकरण का अनुवीक्षण नहीं किया गया एवं एसी विपत्रों के आहरण का विवरण दर्ज करने हेतु कोई अलग पंजी अथवा अव्यवहृत शेष, यदि कोई हो, के प्रेषण का विवरण नहीं रखा गया। नि. एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा ए. सी. विपत्रों पर निकासी से संबंधित सांविधिक नियमों एवं आदेशों का पालन नहीं करने के कारण 7748.64 करोड़ रुपये के असमायोजित ए. सी. विपत्र जमा थे। पूर्ववर्ती कंडिकाओं से जैसा कि स्पष्ट है विभाग द्वारा ऐसी परंपरा को रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा लंबे समय तक डी सी विपत्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा बिना कोई समायोजन के भारी लोक निधि को रोके रखने से गंभीर वित्तीय अनुशासनहीनता/दुर्विनियोजन का खतरा है। इस मामले में सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे आवश्यक जाँच पड़ताल कर लंबे समय तक पड़े असमायोजित निधियों की वास्तविक उपयोगिता की स्थिति का पता लग सके।

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिपत्र द्वारा, यदि प्रथम एसी विपत्र का निपटारा नहीं हुआ तो तीसरे एसी विपत्र के आहरण की मनाही की थी। उसी प्रकार का प्रावधान बकाये एसी विपत्रों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने हेतु बिहार वित्तीय नियमावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए।

v/; k; &III

fu"i knu ys[kki jh{kk

इस अध्याय में बिहार में नलकूप परियोजना (3.1), समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना (3.2), बाढ़ग्रस्त इलाकों में पथ का निर्माण एवं मरम्मत (3.3), मजदूरी रोजगार योजना (3.4) तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (3.5) का निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

y?kq fl pkbz foHkkx

3-1 fcgkj ea uydii ifj; kstuk

eq; kd"lk

jkt; uydii ifj; kstuk dk mis'; fdl kuka dks fl pkbz l fo/kk inkd dj df"k mRi knu ea of) ds }kjk mudh vkenuh dks c<kuk Fkka ifj; kstuk ds fofHkuu Qstka ds dk; kll; u ij vkjEHk ea jkt; l jdkj }kjk 0; ; fd; k tkrk Fkk ftl dh cfri ukckMZ .k ds }kjk gkuk Fkka uydii ifj; kstuk fl pkbz ds yf{kr mis'; dks ijk ugha dj l dk D; kf d fl pkbz {kerk dk mi ; ksx de Fkka l kefxz ka dh vR; kf/kd Ø; j fØ; kll; u ea foye tydj dh ll; u ol iyh us Qst&VIII ds fØ; kll; u ij foijhr vl j Mkyka

pkyu uydii ka dh l a; k 2002&07 ds nkj ku 25 l s 33 cfr'kr ds chp Fkka i gkus uydii ka ds i q#) kj ij 2-15 djkm+ #i ; s ds fu"Qy 0; ; gq A

%dfMdk 3-1-7-1 , oa 3-1-7-2%

Qst&III ds vl Qy uydii ka ij 1-12 djkm+ #i ; s dk fu"Qy 0; ; gqkA fcgkj jkt; fo|q ckMZ %fo- jk- fo- cks½ ds i kl 2-85 djkm+ #i ; s ds vfxe ekpl 1999 l s i Ms Fkka

%dfMdk 3-1-8-1 , oa 3-1-8-3%

Qst&VIII ds vxr 1-24 djkm+ #i ; s ds Mh- th- l v , oa ekvj i Ei ka dh vf/kd vf/kçfkr dh xbA xkjv/h /kkjk ea fol æfr ds dkj.k 202 Mhty tujvj l v xkjv/h ds v/khu 'kkfey ugha Fkka

%dfMdk 3-1-9-3 , oa 3-1-9-4%

vf; fer vof/k foLrkj fn, tkus ds dkj.k Qst& VIII dk dk; kll; u fu/kkfjr vof/k ds vlnj ugha gks l dkA dk; l ds fØ; kll; u ea foye ds fy, 2-03 djkm+ #i ; s dk tekuk ugha yxk; k x; ka

%dfMdk 3-1-9-5%

mul B cfr'kr ueuk tkfpr uydii ka dks mi Hksäk l febr; ka dks l kf fn; k x; k Fkk] dkbz Hkh fl pkbz , oa ty dj dh ekx , oa ol iyh dk dkbz Hkh [kkrk l a'kkfjr ugha djrk Fkka

%dfMdk 3-1-9-6%

### 3-1-1 *çLrkouk*

विश्व बैंक की सहायता से 276.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बिहार सरकार ने राज्य नलकूप परियोजना को जून 1986 में स्वीकृति प्रदान किया जिसे मई 1994 तक पूरा कर लिया जाना था। खराब क्रियान्वयन के कारण विश्व बैंक ने इसका वित्तपोषण मई 1994 में बंद कर दिया। ग्रामीण अंतःसंरचना विकास निधि (ग्रा. अं. वि. नि.) के तहत वर्ष 1999-2007 के दौरान नलकूप परियोजना का कार्यान्वयन विभिन्न फेजों में किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था।

### 3-1-2 *l xBukRed l jpuK*

राजकीय नलकूपों के निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव के लिए सचिव के नेतृत्व में लघु सिंचाई विभाग जिम्मेदार था। उन्हें परियोजना संयोजक, दो मुख्य अभियंता, 10 अधीक्षण अभियंताओं द्वारा मदद प्राप्त था। कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में 29 कार्य प्रमंडल थे। पटना स्थित केन्द्रीय कर्मशाला प्रमंडल विभागीय छिद्रण एवं विभाग के मशीनों एवं उपकरणों के रखरखाव के लिए जिम्मेवार था।

### 3-1-3 *ys[kki jh{kk ds mÍs ;*

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

- कुँओं का चयन के लिए सर्वे योजनाबद्ध तरीके से, निर्धारित मापदंडों एवं पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर किया गया ;
- राज्य सरकार द्वारा फेज- III, V एवं VIII के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग मितव्ययिता से पूरी क्षमता के साथ प्रभावी ढंग से किया गया ;
- लक्षित सिंचाई क्षमता का सृजन एवं उपयोग किया गया ;
- किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा हुआ ;
- प्रभावशाली अनुश्रवण प्रणाली उपलब्ध थी।

### 3-1-4 *ys[kki jh{kk ds ekunM*

योजना के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु निम्न लेखापरीक्षा मानदंड निर्धारित किए गए :

- बिहार लोक कार्य संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली ;
- विभाग द्वारा निर्धारित सिंचाई एवं जलकर की वसूली के लक्ष्य ;
- लघु सिंचाई विभाग के द्वारा निर्गत अनुदेश

### 3-1-5 *ys[kki jh{kk {ks= , oa fØ; kfof/k*

वर्ष 2002-07 अवधि के लिए परियोजना संयोजक, दो मुख्य अभियंताओं<sup>1</sup> एवं 10 प्रमंडलों<sup>2</sup> (29 में से) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2007 से

<sup>1</sup> मुख्य अभियंता (दक्षिण), पटना, मुख्य अभियंता (उत्तर), मुजफ्फरपुर

<sup>2</sup> आरा, भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, मधेपुरा, मोतीहारी,, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी

अगस्त 2007) के द्वारा राज्य में नलकूप परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा संपन्न की गई।

100 नलकूपों (पुराना : 21 ; फेज-III : 20 ; फेज- VIII : 59) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण नलकूपों के प्रभारी कनीय अभियंताओं के साथ लेखापरीक्षा द्वारा की गई। मई 2007 में सचिव सह आयुक्त, लघु सिंचाई विभाग के साथ संपन्न हुए प्रवृष्टि बैठक में उन्हें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा का आधार एवं क्रियाविधि से अवगत कराया गया। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर अक्टूबर 2007 में विभाग के वरीय विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बहिर्गमन बैठक में विमर्श किया गया।

### यसूक्कि जहक फु"द"क

#### 3-1-6 फोल्क; च्चकू

परियोजना के कार्यान्वयन में किए गए व्यय का वहन शुरू में राज्य सरकार के द्वारा किया जाना था जिसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड ऋण के द्वारा की जानी थी। योजना एवं गैर योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-07 के दौरान कार्य एवं स्थापना मद में किए गए निधि के आबंटन एवं व्यय निम्न प्रकार से थे :

o"क	vkā/u						0; ; <sup>3</sup>						dk; l 0; ; ij LFkki uk 0; ; dk çfr'kr
	dk; l			LFkki uk			dk; l			LFkki uk			
	; kst uk	xj ; kst uk	dy	; kst uk	xj ; kst uk	dy	; kst uk	xj ; kst uk	dy	; kst uk	xj ; kst uk	dy	
2002-03	4.36	3.96	8.32	21.36	49.74	71.10	3.75	3.38	7.13	20.93	42.82	63.75	894
2003-04	34.10	6.06	40.16	19.43	50.05	69.48	30.73	6.05	36.78	19.41	49.27	68.68	187
2004-05	46.80	9.20	56.00	19.89	49.85	69.74	41.40	8.40	49.80	19.64	49.34	68.98	139
2005-06	14.04	10.00	24.04	22.42	57.64	80.06	10.90	9.37	20.27	22.36	55.53	77.89	384
2006-07	29.98	12.67	42.65	25.64	57.44	83.08	24.00	12.29	36.29	23.07	51.73	74.80	206
dy	129-28	41-89	171-17	108-74	264-72	373-46	110-78	39-49	150-27	105-41	248-69	354-10	236

(स्रोत : लघु सिंचाई विभाग)

dk; l 0; ; dh rgyuk  
es LFkki uk 0; ; 1-39  
l s 8-94 xq kk Fkk

यद्यपि वि. लो. नि. संहिता के नियम 5 (अ) (II) – परिशिष्ट –4 के अनुसार स्थापना व्यय कुल कार्य व्यय की तुलना में 12 प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए किन्तु उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-07 के दौरान कार्य व्यय की तुलना में स्थापना व्यय 1.39 से 8.94 गुणा था।

विभाग के अनुसार उच्च स्थापना व्यय का मुख्य कारण बड़ी संख्या में राज्य नलकूप विकास निगम के कर्मचारियों का समांजन था।

आगे के छानबीन से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2003-07 के दौरान वित्त विभाग द्वारा नाबार्ड को 74.47 करोड़ रुपये (फेज-VIII) के प्रतिपूर्ति दावा, जिसपर 8.5 प्रतिशत (त्रैमासिक स्तर पर) का ब्याज दर था, प्रस्तुत किया गया जिसमें से मार्च 2007 तक 65.80 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई। वर्ष 2002-07 के दौरान बाजार ऋण पर

<sup>3</sup> आबंटन एवं व्यय के आंकड़ों में वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू किए गए फेज- XI हेतु सामग्रियों के अधिप्राप्ति की व्यय शामिल है।

भारत 7.15 प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत की ब्याज दर की तुलना में 8.5 प्रतिशत का ब्याज दर अधिक था।

3-1-6-10; ; ds vuqlo.k gsrq dk; k ds fu; a.k i ath dk l akkj .k ugha

yks fu- l a ds  
cko/kkuka ds vuq kj  
vfthkys[ kka dk l akkj .k  
ugha fd; k x; k

नमूना जाँचित किसी भी प्रमंडल द्वारा कार्यसार पंजी, संवेदक पंजी, कार्य पंजी एवं परिसंपत्ति पंजी का संधारण नहीं किया गया। लो. का. सं. की कंडिका 102 में प्रावधान के बावजूद प्रत्येक कार्य का आकलन के अनुसार अलग लेखा का संधारण कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नहीं किया गया। नियंत्रण पंजी के अभाव में कार्य व्यय के विभिन्न अवयवों पर प्रभावकारी नियंत्रण नहीं था।

सचिव ने बताया (अक्टूबर 2007) कि लो. नि. सं. के अनुसार उपर्युक्त अभिलेखों के संधारण हेतु प्रमंडलों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

3-1-7 orku i jkus uydi ka }kjk fu"i knu

3-1-7-1 cfr gDV\$ j fl pkbz dk U; uu mi; ksx , oa vf/kd ykxr

वर्तमान 5556 नलकूपों की कुल सिंचाई क्षमता 27.80 लाख हे. थी। इसमें से 15.53 लाख हे. सिंचाई क्षमता के सिर्फ 3072 नलकूप 2002-07 के दौरान कार्यरत थे। सृजित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि 2484 नलकूप यांत्रिक (55), विद्युतीय (539) एवं अन्य दोषों (1890) के कारण अकार्यरत थे। केवल 1.03 लाख हेक्टेयर का ही वास्तविक उपयोग किया गया जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया था :

cfr gDV\$ j fl pkbz  
ykxr 31875 l s  
41555 ds chp

o"l	fl pkbz {kerk	y{; %okf"kd½	fl pkbz {kerk dk mi; ksx %mi yfC/k½	l ftr fl pkbz {kerk ds fo: ) mi; ksx %cfr' kr e½	fl pkbz l ok dh ijh ykxr %yk[k #i; s e½	fl pkbz l ok dk cfr gs ykxr %#i; s e½
	%yk[k gDV\$ j e½					
2002-03	2.84	1.25	0.20	7	6,375	31,875
2003-04	2.85	1.32	0.17	6	6,868	40,400
2004-05	3.26	1.20	0.24	7	6,898	28,742
2005-06	3.29	1.07	0.24	7	7,789	32,454
2006-07	3.29	0.85	0.18	5	7,480	41,555
dy	15-53	5-69	1-03			

वर्ष 2002-07 के दौरान प्रति हे. सिंचाई लागत 28742 रुपये एवं 41555 रुपये के बीच थी।

नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्न तथ्यों का खुलासा हुआ :

l i wkl fl pkbz {kerk  
ds dny 10 cfr' kr  
dk mi; ksx

- वर्ष 2002-07 के दौरान कुल 2227 पुराने नलकूपों के विरुद्ध कार्यरत नलकूपों की संख्या 565 (25 प्रतिशत) एवं 736 (33 प्रतिशत) के बीच थी। इसके अतिरिक्त संपूर्ण सृजित सिंचाई क्षमता (3.21 लाख हे.) का 59 प्रतिशत ही सिंचाई का लक्ष्य (1.90 लाख हे.) निर्धारित किया गया जिसके विरुद्ध उपलब्धि सिर्फ 17 प्रतिशत (0.32 लाख हे.) रही एवं संपूर्ण सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध उपलब्धि सिर्फ 10 प्रतिशत रही। विभाग ने सृजित सिंचाई क्षमता के

न्यून उपयोग का मुख्य कारण क्षतिग्रस्त वितरण प्रणाली एवं कमजोर विद्युत आपूर्ति बताया।

दस नमूना जाँचित जिलों में 2002-05 के दौरान 1.01 करोड़ रुपये की माँग के विरुद्ध केवल 19 लाख रुपये के जलकर की वसूली हुई।

### 3-1-7-2 *vdk; jr igkus uydii ka ds i qokl ij fu"Qy 0; ; %Qst & v½*

igkus uydii ka ds  
i qokl ij 2-15  
djkm+ #i ; s dk  
fu"Qy 0; ;

101 पुराने अकार्यरत नलकूपों (10100 हे.) की सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001-02 में 4.40 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की गई जिसमें से 77 नलकूपों के पुनरुद्धार का कार्य दिसंबर 2001 से फरवरी 2002 के बीच शुरू किया गया। यद्यपि 2.15 करोड़ रुपये के व्यय से केवल 37 नलकूपों का पुनरुद्धार किया जा सका। ये नलकूप पानी संचार हेतु वितरण प्रणाली का कार्य अपूर्ण रहने के कारण अकार्यरत रहे (अगस्त 2007)।

नमूना जाँचित प्रमंडलों (आरा, बिहारशरीफ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर) में पुनरुद्धार हेतु 16 नलकूप लिए गए जो मार्च 2003 तक वितरण प्रणाली का निर्माण नहीं करने (14) एवं नलकूपों को उर्जित नहीं करने (2) के कारण 66.29 लाख रुपये<sup>4</sup> के व्यय के बावजूद अकार्यरत रहे।

### 3-1-8 *ifj; kst uk fØ; kll; u %Qst & III½*

#### 3-1-8-1 *vi wkl uydii ka ij fu"Qy 0; ;*

vi wkl uydii ka ij  
2-33 djkm+ #i ; s dk  
fu"Qy 0; ;

0.28 लाख हे. (80 हे. प्रति नलकूप) सिंचाई क्षमता के सृजन के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 के दौरान 59.06 करोड़ रुपये की आकलित लागत पर 351 नए नलकूपों की स्थापना को प्रस्तावित किया गया जिसपर 50.66 करोड़ रुपये व्यय हुए। मार्च 2003 तक 48.33 करोड़ रुपये के व्यय पर केवल 303 नलकूपों (0.24 लाख हे.) का कार्य पूरा हो सका। विभाग द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शेष 48 नलकूप के कार्य पूरे नहीं हो सके। यद्यपि 2.33 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

1-12 djkm+ #i ; s dk  
fu"Qy 0; ;

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रतिरोधक जाँच का प्रावधान नहीं किया गया था जो अवस्थित उप स्तर की प्रकृति का अध्ययन कर नीचे की सतह में जलस्तर की संभाव्यता का पता लगाने के लिए आवश्यक था। पाँच नमूना जाँचित प्रमंडलों में 177 नलकूपों में से 18 नलकूप बिना प्रतिरोधक जाँच किए स्थल चयन के कारण छिद्रण के दौरान विफल हो गए। परिणामस्वरूप सामग्रियों की अधिप्राप्ति एवं छिद्रण में किए गए 1.12 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा।

#### 3-1-8-2 *fl pkbz {kerk dk ll; uu mi ; ksx*

fl pkbz {kerk dk  
doy 2 çfr'kr dk  
mi ; ksx

नमूना जाँचित जिलों में 2002-07 के दौरान उपभोक्ता संघों को सौंप दी गई 83 नलकूपों की 73200 हे. की सिंचाई क्षमता के विरुद्ध सिर्फ 1496 हे. (दो प्रतिशत) की सिंचाई हो सकी। सिंचाई क्षमता का न्यून उपयोग के मुख्य कारण डी जी सेट (5) द्वारा अधिक डीजल खपत, डी जी सेट को चालु करने हेतु बैट्रियों के कालातीत होना (54)

<sup>4</sup> आरा (4.27 लाख रुपये), बिहारशरीफ (10.38 लाख रुपये), मोतीहारी (51.34 लाख रुपये) एवं मुजफ्फरपुर (0.30 लाख रुपये)।

एवं एक ही बार कम से कम दो वितरणी से जल की निकासी नहीं करना परिणामस्वरूप वितरण नली<sup>5</sup> का क्षतिग्रस्त होना था।

### 3-1-8-3 uydii ka dk mtkflor ugha gkuk

212 uydii mtkflor  
ughagks l ds , oa fo-  
jk- fo- ckMZ ds ikl  
2-85 djkm+ #i ; si M\$  
jgs

मार्च 1999 में 4.41 करोड़ रुपये की लागत पर 316 नलकूपों को उर्जान्वित करने का कार्य बि. रा. वि. बो. को सौंपा गया। मार्च 2007 तक 1.56 करोड़ रुपये के व्यय पर केवल 104 नलकूपों को उर्जान्वित किया जा सका एवं इस प्रकार 2.85 करोड़ रुपये वि. रा. वि. बो. के पास बिना उपयोग के अग्रिम के रूप में पड़े रहे। उर्जान्वित नहीं होने का मुख्य कारण वि. रा. वि. बोर्ड का उदासीन रहना एवं विभाग के द्वारा प्रयास में कमी थी। सचिव, लघु सिंचाई विभाग ने बताया कि उर्जान्वयन का कार्य मार्च 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा।

### 3-1-9 uydii ifj; kstuk dk dk; kll; u %Qst & VIII%

#### 3-1-9-1 nks'ki wkz ; kstuk

fo- ifj- çfr- r\$ kj  
djrsle; ijkus  
vuikoka dks /; ku ea  
ughaj [kk x; k

किसानों की सिंचाई सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रा. आ. वि. नि. फेज-VIII को क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि प प्र) तैयार किया गया (जुलाई 2002)। कमान क्षेत्र में सम फसल प्रणाली का अभाव एवं दो भूमिगत वितरण प्रणाली से एक ही समय में पानी की माँग नहीं होने जैसी कुछ खामियाँ थी जिसे फेज-VIII के वि. परि. प्रति. तैयार करते समय इन खामियों को ध्यान में नहीं रखा गया। परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता का केवल 2 प्रतिशत का ही उपयोग किया जा सका। विभाग को खुला एवं भूमिगत वितरण प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए था क्योंकि फेज-III के तहत भूमिगत प्रणाली लाभ देने में विफल रही।

ykll&ykxr vuq kr  
ekud l s ulps Fkk

सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग के आधार पर लाभ लागत (बी. सी. अनुपात (6.5) निकाल कर योजना के आर्थिक संभाव्यता का आकलन किया गया जो विभाग द्वारा तय मानक 1.5 से अधिक था। विभाग ने योजना संपन्न होने के उपरांत फेज-VIII के तहत स्थापित नलकूपों एवं पुराने नलकूपों के वास्तविक उपयोग के आधार पर लाभ-लागत अनुपात की गणना नहीं किया। फेज-VIII के नलकूपों के प्रदर्शन के आधार पर लेखा परीक्षा द्वारा कलित लाभ : लागत अनुपात 0.50 प्राप्त हुआ जो विभाग द्वारा तय मानक 1.5 से काफी कम था। इस प्रकार लाभ लागत के मद्देनजर योजना आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं थी। वर्ष 2002-07 के दौरान विभाग ने योजना के प्रदर्शन का आकलन करने हेतु लाभ-लागत के मद्देनजर योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया।

l o'k.k ugha fd; k  
x; k

10 नमूना जाँचित प्रमंडलों को समुचित स्थल के चयन हेतु सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई गई (मार्च 2003) 44.10 लाख रुपये अनाधिकृत रूप से आकस्मिक व्यय जैसे छाया प्रति, टेन्ट एवं कुर्सी के किराए इत्यादि मद में विचलित (34.80 लाख रुपये) कर दिए गए।

<sup>5</sup> भूमिगत वितरण प्रणाली की नालियों के तीन निकास थे। अधिक दबाव के कारण नाली के फटने से बचाने हेतु यह आवश्यक था कि एक ही साथ कम से कम दो निकासियों से जल प्रवाहित किया जाये।

### 3-1-9-2 uydii ka ds çfrLBki u ea foyæ

1740 नलकूपों की स्थापना के लिए 91.87 करोड़ रुपये के आकलित लागत पर परियोजना संयोजक द्वारा वि. परि. प्रति. की स्वीकृति (जुलाई 2002) प्रदान की गई जिसे मार्च 2005 तक पूरा कर लिया जाना था। तथापि विभाग द्वारा मार्च 2003 में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई जिसके कारण परियोजना शुरू होने में विलंब हुआ। कार्यान्वयन (2003-04) हेतु ली गई 1593 नलकूपों में से 1500 नलकूप 77.60 करोड़ रुपये के व्यय पर मार्च 2007 तक प्रतिष्ठापित किए जा सके एवं छिद्रण के दौरान 65 नलकूप बेकार हो गए।

नमूना जाँचित प्रमंडलों में वर्ष 2002-03 में कुल 906 स्वीकृत नलकूपों में से कार्यान्वयन हेतु 880 नलकूप लिए गए जिनमें से अगस्त 2007 तक 796 चालू किए जा सके और 84 अपूर्ण रहे। दो प्रमंडलों में पाँच नलकूप (आरा : एक तथा बिहारशरीफ : चार) विफल रहे जिस पर 13.39 लाख रुपये<sup>6</sup> का व्यय हुआ।

### 3-1-9-3 vko' ; drk l s vf/kd l kexh dk Ø;

1-24 dj kM+ #i ; s dh  
vf/kd l kefxz; ka dh  
çkflr

सरकार ने 1694 डीजल जेनेरेटिंग सेट (डी.जी.) एवं 1704 मोटरपंप खरीदने का निर्णय (मार्च 2002) कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में लिया। बाद में 1694 नलकूपों में से कार्यान्वयन हेतु केवल 1593 नलकूपों को ही लिया गया। परिणामस्वरूप 85.65 लाख रुपये मूल्य का 101 डी जी सेट एवं 38.36 लाख रुपये का 111 सबमर्सिबल पंप आवश्यकता से अधिक क्रय कर लिया गया। यद्यपि परियोजना समन्वयक ने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया (नवम्बर 2003) कि अपने आवश्यकता से अधिक सामग्रियों को प्राप्त न करें किन्तु मुख्य अभियंता (उत्तर एवं दक्षिण) द्वारा निर्गत क्रय आदेश को तत्काल आवश्यकता के अनुरूप संशोधित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रसंगवश, परियोजना समन्वयक, मुख्य अभियंता (उत्तर) के रूप में भी कार्यरत थे। इस प्रकार बि. लो. नि. वि. संहिता के नियम 257 की अवहेलना करते हुए 1.24 करोड़ रुपये मूल्य के सामग्रियों का आवश्यकता से अधिक क्रय कर लिया गया क्योंकि आवश्यकता से अधिक सामग्रियों के अग्रिम क्रय से सरकार को सीधा एवं परोक्ष दोनों हानि होती है।

### 3-1-9-4 vl ær xkjâ/h mi çdk

vl ær mi çdk ds  
dkj.k 202 Mh th  
l s/ xkjâ/h ds varxâr  
ugha Fks

मुख्य अभियंता (दक्षिण) द्वारा निर्गत क्रयादेश में दर्ज निष्पादन गारंटी उपबंध के तहत उत्पादन एवं कार्यजनित दोषों के लिए नलकूपों के कमीशनिंग की तिथि से 12 महीने तक की व्यवस्था थी जबकि मुख्य अभियंता (उत्तर) के द्वारा जारी क्रय आदेश के तहत सामग्री प्राप्त करने की तिथि से 12 महीने की गारंटी थी। परिणामस्वरूप मार्च 2005 तक उत्तरी बिहार में प्राप्त किए गए 916 डी जी सेटों में से मार्च 2006 तक सिर्फ 714 सेट की कमिसनिंग की जा सकी एवं इस प्रकार 202 सेट क्रयादेश में असंगत गारंटी उपबंध के कारण गारंटी के लाभ से वंचित रहे। नलकूपों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान 59 नलकूप, 8 डी जी सेट एवं एक मोटर पंप खराब पाए गए क्योंकि ये गारंटी उपबंध के तहत शामिल नहीं थे। आरा एवं मुंगेर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बार-बार आग्रह करने के बाद भी कंपनी ने न तो दोषपूर्ण डी जी सेटों को बदला और न ही उनके दोषों को दूर किया।

<sup>6</sup> आरा : 4.62 लाख रुपये एवं बिहारशरीफ : 8.77 लाख रुपये।



फर्म द्वारा आपूरित सभी सामग्रियों के लिए विक्रय बाद सेवा उपलब्ध कराने संबंधी एकरारनामा कार्यान्वित नहीं कराया गया यद्यपि विभाग ने तत्संबंधी निर्णय लिया था। कार्यपालक अभियंताओं एवं उपभोक्ता समिति के सदस्यों ने बतलाया कि अतुल जेनरेटर एवं इंडिया कास्टिंग लिमिटेड के द्वारा आपूरित डी जी सेट एक से दो घंटे चलने के बाद अत्याधिक गर्म हो जाने के कारण बंद हो जाते थे। इसके अलावा 2.5 लीटर प्रति घंटा डीजल खपत के मानक के विरुद्ध 3 से 4 लीटर डीजल की खपत प्रति घंटे थी। विक्रय बाद सेवा अनुबंध के अभाव में इन दोषों को दूर नहीं किया जा सका।

### 3-1-9-5 / e; foLrkj dlh vfu; fer Lohdfr

vufpr l e; foLrkj  
ds dkj .k i fj; kstuk  
ds dk; k/lo; u ea njh

10 नमूना जाँचित जिलों में 20.31 करोड़ रुपये (छिद्रण एवं विकास : 827 नलकूपों के लिए 12.02 करोड़ रुपये ; असैनिक कार्य : 809 नलकूपों के लिए 8.29 करोड़ रुपये) मूल्य के 90 अनुबंधों (छिद्रण : 27, असैनिक कार्य : 63) की छानबीन से यह खुलासा हुआ कि संवेदकों द्वारा बिना किसी वैध कारण के समय विस्तार के लिए अभ्यावेदन संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को कार्य समाप्त करने की निर्धारित अवधि से चार महीने से दो वर्ष के विलंब से दिया गया।

इसके अतिरिक्त, जाँच से ज्ञात हुआ कि नमूना जाँचित चार प्रमंडलों में 2.59 करोड़ रुपये मूल्य के असैनिक कार्य के 14 अनुबंध (आरा : 7, मधेपुरा : 1, भागलपुर : 4 एवं मुंगेर : 2), जिसमें 221 नलकूप शामिल थे, को जून 2003 से दिसंबर 2004 तक पूरा करना था लेकिन मुख्य अभियंता द्वारा अनियमित रूप से मार्च 2007 तक अवधि विस्तार देने के बावजूद अगस्त 2007 तक 149 नलकूपों का कार्य अधूरा था।

2-03 djkm+ #i ; s dk  
foyc nM ugha  
yxk; k x; k

अनुबंध के उपबंध-2 की शर्तों के अनुसार अनुबंधित राशि का 0.5 प्रतिशत की दर से प्रति दिन के विलंब पर विलंब दंड लगना चाहिए जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत है किन्तु सभी नमूना जाँचित 90 मामलों में 2.03 करोड़ रुपये का विलंब दंड नहीं लगाया गया। इसके कारण संवेदक द्वारा निर्धारित समय पर काम पूरा करने में अभिरूचि नहीं दिखाई गई।

विभाग ने बताया कि नाबार्ड के कार्य के लिए मार्च 2008 तक अवधि विस्तार दिए जाने के कारण इसके लिए भी अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई ताकि लागत में वृद्धि नहीं हो। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अनुबंध के उपबंध 2 की अवहेलना थी।

### 3-1-9-6 vfØ; k'khy mi Hkksäk l fefr; kj

mi Hkksäk l fefr; kj l s  
i wZ vk'okl u çktr  
ugha fd; k x; k

विभागीय निर्देशों (अगस्त 2002) के अनुसार कमान क्षेत्र के कम से कम 51 किसानों की सदस्यता के साथ उपभोक्ता समितियों का गठन किया जाना था। समिति एवं विभाग के बीच सहमति दस्तावेज पर हस्ताक्षर के उपरांत ही नलकूपों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी समितियों को देनी थी। इन समितियों को सिंचाई एवं विभाग द्वारा निर्धारित सिंचाई एवं जल शुल्क के लेखाकरण हेतु एक पंजी का संधारण करना था। प्राप्त जल शुल्क का 90 प्रतिशत राशि का उपयोग नलकूपों के संचालन एवं रखरखाव पर करना था एवं शेष 10 प्रतिशत राशि सरकारी खजाने में जमा करना था। फेज-III एवं VIII के तहत स्थापित होने वाले नलकूपों पर उपभोक्ता समितियों/पंचायतों से पूर्व आश्वासन प्राप्त कर लेने के बाद कार्य प्रारंभ करना था जैसा कि नमूना जाँचित प्रमंडलों द्वारा नहीं किया गया।

395 uydi mi Hkksäk  
l fefr; ka dks ugha  
g/Lrkrfjr fd; k x; k

नमूना जाँचित 10 प्रमंडलों में यह पाया गया कि कुल 973 प्रतिष्ठापित नलकूपों (फेज III : 177 , फेज VIII : 796) में से केवल 578 (59 प्रतिशत) (फेज III : 103 , फेज

VIII : 475), जिनकी लागत 69.02 करोड़ रुपये थी, को ही उपभोक्ता समितियों को स्थानांतरित की जा सकी। शेष 395 नलकूप प्रमंडलों के पास ही रहे। कोई भी उपभोक्ता समिति निबंधित नहीं थी। माँग एवं प्राप्ति से संबंधित किसी सिंचाई लेखा का न तो संधारण किया गया और न ही किसी के द्वारा बैंक खाता खोला गया। केवल चार नमूना जाँचित प्रमंडलों<sup>7</sup> द्वारा 377 समितियों के निबंधन का प्रस्ताव जिला अधिकारियों को सौंपी गई किन्तु जुलाई 2007 तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2007) एवं बताया कि उपभोक्ता समितियों को सक्रिय करने के लिए प्रयास किए जाएंगे एवं इनसे 10 प्रतिशत जलशुल्क की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

### 3-1-9-71 ftr fl pkbz {kerk dk ux.; mi; ksx

l ftr fl pkbz {kerk  
ds dny 6 cfr'kr  
dk mi; ksx

नमूना जाँचित जिलों में कार्यान्वयन हेतु लिए गए 880 नलकूपों में से मार्च 2007 तक सिर्फ 796 नलकूप प्रतिष्ठापित किए जा सके एवं 2004-07 के दौरान सृजित 31840 हे. सिंचाई क्षमता के विरुद्ध केवल 1930 हे. (छ: प्रतिशत) की सिंचाई हो सकी। जैसा कि नमूना जाँचित सभी जिलों के कार्यपालक अभियंताओं ने स्वीकार किया था कि नगण्य उपयोग का मुख्य कारण डीजल की अधिक खपत (प्रति घंटे तीन से चार लीटर), एक ही समय में कम से कम दो वितरणी से पानी की माँग नहीं होना जिसके कारण पाइप टूट जाना एवं वितरणी का क्षतिग्रस्त रहना था।

### 3-1-10 l a pñ Hkkfrd fujh{k.k dk cfrQy

नौ नमूना जाँचित प्रमंडलों<sup>8</sup> में पुराने एवं फेज—III तथा VIII के तहत स्थापित नए नलकूपों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण लेखापरीक्षा एवं नलकूपों के प्रभारी कनीय अभियंताओं के साथ किया गया। निरीक्षण से निम्न तथ्य प्रकाश में आए :

9-48 yk[k #i;s  
ykr ij ?kfV; k  
ejEerh dk; l

- निरीक्षित 21 पुराने नलकूपों में से 19 कार्यरत पाए गए किन्तु सिंचाई क्षमता का बहुत कम उपयोग पाया गया तथा आठ नलकूपों की वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त थी। दो नमूना जाँचित (मधेपुरा एवं आरा) प्रमंडलों में 9.48 लाख रुपये की लागत पर वितरण चैनल की मरम्मती का कार्य घटिया स्तर के पाए गए जिसे कार्य कराने वाले प्रभारी कनीय अभियंताओं द्वारा स्वीकार किया गया।
- निरीक्षित 59 (फेज—VIII) एवं 20 (फेज—III) नलकूपों में से केवल 21 (फेज—VIII) एवं 4 (फेज—III) कार्यरत पाए गए।
- फेज—III एवं VIII के तहत क्रमशः 16 एवं 38 अकार्यरत नलकूपों में से नौ नलकूप अल्टरनेटर, डाइनेमो की चोरी हो जाने के कारण अकार्यरत थे एवं सीतामढ़ी के एक नलकूप के डी जी सेट का इस्तेमाल मुखिया द्वारा अपने आवास पर किया जा रहा था। 12 मामलों में चोरी की घटना नलकूपों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आई। यद्यपि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया था किन्तु लेखापरीक्षा के दौरान इसका कोई परिणाम नहीं निकला था।

<sup>7</sup> मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, आरा एवं बिहारशरीफ

<sup>8</sup> आरा, बिहारशरीफ, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गया, मधेपुरा एवं दरभंगा

- भूमिगत वितरण पाइप के साढ़े तीन फीट की गहराई में रहने के मानक के विरुद्ध इन्हें दो से तीन फीट पर गाड़ने के कारण फेज-VIII के तहत लगभग सभी नलकूपों के भूमिगत वितरण पाइप या तो क्षतिग्रस्त थे या उनमें छेद हो गया था। कम गहराई के कारण जमीन की जुताई के दौरान पी भी सी पाइप क्षतिग्रस्त हो गए।
- सभी किसान, उपभोक्ता समिति के सचिवों एवं मुखियों ने खुले वितरण चैनल के पक्ष में दलील दी।
- लाभान्वितों से संबंधित अभिलेखों के संधारण नहीं किए जाने के कारण लघु एवं सीमांत किसानों को लक्षित लाभ का आकलन नहीं किया जा सका, जैसा कि वि. प्र. प्रतिवेदन में परिकल्पित किया गया था।

### 3-1-11 ekuo l d kku i xdku

नमूना जाँचित प्रमंडलों में स्वीकृत बल एवं उसके विरुद्ध उपलब्ध बल निम्न प्रकार से थे :

i n dk uke	Lohdr cy	mi yk/k cy
सहायक अभियंता	41	28
कनीय अभियंता	84	59
मैकेनिक	38	12
फिटर	46	28
बिजली मिस्त्री	46	30
आदेशपाल	160	159
नलकूप चालक	1,836	1,373

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि नलकूप चालकों के कुल 1836 स्वीकृत बल के विरुद्ध उपलब्धता 1373 थी जबकि कार्यरत नलकूपों की संख्या सिर्फ 736 थी। इसप्रकार 637 नलकूप चालक मार्च 2007 तक अकार्यरत नलकूपों पर बिना कार्य के ही पदस्थापित थे।

#### 3-1-11-1 dk; ghu dfez ka i j 0; FkZ 0; ;

dk; ghu dfez ka i j  
96 yk[k #i ; s dk  
0; FkZ 0; ;

नए नलकूपों के छिद्रण एवं विकास तथा पुराने नलकूपों के पुनर्स्थापन के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर प्रमंडल के तहत अगस्त 1992 में एक छिद्रण अनुमंडल की स्थापना की गई। वर्ष 2002-07 के बीच एक भी नलकूप का छिद्रण नहीं हुआ। मुख्य अभियंता (उत्तर) के द्वारा रीग मशीन, ट्रक एवं वेल्डिंग उपकरण हाजीपुर प्रमंडल को स्थानांतरित कर दिया गया।

इस प्रकार वर्ष 2002-07 के दौरान 33 तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मियों के वेतन एवं भत्ते के रूप में 96 लाख रुपये का व्यर्थ भुगतान किया गया। इन कर्मियों की सेवा

का लाभप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना संयोजक द्वारा इन कर्मियों को पटना स्थित एकमात्र छिद्रण प्रमंडल में स्थानांतरित करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

### 3-1-12 *vuqJo.k , oa eW; kacu*

[kjc vuqJo.k , oa  
dkbz eW; kacu ugha  
fd; k x; k

परियोजना के कार्यान्वयन के समन्वय एवं सचिव को प्रतिवेदित करने के लिए परियोजना समन्वयक जिम्मेवार थे। परियोजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण की जिम्मेवारी अधीक्षण अभियंता के अधीन गठित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग की थी। सिंचाई सेवा की मात्रा एवं गुणवत्ता से संबंधित परियोजना की योजना, कार्यान्वयन एवं निष्पादन के आँकड़ों को संग्रहित एवं विश्लेषित करने के लिए वे जिम्मेवार थे।

प्रमंडलों के द्वारा समर्पित मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अवयववार किए गए कार्य एवं उसके विरुद्ध किए गए व्यय का ब्यौरा नहीं था तथा योजनाओं के निष्पादन के आकलन हेतु कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। वास्तविक आवश्यकता के संदर्भ में अधिक मात्रा में क्रय किए गए नलकूप सामग्री एवं उनके अपर्याप्त उपयोग की समीक्षा कभी भी नहीं की गई। जल शुल्क की माँग को बढ़ाने, जल शुल्क की वसूली एवं प्रति नलकूप सिंचाई सेवा की लागत का न तो कभी विश्लेषण किया गया और न ही कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए।

### 3-1-13 *iWz ds ys[kki jh{kk cfronu ij dh xbz dkj.bkbz*

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की कंडिका 4.1 को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति को संदर्भित कर दिया गया। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई बजट प्रावधान, व्यय, परियोजना कार्यान्वयन सामग्री प्रबंधन इत्यादि जैसी खामियाँ 2002-07 के दौरान भी पाई गईं जिनका विवरण **i f j f ' k " V & XXVII** में दिया गया है।

### 3-1-14 *fu"d"kl*

कार्य व्यय की तुलना में स्थापना व्यय मानक से काफी अधिक था। योजना अपर्याप्त थी तथा नई परियोजना के वि. परि. प्रति. को तैयार करते समय पूर्व के अनुभवों से सीख नहीं ली गई। बिना योजना के अधिप्राप्ति के कारण अधिक डी जी सेटों एवं सवमर्सिबुल मोटर पंप का क्रय किया गया। अनियमित अवधि विस्तार देने से परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ। सांस्थिक वितरण तंत्र कमजोर था क्योंकि 59 प्रतिशत नलकूपों के लिए उपभोक्ता समितियों का गठन किया गया जिसपर नलकूपों को चलाने की जिम्मेदारी थी। गठित उपभोक्ता समितियों द्वारा सिंचाई एवं जलशुल्क का कोई लेखा संधारित नहीं किया गया। लक्षित सिंचाई का केवल छः प्रतिशत उपयोग किया जा सका एवं इस प्रकार किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह विफल रहा। अनुश्रवण कोषांग परियोजना के आरूपण, क्रय एवं लेखांकन प्रक्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने में विफल रहा।

### *vuqkd k*

- विफल नलकूपों पर किए गए व्यर्थ व्यय से बचने के लिए परियोजना प्रारंभ करने के पूर्व स्थल चयन के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा प्रतिरोधक जाँच अवश्य करनी चाहिए।

- स्थापित नलकूपों की सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग का प्रयास किया जाना चाहिए।
- पुराने नलकूपों के पुनर्वास कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
- परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करनी चाहिए।

उपर्युक्त तथ्यों को राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2007) ; उनका उत्तर प्राप्त हो गया है (अक्टूबर 2007) जिसे उपयुक्त जगहों पर शामिल कर लिया गया है।

I ekt dY; k.k foHkkx

3-2 I efdR cky fodkl I 0k, j ¼vkbZ I h Mh , I ½ ifj ; kstuk

ef; ; kd"KZ k

I efdR cky fodkl I 0k, j ¼vkbZ I h Mh , I ½ ifj ; kstuk] , d dšlnh; ; kstuk dk mıs'; N% o"KZ dh mez rd ds cPpk dks LokLF; I 0k, j i k'sk. k , oa f'k{kk mi yC/k djkus ds I kFk&I kFk I efpr i k'sk. k , oa LokLF; f'k{kk ds ek/; e I s ekrkvka dh {kerk dk fodkl djuk Fkka ; kstuk dk vHkko] ij d i k'sk. k dk; De dk [kjkc f0; kko; u] vqxuckMh dšlnka ea I j pukRed vHkko] LokLF; tkp , oa jQjy I 0k, j mi yC/k djkus ea foQyrk tš h vusdka =fV; ka I s jkT; ea ; kstuk dk f0; kko; u xfl r Fkka

ctV 0ko/kku , oa dk; Z khy vqxuckMh dšlnka dh I a[; k ds chp dkbZ rkyesy ugha Fkka foHkkx ea ctV dh r\$ kjh okLrfod ugha Fkka

%dflMdk 3-2-7-1½

Hkkjr I jdkj us 82]833 vqxuckMh dšlnka dh vko' ; drk ds fo: ) 80302 dšlnka ds fy, Lohdfr fn; k yfdu tşkbZ 2007 rd d0y 60]153 dšlnz gh dk; Z khy cuk; k x; kA ueuk tkfpr ifj; kstukvka ea 97 ifr'kr vqxuckMh dšlnz fcuk 'kkşky; , oa i s ty I fo/kk ds Fks rFkk 43 0fr'kr >ksi Mh ea py jgs Fkka

%dflMdk 3-2-8-1 , oa 3-2-8-2½

ueuk tkfpr cky fodkl ifj; kstuk inkf/kdkfj; ka ea 2-82 djkm+ #i ; s ds fdjk, dk Hkşrku I h/ks edku ekfyd dks ugha djs ; k rks I fodkvka ds cšd [kkrs ea LFkkukarfjr dj ds ; k Dydz dks vfxæ ds : i ea n0dj fd; k x; kA

%dflMdk 3-2-8-3½

rjg ueuk tkfpr ftyka ea ftykf/kdkfj; ka ds ikl 8-29 djkm+ #i ; s ds 0ko/kku ¼vchy&tiu 2005½ ds cktin 620 vqxuckMh dšlnka ds y{; ds fo: ) vxLr 2007 rd d0y , d dšlnz dk fuekZ k fd; k tk I dka

%dflMdk 3-2-8-4½

fd I h Hkh vqxuckMh dšlnz us 2002&07 ds nkş ku 225 fnu I s vf/kd i k'sk. k I gk; rk mi yC/k ugha dj; k tcf d vko' ; drk 300 fnuka dh Fkka ?kj ys tkus okys jk'ku ds forj .k dk dkbZ I cir ugha Fkka ykHkkfFkZ; ka dks mi yC/k djkbZ xbZ U; w/hcdMh voekud Lrj dh Fkka

%dflMdk 3-2-9-2 , oa 3-2-9-4½

0frj {k.k} LokLF; dkM] jQjy I 0k] tlei wZ , oa tleksi jkar I 0k] of) pkVZ bR; kfn I s I 0f/kr vfHkys[k dk I a'kkj.k vqxuckMh dšlnz Lrj ij ugha fd; k x; k Fkka vkbZ I h Mh , I ekud ds vuq kj vqxuckMh dšlnka dks vkşkf/k cşx , oa fo | ky; & i wZ f'k{kk cşx mi yC/k ugha dj; k x; kA

%dflMdk 3-2-10 I s 3-2-14½

dk; Øe ds vuϱo.k ds fy, xfbR l fefr vfØ; k'khy Fkh rFkk cBd dh  
dk; bkgh , oa fy, x, fu.kz; mi yC/k ugha FkA vuϱo.k djhc&djhc ux.;  
Fkk rFkk l a ϱ fujh{k.k ds nkjku 73 ϱfr'kr vkxucKMh dlnz can ik,  
x, A

1/dfMdk 3-2-17 , oa 3-2-17-1½

### 3-2-1 ϱLrkouk

समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) परियोजना एक केन्द्र संपोषित योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों में मृत्युदर, रुग्णता, कुपोषण एवं विद्यालय से बाहर रहने की संख्या को कम करना ; बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति एवं पोषण में सुधार करना तथा समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता का विकास करना था ताकि वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकताओं का ध्यान रख सकें। पूरक पोषण कार्यक्रम, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवा तथा माताओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा विद्यालय पूर्व शिक्षा इस योजना के घटक थे। इस योजना के लाभार्थी मुख्यतः कृषि मजदूरों, सीमांत किसानों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के छः वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली माताएँ तथा 11 से 18 वर्ष के बीच की किशोरियाँ थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (अप्रैल 2004) आँगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा इस योजना के तहत बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं को वर्ष में 300 दिन पोषाहार की आपूर्ति की जानी थी।

### 3-2-2 l xBukRed l jpuK

राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए निदेशक, आई सी डी एस की सहायता से सचिव, समाज कल्याण विभाग जिम्मेवार थे। प्रमंडल स्तर पर योजना का अनुश्रवण उप निदेशक को करना था। जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डी. पी. ओ.) / जिला कल्याण पदाधिकारी (डी डब्ल्यू ओ) थे तथा प्रखंड स्तर पर महिला पर्यवेक्षिका की मदद से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी डी पी ओ) द्वारा आई सी डी एस परियोजना का पर्यवेक्षण किया जाता था। आई सी डी एस सेवाएँ आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं के द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती थी।

### 3-2-3 ysfkki jh{k dk mÍs';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि :

- कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु समुचित योजना बनाई गई थी ;
- संसाधन, आवंटन एवं उनका उपयोग सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में निदेशित था ;
- सक्षम एवं अच्छी सेवाओं हेतु अपेक्षित अंतः संरचना निर्मित की गई ;
- योजना के पैकेज का क्रियान्वयन सक्षमतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से किया गया ;

- कर्मियों की तैनाती एवं कुशलता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना की आवश्यकतानुसार था तथा
- कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रणाली अस्तित्वमान एवं प्रभावकारी थी।

### 3-2-4 *यसूक्की जहक्क ekud*

आई सी डी एस परियोजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर किया गया :

- लाभार्थियों के चयन, आँगनबाड़ी केन्द्रों का उद्घाटन, पूरक पोषण कार्यक्रम के मानक एवं विभिन्न तरह की सेवाएँ प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश तथा मार्गदर्शिका ,
- कर्मियों एवं उनकी कुशलता बढ़ाने हेतु निर्धारित मानक ;
- सरकार द्वारा स्थापित अनुश्रवण तंत्र।

### 3-2-5 *यसूक्की जहक्क dk foLrkj , oa dk; Jof/k*

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई सी डी एस) परियोजना को 2002-07 की अवधि से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च-जुलाई 2007 की अवधि में परियोजना निदेशालय, 13 डी पी ओ / डी डब्ल्यू ओ<sup>1</sup> (38 में से), 100 सी डी पी ओ (393 में से) तथा 3000 आँगनबाड़ी केन्द्रों (60,153 में से) के अभिलेखों की नमूना जाँच कर की गई। इसके अतिरिक्त, 104 आँगनबाड़ी केन्द्रों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानक एवं कार्यविधि की जानकारी देने हेतु मई 2007 में निदेशक, आई सी डी एस के साथ प्रविष्टि बैठक की गई। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं पर भी अक्टूबर 2007 में आयोजित बहिर्गमन बैठक में प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं निदेशक, आई सी डी एस के साथ विमर्श किया गया एवं बहिर्गमन बैठक में व्यक्त विभाग के विचारों को समुचित स्थान पर उल्लिखित किया गया है।

### *यसूक्की जहक्क ds fu"d"kl*

### 3-2-6 ; kst uk

चिह्नित लाभार्थियों को आई सी डी एस परियोजना के तहत पूरक पोषण उपलब्ध कराने एवं उसके विभिन्न पैकेज के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आँगनबाड़ी केन्द्रों को समय से कार्यशील करने हेतु जैसे गाँवों एवं टोलों को चिह्नित करने के लिए जहाँ समाज के कमजोर वर्ग के लोग एवं कुपोषित बच्चे निवास करते हो, परियोजना क्षेत्र का मानचित्रण करना था। आँगनबाड़ी सेविकाओं/आँगनबाड़ी सहायिकाओं का मानचित्रण एवं चयन पूरा नहीं हुआ

funs' kky; ds i kl  
; kst uk cukus gsrq  
vk/kkj Hkur vk;dM# ugha  
Fks

<sup>1</sup> आरा, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, गया, कटिहार, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सिवान, सहरसा, समस्तीपुर



(जुलाई 2007) परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा 2002-06 में स्वीकृत 20,149 आंगनबाड़ी केन्द्र अगस्त 2007 तक कार्यशील नहीं किए जा सके। जन्म-भार, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सांस्थानिक प्रसव एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा के उपरांत नियमित विद्यालयों में बच्चों के नामांकन जैसे सांख्यिकीय आँकड़े भी निदेशालय में उपलब्ध नहीं थे। अतः परियोजना की योजना बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत आँकड़े निदेशालय के पास नहीं थे।

### 3-2-7 फुफ/क क्को/कु

पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए 2002-05 के दौरान राज्य सरकार ने निधि उपलब्ध कराई। इस अवधि में में तीन वर्ष से कम के बच्चों के पोषण आवश्यकता को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत भी निधि प्राप्त की गई। 2005-06 से पूरक पोषण पर हुए व्यय को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया गया। प्रशासनिक लागत के साथ-साथ योजना के अन्य घटकों की लागत की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई।

#### 3-2-7-1 क्को/कु] फोए] फुफ/क , ओ० ; ;

2002-07 की अवधि में बजट प्रावधान, भारत सरकार से प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त निधि की तुलना में हुआ व्यय<sup>3</sup> निम्नवत था :

0"kl	Hkkjr l jdkj l s mi yC/k fuf/k*	jkT; }kj k ctV çko/kku	jkT; }kj k foe]ä fuf/k	0; ;	ctV çko/kku ds l ki {k cpr@ vkf/kD;	foe]ä fuf/k ds l ki {k cpr@ vkf/kD;	Lohdr vkxuckM# d]nka dh l a[; k ¼i fj ; kst uk½	dk; Z khy vkxuckM# d]nka dh l a[; k ¼i fj ; kst uk½	ykhkkrFk; ka dh okLrfod l a[; k ¼yk [k e#
2002-03	88.56	74.18	69.52	51.18	23.00 (31)	18.34	60587 (393)	20767 (233)	16.76
2003-04	90.93	218.79	173.92	110.69	108.10 (49)	63.23	60587 (393)	29486 (249)	23.32
2004-05	115.35	202.48	144.15	105.54	96.94 (48)	38.61	60587 (393)	56511 (393)	54.68
2005-06	105.17	184.72	156.83	160.68	24.04 (13)	(-) 3.85	60587 (393)	59687 (393)	59.09
2006-07	189.25	204.10	175.97	161.37	42.73 (21)	14.60	80302 (537)	60153 (393)	59.29
dky		<b>884.27</b>	<b>720.39</b>	<b>589.46</b>	<b>294.81</b> (33)				

स्त्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

\* : पूर्ववर्ती वर्ष के बचे हुए शेष सहित

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 2002-07 की अवधि में बजट प्रावधान में से 294.81 करोड़ रुपये (33 प्रतिशत) की बचत हुई। बजट प्रावधान कार्यशील केन्द्रों के बदले स्वीकृत केन्द्रों के आधार पर किया गया। 2003-04 के दौरान 29,486 कार्यशील केन्द्रों के लिए 218.79 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था जबकि 2006-07 के दौरान 60,153 कार्यशील केन्द्रों के लिए 204.10 करोड़ रुपये का था। यह दर्शाता था कि विभाग द्वारा बनाया गया बजट वास्तविकता से अलग था।

foHkx dk ctV  
fuek k okLrfodr  
ij vk/kkfjr ugha Fk

<sup>2</sup> औषधि बैग, विद्यालय पूर्व शिक्षा बैग।

<sup>3</sup> पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्राप्त निधि को छोड़कर।

2003-04 एवं 2005-06 में व्यय भारत सरकार की उपलब्ध निधि से अधिक था जिसे राज्य सरकार ने वहन किया एवं जिसकी प्रतिपूर्ति परवर्ती वर्षों में की गई।

नमूना जाँचित 100 परियोजनाओं के अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि 2002-07 की अवधि में आवंटित 165.97 करोड़ रुपये की निधि में से 134.56 करोड़ रुपये की निकासी की। इसमें से 2002-07 के दौरान 134.36 करोड़ रुपये व्यय किए गए, 14 लाख रुपये कोषागार में जमा किया गया तथा 6 लाख रुपये असैनिक जमा में रख दिया गया।

### 3-2-7-2 v0; f; r fuf/k dks l jdkjh [kkrs l s ckj j [kuk

140-03 djkm+ #i; s  
eal s 91-76 djkm+  
#i; s 31 ekpl 2007  
rd cid ea j [ks x,  
Fks

बिहार कोषागार संहिता के नियम 300, जो बिना तुरंत आवश्यकता के निधि की निकासी की मनाही करता था तथा जिसके अनुसार अव्यवहृत निधि को कोषागार में जमा कर देना चाहिए, का उल्लंघन करते हुए 140.03 करोड़ रुपये का अंतशेष (मार्च 2007) निदेशालय (मार्च 2003 के 16.06 करोड़ रुपये से बढ़कर 62.38 करोड़ रुपये) तथा नमूना जाँचित सी डी पी ओ (77.65 करोड़ रुपये) के यहाँ पाया गया। अंतशेष के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 91.76 करोड़ रुपये<sup>4</sup> बैंक के बचत खाता में पड़े हुए थे। शेष 48.27 करोड़ रुपये आँगनबाड़ी सेविकाओं (47.49 करोड़ रुपये), परियोजना के अधिकारियों (40 लाख रुपये) को अग्रिम तथा छोटे-छोटे प्रमाणक (38 लाख रुपये) के रूप में थे। चूँकि बैंक में रखी गई निधि सरकार के अंतशेष का भाग नहीं होती है, इसने ब्याज बोझ को बढ़ाया एवं अन्य विभाग/योजनाओं को आवश्यक निधि से वंचित रखा।

### 3-2-7-3 ijd i k'k. k dk; Øe ¼, l , u i h½ ds rgr fuf/k dk çko/kku , oa 0; ;

पूरे राज्य के लिए एस एन पी के तहत किया गया बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नवत था :

o"kl	vko' ; d fuf/k	ctV çko/kku	Hkkjr l jdkj l s çkr fuf/k		dly	jkt; }kjk mi yC/k djkbZ xbZ fuf/k*	0; ;	ctV çko/kku ds l ki \$k cpr
			ç e xk ; ks	50 çfr' kr l gk; rk				
2002-03	192.67	70.09	36.26	--	36.26	68.56	56.96	11.60 (17)
2003-04	241.13	71.05	36.26	--	36.26	68.05	59.65	8.40 (12)
2004-05	338.08	129.99	18.13	--	18.13	128.67	121.91	6.76 (5)
2005-06	377.61	351.02	--	82.61	82.61	311.76	268.19	43.57 (14)
2006-07	479.24	401.23	--	118.29	118.29	320.81	251.33	69.48 (22)
<b>dly</b>	<b>1628.73</b>	<b>1023.38</b>	<b>90.65</b>	<b>200.90</b>	<b>291.55</b>	<b>897.85</b>	<b>758.04</b>	<b>139.81 (16)</b>

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते हैं)

\* : इसमें भारत सरकार से प्राप्त एवं राज्य अंश की निधि शामिल है।

तालिका से स्पष्ट है कि 1628.73 करोड़ रुपये<sup>5</sup> की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 897.95 करोड़ रुपये (55 प्रतिशत) ही उपलब्ध कराया गया जिसमें से केवल 758.04 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया जा सका।

<sup>4</sup> निदेशालय : 62.08 करोड़ रुपये, परियोजना : 29.68 करोड़ रुपये।

<sup>5</sup> स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या x12 महीना x भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति माह पोषाहार की दर के अनुसार कलित (सरकार द्वारा निर्धारित प्रति माह प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र पूरक पोषाहार की दर : अप्रैल 2002 से नवंबर 2003 : 2650 रुपये ; दिसंबर 2003 से मई 2005 : 4650 रुपये एवं जून 2005 से मार्च 2007 : 5302.50 रुपये)

नमूना जाँचित 100 परियोजनाओं में यह देखा गया कि 2002-07 के दौरान पूरक पोषण के लिए उपलब्ध कराई गई 218.92 करोड़ रुपये में से 181.74 करोड़ रुपये व्यय किया गया। 30.25 करोड़ रुपये की निकासी नहीं की गई, 5.65 करोड़ रुपये असैनिक जमा में पड़े हुए थे तथा 1.28 करोड़ रुपये गलत ढंग से राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा किए गए थे।

### 3-2-8 I j p u k R e d I f o / k k , j

#### 3-2-8-1 v k x u c k M # d l n z d h v i ; k l r I q ; k

Lohdr ifj ; kst uk , i @  
vkxuckM# dlnz  
I pkfyr ugha

कार्यक्रम में प्रत्येक 1000 की आबादी के लिए एक आँगनबाड़ी केन्द्र की परिकल्पना की गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 82,833 आँगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध 2004-05 तक केवल 60,587 केन्द्र स्वीकृत थे तथा 2005-06 में भारत सरकार द्वारा 19,715 अतिरिक्त केन्द्रों की स्वीकृति दी गई। हालांकि जुलाई 2007 तक 60,153 केन्द्र कार्यशील थे परिणामस्वरूप 2.27 करोड़ की आबादी इस योजना के दायरे के बाहर रही। 2005-06 में स्वीकृत अतिरिक्त परियोजनाएँ (144) तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों (19,715) को जून-दिसंबर 2006 तक संचालित कर देना था लेकिन आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का चयन नहीं करने के कारण जुलाई 2007 तक कार्यशील नहीं किए जा सके।

#### 3-2-8-2 v k x u c k M # d l n z , o a i f j ; k s t u k d k ; k l y ; k a e a v i ; k l r I f o / k k , j

उच्च कोटि की प्रभावी सेवा को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र क्लासरूम (13' x 22'), दो बरामदा (प्रत्येक 12 x 10'), रसोईघर (6' x 8'), भंडार (5' x 8') एवं शौचालय तथा पेयजल सुविधा के साथ दो प्रांगण वाला (प्रत्येक 25' x 12') तथा जो कम से कम 48' x 27' के आकार वाली भूमि पर बना होना चाहिए था।

नमूना जाँचित 100 परियोजनाओं के तहत 14,298 कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों में केन्द्र भवन, शौचालय एवं पेयजल सुविधा की स्थिति निम्नवत थी :

dk; I khy vkxuckM# dlnz	vkbz I h Mh , I Hkou	futh Hkou			fo   ky; , oa vU; I j d k j h Hkou	[kyh txg	fcuk	
		i Ddk	dPpk	>ki M#			'kkpky;	i s ty I f o / k k
14,298	324 (2)	2,277 (16)	3,003 (21)	6,067 (43)	2,303 (16)	324 (2)	14,041 (98)	13,922 (97)

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते हैं)

सरकारी विद्यालय/सार्वजनिक स्थानों पर आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद केवल 2,303 (16 प्रतिशत) आँगनबाड़ी केन्द्र सरकारी विद्यालयों में कार्यरत थे तथा 11,671 केन्द्र निजी भवनों या खुली जगह पर कार्यरत थे। केवल 2-3 प्रतिशत केन्द्रों में ही शौचालय एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध थी।

vkxuckM# dlnz , oa  
ifj ; kst uk dk ; kly ;  
fcuk I efpr  
I j p u k R e d I f o / k k d s  
dk ; j r Fks

100 परियोजना कार्यालयों में से केवल 21 के पास अपना भवन था जो जीर्ण शीर्ष अवस्था में थे। 79 छोटी जगहों में किराए पर कार्यशील थी जहाँ अधिकतम चार कुर्सियाँ लगाई जा सकती थीं तथा अन्य संरचनात्मक सुविधा का अभाव था। भागलपुर सदर के परियोजना कार्यालय को पुलिस विभाग ने अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखा था।



स्थल चयन में विलंब के चलते केन्द्रों की संख्या को घटाकर 1390 कर देने के कारण भारत सरकार द्वारा 38 लाख रुपये की कटौती (मार्च 2005) कर दी गई। निकासी किए गए 19.63 करोड़ रुपये (2004-05) में से 19.09 करोड़ रुपये जून 2005 तक कार्य पूरा कर देने के निर्देश के साथ 35 जिलाधिकारियों को स्थानांतरित (मार्च 2005) कर दिया गया। 1390 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन, 1430 चापाकल एवं 10 परियोजना कार्यालय भवन के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 61 लाख रुपये व्यय कर केवल 38 केन्द्र (चापाकल सहित) एवं 2 परियोजना कार्यालय को पूरा किया जा सका (अगस्त 2007) तथा 3.01 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद 302 केन्द्र भवन सितंबर 2007 तक अधूरे पड़े हुए थे। 15.47 करोड़ रुपये की राशि बैंक में रखी हुई थी (जुलाई 2007) किन्तु भारत सरकार को 2004-05 के दौरान 19.09 करोड़ रुपये की पूरी राशि को गलत तरीके से व्यय के रूप में प्रतिवेदित कर दिया गया।

, d djkm+ #i ; s ds  
0; ; ds cktin 160  
dshnka dk fuekZk cn  
Fkk

नमूना जाँचित 13 जिलों में जिलाधिकारियों को 620 केन्द्रों के निर्माण एवं उतनी ही संख्या में चापाकल लगाने हेतु 8.29 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया (अप्रैल-जून 2005) जिसके विरुद्ध 1.34 लाख रुपये का व्यय कर केवल एक केन्द्र एवं एक चापाकल पूरा किया जा सका (जुलाई 2007)। एक करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद जून 2005 तक 160 केन्द्र भवन एवं चापाकल (पूरा हुआ कार्य : 50 भवन - 75 प्रतिशत ; 31 भवन - 50 प्रतिशत एवं 79 भवन - 25 प्रतिशत) का कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। स्थल की अनुपलब्धता के कारण 459 केन्द्रों (74 प्रतिशत) में निर्माण कार्य अगस्त 2007 तक शुरू नहीं किया गया था। इससे जिलाधिकारियों द्वारा इस योजना को कम प्राथमिकता देने तथा निदेशालय द्वारा अनुश्रवण के अभाव का पता चलता है।

### 3-2-8-5, I , u ih ds fy, voekud mi Ldj dk Ø;

खिचड़ी (चावल, दाल एवं सब्जी का पकाया हुआ मिश्रण) बनाने हेतु प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र को उपस्कर उपलब्ध कराना था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया (अक्टूबर 2004) कि जहाँ उपस्कर प्रदान नहीं किया गया है वहाँ उपलब्ध कराया जाए।

100 परियोजनाओं के नमूना जाँच से, जहाँ आँगनबाड़ी केन्द्रों को उपस्कर उपलब्ध कराने हेतु 63 सी डी पी ओ को 1.32 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी, निम्नलिखित स्पष्ट हुआ :

95 yk[k #i ; seW;  
ds voekud mi Ldj  
dk Ø;

- 17 सी डी पी ओ ने 36.79 लाख रुपये का उपयोग नहीं किया तथा राशि को बैंक खाते/असैनिक जमा में रख दिया या प्रत्यार्पित कर दिया जबकि उनके पास खाना बनाने हेतु कोई उपस्कर नहीं था।
- 46 परियोजनाओं के आँगनबाड़ी केन्द्रों ने बताया कि संबंधित सी डी पी ओ द्वारा 2005-07 के दौरान 95 लाख रुपये के क्रय किए गए उपस्कर अवमानक कोटि के थे जो तीन माह के भीतर ही बेकार हो गए।

### 3-2-9 ij d i k'k. k dk; Øe ¼, I , u ih½ dk dk; kll; u

पूरक पोषण कार्यक्रम (एस एन पी) का उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार करना था। छः माह से छः वर्ष आयु के बच्चों को 300 कैलोरी एवं 10 ग्राम प्रोटीन तथा उसी श्रेणी के कुपोषित बच्चों के लिए दुगुनी मात्रा प्रदान करनी थी। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 500 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करना था। चावल, दाल एवं सब्जी के मिश्रण या सत्तु के रूप में एक वर्ष में 300 दिन पोषण प्रदान करना था।

### 3-2-9-1 यकहकफकz का दks 'kkfey djus ea fxjkoV

राज्य के प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों का नामांकन भारत सरकार द्वारा निर्धारित 116 लाभार्थियों के मानक से कम था। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र के लिए निर्धारित बच्चों के नामांकन का मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित 116 लाभार्थियों के मानक से काफी कम था। वह नवंबर 2003 तक 60 था जो दिसंबर 2003 में 96 तथा जून 2005 में बढ़कर 99 हो गया। कार्यशील केन्द्रों में 2002-07 के दौरान शामिल लाभार्थी निम्नवत थे :

यकहकफकz का दks 'kkfey djus ea fxjkoV

o"z	fpfar ykhkfkfz; ka dh dgy l a; k	Hkkjr l jdkj ds ekud ds vuq kj dk; Z khy dlnka ea 'kkfey gkus okys ykhkfkfz; ka dh dgy l a; k	okLrfod : i l s 'kkfey ykhkfkfz; ka dh l a; k	Hkkxhnhkj ea fxjkoV %qfr' kr½
2002-03	64.83	24.09	16.76	7.33 (30)
2003-04	82.42	34.20	23.32	10.88 (32)
2004-05	140.18	65.55	54.68	10.87 (17)
2005-06	212.49	69.35	59.09	10.26 (15)
2006-07	213.30	69.78	59.29	10.49 (15)
dgy	<b>713.22</b>	<b>262.98</b>	<b>213.14</b>	<b>49.83 (19)</b>

(स्रोत : चिह्नित एवं वास्तविक लाभार्थियों के आँकड़े विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए)

23-27 yk[k ykhkfkfz;  
ij d i k'k.k dk; Øe  
ea 'kkfey ugha fd,  
x,

कार्यशील केन्द्रों में 2002-07 के दौरान चिह्नित लाभार्थियों के शामिल होने में 15 से 32 प्रतिशत की गिरावट थी। इसके अतिरिक्त 20,149 स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों को अगस्त 2007 तक कार्यशील नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप 23.37 लाख<sup>7</sup> लाभार्थी इसके लाभ से वंचित रहे।

राज्य में बच्चों, गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं इत्यादि की भागीदारी कम थी जो 2002-05 के दौरान आबादी का 26 से 39 प्रतिशत के बीच रही। 2005-07 में किशोरियों<sup>8</sup> की भागीदारी कुल आबादी का केवल तीन से पाँच प्रतिशत थी (ijf'k"V&XXVIII)।

### 3-2-9-2 i k'k.k fnol

लाभार्थियों को पूरक पोषण महीने में 25 दिन एवं वर्ष में 300 दिन प्रदान करना था। नमूना जाँचित परियोजनाओं में प्रमाणिक अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। खर्च की गई निधि के आधार पर नमूना जाँचित परियोजनाओं में पोषण दिवस<sup>9</sup> का हिसाब लगाया गया जो निम्नवत था :

<sup>7</sup> आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या (20149) x भारत सरकार के मानक के अनुसार शामिल होने वाले लाभार्थियों की संख्या (116)

<sup>8</sup> किशोरियों को इस योजना में 2005-06 से शामिल किया गया।

<sup>9</sup> पोषण दिवस की गणना ऐसे की गई : सी डी पी ओ द्वारा महीने में किये गये व्यय में कार्यशील केन्द्रों की संख्या से भाग दिया गया फिर उसमें पूरक पोषण के प्रति दिन दर से गुणा किया गया।

वर्ष	100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या	कुल परिवारों की संख्या	0-100 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या	101-200 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या	201-225 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या
2002-03	7,072	4,36,320	5,890 (83)	182 (17)	--
2003-04	8,440	8,10,240	5,607 (66)	2,833 (34)	--
2004-05	14,462	13,88,352	10,172(70)	4,149 (29)	141 (1)
2005-06	15,331	15,17,769	3,570 (23)	11,008 (72)	753 (5)
2006-07	14,298	14,15,502	2,319 (16)	8,491 (59)	3,488 (25)
औसत आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराया गया पोषण दिवस	11,921	11,13,637	5,512 (46)	5,533(47)	876 (7)

(कोष्ठक के आँकड़े आँगनबाड़ी केन्द्रों का प्रतिशत दर्शाते हैं)

300 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या 225 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या से अधिक है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्र ने 225 दिनों से अधिक तक पूरक पोषण प्रदान नहीं किया जबकि 300 दिन अपेक्षित था। औसतन केवल सात प्रतिशत केन्द्रों ने 225 दिनों तक पूरक पोषण उपलब्ध कराया जिससे लाभार्थियों की पोषण स्थिति को बनाए रखने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष की पुष्टि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस - 3) के रिपोर्ट से भी हुई जिसके अनुसार राज्य में कुपोषित बच्चे का प्रतिशत 1998-99 के 54 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 58 प्रतिशत हो गया।

कुल परिवारों की संख्या में से 100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 10.3 प्रतिशत है।

कुल परिवारों की संख्या में से 100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 10.3 प्रतिशत है। 0-100 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 66.6 प्रतिशत है। 101-200 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 34.1 प्रतिशत है। 201-225 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 1.0 प्रतिशत है।

### 3-2-9-3 [कुल परिवारों की संख्या में से 100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत]

कुल परिवारों की संख्या में से 100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 10.3 प्रतिशत है।

उपभोज्य	कुल परिवारों की संख्या	100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या	0-100 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या	101-200 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या	201-225 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या
चावल	185.50	10	14	132.50	53
दाल	92.75	25	35	66.25	26.50

\* स्रोत : नमूना जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाएँ

कुल परिवारों की संख्या में से 100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 10.3 प्रतिशत है।

कुल परिवारों की संख्या में से 100 दिनों से अधिक दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 10.3 प्रतिशत है। 0-100 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 66.6 प्रतिशत है। 101-200 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 34.1 प्रतिशत है। 201-225 दिनों तक पोषण प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या का प्रतिशत 1.0 प्रतिशत है।

vfrfjä cks/kx; k , oa cMgjk ea nks cdk<sup>10</sup> us i k'sk.k dk; Øe dh fuf/k l s çfrekg l ok 'kq'd dkVdj vFkkzr 5302-50 #i; s ds cnys 5245 #i; s gh [kkrs ea tek fd; kA ykHkkfFkz; ka dks l efr i k'sk.k dh vki vÜkz dks l fuf'pr djus gsrq bl dh ij h tkjp , oa l efr fu; æ.k ræ cukus dh vko'; drk FkhA ç/kku l fpo] l ekt dY; k.k foHkkx us dgk ¼vDVwçj 2007½ fd miHkkDrk ew; l pdkad ekud ds vuq kj Hkkjr ljdkj }jkk l d k'sku vif{kr gA bl ds vfrfjä uewk tkfpr ifj; kstuvka ea dlnka }jkk forfjr fd, x, i k'skkgkj dh xqkoÜkk , oa ek=k dh tkjp fd l h Hkh Lrj ij ugha dh xbA

3-2-9-4 fcgkj U; vfrfjä ¼yepu ½ ifj; kstuk

yepu pñ voekud , oa de ek=k ea ik, x,

jkt; ljdkj us l v(ei k'skh dq k'sk.k dh l eL; k l s futkr gsrq vkixuckMh dlnka ds ek; e l s foVfku ,] foVfku l h] vk; ju] Qkfyd , fl M tñ h cggy l v(e i k'sk.k l s ; çä yepu pñ forfjr djus dk fu.kz; fd; kA

jkt; ljdkj us çfrf"Br vki vÜkz dkkvka@fuekkrvka l s 2006&07 ds nks ku yepu pñ çlkr dj vkbz l h Mh , l ds ifj; kstuk Lrj ij vki vÜkz djus gsrq ekbØkz; v, uv buhl h, fVo bafM; k ¼, e vkbz bafM; k½ ds l kfk l gefr Kki u ij gLrk{kj ¼tuojh 2006½ fd; kA ç; kt eä vfxe ds : i ea 14-15 djkm+ #i; s dk Hkqrku djuk Fkka bl ea l s vxLr 2007 rd , e vkbz bafM; k dks 11-46 djkm+ #i; s<sup>11</sup> dk Hkqrku 68-45 djkm+ yepu pñ dh vki vÜkz ds cnys fd; kA , u , ch , y<sup>12</sup> l s eku; rk çlkr l kr ç; ksx' kkykva<sup>13</sup> ea ys[kkijh{kk , oa funs'kky; }jkk tkjp djok, x, 31 uewka ea l s 25 uewus ¼ifj'k"V XXXX½ voekud ik, x, D; ksd mu yepu pñ ka ea ik, x, l v(ei k'skh dk Lrj l gefr Kki u ea fu/kkfr Lrj l s de Fkka ifj; kstuk inkf/kdkfj; ka , oa ys[kkijh{kk }jkk fd, x, vkb l s dsvka dh l çä tkjp l s yepu pñ ka dh l ç; k ea Hkh deh i kbl xbA vk'p; Ztud : i l } ljdkj }jkk gLrk{kfjr l gefr Kki u ds çko/kku ds vuq kj ifj; kstuk Lrj ij l h Mh ih vks }jkk pkyku gLrk{kj dj ds yepu pñ ka dh çkflr dks gh bl dk iek.k ekuk tk, xk fd ljdkj us ; g Lohdkj dj fy; k gS fd og fu/kkfr ekud ds vuq kj Fkk rFkk ml s vPNh fLFkr ea çlkr dj fy; k x; k gA vr% bl ea ljdkj ds fgr dk /; ku j[kus ds foijhr , e vkbz bafM; k dks vufpr rjQnkjh Fkh D; ksd xqkoÜkk tkjp gsrq l çpuk ds vHkko ea l h Mh ih vks ds ikl xqkoÜkk tkjp dh dkbz 0; oLFkk ugha FkhA ç/kku l fpo] l ekt dY; k.k foHkkx us dgk ¼vDVwçj 2007½ fd ekeys dh tkjp ds fy, , d l fefr dk xBu fd; k x; k gA

<sup>10</sup> मध्य बिहार ग्रामीण बैंक एवं भोजपुर रोहतास केन्द्रीय सहकारी बैंक

<sup>11</sup> पहली किस्त : मार्च 2006 : 3.82 करोड़ रुपये ; दूसरी किस्त : अक्टूबर 2006 : 3.82 करोड़ रुपये तथा तीसरी किस्त : जनवरी 2007 : 3.82 करोड़ रुपये।

<sup>12</sup> नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कौलिब्रेशन लेबोरेटरी

<sup>13</sup> आई टी एल लैब, दिल्ली ; एफ आई सी सी आई, दिल्ली ; ए आर बी आर ओ, दिल्ली ; सी एच ओ के एस वाई, इंदौर ; सी एफ टी आर आई, मैसूर ; श्रीराम लैब, दिल्ली ; एवॉन फुड लैब, दिल्ली।



८; kt eja vfxe ds  
dkj.k 11-86 yk[k  
#i; s ds ८; kt dh  
gkfu

bl ds vfrfjä , e vkbz bfm; k dks 3-82 djkm+ #i; s dh ८; kt eja vfxe  
ekpl 2006 ea fn; k x; k tdfd yeupd dh vki fukz tgykbl 2006 l s 'kq  
gpa ; g , e vkbz bfm; k dks vufr l gk; rk Fkh rFkk bl l s ljdkj dks  
11-86 yk[k #i; s ds ८; kt dh gkfu gpa

### 3-2-10 cfrj{k.k

cfrj{k.k cgh dk  
l fkkj .k ugha

आई सी डी एस मार्गदर्शिका के अनुसार छः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को डिपथेरिया, कुकुरखाँसी, टेटनस, टी बी, पोलियो एवं चेचक से प्रतिरक्षण करना था। सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भ की अवधि में दो बार टेटनस से प्रतिरक्षित करना था। आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक बुधवार को स्वास्थ्य जाँच एवं प्रतिरक्षण हेतु नर्स की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आई सी डी एस कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करना अपेक्षित था।

जाँच से स्पष्ट हुआ कि 2002-07 के दौरान आँगनबाड़ी केन्द्रों में कोई टीकाकरण नहीं किया गया क्योंकि प्रतिरक्षण बही संधारित नहीं थी। यहाँ तक कि सात परियोजनाओं<sup>14</sup> में जहाँ छः चिकित्सक, 36 नर्स एवं तीन महिला स्वास्थ्य प्रदर्शिका पदस्थापित थे, वहाँ प्रतिरक्षण संबंधी कोई अभिलेख नहीं था। अपर्याप्त प्रतिरक्षण की पूर्ति राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 (एन एफ एच एस 3) के रिपोर्ट से भी होती है जिसे अनुसार 2005-06 में 44 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में 33 प्रतिशत बच्चों का प्रतिरक्षण हुआ था।

### 3-2-11 LokLF; tkp , oajQjy l dk, j

ekrkvka dks ८l oi wZ  
, oa ८l oks jkar dkMZ  
fuxr ugha

स्वास्थ्य जाँच में गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं तथा छः वर्ष से कम के बच्चों, खासकर जन्मजात दोष से जन्मे या अति कुपोषित बच्चों की देखभाल शामिल था। प्रसवपूर्व देखभाल के रिकार्ड को प्रसवपूर्व कार्ड में दर्ज करना था। प्रसव के बाद 10 दिनों के भीतर दो बार माताओं के पास जाना था। आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा माताओं को प्रसवपूर्व एवं प्रसवोपरांत कार्ड निर्गत नहीं किया गया था तथा प्रसवोपरांत माताओं के पास सेविकाओं के जाने का रिकार्ड संधारित नहीं था। अतः योजना के स्वास्थ्य जाँच घटक के तहत सेवा अदायगी को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

गर्भवती महिलाओं का प्रसवपूर्व देखभाल में एन एफ एच एस -3 आँकड़ों के अनुसार एक प्रतिशत<sup>15</sup> की मामूली वृद्धि हुई थी। प्रति हजार सजीव जन्म में से औसत शिशु मृत्यु दर 78 (1998-99) से घटकर 62 (2005-06) हो गई थी जो राष्ट्रीय औसत (57) से अधिक थी। चूँकि सांस्थानिक प्रसव को शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्राथमिक कारक समझा जाता है, अतः आई सी डी एस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ सहक्रिया करने की आवश्यकता थी जिससे सांस्थानिक प्रसव (2005-06 में 22 प्रतिशत) को राष्ट्रीय औसत (40.7 प्रतिशत) के समकक्ष लाया जा सके।

LokLF; tkp , oa  
jQjy l dk mi fkr ( )  
jä dh deh okys  
cPpka dh l f; k ea  
of)

अति कुपोषित बच्चों, गंभीर बिमारियों से ग्रसित गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को उपचार के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी) में रेफर करना था। नमूना जाँचित परियोजनाओं में सी डी पी ओ या केन्द्रों ने पी एच सी/ अस्पताल को रेफर किए गए मरीजों से संबंधित कोई अभिलेख

<sup>14</sup> भागलपुर सदर, चरपोखरी, दरभंगा सदर, गया सदर, मनीगाँछी, मुसहरी सदर एवं शेरघाटी।

<sup>15</sup> 1998-99 में 16 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में 17 प्रतिशत

संधारित नहीं किया। आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवा की उपेक्षा की गई जो एन एफ एच एस - 3 के आँकड़ों से भी स्पष्ट था क्योंकि रक्त की कमी वाले बच्चों एवं महिलाओं का प्रतिशत 1998-99 के 78 एवं 62 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में क्रमशः 88 एवं 68 प्रतिशत हो गया था।

### 3-2-12 *funs'kky; }kjk l of) pkVZ dk xyr çfronu*

*funs'kky; }kjk  
fufefr l of) pkVZ  
vk/kkjghu Fkk*

आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा 0-6 वर्ष के बच्चों की वृद्धि पर नजर रखने तथा उन्हें सामान्य, श्रेणी I (कम), श्रेणी II (मध्यम), श्रेणी III एवं IV (गंभीर रूप से कुपोषित) में श्रेणीबद्ध करने हेतु पोषकीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए प्रति माह उनका वजन करना था तथा उच्च अधिकारियों को मासिक प्रतिवेदन भेजना था। 14298 कर्मशील केन्द्रों में से केवल 7,758 केन्द्रों (54 प्रतिशत) को ही शिशु तौल मशीन उपलब्ध कराया गया था। किसी भी नमूना जाँचित केन्द्र या परियोजना में 2002-07 के दौरान संवृद्धि चार्ट को संधारित नहीं किया जा रहा था। अतः निदेशालय के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में संवृद्धि चार्ट से संबंधित आँकड़ों का कोई आधार नहीं था। साथ ही लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए पोषण तथा स्वास्थ्य सहायता के असर का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

### 3-2-13 *vkSkf/k c&*

*vf/kdkk dltæka ds  
i kl vkSkf/k c& ugha  
Fkk*

खाँसी, सर्दी, चर्म संक्रमण इत्यादि जैसी सामान्य बिमारियों के लिए एक औषधि बैग, जिसमें आसानी से प्रयोग करने लायक दवाएँ हो, प्रत्येक केन्द्र को प्रत्येक वर्ष प्रदान करना था।

2001-02 के लिए क्रय किए गए औषधि बैग (29155) की अपूर्ति, आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्रों को 2001-06 के दौरान की गई एवं उसके लिए मार्च 2004 तक 8.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

नमूना जाँचित 100 परियोजनाओं में 2002-07 की अवधि में वितरित किए गए औषधि बैग की स्थिति निम्नवत थी :

<i>fooj .k</i>	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	7,072	8,440	14,462	15,331	14,298
प्रदान किए गए औषधि बैग	5,656 (80)	1,223 (14)	205 (01)	292 (02)	शून्य (--)

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते हैं)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2003-07 के दौरान औषधि बैग प्राप्त करने वाले केन्द्रों की संख्या शून्य से 14 प्रतिशत के बीच थी।

इसके अतिरिक्त 10 नमूना जाँचित परियोजनाओं<sup>16</sup> में 2002-03 की अवधि में 1818 औषधि बैग अकार्यशील केन्द्रों को दिए गए जिससे 10.91 लाख रुपये का व्यर्थ व्यय हुआ।

<sup>16</sup> मोरवा, सोन्हौला, टेकारी, खोदाबंदरपुर, माँझा, कुचईकोट, कटेया, बैकुंठपुर, हथुआ, सरैया।

3-2-14 *i k'sk.k , oa LokLF; f'k{kk dk; Øe rFkk vuk\$pkfjd fo|ky; i nZ f'k{kk*

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम नहीं किया गया क्योंकि निदेशालय द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की गई।

*i nZ fo|ky; c& dh de vki iUK*

आँगनबाड़ी केन्द्रों में अनौपचारिक तरीके से विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना था जिसके लिए प्रत्येक केन्द्र को प्रति वर्ष पूर्व विद्यालय बैग प्रदान करना था। राज्य में 2002-07 के दौरान कार्यशील केन्द्रों के लिए पूर्व विद्यालय बैग की प्राप्ति हेतु 11.33 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विरुद्ध उनकी प्राप्ति के लिए केवल 3.59 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) ही खर्च किए गए।

नमूना जाँचित परियोजनाओं में 2002-07 के दौरान पूर्व विद्यालय बैग की प्रावधान की स्थिति निम्नवत थी :

fooj.k	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	7,072	8,440	14,462	15,331	14,298
प्रदान किए गए पूर्व विद्यालय बैग	7,189 (102)	588 (07)	298 (02)	2,528 (16)	357 (02)

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते हैं)

*25-65 yk[k cPps fo|ky; I s ckgj Fks*

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में 2002-07 के दौरान पूर्व-विद्यालय बैग का अपर्याप्त प्रावधान किया गया था। इसने औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पर उल्टा उसर दिखाया। परिणामस्वरूप राज्य में मार्च 2007 तक 25.65 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे।

3-2-15 *ekuo 'kfä çcäku*

*25 I s 86 çfr'kr in [kkyh Fks*

योजना के तहत मार्च 2007 तक स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति निम्नवत थी :

Øe I a	in dh Js kh	Lohdr inka dh I a; k	inLFkkfir dehZ	fjfa	fjfa dk çfr'kr
1.	सी डी पी ओ	537	184	353	66
2.	सांख्यिकी सहायक	543	93	450	83
3.	महिला पर्यवेक्षिका	3,272	473	2,799	86
4.	लिपिक-सह-टंकक	717	525	192	27
5.	लेखापाल-सह-रोकड़पाल	70	26	44	63
6.	चालक	245	107	138	56
7.	चपरासी	663	205	458	69
8.	आँगनबाड़ी सेविकाएँ	80,302	60,153	20,149	25
9.	आँगनबाड़ी सहायिका	80,302	59,939	20,363	25
	<b>dy</b>	<b>1,66,651</b>	<b>1,21,705</b>	<b>44,946</b>	<b>27</b>

अतः मार्च 2007 तक राज्य में सी डी पी ओ, महिला पर्यवेक्षिका<sup>17</sup> तथा सांख्यिकी सहायक की क्रमशः 66, 86 तथा 83 प्रतिशत रिक्तियाँ थी, परिणामस्वरूप सेवाओं की अदायगी का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अपर्याप्त रहा।

<sup>17</sup> एक महिला पर्यवेक्षिका को प्रत्येक माह कम से कम 20 केन्द्रों का निरीक्षण करना था।

100 परियोजनाओं के नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 100 सी डी पी ओ, 98 सांख्यिकी सहायक एवं 671 महिला पर्यवेक्षिका के स्वीकृत पद में से क्रमशः केवल 47, 32 एवं 18 प्रतिशत पद ही भरे हुए थे। तीन परियोजनाओं<sup>18</sup> में जिसमें 542 आँगनबाड़ी केन्द्र थे, कोई भी महिला पर्यवेक्षिका पदास्थापित नहीं थी जिससे कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

### 3-2-16 dk; l'Ukkk'vka dks cf' k{k. k

मुख्य कार्यकर्ताओं को कार्य से संबंधित पाठ्यक्रम एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण राज्य के 144 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों एवं तीन मध्य स्तरयी प्रशिक्षण केन्द्रों में देना था। मार्च 2007 तक केवल 63 आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र एवं दो मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र ही कार्यशील थे। योजना के अंतर्गत सभी सेविकाओं को 14 दिन का प्रवेश प्रशिक्षण तथा सभी सी डी पी ओ, महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सेविकाओं के लिए 52 दिन का कार्य के दौरान प्रशिक्षण देने पर विचार किया गया था। प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी के कारण प्रवेश प्रशिक्षण को घटाकर चार दिन (2004-05) एवं कार्य के दौरान प्रशिक्षण को 30 दिन (2005-06) कर दिया गया। आँगनबाड़ी सहायिकाओं को छः दिनों का अनुकूलन प्रशिक्षण देना था। 2002-07 की अवधि में प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ साथ वास्तविक रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की स्थिति निम्नवत थी :

Js kh	ços'k , oa vuqlyu cf' k{k.k			dk; l' ds nkj'ku cf' k{k.k			i u'p; k/ i kB; Øe		
	y{;	cf' k f{kr	deh %çfr' kr½	y{;	cf' k f{kr	deh %çfr' kr½	y{;	cf' k f{kr	deh %çfr' kr½
आँगनबाड़ी सेविकाएँ	34,591	24,782	9,809 (28)	43,434	29,784	13,650 (31)	23,515	14,986	8529 (36)
आँगनबाड़ी सहायिका	49,729	35,527	14,202 (29)	--	--	--	--	--	--

37 çfr'kr vkxuckMh  
l fodk, j vçf' kf{kr  
jg xbl

2002-07 की अवधि में सृजित 39,386 नए आँगनबाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध केवल 34,591 आँगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। तथापि केवल 24,782 को ही प्रशिक्षित किया गया तथा इस प्रकार 14,604 (37 प्रतिशत) अप्रशिक्षित रह गईं। 393 सी डी पी ओ एवं 437 महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध सिर्फ 41 सी डी पी ओ एवं 106 महिला पर्यवेक्षिका को ही कार्य के दौरान 2003-07 की अवधि में प्रशिक्षित किया गया। अतः आँगनबाड़ी सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिका एवं सी डी पी ओ को प्रशिक्षण के अभाव ने विशेष रूप से विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति के अनुश्रवण जैसी सेवाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया।

### 3-2-17 vuqlo.k , oa fujh{k.k

fuEu vuqlo.k , oa  
eW; kadu

कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए कल्याण मंत्री के नेतृत्व में गठित शीर्ष समिति के अलावा आँगनबाड़ी स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सरकार ने पाँच समितियों का गठन किया (नवंबर 1998)। शीर्ष समिति एवं राज्य स्तरीय समिति को वर्ष में कम से कम दो बार जबकि प्रमंडलीय स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर एवं आँगनबाड़ी स्तर की समितियों को क्रमशः त्रैमासिक, द्विमासिक, मासिक एवं पाक्षिक बैठक करनी थी। तथापि न तो बैठक की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख न ही बैठक में लिए गए निर्णय ही उपलब्ध था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकार ने उप निदेशक, कल्याण पदाधिकारी/ डी पी ओ/ सी डी पी ओ एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किए जाने वाले

<sup>18</sup> सोन्हौला (भागलपुर), सकरा (मुजफ्फरपुर) एवं मनिहारी (कटिहार)

निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण से संबंधित निर्देश निर्गत किया (जुलाई 2005)। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लिए अलग प्रोफार्मा भी निर्धारित किया गया।

नमूना जाँचित परियोजनाओं में यह पाया गया कि निरीक्षण उप निदेशक तथा कल्याण पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया तथा सी डी पी ओ द्वारा कभी कभी किया गया। निर्धारित प्रोफार्मा में निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया।

निदेशक के द्वारा सी डी पी ओ से प्राप्त प्रारंभिक आँकड़ों के आधार पर पूरे राज्य का मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना था। नमूना जाँचित परियोजनाओं में यह देखा गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन बिना किसी समर्थित अभिलेख के तैयार किया गया। अतः निदेशालय द्वारा तैयार मासिक प्रगति प्रतिवेदन से राज्य में आई सी डी एस परियोजना के कार्य की सही तस्वीर नहीं मिलती थी।

### 3-2-17-1 वक्रणकृत दलन क ल अ पं फुजिहक

73 चर'kr वक्रणकृत  
दलन कनिक, x,

नमूना जाँचित परियोजनाओं में 104 आँगनबाड़ी केन्द्रों की सी डी पी ओ/ परियोजना के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें 76 (73 प्रतिशत) बंद पाए गए। 27 केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति शून्य से 35 के बीच थी। केवल एक केन्द्र में 40 बच्चे उपस्थित थे (ifj'k"V&XXX)।



बाँगरा पंचायत, समस्तीपुर का बंद आँगनबाड़ी केन्द्र  
तिथि : 13.04.2007 समय : 10.09 पूर्वाह्न



मांझा परियोजना, गोपालगंज के अधीन पीपरा (पश्चिम) का बंद आँगनबाड़ी केन्द्र  
तिथि : 17.05.2007 समय : 10.21 पूर्वाह्न

सरकार के प्रधान सचिव ने कहा (अक्टूबर 2007) कि दोषी आँगनबाड़ी सेविकाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

### 3-2-18 यस्किहक चरनु इ ज दल खल दकजक

1992-99 की अवधि में योजना के प्रदर्शन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन संख्या 2 (असैनिक) की कंडिका 3.5 में प्रस्तुत की गई थी। लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन संख्या 387 के अनुसार प्रतिवेदन पर अपनी अनुशंसा को लंबित रखा क्योंकि उठाए गए मामले माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थे। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गई रोकड़ प्रबंधन, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं रेफरल सेवा के प्रावधान, संरचना, कर्मियों की कमी से संबंधित खामियाँ 2002-07 के दौरान भी यथावत थी जैसा कि ifj'k"V&XXXI में वर्णित है।

### 3-2-19 fu"d"l

राज्य में क्रियान्वित की जा रही समेकित बाल विकास सेवा परियोजना पूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच, बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा, गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं की देखभाल जैसे योजना में परिकल्पित मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। योजना में खामी थी एवं निदेशालय के पास योजना के लिए आवश्यक आधारभूत सांख्यिकीय आँकड़े नहीं थे। आँगनबाड़ी केन्द्रों में लक्षित आबादी की भागीदारी मानक से काफी कम थी। आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास अपर्याप्त भवन थे तथा अधिक संख्या में केन्द्र झोपड़ी के साथ साथ खुले आकाश के नीचे चल रहे थे। पूरक पोषण कार्यक्रम के अधीन पोषण का वितरण अपर्याप्त था तथा घर ले जाने वाले राशन के वितरण का कोई प्रमाणिक अभिलेख नहीं था। आँगनबाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति किए गए लेमनचुस अवमानक गुणवत्ता के थे। तिहत्तर प्रतिशत निरीक्षित आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाए गए। समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के बीच समन्वय का अभाव था क्योंकि नर्स प्रत्येक बुधवार को आँगनबाड़ी केन्द्र का दौरा नहीं कर रही थी। अधिकतर आँगनबाड़ी केन्द्रों को औषधि बैग के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

### Vuqkd k

- बचत से बचने के लिए बजट को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बनाया जाना चाहिए।
- अच्छी सेवा उपलब्ध कराने हेतु सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को भवन, जल आपूर्ति, शौचालय तथा विद्यालयपूर्व बैग जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- बाजार दर/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ध्यान रखते हुए खाद्यान्नों के निर्धारित दर का परिवर्द्धित पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। पोषण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु समुचित नियंत्रण तंत्र का निर्माण करना चाहिए।
- प्रतिरक्षण एवं स्वास्थ्य जाँच हेतु प्रत्येक केन्द्र पर नर्स की साप्ताहिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए।
- सी डी पी ओ, महिला पर्यवेक्षिका एवं सांख्यिकी सहायक के स्तर पर रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।
- मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावशाली ढंग से अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2007) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2007)।

## 3-3-1

3-3-1 केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

पथ का प्रभावकारी नेटवर्क लोगों की गतिशीलता तथा सेवाओं एवं वस्तुओं के परिवहन की सुगमता में वृद्धि कर आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं को अधिकतम करता है। बाढ़ प्रभावित जिलों में पथों के अनुरक्षण तथा निर्माण में कार्यों का निष्प्रभावी कार्यान्वयन एवं नियोजन का अभाव था। 2002-07 के दौरान सिर्फ 11 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया। कमजोर संविदा प्रबंधन के कारण 14.09 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय तथा 46 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण अस्तित्व विहित था क्योंकि गिड्री एवं अलकतरा की गुणवत्ता जाँच से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण लागू नहीं हुआ।

3-3-1-1 केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

3-3-1-1

3-3-1-2 केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

3-3-1-2

3-3-1-3 केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

3-3-1-3

3-3-1-4 केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

3-3-1-4, 3-3-1-5

3-3-1-6 केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

3-3-1-6

3-3-1-7 केंद्रों में सुगमता के लिए आवश्यक सुविधाओं को अधिकतम करना है।

3-3-1-7

### 3-3-1-1

पथ एक आवश्यक आधारभूत संरचना है क्योंकि यह आर्थिक-सामाजिक वृद्धि एवं विकास को निर्बाध परिवहन सुविधा प्रदान कर उसको गति प्रदान करता है। 13,776.47 कि.मी.<sup>1</sup> लम्बी पथ जिसमें राज्य उच्च पथ (रा.उ.पथ), मुख्य जिला पथ, राष्ट्रीय उच्च

<sup>1</sup> रा.उ.पथ: 2830 कि.मी., रा.प.: 3232.22 कि.मी. एवं मु.जि.स.:7714.25 कि.मी.

पथ (रा.उ.पथ) के अतिरिक्त पूल भी शामिल है के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिये पथ निर्माण विभाग उत्तरदायी है।

बिहार में प्रति लाख जनसंख्या के लिए औसत पथ की लम्बाई राष्ट्रीय औसत 256.70 कि.मी. के विरुद्ध 90.10 कि.मी. है। बिहार की धीमी आर्थिक-सामाजिक विकास के कारणों में इसे भी एक कारण के रूप में आरोपित किया जा सकता है।

कुल 38 जिलों में से 12 से 26 जिलों<sup>2</sup> को वर्ष 2002-07 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। इनमें से 12 जिले<sup>3</sup> पिछले पाँच वर्षों से बाढ़ प्रभावित थे।

### 3-3-2 *l xBukRed l jpuk*

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) इस के समग्र प्रभारी थे, जिनकी सहायता के लिए एक अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (अ. प्र.), आठ मुख्य अभियंता (मु.अ.), एक क्रय निदेशक (क्र.नि.) एवं एक विशेष संचार अधिकारी थे। प्रक्षेत्रों में, कार्यों का सम्पादन 25 अधीक्षण अभियंताओं के पर्यवेक्षण में 43 कार्यपालक अभियंताओं (का.अ.) द्वारा होता था।

### 3-3-3 *ys[kk i jh{kk ds mÍs ;*

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह जाँचना था कि:

- वित्तीय प्रबंध प्रभावी थे
- प्राक्कथन मितव्ययिता, कुशलता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाले सुदृढ़ तकनीकी स्रोतों पर आधारित थे,
- संविदा प्रदान करने, पूरा करने तथा निष्पादन करने में वर्तमान नियमों की सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है।
- भारतीय सड़क कांग्रेस (भा.स.कां.) भूतल एवं पथ परिवहन मंत्रालय (मोर्थ) के निर्दिष्ट मानकों के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में थी,
- विभाग की अनुश्रवण प्रणाली प्रभावी थी।

### 3-3-4 *ys[kk i jh{kk dk ekunM*

बाढ़ प्रभावित जिलों में पथों के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य के मूल्यांकन हेतु प्रयोग किये गये लेखापरीक्षा के निम्नलिखित मानदंड थे :

<sup>2</sup> अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगरिया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुवनी,, मुजफ्फरपुर,, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण।

<sup>3</sup> भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, खगरिया, मधुवनी,, मुजफ्फरपुर,, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी,, सुपौल, पश्चिमी चम्पारण।



- बिहार लोक कार्य विभाग संहिता (बि.लो.का.वि.सं.) एवं बिहार लोक लेखा संहिता (बि.लो.ले.सं.),
- भा.स.का./मोर्थ. का निर्दिष्ट मानक,
- स्वीकृत प्राक्कलन।

### 3-3-5 $y\{k\}i\{h\}k\{k\} dk \{k\} = , oa f\{o\}; kfof/k$

जनवरी 2007 से जूलाई 2007 के मध्य अ.प्र., आठ प.नि.प्र.<sup>4</sup> (43 में से) और दो रा.उ.प्र.<sup>5</sup> (28 में से) के 2002-07 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जिनके अन्दर बाढ़ प्रभावित आठ जिलों<sup>6</sup> की कुल 2,847.88 कि.मी.<sup>7</sup> लम्बी पथ आती थी। चयनित जिलों में 225.66 करोड़ रुपये मूल्य की 127 संविदाओं<sup>8</sup> की जाँच की गई।

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के साथ मई 2007 में प्रारंभिक बैठक की गई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं क्रियाविधि के बारे में चर्चा की गई। अक्टूबर 2007 में अंतिम बैठक की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा में पाये गये तथ्यों पर चर्चा की गई, प्रधान सचिव, प.नि.वि. ने यह विश्वास दिलाया कि लेखापरीक्षा में उठाये विन्दुओं की जाँच की जायगी।

### $y\{k\}i\{h\}k\{k\} fu" d" k\}$

### 3-3-6 $fo\{k\}h; \{c\}cl/k\{u\}$

वर्ष 2002-07 के लिए विभाग के बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय इस प्रकार थे :

o"kl	ctV iko/kku			vko\{u			0; ;			cpr
	; kst ukxr	xj & ; kst uk	; kx	; kst ukxr	xj & ; kst uk	; kx	; kst ukxr	xj & ; kst uk	; kx	
2002-03	81.04	223.09	304.13	41.71	102.56	144.27	40.93	83.30	124.23	20.04
2003-04	120.58	225.51	346.09	29.03	110.79	139.82	28.59	110.49	139.08	0.74
2004-05	644.52	246.57	891.09	37.81	134.49	172.30	35.01	133.00	168.01	4.29
2005-06	648.04	288.58	936.62	97.81	166.26	264.07	10.40	156.81	167.21	96.86
2006-07	1563.37	341.26	1904.63	681.28	214.54	895.82	375.63	196.78	572.41	323.41
; kx	<b>3057.55</b>	<b>1325.01</b>	<b>4382.56</b>	<b>887.64</b>	<b>728.64</b>	<b>1616.28</b>	<b>490.56</b>	<b>680.38</b>	<b>1170.94</b>	<b>445.34</b>

स्रोत : पथ निर्माण विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन और आवंटन एवं व्यय का विवरण

तालिका के विश्लेषण एवं अभिलेखों की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि :

- तालिका का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 4,382.56 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध, वास्तविक आवंटित राशि 1,616.28 करोड़ रुपये एवं व्यय 1,170.94 करोड़ रुपये था। वर्ष 2002-07 के दौरान कार्यों की विस्तृत अनुसूची

<sup>4</sup> पथ निर्माण प्रमंडल: दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, किशनगंज, मधुवनी,, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चम्पारण।

<sup>5</sup> रा.उ.पथ प्रमंडल-1: मुजफ्फरपुर,, रा.उ.पथ प्रमंडल-1: जयनगर।

<sup>6</sup> दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, किशनगंज, मधेपूरा, मुजफ्फरपुर,, समस्तीपुर, पश्चिमी चम्पारण।

<sup>7</sup> राष्ट्रीय उच्च पथ: 297 कि.मी., राज्य उच्च पथ: 531.86 कि.मी. एवं मुख्य जिला पथ: 2019.02 कि.मी.

<sup>8</sup> नमूना जाँच किये गये 127 करारों में से 194.23 करोड़ रुपये के 35 कार्य योजनागत शीर्ष के अन्दर एवं 31.45 करोड़ रुपये मूल्य के 92 कार्य गैर-योजनागत शीर्ष के तहत थे।

तैयार नहीं की गई जैसा कि बिहार बजट मैनुअल के नियम 87 के अनुसार वांछित था। बजट प्रस्तावों की जाँच यह बताता है कि योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान कोष की व्यवस्था किये बिना ही बना दिया जाता था, जो कि बजट प्रावधान एवं आवंटन में बड़े अन्तर के रूप में परिणत होता था।

- वर्ष 2006-07 के दौरान योजना के अन्तर्गत कुल 375.63 करोड़ रुपये व्यय के रूप में दिखाया गया, जिसमें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (बि.पु.नि.नि.) को हस्तान्तरित किया गया 186.54 करोड़ रुपये भी शामिल था। इस प्रकार व्यय की कुल राशि मार्च 2007 तक 186.54 करोड़ रुपये अधिक दर्शाई गई थी।

### 3-3-6-1 nkf; Ro

बिहार लोक कार्य विभाग संहिता के नियम 130 में यह प्रवधान है कि कोष का विनियोजन किये बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए, न ही कोई दायित्व ग्रहण करना चाहिए।

dk'sk dh mi yC/krk ds  
fcuk dk; k ds  
fu"i knu l s 1-08  
dj kM+ #i ; s ds  
nkf; Ro dh of) gpl

प.नि.प्र., मधुवनी की नमुना जाँच में पता चला कि वर्ष 2004-05 के दौरान 74 लाख रुपये के उपलब्ध कोष के विरुद्ध 3.04 करोड़ रुपये मूल्य के 22 करार विभिन्न संवेदकों के साथ किये गये (सितम्बर 2004-दिसम्बर 2004)। सभी कार्यों को 15 दिनों के अन्दर पूरा किया जाना था परन्तु 1.76 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य की मापी की गई एवं 68.26 लाख रुपये के भुगतान के परिणामस्वरूप 1.08 करोड़ रुपये के दायित्व सृजित हुआ। दायित्वों के निवारण एवं शेष कार्यों को पूरा करने हेतु का.अ. द्वारा विभाग से कोष की मांग की गई। हालाँकि, जनवरी 2007 तक प्रमंडल को कोई आवंटन नहीं किया गया था और कार्य जनवरी 2007 तक अधुरे ही थे। किये गये कार्य क्षणिक प्रकृति के थे जिसमें मिट्टी कार्य, ईट भराई, स्थानीय बालू और ईट के टूकड़ों का भरा जाना शामिल था। अतः तीन साल की अवधि बीत जाने के बाद इन कार्यों के अस्तित्व का पता लगाना संभव नहीं था। इस प्रकार, बिना कोष के कार्यों का निष्पादन 1.08 करोड़ रुपये के दायित्व वृद्धि एवं 68.26 लाख रुपये के निरर्थक व्यय के रूप में परिणत हुआ।

ftEeokjh l fuf'pr  
fd, fcuk nkf; Ro  
fuokj .k grq 3-20  
dj kM+ #i ; s dk  
Hkqrku

प.नि.वि. सचिवालय, बिहार, पटना में वर्ष 2005-06 के दौरान दायित्व वृद्धि की जिम्मेवारी सुनिश्चित किये बिना 42 मामलों में दायित्वों के निवारण हेतु 3.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (मूलधन : 1.67 करोड़ रुपये, ब्याज : 1.53 करोड़ रुपये)। दायित्व भुगतान से संबंधित केवल छः संचिकाएँ लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गईं।

प्रकाश में आये कुछ रुचिकर विन्दु इस प्रकार हैं :

- माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने विभाग को शेष न्यायालय शुल्क/टिकट (0.01 लाख रुपये) को भरने के लिए चार महीने का समय प्रदान किया परन्तु इसे जमा नहीं किया गया जो कि अपील निरस्त होने का कारण बना और विभाग को 52.91 लाख रुपये का भुगतान संवेदक को करना पड़ा (अगस्त 2005) (प.नि.वि., हाजीपुर)।
- भू अर्जन (9.13 लाख रुपये) से संबंधित मुआवजा का भुगतान समय के अन्दर नहीं करने के कारण विभाग को 43.06 लाख रुपये ब्याज का भुगतान करना पड़ा। राज्य सरकार के विधि सलाहकार ने भी विभाग को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की सलाह दी है (प. नि. वि., गंगा पूल परियोजना, पटना)।

- विनोद नारायण सिन्हा की जगह विनोद नारायण सिंह के नाम से चेक (1.97 लाख रुपये) का निर्गमन (अगस्त 2007) तथा तथ्यों की अधूरी विवरणी दिये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की दलील अस्वीकृत कर दी परिणामस्वरूप सरकार को 54.81 लाख रुपये ब्याज का भुगतान करना पड़ा (मार्च 2006) (प. नि. प्र., आरा)।
- रा.उ.प. 28 के कि.मी. 436 और 439 के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गईं जो कि मोर्थ द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः विभाग को 75.24 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा (मार्च 2006) (रा.उ.प्र., मोतिहारी)।

### 3-3-7 fu; kst u

पथों के निर्माण हेतु योजनागत शीर्ष के तहत वार्षिक क्रियान्वयन योजना तैयार नहीं की गई। फरवरी 2006 के पहले विभाग के पास व्यवस्थित नियोजन स्कंध नहीं था, जिसे विशेष अधिकारी (संचार) के अधीन एक कार्यपालक अभियंता एवं दो अतिरिक्त सहायक अभियंताओं को पदास्थापित कर सुदृढ़ किया गया। योजनागत एवं गैर-योजनागत शीर्षों के तहत 2002-07 के दौरान स्वीकृत कार्य एवं उपलब्धि इस प्रकार थी।

%djKM+ #i; se#							
o"kl	Lohd'r dk; kã dh l a; k		'kq fd; s x; s dk; kã dh l a; k		i j's fd; s x; s dk; kã dh l a; k		i wkl gq dk; kã dk i fr'kr
	l a; k	eW;	l a; k	eW;	l a; k	eW;	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5)
2002-03	122	254.77	84	176.10	23	38.00	22
2003-04	72	179.08	68	165.16	14	26.67	16
2004-05	104	208.87	68	138.06	12	22.37	16
2005-06	149	687.03	47	157.89	18	52.90	34
2006-07	396	2243.13	375	2160.30	1	2.20	0.10
; ksx	<b>843</b>	<b>3572.88</b>	<b>642</b>	<b>2797.51</b>	<b>68</b>	<b>142.14</b>	

इस प्रकार, 2002-07 के दौरान लिए गये 642 कार्यों में से सिर्फ 68 कार्य पूरा किया गया था। इसका मुख्य कारण प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने में बिलम्ब तथा कार्य निष्पादन में कार्य प्रोग्राम का पालन नहीं करना था। योजनाओं में नये कार्यों की शुरुआत से पहले अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए था।

अ.प्र. के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 2002-04 के दौरान 13 प्रमंडलों<sup>9</sup> में 25 कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 59.86 करोड़ रुपये थी, शुरू की गईं तथा 2004-05 तक 11.27 करोड़ रुपये व्यय के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि 2006-07 एवं आगे की योजनाओं में इन कार्यों को शामिल नहीं किया गया।

<sup>9</sup> प.नि. प्रमंडल, गया-6 कार्य-1.07 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, औरंगाबाद-5 कार्य- 3.17 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, दरभंगा-3 कार्य-0.62 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, पटना पश्चिम-2 कार्य-2.51 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, सीतामढ़ी-1 कार्य-0.22 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, छपरा-1 कार्य-0.33 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, मुंगेर-1 कार्य-1.37 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन-1 कार्य-1.01 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, सहरसा-1 कार्य-0.19 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, पटना सिटी-1 कार्य-0.35 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, सीवान-1 कार्य-0.04 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, जहानाबाद-1 कार्य-0.14 करोड़ रुपये, प.नि. प्रमंडल, नवादा-1 कार्य-0.25 करोड़ रुपये

### 3-3-8 dk; kà dk fu"i knu

#### 3-3-8-1 i kDdyukà dh r\$ kjh

अलकतरा कार्यों के निर्माण एवं निरीक्षण हेतु मोर्थ द्वारा निर्गत मैनुयल यह निर्दिष्ट करता है कि नालों एवं पक्के किनारों के अभाव में किनारे जल्दी टुटते हैं, यदि सुधारात्मक कार्य नहीं किये जायें तो दुलाई पथ की चौड़ाई में महत्वपूर्ण हानि होती है। बि.लो.का.वि.सं. का नियम 102 निर्दिष्ट करता है कि कार्य के प्राक्कलन में प्रतिवेदन, विशिष्टि, मापों का विस्तृत विवरण प्रत्येक मद की कुल अनुमानित लागत को दर्शाते हुए सार के साथ मात्रा एवं दर सम्मिलित होना चाहिए। मरम्मत या अनुरक्षण के प्राक्कलन के मामलों में विशिष्टि, मात्राओं एवं मापों की विस्तृत विवरणी सार के साथ साधारणतया अपेक्षित होगी। नमूना जांच किये गये प्रमंडलों में प्राक्कलन की तैयारी में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईं।

- 127 प्राक्कलनों की जाँच में यह पाया गया कि पक्के किनारों एवं नालों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- अ.अ., प.नि. प्रमंडल, दरभंगा ने ठेंघा-महीनाम घाट पथ (14.60 कि.मी. से 18.60 कि.मी.) की विशेष मरम्मती कार्य हेतु 90 लाख रुपये के प्राक्कलन को स्वीकृत किया (अगस्त 2004)। निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की गई एवं बाद में प्राक्कलन को दो भागों (86 लाख रुपये और 96 लाख रुपये ) में बाँट दिया गया (अक्टुबर 2004)। प्राक्कलनों की राशि बिना किसी उचित कारण के मिट्टी कार्य , ग्रन्युलर सब बेस और एस.एम.जी.-।। के मजबूतीकरण की मात्रा को बढ़ाकर 1.82 करोड़ रुपये कर दिया गया जबकि पथ की विशिष्टता वही थी। का. अ. ने जबाव दिया कि वृद्धि, प्रारंभिक परिमाण विपत्र पर कार्य न किये जाने एवं बाढ़ द्वारा पथ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हुआ। जबाव मान्य नहीं था क्योंकि निविदा निमंत्रित नहीं किये जाने का कारण अभिलिखित नहीं था। इसके अतिरिक्त बाढ़ द्वारा क्षति का कोई निर्धारण प्रतिवेदन नहीं था।
- मु.अ. द्वारा प.नि. प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत आठ पथों<sup>10</sup> के निर्माण हेतु 77.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2006) की गई। परिमाण विपत्र की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। चार महीने बाद, उसी काम के लिए निविदाएं 88.94 करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिमाण विपत्र पर आमंत्रित की गईं। इस प्रकार, बिना किसी उचित कारण के चार महीने के थोड़े समय अन्तराल में ही कार्यों की लागत 10.69 करोड़ रुपये बढ़ गयी।
- प.नि. प्रमंडल, दरभंगा द्वारा 0 से 26.2 कि.मी. जाले-अतरवेल पथ के सुधार के लिए 20.39 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य एक एजेंसी को प्रदान किया गया (अप्रैल 2006)। करार में झामा पदार्थ के साथ ग्रन्युलर सब बेस (जी.एस.बी.) तथा एस.एम.जी.-।। एवं III के साथ वाटर वाउंड मैकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) कार्य सम्मिलित थे। मु. अ., उत्तर बिहार स्कंध ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च

fof'f"V eà cnyko ds  
dkj.k i fj; kst uk  
ykr eà 1-82 dj kM+  
#i; s dh cf)

<sup>10</sup> मोतिहारी-मधुवनी घाट (16 कि.मी.), पाथपकड़ी-गुड़हनवां पथ (11.5 कि.मी.), पकड़ीदयाल-सिरहा-मधुवन-मीनापुर पथ (26.6 कि.मी.), चकिया-मधुवन पथ (8.4 कि.मी.), चित्राहा-बरियारपुर पथ (15 कि.मी.), चकिया-केसरिया-सतारघाट पथ (27 कि.मी.), छपवा-हरसिद्धी-सेवराहा पथ (19.15 कि.मी.), मोतिहारी-वरनावाघाट-छौरादाना पथ (29 कि.मी.)

2006) जिसमें जी.एस.बी. को झामा पदार्थ को एस.एम.जी. -। से तथा डब्ल्यू बी.एम. को वेट मिक्स मैकेडम (डब्ल्यू. एम.एम.) से बदलने का प्रस्ताव था, परन्तु निविदा समिति द्वारा प्रस्ताव इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि निविदा कार्य अन्तिम चरण में है। बाद में जी.एस.बी. कार्य को एस.एम.जी.-। से बदलने के लिए उसी संवेदक के साथ 3.01 करोड़ रुपये का पूरक करार निष्पादित किया गया (नवम्बर 2006), फलस्वरूप परियोजना लागत 1.82 करोड़ रुपये<sup>11</sup> बढ़ गया जबकि डब्ल्यू.बी.एम. की विशिष्टता अपरिवर्तित थी और इसलिए अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार, जी.एस.बी. को एस.एम.जी.-। से प्रतिस्थापित करने का 3.01 करोड़ रुपये के पूरक करार से संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाई गई क्योंकि इसे निविदा आमंत्रित करने से पहले प्राक्कलन में शामिल किया जाना चाहिए था।

बहिर्गमन बैठक के दौरान (अक्तूबर 2007) प्रधान सचिव ने कहा कि बाढ़-प्रवृत्त क्षेत्रों में पर्याप्त पुल एवं पुलिया बनाकर पथों का स्तर ऊँचे जल स्तर से ऊपर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ पथ का स्तर ऊँचा किया जाना संभव न हो वहाँ आर.सी.सी. पथ का निर्माण किया जाना चाहिए।

### 3-3-8-2 fufonk i fØ; k

बि.लो.का. लेखा संहिता का परिशिष्ट-ए एवं संविदा की विशेष शर्त में यह प्रावधान है कि वहीं संवेदक निविदा भरेंगे जिनके पास इलक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाला हॉट मिक्स प्लांट, पेभर फिनिशर, फ्रंट इंड लोडर, टैन्डम लोडर एवं भाइप्रेटरी लोडर इत्यादि हो।

नमूना जांच किये गये तीन प्रमंडलों में उपयुक्त संहितीय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए छः कार्य प्रदान किया गया जो कार्यों के बिलम्बित निष्पादन का कारण बना जैसा कि नीचे की तालिका में दिखाया गया है :

l ɔndkɑ dh {kerk  
l R; kfi r fd, fcuk  
6-88 dj kM+ #i ; s  
dk dk; l ɔnku  
fd; k x; k

	i ɛMy dk uke	dk; kɑ dh l ɔ; k <sup>12</sup>	'kq vkr dh frffk	i w kZ gkus dh fu; r frffk	l fɔnk eW;	0; ;	%#i ; s dj kM+ e# vH; fDr
पथ निर्माण प्रमंडल, किशनगंज	1	दिसम्बर 2004	मार्च 2005	0.97	0.63	उपकरणों, प्लांट एवं मशीनरी की उपलब्धता दर्शाने वाले साक्ष्यों को प्राप्त किये बिना कार्य प्रदान करना। कार्य अप्रैल 2007 तक अपूर्ण था।	
पथ निर्माण प्रमंडल, कटिहार	3	नवम्बर 2006	जुलाई 2007	4.35	1.06	ऐसे संवेदकों को कार्य प्रदान करना जिनके पास हॉट मिक्स प्लांट एवं अन्य उपकरणों के संदर्भ में कम क्षमता थी। अगस्त 2007 तक कार्य अधूरे थे।	
पथ निर्माण प्रमंडल, मोतिहारी	2	फरवरी 2007	मार्च 2007	1.56	0.21	उपकरणों के स्वामित्व संबंधी प्रमाण प्राप्त किये बिना कार्य प्रदान करने के कारण अप्रैल 2007 तक कार्य अपूर्ण था।	
; ksx	6			6.88	1.90		

<sup>11</sup> 3.01 करोड़ रुपये (एस.एम.जी.-1) - 1.19 करोड़ रुपये (झामा)

<sup>12</sup> केटीटीजी पथ का मरम्मत एवं नवीकरण- करार सं. 28 एफ<sub>2</sub>/05-06; रघुनाथपुर-बलरामपुर पथ का उन्नयन करार सं.-19 एफ<sub>2</sub>/06-07; कुरुम-गायघाट रोड का विशेष मरम्मत - करार सं.-37 एफ<sub>2</sub>/06-07; दमदमा-आजमनगर-केसरीचौक पथ का विशेष मरम्मत - करार सं.-53 एफ<sub>2</sub>/06-07; माधोपुर-बहुरूपिया पथ का सुदृढीकरण करार सं.-18 एफ<sub>2</sub>/06-07; पिपरा लिंक पथ का विशेष मरम्मत - करार सं.-22 एफ<sub>2</sub>/06-07

इस प्रकार, संवेदकों को क्षमता से अधिक कार्य प्रदान करने से 1.90 करोड़ रुपये का ब्यय निष्फल रहा क्योंकि सभी कार्य सितम्बर 2007 तक अपूर्ण थे।

### 3-3-8-3 voekud dk; l

संविदा का खंड 13 प्रभारी अभियंता द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को संवेदक द्वारा सुधार किये जाने की अपेक्षा करता है। हालांकि तीन प्रमंडलों द्वारा आठ कार्यों में स्तरहीन कार्य निष्पादन के लिए 5.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया क्योंकि का.अ. द्वारा त्रुटियां बताए जाने के बावजूद सुधार कार्य नहीं किया गया।

çeMy dk uke	dk; kã dh l a; k <sup>13</sup>	l fonk eW;	0; ;	vh; fDr
पथ निर्माण प्रमंडल, दरभंगा	2	1.74	1.72	2004-05 में अलकतरा का सतह क्षतिग्रस्त पाया गया। संवेदक द्वारा किया गया सुधार कार्य संदेहास्पद था क्योंकि क्षतिग्रस्त पथ के सुधार हेतु अलकतरा प्राप्ति का कोई प्रमाण नहीं था।
पथ निर्माण प्रमंडल, रामनगर	5	2.92	2.56	अंतिम भुगतान के 15 दिन बाद ही (अप्रैल 2006) तीन कार्य क्षतिग्रस्त पाए गए (8F <sub>2</sub> , 24 F <sub>2</sub> , 25 25F <sub>2</sub> /2004-05) जनवरी 2006 के अन्तिम माप के अनुसार पथ के प्रत्येक कि.मी. का कार्य क्षतिग्रस्त पाया गया। जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (2004) और मु. अ. दरभंगा (जनवरी 2006) ने संवेदक को काली सूची में डालने की सलाह विभाग को दिया (29F <sub>2</sub> /2001-02)। कार्य निष्पादन हाई स्पीड डीजल के बिना ही कर दिया गया और यह क्षतिग्रस्त हो गया। कार्यपालक अभियंता ने संवेदक (2F <sub>2</sub> /2004-05) को टूट-फूट को ठीक करने के लिए कहा (जुलाई 2005) परन्तु मार्च 2007 तक न तो सुधार किया गया और न ही संवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई।
पथ निर्माण प्रमंडल, जामनगर	1	1.53	1.53	करार का उल्लंघन करते हुए संपीड़न कार्य गिट्टी एवं मूरम की जगह झामा एवं मिट्टी से किया गया जो कि स्तरहीन कार्य के रूप में परिणत हुआ। का.अ. के निर्देश के बावजूद (जून 2003) संवेदक द्वारा सुधार कार्य नहीं किया गया।
; ksx	8	6.19	5.81	

### 3-3-8-4 dk; kã dk l ngkLi n fu"i knu

LFky dk mYys[k  
fd; s fcuk 6 dj kM+  
#i ; s ds dk; kã dk  
l ngkLi n fu"i knu

जहाँ मरम्मत कार्य होना था उस चेनेज स्थल का स्पष्ट उल्लेख कि.मी. में किये बिना ही 6.34 करोड़ रुपये के 16 मरम्मत कार्य का प्राक्कलन बनाया गया। इस प्रकार, 2005-07 के दौरान छः करोड़ मूल्य के इन कार्यों का निष्पादन संदेहास्पद था

<sup>13</sup> प.नि.वि. प्रमंडल, दरभंगा-ठेंघा दसौत पकड़ी जयन्तीपुर महीनामघाट पथ करार सं.-86 एफ<sub>2</sub>/04-05 और 85 एफ<sub>2</sub>/04-05, प.नि प्रमंडल, रामनगर लौरिया रामनगर पथ का विशेष मरम्मत - करार सं.-8 एफ<sub>2</sub>/04-05, 24 एफ<sub>2</sub>/04-05 और 25 एफ<sub>2</sub>/04-05; लौरिया शिकारपुर थोरही पथ का विशेष मरम्मत एवं सुदृढीकरण करार सं.- 5 एफ<sub>2</sub>/04-05 और 29 एफ<sub>2</sub>/01-02; रा.उ.पथ प्रमंडल, जयनगर- एन एच 104 का आईआरक्यूपी कार्य - 133 से 142 कि.मी. - करार सं.- 5 एफ<sub>2</sub>/03-04.

, d gh yEckbl ij  
ckjEckj ejEer]  
fHKU&fHKU ij rka dk  
, d gh fnu l Ei knu  
ds dkj.k 4-04 djKM+  
#i ; s ds dk; k dk  
l ngkLin fu"i knu

सात कार्यों में, 1.12 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न परतों का निर्माण कार्य का निष्पादन एवं माप एक ही दिन किया गया। चूँकि भिन्न-भिन्न परतों का निष्पादन एवं माप एक ही दिन किया जाना संभव नहीं है, अतः 1.12 करोड़ रुपये का यह पूरा व्यय संदेहास्पद था *¶ fff'k"V xxxiii ¶* उसी प्रकार, 20 मरम्मत कार्यों को पथ की एक ही लम्बाई पर बार-बार किया गया तथा 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, माप पुस्तिका में संदेहास्पद प्रविष्टियों की गई तथा अलकतरा कार्यों के निष्पादन के समर्थन में अलकतरा प्राप्ति का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया *¶ fff'k"V xxxiv ¶* चूँकि इन मामलों में कार्यों का निष्पादन संदेहास्पद था अतः विस्तृत जांच उचित होगी।

### 3-3-8-5 di Vi w k l Hk x r ku

संविदा कार्य में यह प्रावधान है कि संवेदक को भारत सरकार के उपक्रमों से अलकतरा प्राप्त करना है तथा प्राप्ति के 48 घंटों के अन्दर प्राप्ति के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करना है। अलकतरा कार्यों के निर्माण एवं निरीक्षण से संबंधित मौर्य मैनुअल के अनुसार सतही परतों के आस-पास अलकतरा का अपर्याप्त मात्रा गड्डों का कारण बन सकता है। नमूना जांच किये गये प्रमंडलों में इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और प.नि. प्रमंडल, दरभंगा द्वारा 39.40 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

Ø- l-	i eMy dk uke	dk; l dk uke@vucrk l q; k@o"kl	dk; l fu"i knu grq vko'; d vydrjk dh ek=k t9 k fd eki i qLrdk ea fn[kk; k x; k gS	vydrjk dh okLrc ea mBk; h xbz ek=k t9 k fd vkb-vksl h- }kj k ys[kk i jh{kk dks crk; k x; k	vydrjk dk vf/kd mi ; kx ds uke ij fd; k x; k di Vi w k l Hk x r ku ¶yk[k #i ; s e%	di V dh i dfr	vi ; klr vydrjk ds dkj.k voekud dk; k dk eW; ¶yk[k #i ; s e%
			fe-Vu				
1	i-fu- i eMy] nj Hk x k	xkj kly & vyhuxj tekyig iFk dk pkMhdj.k , oa l n<hdj.k 10 l s 5 fd-eh-1/2@ 86एफ <sub>2</sub> /2003-04	136.730	108.634	4.87	eki i fLrdk ds vuq kj dk; l fu"i knu ds fy, 211-26 eh-Vu vydrjk vko'; d FkA l Hkh rhu ekeyka ea vkbz vks l h- l s ifr l R; ki u l s 168-937 es Vu vydrjk ikflr dh i fV gpA vr% 52-328 esVu vydrjk dh ykr ds : i ea 8-94 yk[k #i ; s dk Hk x r ku di Vi w k l FkA	49.99
2	i-fu- i eMy] nj Hk x k	f'ko uxj & ?ku' ; kei g & jfl ; kfj ?kkV iFk dh fo'kSk ejEerA 58एफ <sub>2</sub> / 2004-05	31.862	27.173	0.81		4.92
3	i-fu- i eMy] nj Hk x k	vk' kki g & vyhuxj iFk dh fo'kSk ejEer@ 115 एफ <sub>2</sub> /2004-05	42.673	33.130	3.26		25.85

Ø- l -	i əMy dk uke	dk; l dk uke@vuprk l a; k@o"kl	dk; l fu"i knu grq vko'; d vydrjk dh ek=k t9 k fd eki i fLrdk ea fn[kk; k x; k gS	vydrjk dh okLrc ea mBk; h xbz ek=k t9 k fd vkb-vksl h- }kjk ys[kk ijh{kk dks crk; k x; k	vydrjk dk vf/kd mi ; ks ds uke ij fd; k x; k di Vi wkL Hkqrku %yk[k #i ; s e%	diV dh i dfr	vi ; klr vydrjk ds dkj . k voekud dk; k dk eW; %yk[k #i ; s e%
fe-Vu							
4	i-fu- i əMy] njHkækk	njHkækk&l eLrhi g i Fk dk ikV i p ih-ct-, e	182.467	'klj;	30.46	fl Ql 76-38 eh- Vu mi yC/k pkyku ds fo: ) l ond dks 182-467 eh- Vu vydrjk dk Hkqrku fd; k x; kA l ond }kjk l kã s x; s chtd dk vkbzvksl h- dh vfHkys[kka l s LR; kfi r djus ij irk pyk fd chtd ij fn[kk; s x; s , l -, -ih dkM l a ¼131679½ tks fd l ond }kjk i Lrq fd; k x; k Fkk] dk; ð kyd vfHk; ark] ykd dk; l foHkx] jk-m- i Fk i əMy] >kyckM+ %j ktLFkku½ l s l æf/kr Fkk rFkk djkj l a; ka 40092454 tks fd l ond }kjk l kã s x; s chtd ij vdr Fkk fdl h nll js l ond ftl dk , l -, - ih- dV l a; ka	80.92



Ø- l -	i eMy dk uke	dk; l dk uke@vuprk l a; k@o"kl	dk; l fu"i knu grq vko' ; d vydrjk dh ek=k t9 k fd eki i fLrdk ea fn [kk; k x; k gS	vydrjk dh okLrc ea mBk; h xb7 ek=k t9 k fd vkb-vksl h- }kjk ys[kk ijh{kk dks crk; k x; k	vydrjk dk vf/kd mi ; ksx ds uke ij fd; k x; k di Vi wkl Hkqrku %yk[k #i ; s e%	diV dh i dfr	vi ; klr vydrjk ds dkj .k voekud dk; k dk eW; %yk[k #i ; s e%
			fe-Vu				
						167835 Fkk] l s l dfr/kr FkKA bl i dckj] vydrjk i kflr ds l eFku ea l ond }kjk l k k x; k chtd tkyh Fkk vkj 182-467 eh- Vu vydrjk ds fy, 30-46 yk[k #i ; s dk Hkqrku di Vi wkl FkKA	
	; ksx				39.40		161.68

इस प्रकार, अपर्याप्त अलकतरा के कारण उपर वर्णित 1.62 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादन अवमानक हो गया।

nkgh eki ds dkj .k  
6-45 yk[k #i ; s dk  
di Vi wkl Hkqrku

संवेदक द्वारा निष्पादित किया गया रा.उ.पथ प्रमंडल- I, मुजफ्फरपुर के अधीन रा.उ.पथ 28 के एक ही फासले का अर्थात 607 कि.मी. एवं 608 कि.मी. में सामयिक नवीकरण कार्य (टैंक कोट 3034.50 वर्ग मी. एवं अलकतरा युक्त गिट्टी 151.72 घन मी.) मापी पुस्त में दो बार अभिलेखित कर दिया गया (06.02.2007)। फलस्वरूप, कार्य का माप दो बार लिया गया जिसके कारण 6.45 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

आठ<sup>14</sup> कार्यों में, संवेदकों को 70 लाख रुपये का भुगतान अलकतरा बीजक की प्राप्ति के बिना ही कर दिया गया। बीजकों की अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा द्वारा भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

<sup>14</sup> प.नि. प्रमंडल, दरभंगा- -सकरी बेरहा पथ का पॉट पैच- 11 एफ<sub>2</sub>/05-06, डी.बी.4 पथ का पॉट पैच: करार संख्यां. 13 एफ<sub>2</sub>/05-06, आशापुर अलीनगर पथ का चौड़ीकरण एवं सूदहीकरण : करार सं.- 114 एफ<sub>2</sub>/04-05, प.नि. प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूसा पथ का विशेष मरम्मत: करार सं. 4 एफ<sub>2</sub>/03-04, जफरपुर पारु माणिकपुर पथ का विशेष मरम्मत करार सं.: 19 एफ<sub>2</sub>/05-06, सरैया जैतपुर मोतीपुर पथ का विशेष मरम्मत: करार सं. 16 एफ<sub>2</sub>/06-07, रा.उ.पथ प्रमंडल-1 मुजफ्फरपुर: रा.उ.-28 के कि.मी. 597 से 608 का पॉट पैच- करार सं.- 3 एफ<sub>2</sub>/2006-07, एन एच 28 के कि. मी. 527 (पी.) से 533 (पी.) में यातायात की बहाली-करार संख्या 15 एफ<sub>2</sub>/2005-06

### 3-3-8-6 *fufn'V xqkoùkk okys fxêh dk l ngkLi n iz ksx*

बिहार खान खनिज रियायत नियम, 1972 में प्रावधान किया गया है कि संवेदक को फॉर्म , e में एक शपथ पत्र तथा फॉर्म , u] जिसमें विपत्र के साथ खनिजों का क्रय स्रोत, चुकाया गया मूल्य और मात्रा दर्शाया गया हो, संबंधित प्रमंडल में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रमंडल उसे संबंधित खनन अधिकारी को सत्यापन हेतु भेजता है।

fc- [k- fj; k; r fu; e  
1972 dk mYy&ku  
djrs gq 43-60  
djkm+ #i; s dk  
Hkqarku fd; k x; k

पाँच प्रमंडलों<sup>15</sup> में वर्ष 2003-07 के दौरान 62 संविदाओं के लिए बिना फार्म एम एवं एन प्राप्त किये तथा संबंधित खनन अधिकारी से गिट्टी के उठान का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना 43.60 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार, अवमानक गिट्टी के अतिरिक्त अवैध खनन के प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः विभाग द्वारा मामले की जाँच की आवश्यकता है।

### 3-3-8-7 *vof/k foLrkj ij vFkhM dh ol iyh ugha*

F<sub>2</sub> करार के खंड -2 में प्रावधान है कि निर्दिष्ट अवधि के अन्दर यदि संवेदक कार्य को पूरा करने में असफल रहता है तो वह अधुरे कार्य की अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति के भुगतान का जिम्मेवार होगा बशर्ते कि यह राशि कुल कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

नमूना जाँच किये गये आठ प्रमंडलों में 18 कार्यों के बिलम्बित निष्पादन के लिए 1.04 करोड़ रुपये का दंड नहीं लगाया गया जबकि अवधि विस्तार की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी (*ifjf'k"V&XXXV*)।

### 3-3-8-8 *fujFkd 0; ;*

बिहार लोक कार्य विभाग संहिता के अनुसार व्यय में निहित उद्देश्य की प्राप्ति तथा निर्बाध यातायात हेतु पथ निर्माण कार्य में मिट्टी कार्य एवं मेटल कार्य पूरी लम्बाई में करने के बजाय सीमित लम्बाई में ही सभी अवयवों के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

v/kj s dk; k i j 2-82  
djkm+ #i; s dk 0; ;

उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत, नमूना जाँच किये गये प्रमंडलों में पाँच अधुरे विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 2.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जबकि महत्वपूर्ण अवयवों से संबंधित कार्य नहीं किये जा सके इसके कारण व्यय निरर्थक हो गया (*ifjf'k"V&xxxvi*)A

### 3-3-9 *xqkoùkk vk'okl u*

अलकतरा कार्यों के निर्माण एवं निरीक्षण के लिए 'मोर्थ' का मैनुअल पथ निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देता है। सामानों की प्राप्ति एवं उनके परिष्करण पर नियंत्रण सुनिश्चित होना चाहिए ताकि अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त किया जा सके। पथ मरम्मत एवं अनुरक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दो मुख्य सामान, गिट्टी और अलकतरा, की गुणवत्ता में कमी पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

<sup>15</sup> पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल, दरभंगा (7.89 करोड़ रुपये), मुजफ्फरपुर (9.07 करोड़ रुपये), समस्तीपुर (18.72 करोड़ रुपये), रा. उ. प. प्रमंडल I, मुजफ्फरपुर (0.13 करोड़ रुपये) और कटिहार (7.79 करोड़ रुपये)।

### 3-3-9-1 foHkkx ea xq koUkk tkp dh eny I j'puk

पथ कार्य की गुणवत्ता निरीक्षण हेतु मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन (के.नि.स.) पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन चार उड़न दस्ता प्रमंडल थे, जो कि पथ के नमूनों के संग्रहण एवं विभागीय जाँच एवं अनुसंधान संस्थान (जां.अ.सं.) में उनकी जाँच के लिए उत्तरदायी थे। उड़न दस्ता प्रमंडल-1 के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 2006-07 में 46 पथ कार्यों के नमूने संग्रहीत किये गये परन्तु उनके जाँच संबंधी कोई परिणाम प्रमंडल के पास उपलब्ध नहीं था। हालाँकि जां.अ.सं. के 2006-07 के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नमूना जाँच किये गये 365 में से 44 प्रतिवेदन कम अलकतरा प्रयोग को सुनिश्चित करते थे तथा 244 में से 35 प्रतिवेदन यह सुनिश्चित करते थे कि अपेक्षित आकार की गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

### 3-3-9-2 I kefxz ka dh xq koUkk tkp

xq koUkk tkp oxj gh  
c; ksx dh xbl  
I kefxz ka ds fy,  
6-52 dj kM+ #i ; s dk  
Hkq rku

पथ एवं पुल निर्माण के लिए भा.स.कां. के विनिर्देशन में यह प्रावधान है कि प्रयोग किये गये पदार्थ, अपनायी गई विधि तथा निष्पादित कार्य निश्चित रूप से अपेक्षित विनिर्देशन के अनुसार होना चाहिए। आगे, संविदा की विशेष शर्त यह प्रावधान करता है कि का.अ. या उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्राप्त अलकतरे का नमूना इकट्ठा करेंगे और नमूना प्राप्ति के सात दिनों के भीतर विभागीय प्रयोगशाला में भा.मानक-73 के अनुसार इसकी जाँच करेंगे। जाँच परिणाम संतोषप्रद पाये जाने पर ही अलकतरा के उपयोग की अनुमति होगी। परन्तु, जाँच किये गये प्रमंडलों में इस प्रावधान का अनुसरण नहीं किया गया फलस्वरूप अवमानक अलकतरा के प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता। संविदा की विशेष शर्त में यह भी प्रावधान है कि सामग्रियों की प्राप्ति स्वीकृत खदानों से ही की जानी चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नमूनों की स्वीकृती उपरान्त ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। नमूना जाँचित प्रमंडलों में आठ कार्यों के संदर्भ में 6.52 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री गुणवत्ता जाँच के बिना ही इस्तेमाल की गई (Hkq rku)।

### 3-3-10 vuqjo.k

अनुश्रवण अनुभाग अभियंता प्रमुख के अधीन कार्यरत था जिसमें एक मु.अ., दो अ.अ., 11 का.अ. और 144 स. अ. पथ कार्यों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं अनुरक्षण के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे। यह अनुभाग 2002-06 के दौरान पथ कार्य को समय पर पूरा करवाने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में असफल रहा। कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण व्यवस्थित रूप से सामयिक आधार पर नहीं किया गया। हालाँकि, 2006-07 में प्रस्तावित प्रारूप में सप्ताह में दो बार चालु कार्यों पर किये गये अद्यतन व्यय एवं कार्यों की साप्ताहिक वित्तीय प्रगति के संदर्भ में प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कर अनुश्रवण को सुदृढ़ किया गया।

### 3-3-11 fu"d"l

बाढ़ प्रभावित जिलों में वर्ष 2002-07 के दौरान पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य दोषपूर्ण नियोजन एवं अनियमित क्रियान्वयन के रूप में चरितार्थ हुआ। अवास्तविक एवं स्फीतीय प्राक्कलन तैयार किया गया जो कि अतिरिक्त लागत एवं संदेहास्पद क्रियान्वयन का कारण बना। संविदा प्रबंधन कमजोर था जो कि अधुरे कार्यों पर निरर्थक व्यय एवं अयोग्य संविदादाताओं को कार्य प्रदान करने से प्रतिविम्बित होता है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली ध्वस्त थी जो कि कार्यों के संदेहास्पद निष्पादन, नहीं

उठाये गये अलकतरा के लिए बीजक के बिना भुगतान तथा कार्यों के दुबारा अभिलेखन इत्यादि से स्पष्ट था। बिहार खान खनिज एवं रियायत नियम का उल्लंघन अवमानक गिट्टी के उपयोग में परिणत हुआ। गुणवत्ता नियंत्रण निष्प्रभावी था क्योंकि अवमानक नमूनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

*Vuq kd k, j*

- प्राक्कलनों में भा.स.कां. के निर्दिष्टिकरण के अनुसार पक्का किनारा और नालों का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- अलकतरा और गिट्टी की प्राप्ति से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण को कठोरता से लागू करना चाहिए ताकि कपटपूर्ण भुगतान और अवमानक कार्य निष्पादन को रोका जा सके। प्रत्येक बिन्दु पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कार्यों का निष्पादन समय के अन्दर सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा कार्यों के विलम्बित निष्पादन के लिए संवेदकों पर दंड लगाया जाना चाहिए।
- निष्पादन के मामले जहाँ संदेहास्पद हों, उपयुक्त तंत्र बनाये जाने चाहिए तथा प्रत्येक स्तर पर जबावदेही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार में उच्च स्तर पर प्रस्तावित तंत्र के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- गुणवत्ता नियंत्रण और भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा अवमानक निष्पादन सुनिश्चित करने वाले प्रतिवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपर्युक्त मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अक्टूबर 2007), जबाव अप्राप्त थे (अक्टूबर 2007)।

xkeh.k fodkl foHkkx

3-4 etnijh jkstxkj dk; Øe

eq; kd"lz k

xkeh.k {ks=ka ea vfrfjä etnijh jkstxkj , oa [kk/ l j {kk çnku djus rFkk fVdkÅ ifj l a fr ds fuekZk djus gsrq xkeh.k jkstxkj dk; Øe dlnz }kjk l a ks"kr ; kstuk FkhA 'kjkhjd Je djus ds bPNqd çR; sd ifjokj dks o"lz ea 100 fnu dk jkstxkj l fuf'pr djus gsrq jk"Vh; xkeh.k jkstxkj xkjÅ/h ; kstuk %ujxk½ o"lz 2006 ea ykxw dh xbA

ueuuk tkfpr vkB ftyka ea dke ds cnys vukt dk; Øe ds rgr- l an'kz ; kstuk dks cukus gsrq 47-46 yk[k #i ; s dk fu"Qy 0; ; fd; k x; kA ujsxk ds rgr- ifj; kstuk dh l an'kz ; kstuk , oa [kkdk r\$ kj ugha fd; k x; kA okf"kd dk; l ; kstuk ea fu/kkFjr ekud l s vf/kd l kexh Je vuq kr okyh ; kstuk ; 'kkfey FkhA

%dMdk 3-4-6½

l a wZ xkeh.k jkstxkj ; kstuk , oa dke ds cnys vukt ; kstuk ds v/khu etnijh ds Hkqrku ds fy, nh xbZ 24-97 djkm+ #i ; s dh fuf/k dk fopyu fcØh dj , oa foi .ku 'kq' d ds : i ea fd; k x; kA ueuuk tkfpr ftyka ea 23-66 djkm+ #i ; s dh mi yC/krk ds cktwn ujsxk ds v/khu dkbZ dk; l 'kq ugha fd; k x; kA

%dMdk 3-4-7-2½

ujxk ds rgr- dk; l Jfedka dh igpku rFkk etnijh ds Hkqrku l s l af/kr vkarfjd fu; æ.k dk; j r ugha FkhA jkstxkj l tu dk ifronu vk/kkj ghu FkhA

%dMdk 3-4-9-1 l s 3-4-9-4½

N% ftyka ds rhu ftyk ifj"kn] , d Mh vkj Mh , , oa 18 ç [kMka ea 7-06 djkm+ #i ; s ew; ds 5345 es Vu pkoy dk dkbZ ys[kk tks[kk ugha FkhA Mh vkj Mh , l q ksy ds ikl , d yk[k es Vu pkoy ds mBko , oa fuxr djus dk dkbZ vfHkys[k ugha FkhA , Q l h vkbZ Mh kj njHkæc l s 1724 es Vu pkoy dk mBko l ngkLin Fkk D; kfd <kus ds fy, ç; ks ea ykbl xbl xkfM; k; ekMj l kbfdy] LdWj] Vsyj , oa cl ds : i ea fuf/kr FkhA

%dMdk 3-4-10-2½

mi fLFkr ukekoyh ij 8-06 djkm+ #i ; s ds pkoy %109 es Vu½ dk forj.k ml s mBkus dh frfFk l s Hkh igys gh n'kkz; k x; k FkhA ueuuk tkfpr ftyka ea xkeh.k jkstxkj] dke ds cnys vukt ; kstuk , oa ujsxk ds rgr- 88 dk; ka ea 19-81 yk[k #i ; s dk diViwZ Hkqrku fd; k x; kA bl ds vfrfjä 29-69 yk[k #i ; s dh mi fLFkr ukekoyh fcuk frfFk , oa dk; kñs k l a; k dh Fkh ft l l s dk; l dk fØ; kUo; u l ngkLin yxrk FkhA

%dMdk 3-4-10-3½

l a wZ xkeh.k jkstxkj ; kstuk] dke ds cnys vukt ; kstuk , oa ujsxk ds rgr- v/kjh ; kstukvka ij fd, x, 104-97 djkm+ #i ; s ds 0; ; 2006&07 ea gDZ Hkkjh ckfj 'k , oa ck+ ds dkj .k 0; FkZ l kfer gks l drk gA

%dMdk 3-4-10-5½

16 ueuk tkfpr dk; kzy; ka ea 236 l jdkjh l oodka l s 43-02 djkm+ #i ; s ds  
vl ek; kftr vfxæ dh ol wyh vHkh dh tkuh FkhA

%dfMdk 3-4-10-6%

pkj ftyka ea 485 dk; ka ds fy, 12-85 djkm+ #i ; s dk Hkxrkru çek.kd , oa  
mifLFkr ukekoyh dks ikfjr fd, fcuk gh fd; k x; ka

%dfMdk 3-4-10-9%

### 3-4-1 çLrkouk

विभिन्न केन्द्र संपोषित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मजदूरी रोजगार कार्यक्रम 1960 से ही क्रियान्वित की जा रही थी। राज्य की सभी 38 जिलों में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं रोजगार सुनिश्चित योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) लागू की गई (सितंबर 2001)। एस जी आर वाई के तहत उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि हेतु शत प्रतिशत केन्द्र संपोषित राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) को राज्य के 15 जिलों में शुरू किया गया (अक्टूबर 2004)। तदनंतर, ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 जिलों में एस जी आर वाई एवं एन एफ एफ डब्ल्यू पी को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) लागू की गई (फरवरी 2006)।

### 3-4-2 I kxBfud <kpk

अपर सचिव एवं संयुक्त विकास आयुक्त की सहायता से ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव राज्य में मजदूरी रोजगार योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदाई थे। जिला स्तर पर काम के बदले अनाज योजना का क्रियान्वयन जिलाधिकारी द्वारा तथा ग्रामीण रोजगार योजना एवं नरेगा का क्रियान्वयन उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जाना था। प्रखंड/मध्यवर्ती पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं नरेगा के क्रियान्वयन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया उत्तरदाई थे।

### 3-4-3 ys[kki jh{kk dk mıs';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्या :

- योजना पर्याप्त एवं पूर्ण थी तथा वह विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित थी ;
- निधि एवं खाद्यान्न का फलप्रद उपयोग सुनिश्चित किया गया था ;
- योजना के अंतर्गत कार्य निर्धारित मानक के अनुसार मितव्ययिता से, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया ;
- नरेगा में परिकल्पित आंतरिक नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से कार्यरत था , तथा
- अनुश्रवण प्रणाली ठीक थी जैसा कि योजना की मार्गदर्शिका में समाहित था।

### 3-4-4 यस्कि जहक्क द्स् एकुद

योजना के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानक निम्न थे :

- एस जी आर वाई, एन एफ एफ डब्ल्यू पी एवं नरेगा के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका ;
- बिहार वित्तीय नियमावली (बि. वि. नि.) तथा
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत सर्कुलर एवं आदेश।

### 3-4-5 यस्कि जहक्क फोर्कज , ओऒ.क्यह

एस जी आर वाई (2002-07) , एन एफ एफ डब्ल्यू पी (2004-07) एवं नरेगा (2005-07) के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा ग्रामीण विकास विभाग, नौ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण<sup>1</sup> (डी आर डी ए), 26 प्रखंडों एवं 60 ग्राम पंचायतों के अभिलेख की मार्च 2007 तथा जुलाई 2007 के बीच नमूना जाँच कर की गई। नौ डी आर डी ए में से छः डी आर डी ए तथा 12 प्रखंडों (प्रत्येक जिले से दो) का चयन एस आर एस डब्ल्यू ओ आर<sup>2</sup> विधि को अपना कर तथा 48 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक प्रखंड से चार) का चयन पी पी एस डब्ल्यू आर<sup>3</sup> के आधार पर किया गया। शेष तीन जिलों का चयन प्रमंडलवार किया गया गया। आयुक्त सह सचिव, ग्रा वि विभाग के साथ 11 मई 2007 को प्रविष्टि बैठक किया गया जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, आधार एवं प्रणाली पर चर्चा की गई। प्रधान सचिव, ग्रा वि विभाग के साथ 17 अक्टूबर 2007 को निर्गम बैठक किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर चर्चा की गई।

### यस्कि जहक्क द्स् फु"द"क

### 3-4-6 ; क्स् तुक

एस जी आर वाई की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व ही वार्षिक कार्य योजना (वा का योजना) का अनुमोदन होना था जिसे पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित अपने हिस्से की निधि का करीब 125 प्रतिशत होना था। कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए जिलों के लिए पंचवर्षीय संदर्श योजना तैयार कर उसे केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित होना था। नरेगा में, जिलों में विकास का खाका प्रस्तुत करने वाला एक पंचवर्षीय संदर्श योजना तैयार करना था। जिले की कार्य योजना में एक वर्ष के भीतर प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाने वाले कार्यों को चिह्नित करना था। योजना को पहले ग्राम सभा की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कर मध्यवर्ती पंचायत से अनुमोदित कराकर अंततः जिला परिषद से अनुमोदित कराना था। तथापि अगर ग्राम पंचायत से अनुशंसा नहीं की गई हो तो किसी भी योजना को मध्यवर्ती पंचायत या जिला परिषद के स्तर पर नहीं जोड़ना था। नमूना जाँचित जिलों की योजनाओं में पाई गई त्रुटियाँ निम्नवत थी :

<sup>1</sup> मुजफ्फरपुर, गया, मधुबनी, मुंगेर, कटिहार, दरभंगा, नालंदा, सुपौल एवं समस्तीपुर।

<sup>2</sup> एस आर एस डब्ल्यू ओ आर : सिंपल रैंडल सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट

<sup>3</sup> पी पी एस डब्ल्यू आर : प्रोबेलिटी प्रोपोर्सनल टू साइज विद रिप्लेसमेंट

l n'kz ; kstuk dh  
r\$ kjh ij gqvk 47-46  
yk[k #i ; s dk 0; ;  
0; Fkz l kfc r gqvk

- आठ नमूना जाँचित जिलों<sup>4</sup> में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 2005-10 की अवधि के लिए संदर्श योजना तैयार करने के लिए छः एजेंसियों को किया गया 47.46 लाख रुपये का भुगतान (2004-06) व्यर्थ रहा क्योंकि योजना तैयार नहीं हुई एवं फरवरी 2006 से कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को नरेगा के साथ मिला दिया गया जबकि नरेगा के उद्देश्य के लिए उपयोगी बनाने हेतु पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता था। नरेगा की संदर्शी योजना एवं योजना की प्रखंडवार तथा पंचायतवार सूची नहीं बनाई गई।

ok- dk- ; kstuk ea  
fcuk 'kkfey fd, gh  
9-13 dj kM+ #i ; s ds  
dk; l dk fØ; kll; u  
fd; k x; k

- बिना वा. का. योजना में शामिल किए ही 9.13 करोड़ रुपये लागत के एस जी आर वाई (मधुबनी 2003-04) के नौ कार्यों एवं नरेगा (दरभंगा एवं समस्तीपुर 2006-07) के 245 कार्यों का क्रियान्वयन किया गया जो अनियमित था। 9.13 करोड़ रुपये में से 2.69 करोड़ रुपये सम विकास योजना के तहत निर्मित उर्ध्व प्लेटफार्म के 34 बचाव दिवार के निर्माण हेतु 2006-07 में मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए, जिसमें नरेगा के कार्यों को दूसरी योजनाओं के साथ मिलाने की मनाही थी, विशेष प्रमंडल, दरभंगा को स्थानांतरित किया गया। इन कार्यों को भी नरेगा के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया।

l kexh ij fu/kkzjr  
ekud l s 5-38 dj kM+  
#i ; s vf/kd 0; ;

- अधिनियम में निर्दिष्ट था कि मजदूरी लागत का, सामग्री लागत से अनुपात 60 : 40 के न्यूनतम मानक से कम नहीं होगा। नमूना जाँचित सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं नरेगा के तैयार वार्षिक योजना में ईट से बने पथों के निर्माण की भरमार थी, परिणामस्वरूप सामग्री मजदूरी अनुपात अधिक था। 2002-07 के 444 कार्यों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि मजदूरी सामग्री अनुपात 1 : 99 तथा 30 : 70 के बीच था। परिणामस्वरूप 2002-07 के दौरान सामग्री पर 5.38 करोड़ रुपये का अधिक व्यय एवं 8.27 लाख कम कार्य दिवस का सृजन हुआ। सुपौल में 2.02 करोड़ रुपये का नरेगा का 37 कार्य 27.79 लाख रुपये व्यय करने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के निदेशानुसार छोड़ दिया गया क्योंकि इन योजनाओं में निर्दिष्ट सामग्री मजदूरी अनुपात अधिक था। अतः नरेगा की मार्गदर्शिका के अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं करने के कारण 27.79 लाख रुपये की हानि हुई।

ujxk ds 37 dk; l 27-  
79 yk[k #i ; s 0; ;  
dj us ds ckn vf/kd  
l kexh etnjh  
vuij kr ds dkj .k  
NkM+fn, x,

- नमूना जाँचित जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा कम के बदले अनाज कार्यक्रम के अनुमोदित वार्षिक योजना में शामिल किए गए एवं तत्पश्चात शुरू किए गए कार्य का प्राक्कलित मूल्य आवंटित निधि के 125 प्रतिशत के बदले 133 प्रतिशत तथा 295 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार 2002-07 के बीच योजना में प्राक्कलन के अधिक आंकने के परिणामस्वरूप नमूना जाँचित जिलों में 2918 योजनाएँ अपूर्ण थी।

vupkfnr okf'kzd  
; kstuk ea 'kkfey  
dk; l dh ek=k 133  
çfr'kr , oa 295  
çfr'kr ds chp Fkh

- मार्गदर्शिका की कंडिका 3.3.7 का उल्लंघन करते हुए नरेगा में जिला परिषद के 20 प्रतिशत हिस्से के लिए जिला परिषद के सदस्यों द्वारा अनुमोदित योजनाओं को जिला परिषद, दरभंगा ने शामिल करने का निर्णय लिया जबकि ये योजनाएँ ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थीं।

<sup>4</sup> दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सुपौल।

<sup>5</sup> अ. वा. सिन्हा संस्थान, पटना (मधुबनी, समस्तीपुर), कृषि वित्त निगम, नई दिल्ली (गया, दरभंगा), एक्सएल आर आई, जमशेदपुर (मुजफ्फरपुर), प्रधानाचार्य, बी एस एस कॉलेज, सुपौल (सुपौल), व्यायस, नई दिल्ली (मुंगेर), बी आई टी मेसरा, राँची (कटिहार)



- जहाँ कार्य की माँग सबसे अधिक थी वैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने हेतु नरेगा के तहत कम मजदूरी वाले क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी।
- नरेगा के तहत दरवाजे-दरवाजे जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया जबकि यह अपेक्षित था।

### 3-4-7 foUkh; çcãku

#### 3-4-7-1 foUkh; i) fr

ग्रामीण रोजगार योजना का रोकड़ घटक भारत सरकार एवं राज्य सरकार को 75 : 25 के अनुपात में उपलब्ध कराना था जबकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित थी। हालांकि खाद्यान्न दोनों कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। खाद्यान्न की ढुलाई, रख रखाव, बिक्री कर तथा विपणन शुल्क राज्य द्वारा अपने स्रोत से वहन करना था।

नरेगा के तहत कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों की मजदूरी तथा सामग्री का लागत केन्द्र एवं राज्य को 75 : 25 के अनुपात में वहन करना था जबकि शारीरिक श्रम करने वाले अकुशल मजदूरों की मजदूरी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी तथा उनके सहयोग कर्मियों के वेतन भत्ता तथा कार्य स्थल पर सुविधा उपलब्ध कराने पर आने वाला पूरा खर्चा भारत सरकार को वहन करना था। आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ राज्य रोजगार गारंटी समिति के प्रशासनिक व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन करना था। नरेगा के तहत आवर्ती निधि की तरह राज्य रोजगार गारंटी निधि को स्थापित करने का प्रावधान था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2007 तक इसे स्थापित नहीं किया गया।

#### 3-4-7-2 fuf/k dk mi ; kx

पूरे राज्य के लिए 2002-07 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज तथा नरेगा के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि निम्नवत थी :

								%djkm+ #i ; se#	
o"l	; kst uk	vkfn 'k'k	çklr fuf/k				0; ;	var 'k'k	
			dlnz	jkT;	vl;	dy			
2002-03	एस जी आर वार्ड	191.18	296.34	126.75	1.95	616.22	443.13	173.09 (28)	
2003-04	एस जी आर वार्ड	217.79	306.10	91.48	2.91	618.28	482.60	135.68 (22)	
2004-05	एस जी आर वार्ड	146.42	509.75	140.50	2.66	799.33	634.80	164.53 (21)	
	एन एफ एफ डब्ल्यू पी	शून्य	264.12	-	-	264.12	77.78	186.34 (71)	

o"kl	; kst uk	vkfn 'k'sk	çklr fuf/k				0; ;	var 'k'sk
			dlnz	jkT;	vl;	dy		
2005-06	एस जी आर वाई	201.32	577.47	227.57	10.00	1016.36	731.95	284.41 (28)
	एन एफ एफ डब्ल्यू पी	205.54	296.20	-	2.39	504.13	275.37	228.76 (45)
	एन आर ई जी एस	-	101.67	-	-	101.67	'kl;	101.67 (100)
2006-07	एस जी आर वाई	69.46	139.32	46.34	4.44	259.56	219.31	40.25 (16)
	एन आर ई जी एस	534.48	582.13	79.08	33.25	1228.94	718.27	510.67 (42)
dy	, l th vkj okbz	191.18	1828.98	632.64	21.96	2674.76	2511.79	162.97
	, u , Q , Q MCY; w i h	'kl;	560.32	-	2.39	562.71	353.15	209.56
	, u vkj bz th , l	'kl;	683.80	79.08	33.25	796.13	718.27	77.86
dy ; ks		191.18	3073.10	711.72	57.60	4033.60	3583.21	450.39

(स्रोत:ग्रामीण विकास विभाग; टिप्पणी : कोषक के अंक कुल निधि में अंतशेष का प्रतिशत दर्शाता है।)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण एवं अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि :

[kjkc ys[kk i) fr ds  
dkj .k var 'k'sk , oa  
vkfn 'k'sk ea varj

- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 2002-07 की अवधि में कुल उपलब्ध निधि 2674.76 करोड़ रुपये थी एवं व्यय 2511.79 करोड़ रुपये था लेकिन अंतशेष के रूप में 40.25 करोड़ रुपये दर्शाया गया था जो कि 122.72 करोड़ रुपये कम था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम एवं नरेगा में अंतशेष क्रमशः 19.20 करोड़ रुपये एवं 432.81 करोड़ रुपये अधिक था। विभाग को अभी भी (सितंबर 2007) अंतर का कारण स्पष्ट करना है।

fuf/k dk mi ; ksx ugha  
gkaus ds dkj .k l a xk  
jks ; ks@ ujsxk ds  
vd k ea 30-22 djkm+  
#i ; s dh dVks+h dj  
nh xbl

- 2002-07 की अवधि में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 16 से 28 प्रतिशत के बीच तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 45 से 71 प्रतिशत के बीच निधि का उपयोग नहीं किया गया जबकि इसकी सीमा 15 प्रतिशत थी, फलस्वरूप अनुवर्ती आवंटन में कटौती की गई। दरभंगा, कटिहार, समस्तीपुर एवं मधुबनी के डी आर डी ए में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2002-04) तथा नरेगा (2006-07) के तहत केन्द्र एवं राज्य अंश में 30.22 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई।

नमूना जाँचित नौ जिलों में तीनों योजनाओं के तहत 2002-07 के दौरान उपलब्ध निधि एवं किए गए व्यय का विवरण निम्नवत था :

o"kl	; kst uk	vkfn 'ks'k	çklr fuf/k				0; ;	cpr	cpr dk çfr' kr
			dlnz	jkT;	vll;	dly			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002-03	एस जी आर वार्ड	67.38	84.27	39.99	5.03	196.67	132.17	64.50	33
2003-04	एस जी आर वार्ड	62.31	95.63	29.28	0.69	187.91	149.10	38.81	21
2004-05	एस जी आर वार्ड	40.39	156.72	41.09	2.04	240.24	178.56	61.68	26
	एन एफ एफ डब्ल्यू पी	शून्य	160.60	-	0.01	160.61	45.02	115.59	72
2005-06	एस जी आर वार्ड	70.32	175.80	56.39	4.69	307.20	221.21	85.99	28
	एन एफ एफ डब्ल्यू पी	105.47	226.64	-	0.95	333.06	171.57	161.49	48
	एन आर ई जी एस	शून्य	44.86	-	-	44.86	0.41	44.45	99
2006-07	एन आर ई जी एस	340.68	269.52	40.26	4.04	654.50	375.43	279.07	43
dly	, l th vkj okbz	67.38	512.42	166.75	12.45	759.00	681.04	77.96	
	, u , Q , Q MCY; wih	शून्य	387.24	-	0.96	388.20	216.59	171.61	-
	, u vkj bz th , l	शून्य	314.38	40.26	4.04	358.68	375.84	(-) 17.16	-
dly ; ksx		67.38	1214.04	207.01	17.45	1505.88	1273.47	232.41	-

(स्रोत : डी आर डी ए)\*

तालिका के आँकड़ों के विश्लेषण एवं अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत उपयोग नहीं किया गया शेष 21 से 72 प्रतिशत के बीच था।
- तीन डी आर डी ए, अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण रोजगार योजना तथा नरेगा के राज्य अंश के 1.12 करोड़ रुपये<sup>6</sup> की निकासी (2004-07) करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप इन जिलों में 0.90 लाख श्रम दिन रोजगार का सृजन नहीं किया जा सका।

\* डी आर डी ए को आदि शेष एवं अंत शेष के बीच के अंतर की जाँच करने के लिए कहा गया है।

<sup>6</sup> डी आर डी ए, मधुबनी : 81.88 लाख रुपये (स ग्रा रो यो), कटिहार : 15 लाख रुपये (नरेगा) तथा समस्तीपुर : 15 लाख रुपये (नरेगा)

4-83 dj kM+ #i ; s dh  
fuf/k pkj o"kk l s  
i kj xeu ea Fkh

- मधुबनी जिला में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की 4.83 करोड़ रुपये की निधि को सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन में चार वर्षों (2002-06) तक निधि पारगमन में दर्शाया गया जिसके विस्तृत जाँच की आवश्यकता है।
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा कम के बदले अनाज कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट था कि निधि को बैंक के बचत खाता में रखा जाना चाहिए। लेकिन तीन कार्यालयों<sup>7</sup> ने 2002-07 के दौरान 11.82 करोड़ रुपये चालू खाते में जमा किया। परिणामस्वरूप मार्च 2007 तक 17 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

1-23 dj kM+ #i ; s  
vo: ) , 0a  
vol wuh;

- मार्गदर्शिका की कंडिका 5.1.2 का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना निधि का 1.23 करोड़ रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक के बदले मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक, सुपौल में जमा (2002-03) किया गया परिणामस्वरूप जमा राशि अवरुद्ध हो गई क्योंकि 2003 से ही बैंक परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन है।

99-70 yk [k #i ; s dk  
nq i ; ks fd ; k x ; k

- वाहन, जेनरेटर, फोटोकॉपी मशीन, फर्नीचर, सेलफोन इत्यादि के क्रय पर 99.70 लाख रुपये (i f f f ' k " V & X X X V I I I I ) का दुरुपयोग किया गया यद्यपि मार्गदर्शिका के तहत इसकी अनुमति नहीं थी।

- जिला परिषद में दो प्रतिशत तथा ग्राम पंचायत में 7.5 प्रतिशत या 7500 रुपये, जो भी कम हो, के मानक से 18.39 लाख रुपये अधिक जिला परिषद, गया एवं मुजफ्फरपुर तथा गया के 35 ग्राम पंचायतों ने आकस्मिकता मद में व्यय किया। इसके अतिरिक्त चार जिलों ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम एवं नरेगा के 47.44 लाख रुपये (i f f f ' k " V & X X X I X ) को अनधिकृत रूप से आकस्मिकता व्यय में स्थानांतरित कर दिया।

fc 0 h dj ] foi .ku  
'k y d ds en ea 24-87  
dj kM+ #i ; s dk  
Hk q rku

- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम की निधि से बिक्री कर, विपणन शुल्क, परिवहन एवं रखरखाव शुल्क के भुगतान की योजना में मनाही थी तथा इनका वहन राज्य सरकार को करना था। आठ डी आर डी ए ने 2002-06 के दौरान योजना के रोकड़ घटक से एफ सी आई/एस एफ सी को रखरखाव एवं परिवहन शुल्क, बिक्री कर एवं विपणन शुल्क के रूप में 24.97 करोड़ रुपये<sup>8</sup> का व्यय किया। एफ सी आई/एस एफ सी को 2002-06 के दौरान उसके द्वारा आपूर्ति की गई खाद्यान्न के मूल्य से 6.02 करोड़ रुपये<sup>9</sup> अधिक का भुगतान किया गया। इस राशि की वसूली अनिवार्य है क्योंकि नरेगा में खाद्यान्न घटक नहीं है।

<sup>7</sup> प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंडी (नालंदा), कार्यपालक अभियंता, विशेष प्रमंडल, सुपौल तथा जिला अभियंता, जिला परिषद, सुपौल

<sup>8</sup> गया (5.87 करोड़ रुपये), कटिहार (2.11 करोड़ रुपये), मधुबनी (2.11 करोड़ रुपये), मुंगेर (2.66 करोड़ रुपये), मुजफ्फरपुर (5.56 करोड़ रुपये), नालंदा (2.69 करोड़ रुपये), समस्तीपुर (2.29 करोड़ रुपये) तथा सुपौल (1.68 करोड़ रुपये)

<sup>9</sup> दरभंगा (एस बी आई : 52 लाख रुपये), गया (एफ सी आई : 32 लाख रुपये), कटिहार (एफ सी आई : 32 लाख रुपये), मधुबनी (एफ सी आई : 1.10 करोड़ रुपये), एस एफ सी : 93 लाख रुपये), मुंगेर (एफ सी आई : 85 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (एफ सी आई : 1.18 करोड़ रुपये), नालंदा (एफ सी आई : 13 लाख रुपये) तथा समस्तीपुर (एफ सी आई : छः लाख रुपये, एस एफ सी : 11 लाख रुपये)

nks Mh vkj Mh , us  
xkeh.k jkstxkj  
dk; Øe ds rgr-  
vi us ih vkj vkbz dks  
20-41 djkm+ #i ; s  
de foeā fd; k

- डी आर डी ए नालंदा एवं सुपौल ने 2002-07 के दौरान अपने पी आर आई को 20.41 करोड़ रुपये कम विमुक्त किया जिससे रोजगार सृजन में 16.33 करोड़ श्रम दिन की कमी आई। यद्यपि खाद्यान्न का कोई आवंटन नहीं था, डी आर डी ए, नालंदा ने 2005-06 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक से खाद्यान्न की दुलाई एवं रखरखाव के लिए 97 लाख रुपये की निकासी किया एवं उसे बचत खाता में रख दिया। परिणामस्वरूप जुलाई 2005 से जुलाई 2007 के दौरान 9.33 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई क्योंकि बैंक में रखी हुई निधि सरकार के रोकड़ शेष का भाग नहीं होता है।

l axk jks ; ks , oa dke  
ds cnys vukt  
dk; Øe ds 59-48  
djkm+ #i ; s ds cps  
gq 'ks'k dk  
LFkkukarj .k ujsxk dks  
ugha fd; k x; k

- भारत सरकार के दिनांक 20 मार्च 2006 के निर्देश का उल्लंघन करते हुए चार जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के मार्च 2006 को 59.48 करोड़ रुपये<sup>10</sup> के बचे हुए शेष का स्थानांतरण नरेगा के खाते में जून 2007 तक नहीं किया गया।
- डी आर डी ए, मधुबनी एवं मुंगेर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुसा जिला परिषद, समस्तीपुर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, चांडी (नालंदा) ने ग्रामीण रोजगार योजना एवं नरेगा के 2.05 करोड़ रुपये की निधि को अन्य योजनाओं/कार्यों<sup>11</sup> के लिए 2002-03 से अगस्त 2007 तक विचलित किया।
- तीन जिला परिषदों, तीन मध्यवर्ती पंचायतों एवं तीन ग्राम पंचायतों ने 2006-07 के दौरान नरेगा के तहत कोई कार्य शुरू नहीं किया जिससे 23.66 करोड़ रुपये<sup>12</sup> की निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।
- बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 का उल्लंघन करते हुए तीन प्रखंडों में सितंबर 2005 से मार्च 2007 के दौरान 4.07 लाख रुपये<sup>13</sup> के ब्याज की राशि को ग्रामीण रोजगार योजना एवं नरेगा के रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं किया गया।

### 3-4-8 v- tk@v- t- tk- ds fy, fo'ks'k l g'kk

17-98 djkm+ #i ; s dh  
mi yc/krk ds ckotw  
2002&06 ea v tk  
@v t tk ds fy,  
dkbz ; kst uk 'kq ugha  
dh xbz

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में यह प्रावधान था कि जिला परिषद एवं मध्यवर्ती पंचायत के कुल आवंटन के 22.5 प्रतिशत का व्यय अ जा/अ ज जा के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी योजनाओं पर करना था। दो डी आर डी ए, दो जिला परिषद एवं तीन जिलों<sup>14</sup> के छः मध्यवर्ती पंचायतों में 17.98 करोड़ रुपये की उपलब्धता के बावजूद 2002-06 में अ जा/ अ ज जा के लिए कोई योजना नहीं शुरू की गई।

<sup>10</sup> गया (20.50 करोड़ रुपये), कटिहार (7.01 करोड़ रुपये), समस्तीपुर (4.22 करोड़ रुपये) तथा सुपौल (27.75 करोड़ रुपये)

<sup>11</sup> प्राथमिक न्यूनतम सेवा, बुनियादी इंदिरा आवास, जिला परिषद के कर्मियों के वेतन एवं भत्ते, कार्यालय खर्च एवं परिवार कल्याण

<sup>12</sup> जिला परिषद - मुजफ्फरपुर, गया एवं मधुबनी, प्र. वि. पदा. - कांटी (मुजफ्फरपुर), विभूतिपुर (समस्तीपुर) तथा बेनीपट्टी (दरभंगा), ग्राम पंचायत : माधोपुर, दुल्हन (कांटी), सैन (कांटी) तथा परिया (मुंगेर में बरियारपुर)।

<sup>13</sup> चांडी : 1.13 लाख रुपये, नगरनौसा : 0.62 लाख रुपये तथा नूरसराय : 2.32 लाख रुपये

<sup>14</sup> डी आर डी ए : सुपौल तथा गया, जिला परिषद : नालंदा तथा कटिहार, मध्यवर्ती पंचायत : बिहारशरीफ, बारसोई (कटिहार) सुपौल जिले का पिपरा, छातापुर, केशवपुर एवं सुपौल सदर

तीन जिला परिषदों, सात मध्यवर्ती पंचायतों तथा एक ग्राम पंचायत ने गैर अ जा/अ ज जा लाभार्थियों को मदद पहुँचाते हुए 4.32 करोड़ रुपये<sup>15</sup> का विचलन किया।

### 3-4-9 *ujxk dk vkrfjd fu; &.k*

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) में प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को जीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान था।

नमूना जाँचित जिलों, प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आंतरिक नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित खामियाँ पाई गईं।

#### 3-4-9-1 *t kll; dkmZ dk forj.k*

- रोजगार के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति को दर्ज करने हेतु जॉब कार्ड की अतिरिक्त प्रति को संधारित नहीं किया जा रहा था। अतः बेरोजगारी भत्ता से वंचित रखे जाने को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य रोजगार गारंटी समिति के वर्ष 2006-07 से संबंधित नरेगा के प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि आठ जिलों<sup>16</sup> में नरेगा की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए 20225 परिवारों को न तो रोजगार दिया गया न ही बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया। इसी प्रकार नालंदा जिले के नगरनौसा एवं हिलसा प्रखंड में 2118 परिवारों को नरेगा की मार्गदर्शिका के अनुसार न तो रोजगार दिया गया न ही बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया और न ही राज्य/जिला प्रतिवेदन में यह प्रदर्शित था। बेरोजगारी भत्ता भुगतान नहीं करने का कारण अभिलेख में नहीं था।
- मजदूरों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु व्यक्ति/परिवार का फोटो जॉब कार्ड पंजी में नहीं चिपकाया गया था तथा पंचायत सचिव द्वारा अभिप्रमाणित नहीं था।
- दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के तहत् वाजितपुर में वार्ड सदस्य द्वारा 13 जॉब कार्ड प्राप्त किया गया जिसे पंजीकृत मजदूरों को निर्गत करना था।
- जॉब कार्ड को तैयार करने में कूट प्रणाली का पालन नहीं किया गया।

#### 3-4-9-2 *dk; l dh i gpkv*

- सत्यापन करने हेतु तीन स्तरों पर कार्य की तस्वीर नहीं ली गई।

<sup>15</sup> नालंदा एवं मुंगेर जिला परिषद तथा बिहारशरीफ (नालंदा, प्रतापगंज, छातापुर (सुपौल) में 1938 आवास के निर्माण के लिए 4.18 करोड़ रुपये, बेनीपट्टी (मधुबनी) मध्यवर्ती पंचायत तथा अकबरपुर (नालंदा) ग्राम पंचायत में 72 चापाकल लगाने पर 8.81 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर जिला परिषद एवं कांटी तथा सकरा (मुजफ्फरपुर) मध्यवर्ती पंचायत में गैर बी पी एल अ जा/अनु ज जा को 58 रिक्सा/टेला के वितरण पर 4.86 लाख रुपये तथा आमस (गया) मध्यवर्ती पंचायत में गैर अ जा/अ ज जा के लिए पोखर की खुदाई पर 0.42 लाख रुपये।

<sup>16</sup> औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, पटना, पूर्णिया, रोहतास एवं शिवहर

- पुनरावृत्ति से बचने के लिए कार्य/परियोजना की अद्वितीय पहचान संख्या नहीं दी गई।
- कार्य स्थल पर सूचना पट नहीं लगाया गया।

### 3-4-9-3 etnjh Hkxrk e ikjnf'krk

- कार्य के आवेदनों को संसाधित करने, कार्य के लिए आवंटन, मजदूरी का भुगतान तथा बेरोजगारी भत्ते के भुगतान जैसी संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए रोजगार गारंटी दिवस का अनुपालन नहीं किया गया।
- मजदूरी भुगतान के समय उपस्थिति नामावली को प्रदर्शित नहीं किया गया। दरभंगा के टारडीह प्रखंड में तीन ग्राम पंचायतों को समान संख्या<sup>17</sup> वाली उपस्थिति नामावली निर्गत की गई जो अनियमित था।
- ग्राम सभा में व्यय प्रतिवेदन को पढ़ा नहीं जाता था।
- प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी को निबंधित मजदूरों की सूची भेजी नहीं गई।

### 3-4-9-4 vfhkysfka dk l'kkj.k , oa çfronu ç.kkjh

प्रत्येक निबंधित परिवार को प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या से संबंधित जानकारी देने वाली रोजगार बही का संधारण नहीं किया जा रहा था। सभी नमूना जाँचित पंचायतों एवं प्रखंडों में रोजगार बही के अभाव में सभी निबंधित परिवार को 100 दिन का रोजगार देने के लिए योजना के कार्य की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। अतः प्रतिवेदित रोजगार के आँकड़ों का कोई आधार नहीं था। गलत प्रतिवेदन के कुछ उदाहरण निम्नवत थे :

- नरेगा के तहत 2006-07 के दौरान श्रम दिन का सृजन एवं उसके लिए किया गया व्यय वास्तविक गणना पर आधारित नहीं था जो निम्न तालिका से स्पष्ट होगा :

De fnu yk[k e rFkk #i ; s djM+e#

Øe l a	ftyk	vdqky etnjka ij 0 ; ;	Mh vkj Mh , çfronu ds vuq kj l ftr Je fnu	0 ; ; ds vuq kj Je fnu	vrj %½ vf/kd@ %½ de %5&4½
1	2	3	4	5	6
1	दरभंगा	39.58	53.63	55.75	(-) 2.12
2	गया	20.60	26.78	29.01	(-) 2.23
3	कटिहार	30.51	30.81	42.98	(-) 12.17
3	मधुबनी	3.32	8.68	4.68	(+) 4.00

<sup>17</sup> 27001 से 27100 – काकोही ग्राम पंचायत, 27001 से 27200 – राज खरवार ग्राम पंचायत, 27001 से 27200 – इजार्हटा ग्राम पंचायत

Øe l a	ftyk	vddky etnjka ij 0; ;	Mh vkj Mh , çfronu ds vuđ kj l ftr Je fnu	0; ; ds vuđ kj Je fnu	vrj %\$½ vf/kd@ %&½ de %B&4½
5	मुंगेर	21.16	32.25	29.80	(+) 2.45
6	मुजफ्फरपुर	34.01	51.84	47.90	(+) 3.94
7	नालंदा	37.07	35.01	52.21	(-) 17.20
8	समस्तीपुर	12.04	48.79	17.52	(+) 31.27
9	सुपौल	22.58	30.39	31.80	(-) 1.41
	dy	220.87	318.18	311.65	(-) 35.13 (+) 41.66

स्रोत : डी आर डी ए का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

तालिका से स्पष्ट है कि नालंदा, कटिहार, गया, दरभंगा एवं सुपौल जिले ने अकुशल मजदूरों पर हुए व्यय की तुलना में 35.03 लाख कम श्रम दिन के सृजन का प्रतिवेदन दिया जबकि मुंगेर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी ने अकुशल मजदूरों पर हुए व्यय की तुलना में 41.66 लाख अधिक श्रम दिन का सृजन दर्शाया। इन डी आर डी ए के प्रतिवेदनों में अंतर्निहित अंतर्विरोध से स्पष्ट होता है कि ये तथ्य पर आधारित नहीं थे तथा विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित प्रतिवेदन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- नरेगा के 2006-07 वर्ष के राज्य प्रतिवेदन से पता चला कि दरभंगा जिले में अ जा / अ ज जा परिवार को एक भी जॉब कार्ड निर्गत नहीं किया गया लेकिन जिला प्रतिवेदन के अनुसार 71810 अ जा / अ ज जा परिवारों को रोजगार दिया गया था। इसकी जाँच आवश्यक है।
- तीन जिलों के तहत चार प्रखंडों के 12 ग्राम पंचायतों में 3614 अधिक जॉब कार्ड के प्रतिवेदन का मामला पाया गया (ifjf'k"V&XL)।

इसके अतिरिक्त आवेदन निबंधन पंजी, उपस्थिति नामावली निर्गत एवं प्राप्ति पंजी तथा शिकायत पुस्तिका का संधारण पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर नहीं किया गया, जो अपेक्षित था। अतः निधि की उपयोगिता से संबंधित आवश्यक जानकारी देने वाले सभी मुख्य नियंत्रण संचालित नहीं किए गए थे। इसका योजना के क्रियान्वयन पर बुरा असर पड़ा जिस पर इस प्रतिवेदन में अन्य जगहों पर टिप्पणी की गई है।

### 3-4-10 dk; l dk fØ; kll; u

राज्य में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज एवं नरेगा के तहत 2002-07 के दौरान लिए गए 6,29,350 कार्य में से 3,583.21 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद केवल 3,78,421 कार्य (60 प्रतिशत) ही पूरा हुआ एवं शेष 2,50,929 कार्य (40 प्रतिशत) अधूरे रहे।

इसी प्रकार नमूना जाँचित जिलों में लिए गए 1,84,978 कार्य में 1,273.47 करोड़ रुपये व्यय किये जाने के बावजूद केवल 1,05,901 कार्य (57 प्रतिशत) ही पूरे हुए एवं 79,077 कार्य (43 प्रतिशत) अधूरे रहे।



### 3-4-10-1 etnjih ds jkdM+ ?kVd dk Hkqrku

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में कम से कम 25 प्रतिशत मजदूरी का नकद भुगतान करने का प्रावधान था। मजदूरी के रोकड़ घटक के भुगतान में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :

- समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं नालंदा के 40 उपस्थिति नामावली की लेखापरीक्षा जाँच से स्पष्ट हुआ कि सं. ग्रा रो यो, काम के बदले अनाज कार्यक्रम एवं नरेगा के अधीन 2006-07 में 38769 श्रम दिन के लिए 29.08 लाख रुपये (75 रुपये प्रति दिन की दर से) के स्वीकार्य भुगतान के बदले 26.36 लाख रुपये (68 रुपये प्रति दिन की दर से) का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप मजदूरों को 2.71 लाख रुपये का कम भुगतान किया गया। इसी प्रकार नालंदा एवं मुजफ्फरपुर जिले में सं. ग्रा रो योजना के तहत 79801 मजदूरों को 10.31 लाख रुपये के न्यूनतम स्वीकार्य रोकड़ घटक के बदले 5.28 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
- नरेगा की मार्गदर्शिका में निबंधित मजदूरों के नाम से डाकघर/बैंक में खाता खोलकर मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान था। तथापि उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सभी नमूना जाँचित पंचायतों में नरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान नकद किया गया। अतः दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बैंक/डाकघर खाते के अभाव में भुगतान की सत्यता की जाँच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

### 3-4-10-2 etnjih ds [kk/klu ?kVd dk Hkqrku

भारत सरकार ने डी आर डी ए को सं ग्रा रो योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए मजदूरी भुगतान हेतु प्रति श्रम दिन पाँच किलो की दर से मुफ्त में चावल प्रदान किया। मजदूरों को वितरित करने हेतु योजना क्रियान्वयन एजेंसी को डी आर डी ए द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार एस एफ सी को नजदीक के एफ सी आई के डिपो से चावल उठाकर जन वितरण प्रणाली के डीलर को निर्गत करना था।

मजदूरों को खाद्यान्न के वितरण में निम्नलिखित खामियाँ पाई गई :

- सं ग्रा रो योजना एवं काम के बदले अनाज के तहत 2002-06 के दौरान मजदूरों को 474.40 मे. टन की हकदारी के विरुद्ध केवल 0.45 मे. टन खाद्यान्न प्रदान किया गया परिणामस्वरूप 473.95 मे. टन<sup>18</sup> चावल का कम वितरण किया गया।
- Mh vkj Mh ,] l q ksy ds ikl xk jks ;kst uk , oa dke ds cnys vukt dk; Øe ds rgr~ 2002&06 ds nkjku , l , Q l h }kj k mBk, , oa fuxr fd, x, , d yk[k es Vu pkoy dk dkbz vfHkys[k ugha FkkA Mh vkj Mh ,] l q ksy us mÜkj ea dgk fd vud Lekj ka ds ckn Hkh

<sup>18</sup> प्र. वि. पदा., सकरा : 0.29 मे. टन, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर : 198.02 मे. टन, प्र. वि. पदा, कदवा - 59.56 मे. टन, एन आर ई पी, कटिहार - 132.14 मे. टन, प्र वि पदा, तारापुर - 28.86 मे. टन, प्र वि पदा, बिहारशरीफ - 11.45 मे. टन, प्र वि पदा, रहिका - 43.63 मे. टन

l gjl k , oa e/ks jk , l , Q l h }kjk fooj.kh mi yc/k ugha djkbz  
xbA bl dh tkp dh vko'; drk gA

7-06 djkm+ #i ; s  
eW; ds 5345 es Vu  
[kk | kUu dk dkbz  
ys[kk&tks[kk ugha

- ueuk tkfpr N% , l , Q l h<sup>19</sup> ds vfHkys[kka dh tkp l s Li "V gqk fd ukynk , oa eqt[Qjij ftyk ifj"kn] fo'ks'k ceMy] x; k] Mh vkj Mh , ] eaj rFkk N% ftyka<sup>20</sup> ds 18 ç[kMka ds l çf/kr tu forj.k ç.kkyh Mhyj@fØ; kUo; u , t d h dks 31]156 es Vu pkoy dh vki ÜkZ dh xbA yfdu çklrdÜkkZ dk; kÿ; ka ds vfHkys[k ds vuq kj dpy 25]811 es Vu gh çklr fd; k x; kA vr% 2002&07 ds nkj ku 7-06 djkm+ #i ; s eW; ds 5345 es Vu pkoy dk dkbz ys[kk ugha Fkk ftl dh tkp vko'; d Fkha %i f j f ' k " V & X L I V A
- एफ सी आई से प्राप्त करने की लागत 1210 रुपये से 1370 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थी। हाँलाकि तीन जिलों<sup>21</sup> में उपयोग में नहीं लाए 566.30 मे. टन खाद्यान्न की वसुली बी पी एल दर पर की गई। परिणामस्वरूप पंचायत सेवकों/अंचल निरीक्षकों/कनीय अभियंताओं/जन वितरण प्रणाली के डीलरों को 40.95 लाख रुपये का अदेय लाभ दिया गया। 7.36 लाख रुपये मूल्य का चावल (105.93 मे. टन) जिला अभियंता, मधुबनी द्वारा ठेकेदारों को अनियमित रूप से बी पी एल दर पर निर्गत किया गया एवं रहिका (मधुबनी) तथा नगरनौसा (नालंदा) प्रखंड में ट्रैक्टर के परिवहन शुल्क तथा भैंस की खरीद पर भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप क्रियान्वयन एजेंसियों को अदेय सहायता पहुँचाई गई।
- सं ग्रा रो योजना/ काम के बदले अनाज कार्यक्रम में मजदूरों को मजदूरी के बदले में साधारण चावल देने का प्रावधान था। नमूना जाँचित जिलों में मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए एस एफ सी द्वारा एफ सी आई से 'ए' श्रेणी के चावल (91066.12 मे. टन) उठाया गया परिणामस्वरूप 5.02 करोड़ रुपये<sup>22</sup> का अधिक भुगतान तथा 3801 मे. टन अनुमोदित श्रेणी के कम चावल को उठाया गया। इससे 7.6 लाख कम श्रम दिन के रोजगार का सृजन हुआ।
- छः जिलों<sup>23</sup> में एस एफ सी एवं जन वितरण प्रणाली के डीलरों के पास जुलाई 2007 को सं ग्रा रो योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 27.55 करोड़ रुपये के 20,870.87 मे. टन चावल का उपयोग नहीं किया गया। एस एफ सी एवं जन वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा खाद्यान्न का लेखा नहीं जमा करने के कारण उनके पास वास्तविक रूप से बचे हुए खाद्यान्न को सत्यापित नहीं किया जा सका।

<sup>19</sup> गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं समस्तीपुर

<sup>20</sup> गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं समस्तीपुर

<sup>21</sup> गया, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर

<sup>22</sup> दरभंगा : 88 लाख रुपये, गया : 1.22 करोड़ रुपये, कटिहार : 22 लाख रुपये, मधुबनी : 95 लाख रुपये, मुंगेर : 14 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर : 73 लाख रुपये, नालंदा : 26 लाख रुपये, समस्तीपुर : 44 लाख रुपये तथा सुपौल : 18 लाख रुपये

<sup>23</sup> नालंदा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, समस्तीपुर एवं गया

- , I , Q I h }kjk , Q I h vkbz Mhi kj njHkæk I s 23-62 yk[k #i ; s eW; ds 1724 es Vu pkoy dh <gkbl I s I æf/kr fnl æj 2003 I s ekpl 2004 dh vof/k ds I qnæh pkyku dh tkp I s Kkr gqvk fd <gkbl ds fy, mi ; ks ea ykbl xbl xkfM+ k; ftyk ifjogu dk; kÿ; ] njHkæk ds vfhkys[k ds vuq kj eksVj I kbfdy] LdWj] Vÿyj rFkk cl ds : i ea fucf/kr FkhA bl ds vfrfj ä nl okgu fucf/kr ugha FkhA vr% 1724 es Vu pkoy dk mBko I angkLin Fkk rFkk bl dh tkp vko' ; d FkhA

### 3-4-10-3 I angkLin di Vi vkz Hkqrku

ueuk tkfpr ftyka ea I a xk jks ; ks@ dke ds cnys vukt dk; Øe rFkk ujsk ds rgr~ dk; kã ds fØ; kÿ; u ea i kbz xbl [kkfe; k; uhps n' kkbz xbl gS %

19-81 yk[k #i ; s dk I angkLin Hkqrku

- ukS ftyka<sup>24</sup> ea I a xk jks ; kÿ dke ds cnys vukt dk; Øe , oa ujsk ds rgr~ 88 dk; kã I s I æf/kr mi fLFkr ukekoyh ds ueuk tkp I s i rk pyk fd 2003&07 ds nkSku , d gh fnu@vof/k ds fofHku ; k , d gh mi fLFkr ukekoyh ea , d gh etnij dk uke nks ; k rhu ckj ntZ fd; k x; k FkhA vr% etnijh ds : i ea 19-81 yk[k #i ; s dk Hkqrku I fnX/k etnijka dks fd; k x; kA

- rhu ftyk ifj "knka<sup>25</sup> , oa ukS e/; oUkhz i pk; rka<sup>26</sup> ea 2003&07 ds nkSku I a xk jks ; ks , oa dke ds cnys vukt dk; Øe ds 37 ; kstukvka ea 34403 Je fnu ds fy, 29-69 yk[k #i ; s dk Hkqrku mi fLFkr ukekoyh ij fcuk frfFk , oa dk; kã's k I a ; k vfdv fd, fd; k x; kA vr% dk; l ds I angkLin fØ; kÿ; u ds fy, 29-69 yk[k #i ; s dk Hkqrku fd; kA

- cgknj ij ¼njHkæk½ ç [kM ea ujsk ds rgr~ 1-76 yk[k #i ; s eW; ds dk; l dks dk; kã's k fuxr gkus ¼Qjoh 2007½ ds igys gh ijk fn[kk fn; k x; k ¼vchy&ebz 2006½ 3-98 yk[k #i ; s ds , d ekeys ea dk; l tuojh 2006 ea 'kq gqvk] ekpl 2006 ea ijk gqvk yfdu I kefxz; ka dk Ø; ebz 2006 ea fd; k x; kA

dk; l ds fØ; kÿ; u ij 36-16 yk[k #i ; s dk I angkLin Hkqrku

- 31 ebz ds ckn feeh dk; l ugha djuk Fkk rFkk 15 tu rd feeh dk; l dh iijh ekih djuh FkhA pkj dk; kÿ; ka ea 36-16 yk[k #i ; s<sup>27</sup> ds dk; l tu 2004 ea 'kq fd, x, rFkk 2004 ds ck<+ vof/k ds nkSku fØ; kflor n' kkl, x, , oa ml dh vfre ekih tgykbl I s vDVicj ds nkSku fy, x, tc ijk ftyk ck<+ ea Muck FkhA vr%

<sup>24</sup> दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर तथा सुपौल

<sup>25</sup> कटिहार, मुजफ्फरपुर तथा सुपौल

<sup>26</sup> बहादुरपुर, बरियारपुर, छातापुर, गुरारू, मानपुर, मोहनपुर, नूरसराय, टारडीह तथा तारापुर

<sup>27</sup> जिला अभियंता, मधुबनी : 19.99 लाख रुपये, प्र. वि. पदा., बेनीपट्टी : 12.49 लाख रुपये तथा राजनगर (मधुबनी) : 3.68 लाख रुपये

dk; l ds l ngkLi n fØ; kllø; u ds fy, 36-16 yk[k #i; s dk Hkqrku fd; k x; kA

8-06 djkm+ #i; s ew; ds 6109 es Vu pkoy dk tkyh forj.k

- ueuk tkfpr ftyka ea l a xk jks ; kstuk rFkk dke ds cnys vukt dk; Øe ds [kk|kllø ds vfhkys[kka , oa mi fLFkfr ukekoyh dh ueuk tkp l s irk pyk fd 458 ; kstukvka ea 8-06 djkm+ #i; s ew; ds 6109 es Vu pkoy dk forj.k ml ds mBko dh frffk l s Hkh i gys gh n'kkz k x; k Fkka pkoy ds mBko l s l æf/kr l Hkh frffk; k; vFkkzr ijfev fuxzr djus dh frffk , l , Q l h }kjk vkiwrz fuxzr vkns'k dh frffk] dk; ldkjh , tæf ; ka }kjk [kk|kllø mBk, tkus dh frffk] mi fLFkfr ukekoyh ij [kk|kllø forfjr djus dh frffk ds ckn dh Fkh] tks tkyh forj.k çrhr gkrk Fkka vr% 8-06 djkm+ #i; s ew; ds 6109 es Vu pkoy dk forj.k tkyh Fkk ftl dh tkp vko'; d gA

3-4-10-4 dk; ldkjh , tæf/ka dks vf/kd Hkqrku

कार्यों के क्रियान्वयन में निम्नलिखित अधिक भुगतान किए गए :

bæ/ fcNkbl dh Åph nj ds dkj.k 1-19 djkm+ #i; s dk vf/kd Hkqrku

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा 2002-06 के दौरान तैयार की गई अनुसूचित दर मुजफ्फरपुर के कार्य प्रमंडल की अनुसूचित दर की तुलना में अधिक थी। परिणामस्वरूप जिला परिषद, मुजफ्फरपुर तथा कांटी प्रखंड में सं ग्रा रो योजना तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित 150 ईट बिछाने के कार्य के लिए कार्यकारी एजेंटों को 1.19 करोड़ रुपये अधिक का भुगतान किया गया।

fd, x, 19-74 yk[k #i; s ds vf/kd Hkqrku dh ol w/h ugha

- पाँच नमूना जाँचित जिलों<sup>28</sup> में 2002-07 के दौरान सं ग्रा रो योजना के तहत 94 कार्यों के कार्यकारी एजेंटों को अधिक रोकड़ एवं खाद्यान्न अग्रिम के भुगतान, छोड़े गए कार्य तथा कम प्रमाणकों की सुपुर्दगी के कारण अधिक भुगतान किए गए 19.74 लाख रुपये की वसूली जुलाई 2007 तक नहीं की गई थी।

feèh dk; l ea 20 çfr'kr l ?kurk ugha ?kVkus ds dkj.k 1-47 djkm+ #i; s dk vf/kd Hkqrku gqvk

- मिट्टी कार्य की कुल मापी में से 20 प्रतिशत की दर से सघनता को घटाकर मिट्टी कार्य की मापी करनी थी। तीन नमूना जाँचित जिलों में सं ग्रा रो योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 301 कार्यों में 20 प्रतिशत सघनता घटाकर मापी नहीं ली गई परिणामस्वरूप 2002-06 के दौरान 1.47 करोड़ रुपये<sup>29</sup> का अधिक भुगतान किया गया।

<sup>28</sup> कटिहार, नालंदा, समस्तीपुर, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर

<sup>29</sup> जिला अभियंता, मुजफ्फरपुर (9.11 लाख रुपये), प्र वि पदा. कांटी (3.04 लाख रुपये), विशेष प्रमंडल, दरभंगा (93.79 लाख रुपये), ग्रा अभि. संगठन, बेनीपुर, दरभंगा (37.27 लाख रुपये), जिला परिषद, नालंदा (3.29 लाख रुपये)

3-4-10-5 v/kj s@NkM\$ x, dk; Lij fu"Qy 0; ;

- राज्य में सं. ग्रा. रो योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 2002-06 के दौरान क्रमशः 36 से 43 प्रतिशत एवं 56 से 96 प्रतिशत के बीच एवं नरेगा के तहत 2006-07 में 06 से 48 प्रतिशत के बीच कार्य अधूरे रहे तथा जिन पर 104.97 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 2006-07 में हुई भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण इसके व्यर्थ होने की संभावना है।
- नमूना जाँचित जिलों में अधूरे कार्यों की संख्या 2002-06 के दौरान सं. ग्रा. रो योजना तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम में क्रमशः 34 से 42 प्रतिशत तथा 58 से 94 प्रतिशत के बीच एवं नरेगा में 52 प्रतिशत थी।
- नौ नमूना जाँचित जिलों में 2002-06 के दौरान क्रियान्वित 2918 कार्य<sup>30</sup> अगस्त 2007 तक 53.15 करोड़ रुपये<sup>31</sup> का निष्फल व्यय किये जाने के बावजूद अधूरे रहे।
- पाँच जिलों<sup>32</sup> में 2002-06 के दौरान एक जिला परिषद, एक विशेष प्रमंडल तथा दस मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा 8.93 करोड़ रुपये की लागत की काम के बदले अनाज कार्यक्रम के 233 कार्यों तथा सं. ग्रा. रो योजना के 367 कार्यों को बीच में ही छोड़ दिया गया लेकिन कार्यकारी अभिकर्ताओं के विरुद्ध अगस्त 2007 तक कोई कारवाई नहीं की गई।

i fjr; ä dk; Lij  
8-93 dj kM+ #i ; s dk  
0; FkZ 0; ;

3-4-10-6 cdk; k vfxe

43-02 dj kM+ #i ; s dh  
vfxe dk  
l ek; kst u@ol yh  
ugha gkus ds dkj .k  
10-81 dj kM+ #i ; s ds  
C; kt dh gkfu

16 कार्यकारी कार्यालयों<sup>33</sup> में 236 सरकारी सेवकों के पास कार्य पूरा नहीं होने तथा अंतिम विपत्र सुपुर्द नहीं करने के कारण एक से चार वर्ष के बीच की अवधि तक 43.02 करोड़ रुपये की अग्रिम लंबित थी। परिणामस्वरूप अगस्त 2007 तक 10.81 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई (if f'k"V&XLII)।

236 सरकारी सेवकों में से दो (46.60 लाख रुपये)<sup>34</sup> अन्य कार्यालय में स्थानांतरित हो गए, श्री मनोज कुमार, सहायक अभियंता, जिला परिषद, सुपौल (1.59 करोड़ रुपये) झारखंड स्थानांतरित हो गए तथा श्री एच. डी. खान, सहायक अभियंता, जिला परिषद, सुपौल (89 लाख रुपये) सेवा निवृत्त हो गए। असमायोजित अग्रिम की वसूली शीघ्र की जानी चाहिए तथा वैसे मामलों में जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए जहाँ बिना अग्रिम की वसूली किए ही स्थानांतरित सेवकों को विरमित कर दिया गया एवं सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर दिया गया।

<sup>30</sup> ग्रा. रो योजना : नमूना जाँचित नौ जिलों में 1723 योजनाएँ तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम : नमूना जाँचित आठ जिलों में 1195 योजनाएँ

<sup>31</sup> ग्रा. रो योजना : 2390.68 लाख रुपये ; काम के बदले अनाज कार्यक्रम : 2924.80 लाख रुपये

<sup>32</sup> दरभंगा, गया, मधुबनी, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर

<sup>33</sup> डी. आर. डी. ए. नालंदा, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर, कटिहार एवं सुपौल, एन. आर. ई. पी. कटिहार, विशेष प्रमंडल, गया, रहिका, मधुबनी, सुपौल, कटिहार, दरभंगा तथा प्र. वि. पदा. गुरुआ, मोहनपुर, बोधगया, बेनीपट्टी एवं खिजरसराय

<sup>34</sup> श्री हरिवंश सिंह, क. अ., गया : 43 लाख रुपये ; श्री अशोक कुमार शर्मा, पं. से., प्र. वि. पदा., बोधगया : 3.60 लाख रुपये

3-4-10-7 dk; ldkjh vfhkdÜkkz/ka dk vfu; fer p; u

सं ग्रा रो योजना के अंतर्गत दो गैर सरकारी संगठनों को 46.22 लाख रुपये प्रदान किया गया (मार्च 2006) लेकिन जिलाधिकारी/डी डी सी, मधुबनी के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य पूरा नहीं हुआ। आश्चर्यजनक रूप से उन्हीं गैर सरकारी संगठनों को नरेगा के अंतर्गत फिर से 1.49 करोड़ रुपये का नया कार्य सौंपा गया जिसके विरुद्ध 74.33 लाख रुपये की अग्रिम का भुगतान किया गया। कोई कार्य नहीं किया गया एवं उनके विरुद्ध जनवरी 2007 में डी डी सी सह सी ई ओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि जिसने सं ग्रा रो योजना के अंतर्गत कार्य को पूरा नहीं किया उसी गैर सरकारी संगठन को नरेगा के अंतर्गत चयन करने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की गई।

3-4-10-8 fcpkfy, dh l ngkLin l fyIrrk

91 yk[k #i ; seW;  
ds dk; l ds  
fØ; kko; u ea  
fcpkfy, dk tMko

जिला परिषद, नालंदा में तीन रोड सरकार (गुप 'घ' कर्मचारी) के द्वारा क्रियान्वित कार्य का 91 लाख रुपये का विपत्र जुलाई 2006 से लंबित था। बिना किसी अग्रिम भुगतान के गुप 'घ' कर्मचारी द्वारा इतनी बड़ी राशि के कार्य का क्रियान्वयन संदेहास्पद था तथा कार्य के क्रियान्वयन में बिचौलिए की संलिप्तता को दर्शाता था जिसकी जाँच की आवश्यकता थी।

3-4-10-9 çek.kdka dks ikfjr fd, cxj Hkqrku

mi fLFkfr ukekoyh  
rFkk çek.kd dks fcuk  
ikfjr fd, gh 12-85  
dj kM+ #i ; s dk  
Hkqrku

उपस्थिति नामावली एवं प्रमाणकों को पारित करने के बाद भुगतान करना था। अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि चार जिलों<sup>35</sup> में ग्रा रो योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 2002-07 के दौरान 485 कार्यों के लिए उपस्थिति नामावली एवं प्रमाणकों को बिना पारित किए ही 12.85 करोड़ रुपये<sup>36</sup> का भुगतान किया गया। उत्तर में यह कहा गया कि मापी पुस्त का अनुमोदन कर भुगतान किया गया, जो स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बिना प्रमाणक पारित किए भुगतान नहीं किया जा सकता।

3-4-11 vl; vkd"kd ekeys

dk; ldkjh vfhkdÜkkz/ka  
l s [kkyh ckfj ; ka dh  
ol wyh , oa mudh  
fcØh ugha dj us ds  
dkj .k 3-77 dj kM+  
#i ; s dh gkfu gpl

● सं ग्रा रो योजना/काम के बदले अनाज कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में यह प्रावधान था कि कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण के लिए प्राप्त खाद्यान्नों की बोरियों का निपटारा राज्य में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना था। बिक्री से हुई आय का उपयोग परिवहन लागत/रख रखाव शुल्क के भुगतान के लिए करना था। चावल की आपूर्ति 50 किलो के बोरियों में करना था। नमूना जाँचित जिलों में 31.40 लाख क्विंटल चावल का वितरण दर्शाया गया लेकिन खाली बोरियों की कीमत की वसूली नहीं की गई। अतः योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यकारी एजेंटों से 62.80 लाख खाली बोरियों को वापस नहीं लेने तथा उनकी बिक्री नहीं करने के कारण 3.77 करोड़ रुपये की हानि हुई (ifj'k"V&XLIII)।

<sup>35</sup> कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी

<sup>36</sup> एन आर ई पी, कटिहार : 54 लाख रुपये, जि. अ., कटिहार : 6.06 करोड़ रुपये, विशेष प्रमंडल, कटिहार : 2.27 करोड़ रुपये, जि. अ., समस्तीपुर : 1.03 करोड़ रुपये, विशेष प्रमंडल, दरभंगा : 2.64 करोड़ रुपये, प्र वि पदा., रहिका : 31 लाख रुपये

o{kkjksi .k dk; Z i j  
48-78 yk[k #i ; s dk  
l ngkLin 0; ;

- उप विकास आयुक्त, गया ने वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया को 3.52 लाख वृक्षारोपण के लिए 63.21 लाख रुपये की स्वीकृति दी (जनवरी 2003) तथा 54.24 लाख रुपये (रोकड़ : 48.86 लाख रुपये + 85.88 मे. टन चावल का मूल्य 5.38 लाख रुपये) विमुक्त किया। मजदूरी पर 46.86 लाख रुपये तथा सामग्रियों की लागत पर 1.92 लाख रुपये का व्यय किया गया लेकिन वृक्षारोपण वास्तविक रूप से किया गया, इसके समर्थन में कोई अभिलेख<sup>37</sup> नहीं था। अतः 48.78 लाख रुपये में किया गया वृक्षारोपण कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता था एवं इसके जाँच की आवश्यकता थी।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सं ग्रा रो योजना/ काम के बदले अनाज कार्यक्रम के 125 बचे हुए कार्यों का मार्च 2006 के बाद निबंधित मजदूरों से कराने का निर्देश निर्गत किया (मार्च 2006)। भारत सरकार की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए सं ग्रा रो योजना/काम के बदले अनाज कार्यक्रम एवं नरेगा के अंतर्गत पाँच जिलों<sup>38</sup> में 2006-07 के दौरान 4.35 लाख श्रम दिनों के लिए (68 रुपये प्रति श्रम दिन) अनिबंधित मजदूरों को 2.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

### 3-4-12 etnjks dk iyk; u

नरेगा का एक उद्देश्य बिहार से अन्य राज्यों को मजदूरों का पलायन रोकना था। हालांकि राज्य या जिले स्तर पर मजदूरों के पलायन संबंधी प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। अतः मजदूरों के पलायन पर इस योजना के असर का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

### 3-4-13 cf'k{k.k

सं ग्रा रो योजना के अंतर्गत इसके क्रियान्वयन में शामिल पी आर आई के अधिकारियों/गैर अधिकारियों की क्षमता विकास/प्रशिक्षण के लिए जिला पंचायतों द्वारा निधि के अपने वार्षिक भाग में से एक लाख रुपये तक उपयोग में लाना था। लेकिन बिहार के 38 जिलों में से किसी में भी 2004-05 के दौरान प्रशिक्षण पर व्यय नहीं किया गया।

### 3-4-14 vi ; Mr rdutdh ekuo'kfä

मजदूरी रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यों को तीन स्तरीय पी आर आई के माध्यम से विभागीय रूप से क्रियान्वित करना था। तकनीकी कर्मियों के अभाव में 2002-07 के दौरान 15.13 करोड़ रुपये<sup>39</sup> का कार्य निजी व्यक्तियों, रोड सरकार, लेखा लिपिक, वार्ड सदस्य, मुखिया, चेनमैन, चपरासी जैसे गैर-तकनीकी कर्मियों के माध्यम से कराया गया। निजी व्यक्तियों के माध्यम से 26.58 लाख रुपये के कार्य का क्रियान्वयन नियम के विरुद्ध था।

<sup>37</sup> वृक्षारोपण जर्नल, वृक्षारोपण पंजी एवं पौधों की उत्तरजीवित प्रमाणपत्र

<sup>38</sup> कटिहार, नालंदा, समस्तीपुर, सुपौल, मुंगेर

<sup>39</sup> चपरासी : 1.03 करोड़ रुपये, चेनमैन : 36.08 लाख रुपये, मुखिया : 1.56 लाख रुपये, वार्ड सदस्य : 0.98 लाख रुपये, निजी व्यक्तियों : 26.58 लाख रुपये, लेखा लिपिक/ टंकक इत्यादि : 45.42 लाख रुपये एवं रोड सरकार : 13.00 करोड़ रुपये

### 3-4-15 *vuqJo.k*

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मासिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना था। योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करने हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण एवं निगरानी समितियों को गठित करना था। नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि राज्य, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंडों के अधिकारी सुदूर क्षेत्रों में कार्यस्थल का दौरा कर कार्यक्रम का अनुश्रवण करें। जिला स्तर एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा कम से कम क्रमशः 10 प्रतिशत तथा दो प्रतिशत पंचायतों का अनुश्रवण सुनिश्चित करना था। प्रतिष्ठित संस्थानों तथा संगठनों द्वारा समय समय पर जारी योजनाओं के आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करने का भी मार्गदर्शिका में प्रावधान था।

अनुश्रवण एवं निगरानी समितियों का गठन दिसंबर 2006 तक नहीं किया गया था। नमूना जांचित जिलों में अनुश्रवण कोषांग क्रियाशील नहीं थे जबकि संबंधित जिलाधिकारियों को 46.84 लाख रुपये<sup>40</sup> दिए गए थे। योजना के प्रभाव को जानने हेतु राज्य सरकार ने कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया। नरेगा के अनुश्रवण के लिए जून 2007 में राज्य स्तर पर बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया लेकिन इसमें ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि शामिल नहीं थे जबकि नरेगा की 50 प्रतिशत योजनाओं का क्रियान्वयन उनके द्वारा किया जाना था।

### 3-4-16 *i wbuKkz ysfkki jhkk cfronuka ij l jdkj }kjk dh xbz dkj bkbz*

राज्य में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका 3.3 में चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर जुलाई 2000 में रखा गया एवं चर्चा के लिए लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया गया। लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं को राज्य विधान मंडल में पेश किया गया। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निधि का दुरुपयोग, अनियमित वार्षिक कार्य योजना, अधूरे कार्य, भंडार पंजी का संधारण नहीं करना, कपटपूर्ण भुगतान जैसी पाई गई व्यवस्था संबंधी खामियाँ 2002-07 के दौरान भी मौजूद थी, जैसा कि *ifjf'k"V&XLIV* में वर्णित है।

### 3-4-17 *fu"d"K*

2002-07 में क्रियान्वित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ने न तो समुचित रोजगार का सृजन किया न ही टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्ति का निर्माण किया। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए योजना नहीं बनाई गई। कार्यक्रम प्रबंधन खराब था तथा अनुपालन विफलता जारी थी जो उपस्थिति नामावली पर संदेहास्पद कपटपूर्ण भुगतान तथा खाद्यान्नों के वितरण से परिलक्षित होता था। नरेगा में परिकल्पित आंतरिक नियंत्रण को अभी भी स्थापित किया जाना है। आंतरिक नियंत्रण के अनुपालन में विफलता के कारण नरेगा के अंतर्गत निधि के लाभप्रद उपयोग संबंधी भरोसा नहीं दिया जा सकता तथा नरेगा में खामियाँ तथा कार्यक्रम की विफलता से इंकार नहीं किया जा सकता।

<sup>40</sup> दरभंगा : 16.60 लाख रुपये (काम के बदले अनाज), मुंगेर : 7.65 लाख रुपये (नरेगा) तथा मुजफ्फरपुर : 22.56 लाख रुपये (काम के बदले अनाज)



*Vuqkd k, j*

- क्षेत्रों के समेकित विकास करने हेतु योजनाओं की कड़ी तैयार करने के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं संदर्श योजना को सुत्रबद्ध करते हुए समेकित योजना बनाई जानी चाहिए।
- सं ग्रा रो योजना एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत रोकड़ एवं खाद्यान्न के बचे हुए शेष का स्थानांतरण नरेगा के लेखा में किया जाना चाहिए।
- राज्य रोजगार गारंटी निधि को स्थापित किया जाना चाहिए तथा बेरोजगारी भत्ता के भुगतान को लागू किया जाना चाहिए।
- नरेगा में परिकल्पित आंतरिक नियंत्रण को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- समुचित प्रशिक्षित मानव शक्ति की तैनाती की जानी चाहिए क्योंकि नरेगा के अंतर्गत सभी कार्यों को विभागीय रूप से करना था।
- जिला स्तर पर अनुश्रवण समितियों का गठन एवं उन्हें क्रियाशील करते हुए अनुश्रवण तंत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2007) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2007)।

युक्त लोक; वृत्त; अ.क फोहक

3-5 रोजर खेह.क त्यकि वरल द; डे

ए; कद'क

रोजर खेह.क त्यकि वरल द; डे 1/4, वज मय; w, l ih 1/2 दक मीस; l हक खेह.क वस्यका दस l गफ्र is ty l fo/kk l s vkPNkfnr djuk rFkk is ty 0; oLFkk, oa l kka dh l qkg; rk l fuf'pr djuk Fkka vdky l fonk cca'ku ds dkj.k; kstuvka dks iwkl djus ea foyEc gvk rFkk pki kdyka dh LFkki uk y; l s de gpa xkeh.k {k= ea l qkkj c; kl ka dks l LFkfi r djus ds मीस; l s ckj'kk dh xbl Loty/kkj k l Hkh; kstuvka ds viwkl jgus ds dkj.k gkthij ea Hkh ty ep's k djus ea foQy jgk tks fd jkT; dk l DVj fjQkel ftyk Fkka ty tkp grq xq ko'kk fu; a.k c. kkyh nks'ki wkl, oa vl; klr Fkh pfd t'od, oa jl k; fud nks'k dks nij djus ds fy, dkbz mi k; ugha fd; k x; ka

फोहक }kj k द; डे दस, d fuf'pr fn'kk c'ku djus ds l anHkz ea ok'k'kd द; l; kstuk r's kj ugha dh xbl rFkk Hkw ty ds mi; ks ds fy, dkbz; kstuk ugha cukbl xbA ekpl 2007 rd foHkx 55336 176 c'fr'kr 1/2, u l h@ ih l h Vksyka dks vkPNkfnr djus ea foQy jgkA

%dfMdk 3-5-6 rFkk 3-5-7%

ueuk tkfpr ceMyka ea 56 ikbi त्यकि वरल; kstuvka ea l s 46; kstuk, j 25-35 djkm+ #i; s [kpl ds ckotw, d l s rhu o'kk dh vof/k rd viwkl jghA

%dfMdk 3-5-9-1%

pki kdyka ds fo'ks'k ejEefr ij 19-08 yk[k #i; s dk fu"Qy 0; ; gvk rFkk foHkxh; dk; k ds fy, glr jl hka ij 10-54 djkm+ #i; s dk vfu; fer 0; ; gvkA

%dfMdk 3-5-10-2 rFkk 3-5-10-3%

Loty/kkj k gkthij ea Hkh] tks, d l DVj fjQkel ds ftyk ds : i ea p; fur Fkk] foQy jgkA

%dfMdk 3-5-11-1%

15-03 djkm+ #i; s ew; dh l kefxz ka ds vo: ) hdj.k ds dkj.k 69-97 yk[k xkeh.k vkcknh dks bl ds ykHk l s ofpr jguk i Mka

%dfMdk 3-5-12%

xq ko'kk fu; a.k] vuqlo.k rFkk ew; kadu c. kkyh nks'ki wkl Fkha

%dfMdk 3-5-13 rFkk 3-5-14%

चलरक

1972-73 में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) को सुदृढिकृत कर, वर्ष 1986 में मिशन एप्रोच दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पेय जलापूर्ति से सभी ग्रामीण टोलों को आच्छादित करना था। कार्यक्रम का लक्ष्य चापाकलों तथा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के

माध्यम से अनाच्छादित (एन सी)<sup>1</sup>, आंशिक आच्छादित (पी सी)<sup>2</sup> तथा गुणवत्ता प्रभावित टोलों को आच्छादित करना था।

वर्ष 1999 में ग्रामीण पेय जल में सेक्टर रिफार्म अपनाया गया तथा चयनित जिलों में पायलट परियोजना शुरू की गई। मूलमंत्र आपूर्ति आधारित से माँग आधारित व्यवस्था में परिवर्तन करना था जिसमें स्वेच्छा से अपनाई योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन, संचालन एवं संधारण में सामुदायिक सहभागिता हो।

### 3-5-2 *1 xBukRed <kpk*

विभाग आयुक्त सह सचिव द्वारा प्रशासित है जिसे मुख्यालय स्तर पर अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव (अ प्र), तीन मुख्य अभियंताओं (मु अ), तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं (क्षे मु अ), उन्नीस अधीक्षण अभियंताओं (अ अभि) तथा क्षेत्र स्तर पर 49 प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं (का अ) (38 सिविल, 7 यांत्रिक तथा 4 निरूपण) का सहयोग प्राप्त होता है।

### 3-5-3 *ys[kki jh{kk m's;*

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नांकित जाँच करना था कि क्या :

- टोलों का सर्वेक्षण विस्तृत था तथा ए आर डब्ल्यू एस पी के लिए योजना प्रभावी थी ;
- वित्तीय प्रबंधन समुचित तथा प्रभावकारी था ;
- योजनाएँ मितव्ययतापूर्ण, सक्षमतापूर्ण एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित की गई ;
- स्वजलधारा के तहत माँग आधारित ग्रामीण जलापूर्ति का उद्देश्य प्रभावी ढंग से हासिल किया गया तथा
- अनुश्रवण व्यवस्था प्रभावी एवं समुचित थी।

### 3-5-4 *ys[kki jh{kk dk vk/kkj*

- ए आर डब्ल्यू एस पी तथा स्वजलधारा की दिशानिर्देशिका
- प्रत्येक योजनाओं का परियोजना कार्यान्वयन पद्धति
- बिहार लोक कार्य लेखा संहिता (बी पी डब्ल्यू ए), बिहार वित्तीय नियमावली (बी एफ आर) तथा बिहार कोषागार संहिता (बी टी सी)।

<sup>1</sup> टोला जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल पी सी डी) 10 लीटर से कम जलापूर्ति हो।

<sup>2</sup> टोला जिसमें 40 एल पी सी डी से कम परन्तु 10 एल पी सी डी से अधिक जलापूर्ति हो, पी सी थे।

### 3-5-5 *ys[ kki jh{kk foLrkj rFkk fØ; kfof/k*

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का संपादन लेखापरीक्षा मई से अगस्त 2007 के दौरान 38 में से 10 प्रमंडलों<sup>3</sup> तथा अभियंता प्रमुख के वर्ष 2002-07 के अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच से किया गया। प्रमंडलों का चयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदआउट रिप्लेसमेंट तरीके से किया गया। सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी एच ई डी) के साथ इन्ट्री कांफ्रेंस में किया गया (मई 2007) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड तथा क्रिया विधि की चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अक्टूबर 2007 में विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिवेदन लिखने के क्रम में सम्मिलित किया गया है।

### *ys[ kki jh{kk fu"d"kl*

### 3-5-6 *, u l h @ i h l h Vksyka dh igpku grq l o[ k. k*

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण 31 मार्च 2003 तक पूरा किया जाना था ताकि ग्रामीण टोला/विद्यालयों में पेय जलापूर्ति की स्थिति के संदर्भ में विश्वसनीय सूचना प्राप्त किया जा सके तथा विद्यमान जल स्रोतों की गुणवत्ता जाँच हो सके।

नमूना जाँचित प्रमंडलों में सर्वेक्षण दो वर्षों के विलंब से पूरा किया गया (मई 2005) जिसके फलस्वरूप योजनाओं को शुरू करने में विलंब हुआ। विद्यमान जल स्रोतों की गुणवत्ता जाँच नहीं की गई, जबकि वांछित था।

विभाग ने सर्वेक्षण के आधार पर राज्य में 72392 एन सी/पी सी टोलों को चिह्नित किया तथा 2005-07 के दौरान मात्र 17056 एन सी/पी सी टोलों (24 प्रतिशत) को पूर्ण आच्छादित टोलों के रूप में परिवर्तित किया। ए आर डब्ल्यू एस पी के दिशा निर्देश के तहत 250 लोगों के लिए एक चापाकल या स्टैंडपोस्ट का प्रावधान था जबकि इसके विरुद्ध एन सी/पी सी टोलों का आच्छादन केवल चापाकलों के आधार पर प्रतिवेदित किया जा रहा था। ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत वर्ष 2002-07 के दौरान पूर्ण किए गए 69 जलापूर्ति योजनाओं के आधार पर विभाग द्वारा एन सी/पी सी टोलों का आच्छादन नहीं दिखाया गया था। विभाग के पास स्टैंडपोस्ट की संख्या तथा इसके स्थान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार एन सी/पी सी टोलों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई तथा एक वास्तविक आकलन अपेक्षित था।

### 3-5-7 *; kst uk*

*l o[ k. k dks i jk djus  
e nks o" kks dk foy*

ए आर डब्ल्यू एस पी के दिशानिर्देशों के तहत कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा प्रदान करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मासिक एवं त्रैमासिक अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से छः माह पूर्व विभाग द्वारा एक वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना था। योजना को तैयार करने के समय नए कार्य को शुरू करने के बदले अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। हाँलाकि नमूना जाँचित प्रमंडलों में अपूर्ण योजनाओं की संख्या 2003-04 में पाँच से बढ़कर 2006-07 में 46 हो गई।

<sup>3</sup> आरा, भागलपुर (प.), बिहारशरीफ, हाजीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना (पूर्वी), समस्तीपुर, सासाराम एवं शेखपुरा

okf"kd ; kstuk r\$ kj  
ugha dh xbz rFkk  
Hkk&ty ç; ksx dh  
; kstuk ugha cuh

विभाग द्वारा 2002-07 के दौरान वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई क्योंकि विभाग में नियोजन संभाग नहीं था। प्रमंडलों में उपलब्ध वार्षिक, योजना केवल लक्ष्य एवं उपलब्धि का कथन था। केन्द्रीय भू जल समिति के अभिलेखों के अनुसार राज्य में 6 प्रखंड अधिशोषित थे तथा 14 प्रखंड गंभीर जल समस्या से ग्रसित थे परन्तु भू-जल उपयोग के लिए जल संरक्षण संरचना के निर्माण हेतु कोई योजना नहीं बनाई जा रही थी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, पी एच ई डी ने स्वीकार किया कि 2002-05 के दौरान वार्षिक कार्य योजनाएँ नहीं तैयार की गई। उन्होंने स्वीकार किया कि भू-जल प्रयोग की योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए।

### 3-5-8 foùkh; çcàku

ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत, ग्रामीण टोलों में सुरक्षित पेय जलापूर्ति के प्रावधान हेतु राज्यों को निधि प्रदान किया गया था। इसमें से 15 प्रतिशत निधि विद्यमान पेय जल व्यवस्था तथा स्रोतों के संचालन एवं संधारण (ओ एण्ड एम) पर खर्च किया जाना था। राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि के 1 : 1 के अनुपात में निधि प्रदान करना था। ए आर डब्ल्यू एस पी के वार्षिक परिव्यय का 20 प्रतिशत सेक्टर रिफार्म परियोजनाओं तथा स्वजलधारा से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन हेतु चिह्नित किया गया। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से 90 प्रतिशत तथा सामुदायिक सहभागिता के द्वारा 10 प्रतिशत निधि प्राप्त करना था।

ए आर डब्ल्यू एस पी पर 2002-07 के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विमुक्त निधि तथा इसके विरुद्ध व्यय निम्नवत् था :

¼#i ; s djkm+ e#

o"l	Hkkjr l jdkj dh fuf/k dk vkfn 'ks'	vkofVr fuf/k		foeDr fuf/k		dy mi yC/k fuf/k		0 ;	
		Hkk- I - fuf/k	jkT; fuf/k	Hkk- I - fuf/k	jkT; fuf/k	Hkk- I - fuf/k ½\$3½	jkT; fuf/k	Hkk- I - fuf/k	jkT; fuf/k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002-03	4.38	74.06	44.55	37.03	44.27	41.41	44.27	33.09	38.22
2003-04	8.32	63.19	67.66	31.59	57.15	39.91	57.15	24.28	52.69
2004-05	15.63	54.67	53.33	74.00	35.98	89.63	35.98	43.88	25.14
2005-06	45.75	153.24	97.60	153.24	61.44	198.99	61.44	69.55	43.21
2006-07	129.44	185.71	130.46	92.86	160.48	222.30	160.48	136.82	96.32
; ksx		<b>530.87</b>	<b>393.60</b>	<b>388.72</b>	<b>359.32</b>		<b>359.32</b>	<b>307.62</b>	<b>255.58</b>

(स्रोत : अभियंता प्रमुख द्वारा दी गई सूचना)

तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-07 के दौरान 530.87 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा मात्र 388.72 करोड़ रुपये (73 प्रतिशत) ही विमुक्त की गई।

नमूना जाँचित प्रमंडलों में ए आर डब्ल्यू एस पी के लिए विमुक्त निधि तथा इसके विरुद्ध व्यय निम्नवत् है :

1/4#i ; s djkm+ e#

o"kl	Hkkjr l jdkj dh fuf/k dk vkfn ' k'sk	foeDr fuf/k		dy mi yC/k fuf/k		0; ;	
		Hkk- l - fuf/k	jkT; fuf/k	Hkk- l - fuf/k ½\$3½	jkT; fuf/k	Hkk- l - fuf/k	jkT; fuf/k
1	2	3	4	5	6	7	8
2002-03	0.09	13.22	17.34	13.31	17.34	10.15	16.11
2003-04	3.16	13.63	17.63	16.79	17.63	10.35	15.79
2004-05	6.44	13.51	12.63	19.95	12.63	6.64	8.45
2005-06	13.31	31.84	20.34	45.15	20.34	23.02	13.98
2006-07	22.13	57.66	49.89	79.79	49.89	29.99	31.35
; kx		<b>129.86</b>	<b>117.83</b>	-	<b>117.83</b>	<b>80.15</b>	<b>85.68</b>

\* राज्य निधि में ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत राज्य का अंश तथा राज्य योजना के अंतर्गत अन्य ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए निधि शामिल है।  
(स्रोत : प्रमंडलों द्वारा प्रदत्त सूचना)

निम्नांकित पाया गया :

नमूना जाँचित प्रमंडलों में 2002-07 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त 129.86 करोड़ रुपये में से मात्र 80.15 करोड़ रुपये (62 प्रतिशत) उपयोग किया गया।

ckQkekZ foi = ij  
vkgfjr dj 10-74  
djkm+ #i ; s ds fuf/k  
dk vfu; fer : i l s  
j [kk tkuk

आठ प्रमंडलों द्वारा सामग्रियों की खरीद हेतु मार्च 2007 में प्रोफार्मा विपत्र पर निधि का आहरण कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में 17.10 करोड़ रुपये रखा गया जिसमें से अगस्त 2007 तक 10.74 करोड़ रुपये<sup>4</sup> अनुपयोगित रहा।

स्वजलधारा के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में प्रथम किस्त के रूप में 19.24 करोड़ रुपये आवंटित किया तथा 14.43 करोड़ रुपये विमुक्त किया (दिसम्बर 2005)। विभाग के पास पूरे राज्य के लिए स्वजलधारा के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं तथा व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं था।

3-5-9 ikbi tyki frl ; kstukvka dk dk; kll; u

3-5-9-1 vi wkZ ; kstuk; j

राज्य में 2002-07 के दौरान 155.21 करोड़ रुपये के प्राक्कलित राशि पर 182 पाइप जलापूर्ति योजनाएँ शुरू की गईं परन्तु विभाग के पास इन योजनाओं की स्थिति तथा इसके विरुद्ध व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं था (मार्च 2007)। नमूना जाँच से

<sup>4</sup> आरा : 2.35 करोड़ रुपये, भागलपुर (प) : 1.30 करोड़ रुपये, बिहारशरीफ : 0.10 करोड़ रुपये, हाजीपुर : 2.35 करोड़ रुपये, पटना (पूर्व) : 0.04 करोड़ रुपये, सासाराम : 0.67 करोड़ रुपये, शेखपुरा : 2.22 करोड़ रुपये तथा मोतिहारी : 1.71 करोड़ रुपये

प्रकट हुआ कि प्रमंडलों द्वारा पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संबंध में मासिक रूप से प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया गया परन्तु विभाग पूरे राज्य के लिए इन सूचनाओं को संकलन करने में विफल रहा।

10 iwkl ifrofnr  
; kst ukvka ea l s 9 ea  
is ty inku ugha  
fd; k tk jgk Fkk

नमूना जाँचित प्रमंडलों में 2002 से 2006 के बीच 56 पाइप जलापूर्ति योजनाओं<sup>5</sup> में से, मार्च 2007 तक पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से एक से दो वर्षों के विलंब के बाद दस योजनाएँ पूर्ण प्रतिवेदित की गईं। इसमें से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मोतिहारी में अक्टूबर 2007 तक विद्युतीकरण के अभाव में चार अकार्यशील थीं। पाँच पूर्ण योजनाओं के भौतिक सत्यापन से पता चला कि तीन योजनाओं में क्लोरिनेटर स्थापित नहीं किया गया था तथा दो योजनाओं में यह अकार्यशील था। इस प्रकार प्रतिवेदित 10 पूर्ण योजनाओं में से नौ के द्वारा लक्षित लाभान्वितों को पेय जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

46 vi wkl ; kst ukvka  
ij 25-35 dj kM+ #i ; s  
dk 0; ;

छयालीस पाइप जलापूर्ति योजनाएँ, जिनकी प्राक्कलित राशि 38.27 करोड़ रुपये थी, 25.35 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद मार्च 2007 तक एक से तीन वर्षों की अवधि के बाद भी अपूर्ण रही। इनके पूरा नहीं होने का कारण निविदा निष्पादन तथा कार्यावंटन में विलंब (23), पी एच ई डी के यांत्रिक संभाग द्वारा विद्युतीकरण का अभाव (4), स्थल समस्या (5), संवेदक द्वारा विलंब (4), सामग्रियों को प्राप्त करने में विलंब (8) तथा कार्य छोड़ दिया जाना (2) था। इस प्रकार 25.35 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद 2.76 लाख लोगों को सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के वांछित लाभ से वंचित किया गया।

नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि पी एच ई डी, पटना (पूर्व) के अंतर्गत घोसवरी पाइप जलापूर्ति योजना के लिए पम्प गृह के निर्माण तथा सी आई राइजिंग मेन को बिछाने का कार्य 5.77 लाख रुपये में एक अभिकरण को आवंटित किया गया (जुलाई 2004)। संवेदक द्वारा 0.64 लाख प्राप्त करने के बाद कार्य छोड़ दिया गया, चूंकि डी पी आर दोषयुक्त था जो विद्युत पर आधारित था जबकि इलाके में विद्युत उपलब्ध नहीं था। सौर उर्जा पर आधारित 6.63 लाख रुपये की एक पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित किया जा रहा था। इससे इंगित होता है कि डी पी आर बगैर स्थल वास्तविकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा था। इस प्रकार दोषयुक्त योजना के कारण 1.50 लाख रुपये की लागत वृद्धि हुई तथा 31.06 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों के अवरुद्धीकरण के साथ साथ इलाके के लोगों को इसके लाभ से वंचित रहना पड़ा।

### 3-5-9-2 ykxr of)

ए आर डब्ल्यू एस पी के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत विमुक्त राशि का उपयोग/समायोजन किसी लागत वृद्धि के विरुद्ध नहीं किया जाना था।

ykxr of) ds dkj .k  
27-93 yk[k #i ; s dk  
Hkq rku

पाँच प्रमंडलों में मुख्य अभियंता (निरूपण) द्वारा 12 पाइप जलापूर्ति योजनाओं के तकनीकी स्वीकृति देने के दौरान 1.65 करोड़ रुपये<sup>6</sup> के मूल्य वृद्धि का अनियमित रूप से प्रावधान किया गया जिसे दो प्रमंडलों द्वारा 27.93 लाख रुपये<sup>7</sup> का भुगतान किया

<sup>5</sup> आरा (5), समस्तीपुर (11), मोतिहारी (7), शेखपुरा (3), भागलपुर (4), सासाराम (8), मुजफ्फरपुर (5), बिहारशरीफ (6), पटना पूर्व (7)

<sup>6</sup> आरा (32.16 लाख रुपये), मोतिहारी (16.34 लाख रुपये), पटना (पूर्व) (9.93 लाख रुपये), समस्तीपुर (93.44 लाख रुपये), सासाराम (13.39 लाख रुपये)।

<sup>7</sup> आरा (20.43 लाख रुपये) तथा मोतिहारी (7.50 लाख रुपये)

गया (मार्च 2007)। बहिर्गमन सम्मेलन में सचिव ने स्वीकार किया कि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के दौरान लागत वृद्धि का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए।

### 3-5-9-3 vukf/kdr Hkqrku

25 yk[k #i ; s dk  
vukf/kdr Hkqrku

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के प्रावधान के अनुसार प्राक्कलित लागत से 15 प्रतिशत अधिक मूल्य वृद्धि के लिए, पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। वर्ष 2004-07 के दौरान चार प्रमंडलों में 12 जल मीनार के निर्माण का एकरारनामा 2.49 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि से 16 से 81 प्रतिशत अधिक दर पर किया गया। बगैर पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के इस वृद्धि के कारण 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया (मार्च 2007)। सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन में सूचित किया कि सामान्यतः प्राक्कलन में एक अनुमानित प्रावधान किया जाता है, जिससे स्थानीय स्थल स्थिति तथा इसके अनुसूचित दर के आधार पर स्वीकृति के क्रम में कुछ लागत वृद्धि होती है। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था चूँकि प्राक्कलन सर्वेक्षण एवं स्थल जाँच के बाद तैयार किया जाता है।

### 3-5-9-4 ty ehukj dk; l dk voekud fØ; kko; u

ty ehukj dk; l dk  
voekud fØ; kko; u

बिहार कोषागार संहिता के नियम 419 के तहत एक मुश्त संविदा के अंतर्गत कार्य के क्रियान्वयन की स्थिति में नोट बुक में रफ मापी दर्ज किया जाना चाहिए तथा कार्यपालक अभियंता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कार्य का क्रियान्वयन सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावे संविदा की शर्तों के अनुसार जल मीनार के निर्माण के लिए भुगतान, कार्य के प्रत्येक स्तर पर ढाले गए साँचे के कम्प्रेसिंग स्ट्रेंथ जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

चार प्रमंडलों<sup>8</sup> में, एक मुश्त संविदा पर नौ जल मीनार कार्यों का क्रियान्वयन बगैर रफ मापी लिए संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से किए कार्य का प्रमाणपत्र तथा साँचे का कम्प्रेसिंग स्ट्रेंथ जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किए किया गया। इस प्रकार गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के नहीं अपनाए जाने के कारण 1.68 करोड़ रुपये मूल्य के जल मीनार कार्य के अवमानक क्रियान्वयन से इन्कार नहीं किया जा सका।

### 3-5-9-5 vykHkdkjh 0; ;

पी एच ई डी, आरा के अंतर्गत तरारी पाइप जलापूर्ति योजना के लिए जल मीनार का निर्माण कार्य संवेदक के मृत्यु के कारण 16.72 लाख रुपये के व्यय के बाद छोड़ दिया गया (अप्रैल 2005)। प्रमंडल द्वारा कार्य को पूरा करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई (अगस्त 2007)। इस प्रकार योजना पर 16.72 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

### 3-5-9-6 l dndka ds i dZ ; kx; rk tkp dh vufpr ç. kkyh

पी एच ई डी, भागलपुर (प) के अंतर्गत शाहकुंड पाइप जलापूर्ति योजना के लिए उच्च प्रदायी नलकूप के निर्माण का 57 लाख रुपये मूल्य का कार्य एक संवेदक को दिया गया (दिसम्बर 2006) जिसके पास कार्य के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक रिग मशीन नहीं था। इससे जुलाई 2007 तक अभिकरण द्वारा कार्य शुरू भी नहीं किया गया जिसके

<sup>8</sup> आरा : 5, भागलपुर (प) : 1, पटना पूर्व : 2 तथा मोतिहारी : 1



फलस्वरूप 13000 लोगों को इसके अपेक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ा, साथ ही कार्य के लिए प्राप्त किए गए 34.20 लाख रुपये की सामग्रियाँ अवरुद्ध रही। विभाग को एक पूर्व-सक्षमता जाँच प्रणाली रखना चाहिए जिससे केवल वैसे संवेदक जिनके पास आवश्यक उपकरण हो को वित्तीय बिड में भाग लेने की अनुमति दी जा सके।

### 3-5-10 pki kdyka dh LFkki uk

#### 3-5-10-1 y{; l s de mi yfc/k

i p k ; r l s 111-07  
d j k M + # i ; s d k  
m i ; k f x r k i æ k . k i =  
ç k l r u g h a f d ; k x ; k

विभाग द्वारा 2002-05 के दौरान 47536 चापाकलों की स्थापना के लिए 88.74 करोड़ रुपये तथा 46101 चापाकलों के विशेष मरम्मति के लिए 22.33 करोड़ रुपये पंचायतों को हस्तांतरित किया गया, परन्तु मार्च 2007 तक प्रमंडलों/विभाग द्वारा पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। इसके उपरांत 2005-06 से विभाग के द्वारा चापाकलों की स्थापना एवं विशेष मरम्मति का कार्य विभागीय तौर पर करवाया जाने लगा।

वर्ष 2005-07 के दौरान विभाग द्वारा चापाकलों की स्थापना एवं विशेष मरम्मति के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि तथा इसके विरुद्ध विभिन्न अवयवों में व्यय निम्नवत था :

pki kdyka ftl ds var xr	vof/k % 2005&07			
	y{;		mi yfc/k	
	Hkkf rd	foUkh; %#i ; s d j k M + e %	Hkkf rd	foUkh; %#i ; s d j k M + e %
एन सी / पी सी	50923	113.59	24704	81.33
एस एम	13534	36.49	9577	31.10
एस टी टोला	1740	3.54	1552	3.39
विशेष मरम्मति	16485	9.25	13939	8.10
विद्यालय	4087	6.74	202	2.89
; ksx	<b>86769</b>	<b>169.61</b>	<b>49974</b>	<b>126.81</b>

(स्रोत : अभियंता प्रमुख द्वारा प्रदत्त सूचना)

वर्ष 2005-07 के दौरान ए आर डब्ल्यू एस पी के विभिन्न अवयवों के अंतर्गत चापाकलों की स्थापना की उपलब्धि 86769 के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 49974 (57 प्रतिशत) थी जो दयनीय उपलब्धि को दर्शाता है। वर्ष 2005-07 के दौरान नमूना जाँचित प्रमंडलों में चापाकलों की स्थापना की उपलब्धि 32321 के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 11317 (35 प्रतिशत) थी।

#### 3-5-10-2 fo'k'k ejEefr ij fu"Qy 0; ;

fo'k'k ejEefr ij 19-  
08 yk[k #i ; s dk  
fu"Qy 0; ;

नमूना जाँच से पता चला कि सात प्रमंडलों<sup>9</sup> में 555 नमूना जाँचित चापाकलों के विशेष मरम्मति के लिए 14 मीटर से 35 मीटर तक 40 एम एम जी आई पाइप डाला गया जबकि 41 मीटर के बाद पेय जल उपलब्ध था। इस प्रकार पाइप के अपर्याप्त गाड़े जाने के कारण विशेष मरम्मति से पेय जल प्रदान नहीं किया जा सका तथा विशेष

<sup>9</sup> आरा (2.03 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (3.82 लाख रुपये), समस्तीपुर (3.11 लाख रुपये), मोतिहारी (4.01 लाख रुपये), भागलपुर पश्चिम (0.58 लाख रुपये), सासाराम (4.67 लाख रुपये), पटना पूर्व (0.86 लाख रुपये)

मरम्मति पर 19.08 लाख रुपये का व्यय निष्फल हुआ। अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव ने आश्वासन दिया कि विशेष मरम्मति कार्य अपेक्षित गहराई तक करने के लिए निर्देश जारी किया जाएगा।

### 3-5-10-3 gLr jI hnk i j vfu; fer 0; ;

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के प्रावधान के अनुसार, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर हस्त रसीदों (एच आर) के द्वारा भुगतान अनुज्ञेय नहीं है। श्रमिकों का भुगतान मस्टर रॉल के माध्यम से किया जाना चाहिए।

foHkxh; dk; Lgrq  
gLr jI hn ij 10-54  
djkm+ #i; s dk  
vfu; fer Hkprku

वर्ष 2005-07 के दौरान 10.54 करोड़ रुपये<sup>10</sup> का भुगतान पाइप जलापूर्ति योजनाओं तथा चापाकलों के संधारण, मरम्मति तथा स्थापना से संबंधित विभागीय कार्यों के लिए हस्त रसीद पर किया गया। हस्त रसीद पर कार्य में लगाए गए श्रमिकों का विवरण, कार्य के क्रियान्वयन की अवधि तथा प्राक्कलन का स्वीकृत्यादेश दर्ज नहीं था। मापी पुस्तिका में भी कार्यान्वित कार्य की विस्तृत मापी दर्ज नहीं थी। इस प्रकार विभागीय कार्यों के लिए हस्त रसीद पर 10.54 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2007) कि अपूर्ण हस्त रसीद पर भुगतान अनियमित था तथा सभी अधिकारियों को संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्य की विस्तृत प्रविष्टि दर्ज करने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है।

### 3-5-11 Loty/kjk dk dk; kll; u

स्वजलधारा पूरे देश में ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजनाओं में सेक्टर रिफार्म प्रयासों में सुधार लाकर शुरू किया गया।

#### 3-5-11-1 viwkZ; kstuk; j

स्वजलधारा के अंतर्गत निधियाँ, भारत सरकार द्वारा 40 एल पी सी डी के लिए पूँजी लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तथा 55 एल पी सी डी के लिए अधिकतम 80 प्रतिशत तथा शेष राशि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। स्वजलधारा के अंतर्गत भारत सरकार की निधि को दो समान किस्तों (प्रत्येक भारत सरकार के अंश का 50 प्रतिशत) में विमुक्त किया जाना था।

5-69 djkm+ #i; s dk  
mi; kfxrk iæk.k i=  
çklr ugha fd; k x; k

भारत सरकार के द्वारा 2004-07 के दौरान 358 चापाकलों की योजनाओं तथा 37 पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए प्रथम किस्त के रूप में आठ प्रमंडलों<sup>11</sup> में 395 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (भी डब्ल्यू एस सीज) को 5.69 करोड़ रुपये की निधि विमुक्त की गई। सितम्बर 2007 तक सभी परियोजना अपूर्ण रही। प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण समर्पित नहीं किए जाने के कारण भारत सरकार की द्वितीय किस्त विमुक्त नहीं की गई (मार्च 2007)।

<sup>10</sup> आरा (1.54 करोड़ रुपये), भागलपुर (प) (0.40 करोड़ रुपये), बिहारशरीफ (1.10 करोड़ रुपये), हाजीपुर (0.63 करोड़ रुपये), मोतिहारी (1.08 करोड़ रुपये), मुजफ्फरपुर (1.64 करोड़ रुपये), समस्तीपुर (0.86 करोड़ रुपये), पटना पूर्व (0.88 करोड़ रुपये), सासाराम (1.77 करोड़ रुपये), शेखपुरा (0.64 करोड़ रुपये)

<sup>11</sup> बी डब्ल्यू एस सी, बिहारशरीफ (17), हाजीपुर (51), मोतिहारी (1), सासाराम (10), शेखपुरा (6), पटना पूर्व (8), मुजफ्फरपुर (1), आरा (1)

पी एच ई डी, हाजीपुर, वैशाली<sup>12</sup> के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 5.69 करोड़ रुपये में से, 3.44 करोड़ रुपये स्वजल धारा के अंतर्गत 349 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को 40 एल पी सी डी तथा 55 एल पी सी डी की सुविधा हेतु 2891 चापाकलों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया, जिसमें भारत सरकार का अंश 3.11 करोड़ रुपये था। इसमें से प्रमंडल द्वारा 2004-06 के दौरान चापाकलों की स्थापना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 2.61 करोड़ रुपये (84 प्रतिशत) विमुक्त किया गया जो 50 प्रतिशत अंश से अधिक था। संबंधित ग्राम जल स्वच्छता समितियों ने द्वितीय किस्त प्राप्त नहीं किया जिसका कारण प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र की अप्रस्तुति थी। अतः सभी परियोजनाएँ सितम्बर 2007 तक अपूर्ण रही।

इसी प्रकार दिसम्बर 2003 में पायलट परियोजना के समाप्ति के बाद पी एच ई डी हाजीपुर द्वारा दो पाइप जलापूर्ति योजनाएँ (फुलहारा बानो तथा बिठौली अनिरुद्ध) स्वजलधारा के अंतर्गत ले ली गई, जो अपूर्ण रही।

अतः वर्ष 2002-07 के दौरान वैशाली जिले के लोगों को जलापूर्ति योजनाओं के लाभ से पूर्णतः वंचित रहना पड़ा।

### 3-5-12 HkMkj çcalku

15-03 djkm+ #i ; s dk  
HkMkj v0: )

विभाग ने 14.20 करोड़ रुपये मूल्य का 27989 आई एम III चापाकल सेट तथा 0.83 करोड़ रुपये मूल्य का 62248 स्ट्रेनर (40 एम एम) अधिप्राप्त किया। केवल बिहार में अवस्थित निर्माताओं से यू पी भी सी पाइप अधिप्राप्त करने के सरकार के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित कोर्ट केस तथा निविदा निष्पादन नहीं किए जाने के कारण विभाग 40 एम एम तथा 65 एम एम जी आई पाइप एवं 125 एम एम यू पी भी सी केसिंग पाइप प्राप्त नहीं कर सका। परिणामस्वरूप 15.03 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियाँ अवरुद्ध रही। साथ ही साथ 69.97 लाख<sup>13</sup> ग्रामीण आबादी को इसके अपेक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

प्रकाश में आए अन्य तथ्य निम्नवत थे :

- पाँच प्रमंडलों<sup>14</sup> में 25.17 लाख रुपये की भंडार सामग्रियों (80 एम एम एवं 125 एम एम जी आई पाइप) सितम्बर 2007 तक छः वर्षों से अधिक अवधि से बेकार पड़ी रही।
- वर्ष 2002-07 के दौरान चापाकलों की मरम्मत के दौरान निकले स्क्रेप को भंडार पंजियों में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार इसके दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सचिव ने भंडार पंजियों में स्क्रेप की प्रविष्टि करने हेतु निर्देश देने का आश्वासन दिया (अक्टूबर 2007)।
- नमूना जाँचित प्रमंडलों में भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया गया जबकि नियमों के तहत अपेक्षित था।

<sup>12</sup> स्वजलधारा के कार्यान्वयन हेतु वैशाली सेक्टर रिफार्म जिला के रूप में चयनित किया गया था।

<sup>13</sup>  $27989 \times 250 = 69.97$  लाख

<sup>14</sup> समस्तीपुर (1.92 लाख रुपये), मोतिहारी (1.92 लाख रुपये), भागलपुर (प) (1.27 लाख रुपये), सासाराम (1.05 लाख रुपये), हाजीपुर (19.01 लाख रुपये)।

### 3-5-13 खण्डक फु; अ. क ङ. क्यह

जल की गुणवत्ता की आवधिक जाँच तथा अनुश्रवण ग्रामीण लोगों को स्थायी रूप से सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के लिए आवश्यक था। लोगों को पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल का रसायनिक जाँच आवश्यक था। विभाग का जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रतिवेदन की विवेचना से पता चला कि 2005-07 के दौरान जल की जाँच किए गए 44677 नमूनों में से 7970 नमूनों (18 प्रतिशत) में बैक्टिरिया जनित एवं रसायनिक समस्या थी परन्तु इसके लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। नमूना जाँचित प्रमंडलों में, 1167 चापाकल<sup>15</sup> बैक्टिरिया युक्त तथा रसायनिक गंदगी से ग्रसित थे, परन्तु सितम्बर 2007 तक या तो इन चापाकलों के पानी को ठीक करने या इन्हें चिह्नित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कम्यूकेशन एण्ड कैपेसिटी डेभलपमेन्ट यूनिट को पेयजल की गुणवत्ता जाँच हेतु फील्ड टेस्ट कीट को प्रदान करना था। नमूना जाँचित प्रमंडलों का पेयजल की गुणवत्ता जाँच के लिए फील्ड टेस्ट कीट नहीं दिया गया। सचिव ने बर्हिगमन सम्मेलन में बताया कि फील्ड टेस्ट कीट को प्राप्त किया गया था (अक्टूबर 2007) तथा जिला स्तर पर इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

### 3-5-14 वुण्डो.क रफक फुजहक.क

अभियंता प्रमुख के अधीन अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रशासित तथा दो उप निदेशकों (मूल्यांकन तथा अन्वेषण के लिए एक-एक) तथा एक कार्यपालक अभियंता द्वारा सहयोगित एक अनुश्रवण कोषांग योजनाओं के अनुश्रवण तथा समन्वयन के लिए उत्तरदायी था।

विभागीय आदेश के तहत अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता (यांत्रिक), क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता को मास में क्रमशः 3, 4, 6, 10 एवं 15 दिन क्षेत्र निरीक्षण करना चाहिए था। नमूना जाँच से पता चला कि 2002-07 के दौरान अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता तथा अभियंता प्रमुख द्वारा किए गए निरीक्षण का कोई निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वजलधारा तथा ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत अपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में सूचनाओं का संकलन नहीं किया जा रहा था जिससे 2002-07 के दौरान अनुश्रवण का पूरा अभाव दिखाई दिया। सचिव ने बताया (अक्टूबर 2007) कि अनुश्रवण प्रणाली बेव अनुश्रवण व्यवस्था के द्वारा सुदृढ़ की जाएगी।

### 3-5-15 इण्ड दस यसककि जहकक इफ्रनु इ ज दकजकक

प्रतिवेदन 31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में 1997-2001 के अवधि से संबंधित ए आर डब्ल्यू एस पी पर समीक्षा प्रकाशित हुई थी। लोक लेखा समिति द्वारा अक्टूबर 2007 तक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नहीं की गई थी। पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कार्यक्रम उपलब्धि, कार्य का क्रियान्वयन, जल जाँच करने वाली प्रयोगशालाओं आदि से संबंधित उठाई गई कमियाँ 2002-07 के दौरान भी बरकरार थी, जिनका विवरण *ifjf'k"V&XLV* में हैं।

<sup>15</sup> पटना (पूर्व) : 22, हाजीपुर : 33, शेखपुरा : 284, सासाराम : 91, आरा : 61, बिहारशरीफ : 8, भागलपुर : 668।

### 3-5-16 fu"d"l

वर्ष 2002-07 के दौरान पाइप जलापूर्ति, चापाकलों तथा स्वजलधारा के अंतर्गत भारी संख्या में अपूर्ण योजनाओं के ए आर डब्ल्यू एस पी राज्य में पेय जल प्रदान करने में विफल रही। नई योजनाओं के बदले चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कम प्राथमिकता दिए जाने से 2002-07 के दौरान अपूर्ण योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य में अधिशोषित प्रखंडों के रहने के बावजूद भूजल के उपयोग के लिए कोई योजना नहीं थी। विशेष मरम्मत के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ क्योंकि पाइप वांक्षित गहराई तक नहीं डाला गया था। गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी चूंकि फील्ड टेस्ट कीटों का वितरण नहीं किया गया था। अनुश्रवण प्रणाली अनुपलब्ध था, जो इससे पता चला कि विभाग के पास राज्य में कार्यान्वित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं थी।

#### vudkd k: 1

- प्राथमिकता के आधार पर अपूर्ण योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए।
- सतही जलापूर्ति तथा भूजलापूर्ति योजनाओं का विवेकपूर्ण मिश्रण कर एक समेकित योजना बनाई जानी चाहिए जो जल स्रोतों के स्थायी उपयोग के लिए भूजल उपयोग भी कर सके।
- जल की गुणवत्ता के मुद्दे को अविलम्ब देखा जाना चाहिए।
- पाइप जलापूर्ति योजनाओं तथा चापाकलों के आवश्यकता के मद्देनजर सामग्रियों की अधिप्राप्ति समय से पहले किया जाना चाहिए।
- अनुश्रवण प्रणाली सुदृढ़ की जानी चाहिए।

उपरोक्त मामले राज्य सरकार को प्रतिवेदित किए गए (अक्टूबर 2007) ; इनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2007)।

I ä knu ys[kki jh{kk

4-1 di V@nfofu; kstu@xcu@gkfu

xkeh.k fodkl foHkkx

4-1-1 I jdkjh jkf'k dk nfofu; kstu

ç[k.M dk; kÿ; ka ea I fgrh; çko/kkuka ds mYyaku ds ifj.kkeLo: i 9-32 yk[k #i; s ds I jdkjh jkf'k dk nfofu; kstu

fcgkj dks'kkxkj I fgrk ds fu; e 86 ; g çko/kkfu djrk gS fd I jdkj dh vksj I s jkf'k çkr djus okys I jdkjh depkjh dks tS s gh jkf'k dk yu nsu gkj I Hkh dks ntZ djus gsrq jksdM+ cgh dk I akkj.k djuk vko'; d gS vksj jksdM+ cgh ea ntZ çR; sd çfo"Vh dks dk; kÿ; çeq[k }kjk vfHkçekf.kr fd; k tkuk pkfg, A jksdM+ cgh çR; sd fnu I rfyR , oa can gkuh pkfg, vksj dk; kÿ; çeq[k }kjk jksdM+ cgh dk ; ksx I R; kfi r gkuh pkfg, A çR; sd ekg ds var ea mlga jksdM+ 'ksk dk HkkfRd I R; ki u djuk pkfg, vksj bl vk'k; dk , d çek.k i = vfHkyf[kr djuk pkfg, A

ç[k.M fodkl inkf/kdkjh ¼ç fo i¼ othjxat ¼x; k½ , oa gjukf ¼ukyan½ ds dk; kÿ; ka ds vfHkys[kka dh ys[kki jh{kk ¼fnl Ecj 2005] fl rEcj , oa uoEcj 2006½ ds nksj ku ik; k x; k fd mijkdR I fgrh; çko/kkuka dk ç[k.M fodkl inkf/kdkfj; ka }kjk mYyaku fd; k x; k] QyLo: i 9-32 yk[k #i; s dh I jdkjh jkf'k dk nfofu; kstu gqvk ftl dk fooj.k uhs of. kr gS %

- othjxat ¼x; k½ ç[k.M ds jksdM+ ky us vi us mUkj kf/kdkjh dks çHkkj ugha fn; k ¼14 ebZ 2005¼A vr% ç- fo- i- ds vks'k I s 'kq; çkj fHkd 'ksk I s , d u; k jksdM+ cgh [kksy k x; k ¼27 tu 2005¼A ys[kki jh{kk ds n"Vkar ij ç- fo- i- us i wbrhl jksdM+ ky dk jksdM+ I R; kfi r djok; k ftl ea 3-12 djksM+ #i; s ds cnys ea 3-04 djksM+ #i; s I keku; jksdM+ cgh ea ik; k x; k ¼14 ebZ 2005¼A bl çdkj vkB yk[k #i; s dh deh ikbl xbl tks fd jksdM+ ky }kjk xcu dj fy; k x; kA
- gjukf ¼ukyan½ ç[k.M ea bflnj vkokl ; kstuk ds I gk; d jksdM+ cgh , oa I keku; jksdM+ cgh ea 7-15 yk[k #i; s 0; ; ds fo: ) 7-31 yk[k #i; s 0; ; fn[kk; k x; k ¼20 vxLr 2005¼A ; g 0-16 yk[k #i; s ds vf/kdkbl 0; ; ds : i ea ifj.kr gqvkA I keku; jksdM+ cgh , oa I kepkf; d fodkl ; kstuk ¼l h Mh i h½ ds I gk; d jksdM+ cgh ea 0-56 yk[k #i; s ¼2004&05½ vksj 0-60 yk[k #i; s ¼2005&06½ ds

vLohdr vfHkJo<sup>1</sup> dks lek; kftr vfHkJo ds : i ea fn[kk; k x; k ijUrq vLohdr vfHkJoKa ds jftLVj ea dkbz cfri {kh cfof"V; ki ugha dh xbA ifj.kkeLo: i] vLohdr vfHkJoKa dh jkf'k 1-16 yk[k #i; s vf/kd crk; h xbA ys[kki jh{kk }kj k nfofu; kstu cdV fd; s tkus ds ckn jkdM+ ky }kj k 1-32 yk[k #i; s ds xcu ds fo: ) 0-71 yk[k #i; s tek dj fn; k x; kA

bl çdkj] fcgkj dks'kkxkj l fgrk ds fu; e 86 ds mYy@ku ds dkj.k mijkDr iz[kMka ea dny 9-32 yk[k #i; s dk nfofu; kstu fd; k x; kA

ekeys l jdkj dks çfrofnr fd; s x; s ½ tykbz 2007½ ( muds mUkj vçlR Fks ¼vDVw; 2007¼A ekeyk fodkl vk; çä , oa ç/kku l fpo] xkeh.k fodkl foHkkx ds l kFk foe'kz fd; k x; k ¼uoEcj 2007¼A

### jktLo , oa Hkfe l çkkj foHkkx

4-1-2 = fVi w kZ jkdM+ çca/ku

foUkh; fu; eka dk mYy@ku djrs gq 2-10 djkdM+ #i; s dk langkLin nfofu; kstu , oa 13-17 djkdM+ #i; s ds vLFkk; h vfxæ vkj 53-41 djkdM+ #i; s dks l jdkj ds jkdM+ 'k'k l s ckgj j [kk x; kA

fcgkj dks'kkxkj l fgrk ¼fc- dks l a½ ds fu; e 300 çko/kkfur djrk gS fd dks'kkxkj l s jkf'k dk vkgj.k dny rjR l forj.k ds fy, djuk pkfg, vkj ; fn dkbz vforfjr@v0; oâr jkf'k gks rks foUkh; o"kl ds var gkus ds i wZ bl s dks'kkxkj ea tek dj nuk pkfg, A fcgkj foUkh; fu; e 115 ds l kFk i fBr fu; e 305 ds çko/kkuka ds rgr fudkl h , oa 0; ; u inkf/kdkjh ¼fu 0; i ½ ; g ns[kus ds fy, mUkjnk; h gS fd 0; ; mi yC/k fofu; kstu ds vUrxR gA bl ds vrfjDr fu; e 86 ds rgr fu 0; i dks jkdM+ cgh ea dh xbz i fof"V; ka dh tkp vkj vfHki çkf.kr Hkh djuk pkfg, vkj eghus ea de l s de , d ckj jkdM+ 'k'kka dk Hkkrd l R; ki u rFkk bl vk'k; dk , d çek.k jkdM+ cgh ea ntZ djuk pkfg, A

o"kl 2005&06 ds nkjku pkj ftyk utkjrs ¼Hkkxyig] tgkukcckn] e/kçuh] tep½ ds jkdM+ cgh@vfHkys[kka ds ueuk tkp ¼tykbz vxLr 2006½ l s irk pyk fd mi; Dr foUkh; fu; e dk mYy@ku fd; k x; k vkj 31 ekpl 2006 dks 26-19 djkdM+ #i; ;<sup>2</sup> dk var 'k'k Fkka var 'k'k ea vLFkkbz vfxæ ¼2-41 djkdM+ #i; ;<sup>3</sup>½ uxn ¼1-27 yk[k #i; ; ¼ çd ea jkdM+ ¼18-28 djkdM+

<sup>1</sup> ऐसे वाउचरों जिसका भुगतान कर दिया गया था लेकिन आवंटन प्राप्त करने हेतु अंतशेष के रूप में रखा गया जिसे प्रखण्ड नजारत द्वारा अस्वीकृत वाउचर पहचान की गई।

<sup>2</sup> भागलपुर : 13.79 करोड़ रुपये, जमुई : 4.71 करोड़ रुपये, जहानाबाद : 4.74 करोड़ रुपये और मधुबनी : 2.95 करोड़ रुपये

<sup>3</sup> भागलपुर : 1.17 करोड़ रुपये, जमुई : 45 लाख रुपये, जहानाबाद : 34 लाख रुपये और मधुबनी : 45 लाख रुपये

#i; s<sup>4</sup>½ vLohd'r okmpj<sup>5</sup> ¼5-32 djkm+ #i; s<sup>6</sup>½ vksj c'frosnr nfofu; kstu ¼17 yk[k #i; ½ FkA bl ds vfrfjDr] vxLr 2001 vksj t'gkbl 2005 ds nkjku Hkkxyig , oa t'gkukckn ea Øe'k% 1-59 djkm+ #i; s vksj 1-23 djkm+ #i; s vLohd'r okmpj jkdM+ky }kjk vi us mÜkj kf/kdkjh dks l kš s ugha x; A

ys[kkijh{kk us t'gkukckn vksj Hkkxyig utkjrka dks vLohd'r okmpjka vksj vl ek; kftr vfxæka dh foj .kh dks çLrqr djus gsrq dgkA mi l ekgÜkkZ utkjr ¼m l u¼ t'gkukckn us l f'pr fd; k ¼tuw 2007½ fd ys[kkijh{kk }kjk b'fxr 1-23 djkm+ #i; s ds fo: ) 1-13 djkm+ #i; s dk vLohd'r okmpjka mi yC/k FkA m l u] t'gkukckn us 41-12 yk[k #i; s ds vl ek; kftr vfxæ dks Hkh l f'pr fd; k ftl ea vfxæka ds /kkj dka ds uke dbz ekeyka ea vi Buh; FkA

mi l ekgÜkkZ utkjr] Hkkxyig us l f'pr fd; k ¼l rEcj 2007½ fd vLohd'r okmpjka vksj vfxæka dh l f'ph fuekZ kk/khu FkA

bl h çdkj 31 ekpl 2006 dks l kr vU; ftyka ea 55-84 djkm+ #i; s dk vr'kš'k<sup>7</sup> ik; s x; A bl ea çd ea jkdM+ ¼35-13 djkm+ #i; ¼ vLohd'r okmpj ¼9-75 djkm+ #i; ¼ vLFkk; h vfxæa ¼10-76 djkm+ #i; ½ vksj uxn ¼20 yk[k #i; ½ l f'efyr FkA

vr¼ 31 ekpl 2006 dks 11 ftyka ea 82-03 djkm+ #i; s vr'kš'k Fks ftl ea çd ea jkdM+ ¼53-41 djkm+ #i; ¼ vLohd'r okmpj ¼15-07 djkm+ #i; ¼ vLFkkbl vfxæ ¼13-17 djkm+ #i; ¼ uxn ¼21-17 yk[k #i; ½ vksj c'frosnr nfofu; kstu ¼17 yk[k #i; ½ l f'efyr FkA bl ds vfrfj ä 2-82 djkm+ #i; s ds vLohd'r okmpjka dks jkdM+ky }kjk vi us mÜkj kf/kdkjh dks ugha l kš s x; A , d ekeya ea m- l - u- us l f'pr fd; k fd 1-23 djkm+ #i; s ea l s 1-13 djkm+ #i; s vLohd'r okmpjka dh mi yC/krk vksj 41-12 yk[k #i; s dh vLFkkbl vfxæ ftl ea ukea vi Buh; FkA bl çdkj 2-10 djkm+ #i; s<sup>8</sup> dh l ngkLin nfofu; kstu FkA p'fd ; g jkf'k cgr T; knk Fkh bl fy, ; g mfpr gkrk fd , d foLr'r tkp dh tkrh vksj tckongh r; dh tkrhA

mi ; Dr ?kVuk n'kk'r h gS fd vLohd'r okmpjka vLFkk; h vfxæa vksj l jdkj ds ckgj j [ks x; s jkdM+ 'kš'k dh fuf/k nfofu; kstu dh vksj vxfl r gpA bl fy, l jdkj dks vo'; l fu'p; djuk pkfg, fd vLohd'r okmpj

<sup>4</sup> भागलपुर : 10.45 करोड़ रुपये, जमुई : 3.68 करोड़ रुपये, जहानाबाद : 2.89 करोड़ रुपये और मधुबनी : 1.26 करोड़ रुपये

<sup>5</sup> ऐसे वाउचरों जिसका भुगतान कर दिया गया था लेकिन आवंटन प्राप्त करने हेतु अंतशेष के रूप में रखा गया जिसे जिला नजारत द्वारा अस्वीकृत वाउचर पहचान की गई।

<sup>6</sup> भागलपुर : 2.16 करोड़ रुपये, जमुई : 57 लाख रुपये, जहानाबाद : 1.45 करोड़ रुपये और मधुबनी : 1.14 करोड़ रुपये

<sup>7</sup> अरवल : 10.57 करोड़ रुपये, पूर्वी चम्पारण : 6.57 करोड़ रुपये, कटिहार : 10.14 करोड़ रुपये, खगड़िया : 2.23 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर : 7.38 करोड़ रुपये, सहरसा : 6.40 करोड़ रुपये और सीतामढ़ी : 12.55 करोड़ रुपये

<sup>8</sup> जहानाबाद (असमायोजित अग्रिम : 41.12 लाख रुपये और अस्वीकृत वाउचर : 9.90 लाख रुपये), भागलपुर (1.59 करोड़ रुपये)



U; ure gkj vLFkk; h vfxæ lek; kftr@ol my dj fy; s x; s gks vksj  
v0; f; r fuf/k dks dks'kkxkj ea tek dj fn; s x; s gkA

ekeyk ljdkj dks cfrofnr fd; s x; s ¼tqykbz 2007¼ muds tokc vçklr  
Fks ¼vDVicj 2007¼A ekeyk fodkl vk; ¼ s foe'kz fd; k x; k ¼uoEcj  
2007¼A

i Fk fuekZk foHkkx@xkE; vfHk; æ.k l æBu

4-1-3 di Vi vkZ Hkqrku , oa i Fk dk; Z dk voekud dk; kZlo; u

I Md l rg dk etcirhdj.k ea de vydrjk dk mi; ksj] fo'kSk ejEer  
vksj fo'kSk ejEer ea LVku esVy ds de mi; ksj ds dkj.k 63-90 yk[k  
#i; s dk di Vi vkZ Hkqrku , oa dk; Z dk voekud dk; kZlo; uA

I fonk ds fo'kSk 'kÜkkæ ds [k.M 18 ¼c¼ ¼ ¼ ds vuq kj vydrjk dks Hkkjr  
ljdkj ds fdl h mi Øe l s l æg.k djuk Fkk , oa l ænd dks rsy dEi uh l s  
vydrjk i klr gkus ds 48 ?kæ/s ds vünj vko'; d dkxtkrka dks dk; Z kyd  
vfHk; ark ds ikl Hkst nuk vko'; d FkA I fonk ds fo'kSk 'kÜkkæ ds [k.M  
28 ds vuq kj l ænd dks QkeZ ^, e^ vksj ^, u^ dks fcgkj [kuu , oa [kfut  
vf/kfu; e 1972 ds vuq kj Hkjuk FkA I fonk ds fo'kSk 'kÜkkæ ds [k.M 18  
¼p¼ , oa foHkkxh; i = ¼tqykbz 1991¼ ds vuq kj vydrjk o vU; [kfut  
rRoka dk mi; ksj rc fd; k tkuk Fkk tc buds xqkoÜkk ijh{k.k l ækStud  
i k; s tk; A

I qkSy&fl æs'oj I Md ds 17-5 fd-eh- l s 27-3 fd-eh I Md l rg ds  
etcirhdj.k dk dk; Z ¼dk; Z &v¼ jsyos i k i Fk l s txnø i Fk rd csyh jkM  
i Vuk ds nf{k.k@mÜkj i fDr ds fo'kSk ejEer dk; Z ¼dk; Z &c¼ HkSI ; k gksrs  
gq 6 l s 10 fd-eh- dV\$ k&i pnsokjh I Md dk l qkkj ¼dk; Z &l ¼ pks[kkjk  
i j l koku gksrs gq 10 fd-eh- ea jkuhat &vktku I Md dk pkMhdj.k vksj  
etcirhdj.k ¼dk; Z &?k¼ vksj ekyrhi g &nksyri g I Md ds ml js l s pksFk N%  
¼i h¼ I krosj X; kj goa vksj çkjg ¼i h¼ fd-eh- ea fo'kSk ejEer dk; kæ dks N%  
l ændka dks ekpZ 2003 , oa uoEcj 2006 ds çp fn; s x; A

mDr fuekZk dk; kæ ds vfHkys[kka dh ueuk tkp ¼vDVicj 2006] vxLr  
2006] uoEcj 2006 , oa ebl 2007¼ ea ik; k x; k fd eki i fLrdk ea ntZ  
fuekZk dk; kæ ds dk; kZlo; u ds fy, 1053-48 es Vu vydrjk vksj 1705-35  
?ku ehVj LVku esVy xM ¼, l , e th¼ III dh vko'; drk FkA vr% eki h  
i fLrdk ea ntZ dk; kæ dk Hkqrku djus l s igys l ænd dks 1053-48 es  
Vu vydrjk vksj 1705-35 ?ku ehVj LVku esVy dk pkyku tek djuk  
t: jh FkA yfdu foHkkx ea 1053-48 es Vu ds fo: ) 858-38 es Vu  
vydrjk vksj LVku esVy dk dkbZ pkyku mi yC/k ugha Fk] fQj Hkh mDr  
fu; eka dk mYy?ku djrs gq vydrjk , oa LVku esVy ds ijh ek=k dk  
Hkqrku dj fn; k x; kA ys[kkijh{kk }kjk l koZtfud {ks= ds rsy dā fu; ka  
vksj [kuu vf/kdkjh@eky i; bskd ds vfHkys[kka dh fr; Z tkp l s  
mn?kfVr gqvk fd 1053-48 es Vu vydrjk ds fo: ) dpy 858-38 es Vu  
vydrjk dk okLrfod mBko vksj 1705-35 ?ku ehVj , l , e th&III ds  
fo: ) dN Hkh ek=k dk okLrfod mBko ugha gqvk] ftl ds dkj.k 63-90

यक [k #i ; s dk diVi w kZ Hkxrkku gqk tks uhps dh rkfydk ea fn [kk; s x; s  
g% %

foHkkx dk uke	dk; l dk uke	l fonk dk eV; % #i ; s dj kM+ e%	eki i fLrdk eantZ dk; k l o; u ds vk/kkj ij vko'; d ek=k	mi yC/k pkyku dh ek=k	ek=k ea vUrj	nj % #i ; s yk [k e%	diVi w kZ Hkxrkku % #i ; s yk [k e%	}kjk l R; kfi r % mBk; s x, ek=k ds fy, 1/2
vydrjk								
i Fk fuekZ k foHkkx	v	1.34	266 es Vu	217 es Vu	49 es Vu	0.1547/ es Vu	7.58	vkbl vks l h (217 es Vu)
i Fk fuekZ k foHkkx	c	2.42	554.20 es Vu	487.67 es Vu	66.53 es Vu	0.1602/ es Vu	10.66	, p i h l h , y (487.67 es Vu)
xkE; vfHk; æ . k l æBu	l	1.39	83.27 es Vu	50.29 es Vu	32.98 es Vu	0.1668/ es Vu	5.50	vkbl vks l h (50.29 es Vu)
xkE; vfHk; æ . k l æBu	n	1.62	150.01 es Vu	103.39 es Vu	46.62 es Vu	0.2300/ es Vu	10.72	, p i h l h , y (103.39 es Vu)
LVku es/y xM&III								
i Fk fuekZ k foHkkx	bZ	0.99	(V) 821.14 ?ku ehVj , l , e th (C) 884.21 ?ku ehVj , l , e th	' k l ;	821.14 ?ku eh- 884.21 ?ku eh-	0.0171 / ?ku eh- 0.0173 / ?ku eh-	14.06 15.38	eky v/kh {kd} cxw jk; , oa [kuu- i nkf/kdkjh] e% s j 1/4 k l ; 1/2
dy		7.76					63.90	

vU; l kefxz ka dh [kjh ds l ca k ea xq koUk ij h {k.k çfronu vks l e fFkr okmpj a vfHkys [kka ea mi yC/k ugha FksA

vydrjk] , l , e th & III ds i ; k l r ek=k<sup>9</sup> vks xq koUk ij h {k.k ds cxj l kr dj kM+ #i ; s<sup>10</sup> ds dk; k dk; k l o; u ds dkj . k Hkh l M d dk; k dk dk; k l o; u voekud gqkA

dk; l v vks l ds l ca k ea dk; l kyd vfHk; ark us tokc fn; k fd vydrjk dk pkyku çklr dj fy; s tk; s x , oa tek dj fn; s tk, æA dk; l

<sup>9</sup> अलकतरा कार्यो के निर्माण और पर्यवेक्षण से संबंधित एम ओ आर टी एच मैनुअल के अनुसार, सतह विशेष में अपर्याप्त मात्रा में अलकतरा के उपयोग से गड्डे का निर्माण होता है।

<sup>10</sup> कार्य अ : 1.05 करोड़ रुपये + कार्य ब : 2.38 करोड़ रुपये + कार्य स : 99.15 लाख रुपये + कार्य द : 1.37 करोड़ रुपये + कार्य ई : 1.21 करोड़ रुपये

c vkj n ds lca/k ea dk; i kyd vfHk; ark us dgk fd çdj.k dk tokc l R; ki u djus ds ckn fn; k tk; xkA dk; i kyd vfHk; ark dk tokc ekl; ugha Fkk D; kfd l fonk ds fo'k'k 'kUk ds fu; e 18 ¼ch¼ ¼l h¼ ¼, Q¼ vkj 28 dk mYyarku dj vydrjk vkj fxêh dh ek=k ds fy, 63-90 yk[k #i; s dk Hkqrku fd; k x; k ftl dk okLro ea mBko ugha gqvk Fkka

ekeyk ljdkj dks çfrofnr fd; k x; k ¼vihy eb] vxLr vkj fl rEcj 2007½ ( muds tokc çklr ugha gq Fks ¼vDVicj 2007¼A ekeyk fodkl vk; Ør] l fpo] xkE; vfHk; æ.k l æBu vkj eq; vfHk; ark] iFk fuekZk foHkkx l sfoe'kz fd; k x; k ¼uoEcj 2007¼A

xkE; vfHk; æ.k l æBu foHkkx

4-1-4 lfnX/k l i hMu ij di Vi wZ Hkqrku

egjktxat&ol Urij jkM ds pkMhdj.k , oa etcirhdj.k ea lfnX/k l i hMu vkj frugh&ekj l s yêk jkM ds mlu; u ds vykos dk; l ds voekud dk; kll; u ij 98-46 yk[k #i; s dk di Vi wZ HkqrkuA

xkE; vfHk; æ.k l æBu ¼dk; ½ çemy] l hoku ds varxir 3-50 fdeh l s 13 fdeh rd egjktxat&cl Urij jkM ds pkMhdj.k , oa etcirhdj.k dk; l ¼dk; &v½ vkj xk- v- l a ¼dk-½ çemy] vkj ækckn ds varxir frugh&ekj l s yêk jkM ds mlu; u dk; l ¼dk; &c½ dks nks l ondkæ dks Øe'k% 2-19 djkm+ #i; s , oa 1-50 djkm+ #i; s ij fn; s x; s ¼ekpl 2006¼A

nkuka çemyka<sup>11</sup> ds vfHkys[kka ds ueuk tkp ¼vDVicj 2006½ l sirk pyk fd dk; l v ds fy, , djkujek 11 ekpl 2006 dks , oa dk; l c ds fy, , djkujek 22 ekpl 2006 dks gLrk[kj fd; s x; A nkuka jkM ea feêh vkj i RFkj@>kek esVy ds l i hMu dk; l dks 30 ekpl 2006 rd fd; k tkuk n'kkz; k x; k Fkk tks fl QZ , d jkM jksyj }kjk l ilko ugha Fkka bl ds dkj . k dk; l v ea 48-27 yk[k #i; s vkj dk; l c es 50-19 yk[k #i; s ds di Vi wZ Hkqrku gq ] ftl s rkfydk ea uhps fn[kk; s x; s gS %

Øe l a	Hkqrku dh frfFk	jkf'k ¼#i; s yk[k e½	pkYW [kkrk foi = l a	dk; k& ds en	dk; k& llo; u dh frfFk	l i hMu ¼?ku ehVj e½	vf/kdre l ilko; l i hMu ¼?ku ehVj e½	vUrj ¼?ku ehVj e½	di Vi wZ Hkqrku ¼#i; s yk[k e½
dk; l & v									
1	19.3.06	1.51	I	>kek esVy	12.3.06-16.3.06	150.94	113.35	37.59	0.38
2	25.3.06	5.60	II	, l , e th&II	17.3.06-20.3.06	252.73	117.28	135.45	3.00
3	25.3.06	28.67	II	, l , e th&III	21.3.06-24.3.06	1263.39	117.28	1146.11	26.01
4	30.3.06	3.80	III	, l , e th&II	25.3.06-28.3.06	171.54	117.28	54.26	1.20
5	30.3.06	19.01	III	, l , e th&III	29.3.06-30.3.06	837.80	58.64	779.16	17.68
dy		58.59							48.27

<sup>11</sup> ग्रा. अ. सं. (कार्य), औरंगाबाद और सिवान

Øe I a	Hkqrku dh frffk	jkf'k ¼#i ; s yk[k e½	pkyy [kkrk foi = I a	dk; k& ds en	dk; k& llo; u dh frffk	I á hMu ¼?ku ehVj e½	vf/kdre I kkk0; I á hMu ¼?ku ehVj e½	vUvj ¼?ku ehVj e½	diViwz Hkqrku ¼#i ; s yk[k e½
dk; l & c									
1	23.3.06	8.37	I	, l , e th&I	17.3.06- 18.3.06	622.23	52.64	569.59	7.66
2	23.3.06	15.50	I	, l , e th&II	19.3.06- 21.3.06	1101.46	87.96	1013.50	14.26
3	25.3.06	8.71	II	, l , e th&II	22.3.06- 24.3.06	618.75	87.96	530.76	7.47
4	25.3.06	6.39	II	, l , e th&III	22.3.06- 24.3.06	455.62	87.96	367.66	5.16
5	28.3.06	17.29	III	, l , e th&III	25.3.06- 28.3.06	1231.87	117.28	1114.59	15.64
dy		56.26							50.19

fuEufyf[kr rF; ka }kjk I á hMu dk; k& ds I fnX/k dk; k&llo; u dh I á f"V  
gpl %

- dk; l v 28 Qjoh 2006 dks 'kq fn[kk; s x; s vkj 6 ekpl 2006 dks çFke eki ntz dh xbl tks fd , djkjuek ij gLrk{kj dh frffk 11 ekpl 2006 I s igys dh FkhA v/kh{k.k vfHk; ark] xk- v- I a] Nijk ds LFky fujh{k.k çronu ¼ebl 2006½ I s irk pyk fd I Md ds vfre Hkkx dk LVku eS/y ds I á hMu dk; l fuekz kk/khu Fkk yfdu I á hMu dk; l dks 30 ekpl 2006 dks I ektr fn[kk; s x; A
- dk; l c dks 17 ekpl 2006 dks 'kq gqvk fn[kk; k x; k vkj 18 ekpl 2006 dks iFke eki ntz dh xbl tks fd , djkjuek ij gLrk{kj dh frffk 22 ekpl 2006 I s igys dh FkhA dk; I kyd vfHk; ark ds i = ¼vçs 2006½ ds vuq kj dk; l dk foLr' I R; ki u Hkqrku djus ds igys ugha fd; k x; k yfdu I á hMu dk; l 28 ekpl 2006 rd iwz fn[kk; k x; kA
- LVku eS/y dks tekyij ¼dk; l v½ vkj djfcfUn; k ¼dk; l c½ I s yk; k tkuk Fkk yfdu u rks pkykuka vkj u gh xqkoUkk ijh{k.k çronu vfHkys[k ij Fkk gkykfd eki iQLrdk ea çfof"Vh dh xbl fd dk; l dk dk; k&llo; u fn; s x; s fofu"Vka ds vuq kj fd; k x; k ¼dk; l v½ vkj pkyku çktr fd; s x; s Fks ¼dk; l c½A

vr% , d jkSyj I s nkuka dk; k& ea >kek@LVku eS/y ds I á hMu dk; l dk mi f{kr Lrj çktr djuk I kko ugha Fkk yfdu eki iQLrdk ea iwz fn[kk; s x; s ftl ds dkj .k 98-46 yk[k #i ; s dk diViwz Hkqrku gqvkA

çeMy ds dk; I kyd vfHk; arkvka ¼dk- v-½ us dgk fd dk; l v vkj c ds fy, Øe'k% pkj vkj vkB I s nl jkSyjka dk mi ; ksx fd; k x; k Fkka tokc ekU; ugha Fkk D; kfd çHkkjh duh; vfHk; ark@I gk; d vfHk; ark us eki iQLrdk ea I R; kfi r fd; k fd dk; l v ds I and [kn viuk jkSyj mi ; ksx fd; s Fks vkj dk; l c ds I and ds ikl fl QZ , d jkSyj Fkka bl ds

vfrfjDr] dk- v- us vfrfjDr jksyjk ds mi ; ksx ds l cdk ea dkbz vfhkys[k mi LFkfi r ugha dj l dA

ekeyk l jdkj dks cfrosnr fd; s x; s %tu 2007½ ( muds mUkj çklr ugha gq Fks %vDVcj 2007½A ekeyk fodkl vk; çä vksj l fpo] xkE; vfhk; æ.k l æBu l s foe'kz fd; k x; k %uoEcj 2007½A

### Hkou fuekZk foHkkx

#### 4-1-5 IngkLin diViwZ Hkqrku

, e , l fjbUQkd ÆIV ij 48 yk[k #i; s vksj fcuk fdl h çek.k ds l kefxz; k ds <gykbz ij 48-59 yk[k #i; s dk diViwZ HkqrkuA

75 fclrj; okyh vuç. My vLi rky] egvk ds fuekZk dk dk; l , d l ðnd dks 3-68 djkm+ #i; s ea fn; k x; k Fk %tu 2006½ ftl ea fxeh ds <gykbz ds fy; s 27-41 yk[k #i; s vuqj d ds : i ea 'kkfey Fkh %uoEcj 2006½A dk; l vHkh rd fuekZk/khu Fkh %ftl rEcj 2007½A

ys[kki jh{kk l ðh{kk %ebz 2007½ l s fuEufyf[kr ckra mn?kfVr gq %

- ek=k foi = ds vuq kj 3272-36 ?ku ehVj %dgy çkDdfyr½ vkj l h l h dk; l<sup>12</sup> ds fy, 280 eSVd Vu ekbYM LVhy fjbUQkd ÆIV dh vko'; drk FkhA l kroa pkyw ys[kk foi = %ebz 2007½ rd] 3580-64 ?ku ehVj vkj l h l h dk; l fu"i kfnr dj fn; s x; s Fks yfdu 306-38 eSVd Vu ekbYM LVhy %3-56 djkm+ #i; %½ ds fo: ) 462-89 eSVd Vu %4-04 djkm+ #i; %½ ekbYM LVhy ds fy, Hkqrku fd; k x; kA bl çdkj] 156-51 eSVd Vu ekbYM LVhy ds vf/kd [kir ij 48 yk[k #i; s dk vf/kd Hkqrku gqvkA fcgkj ykd fuekZk dk; l ys[kk l fgrk ds fu; e 84 ds vuq kj vko'; d ekbYM LVhy fjbUQkd ÆIV] b% vksj l he% ds dkbz [kjhn okmpj ugha FksA
- djkj ds vuq kj fxeh dks 'ks[kigk l s vksj ckyw dks D; my vksj LFkkuh; Lrj l s yk; k tkuk FkA l ðnd dks y?kq [kuhtka ds [kjhn ds l efkz ea QkeZ , e] , u vksj , Q<sup>13</sup> dks tek djuk vko'; d FkA l ðnd }kjk dkbz Hkh dkxtkr tek ugha fd; s x; s yfdu djkj ds vuq kj çe. My y?kq [kuhtka ds <gykbz ds en ea 48-59 yk[k #i; ;<sup>14</sup> dk Hkqrku dj fn; k %ebz 2007½A

<sup>12</sup> रिइन्फोर्समेन्ट सिमेन्ट कंक्रीट

<sup>13</sup> फार्म एम : अधिकृत क्येरी/बिक्रेता से लघु खनीजों के उठाव के लिए संवेदक का शपथ पत्र ; फार्म एन : अधिकृत विक्रेता/क्येरी द्वारा निर्गत लघु खनीजों का विवरण और फार्म एफ : अधिकृत बिक्रेता/क्येरी से निर्गत चालान खनन विभाग द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

<sup>14</sup> गिट्टी : (2807269 रुपये + 224582 रुपये) + क्यूल बालू (1288050 रुपये + 103044 रुपये) + स्थानीय बालू (177220 रुपये + 14178 रुपये) + ईट (226284 रुपये + 18103 रुपये) = 4858730 रुपये

- I fonk ds fo'ks'k 'kÜkkæ ds vuq kj I onnd ds ikl xq koÜkk ij h{k.k ç; ksx'kkyk ugha Fkk ftl I s dk; Z ea mi ; ksx fd; s x; s I kefxz; ka dh xq koÜkk dk ij h{k.k ugha fd; k x; k A

bl çdkj] 48 yk[k #i ; s dk I fnX/k di ViwKZ Hkqrku vksj fcuk çek.k ds eky ds <gkbl ij 48-59 yk[k #i ; s dk Hkqrku fd; k x; kA

ekeyk I jdkj dks çfrofnr fd; k x; k ¼l rEcj 2007½ ( muds mÜkj vçklr Fks ¼vDV¼j 2007½A ekeyk fodkl vk; çä vksj eq; I fpo] Hkou fuekZk foHkkx I s foe'kZ fd; k x; k ¼uoEcj 2007½A

#### 4-1-6 di ViwKZ Hkqrku

*etnijh ds en ea 14-44 yk[k #i ; s dk di ViwKZ Hkqrku , oa fxêh ds de [kir ds dkj.k rhu djkm+ #i ; s dk Lrjghu dk; Z dk fu"iknu gqvkA*

fd'kuxat gokbZik ds iDdk foeku iêh ds fuekZk ds fy, ukxfjd mi ; u foHkkx rhu djkm+ #i ; s dk ç'kkl fud vuqknu ¼ekpl 2001½ vksj Hkou fuekZk foHkkx 3-40 djkm+ #i ; s dk rduhfd Lohdfr ¼Qjoh 2004½ çnku fd; kA bl dk; Z ea 3300@100 QhV foekui êh] foeku dks nqkZuk I s cpkus ds fy, foeku iêh ds vfire Nkj ds nkuka fdukjka ij vfrfjDr iêh] VDI h iMko vksj , çu dk fuekZk 'kkfey FksA ; g dk; Z feêh dk; Z] foeku iêh dk fuekZk] ckgjh fnokj dk ?kj k ea foHkkftr Fkka I rZrk foHkkx ds vuq's'kka ftl ea fo'ks'k i fjLFkfr ds vykos foHkkxh; dk; Z dks djuk fu"ks'k gS dk mYya'ku djrs gq , oa ; g rdZ nrs gq foHkkx }kj k dk; kæ dk fu"iknu dj fy; k x; k fd fuf/k dk vkoa/u 0; i xr gks tk; sxA

Hkou fuekZk foHkkx] fd'kuxat ds vfHkys[kka dh I dh{k k ¼uoEcj 2006½ ds nkjku fuEufyf[kr ckr mn'kfVr gq %

- eki i fLrdk ea fn[kk; s x; s dk; Z ds fu"iknu ds fy, , I , e th&III ¼6177-02 ?ku ehVj½ vksj fxêh ¼1469-26 ?ku ehVj½ dh vko'; drk Fkha vko'; drk ds fo: ) dny 2349-20 ?ku ehVj , I , e th&III vksj 954-29 ?ku ehVj fxêh çklr fd; s x; s ftl ds fy, dkbZ vfrfjDr Hkqrku ugha fd; s x; s A gkykfd] , I , e th&III , oa fxêh ds vko'; d ek=k ds fy, etnijh dk Hkqrku fd; k x; k] ftl I s etnijh ds en ea 14-44 yk[k #i ; s dk di ViwKZ Hkqrku gqvk] tks rkfydk ea uhps fn[kk; k x; k gS %

Øe l a	dk; L dk en	eki i fLrdk ds vuq kj dk; L ds fu"i knu ea fxêh vkj , l , eth-III dh vko' ; drk	, l , e th&III@fxêh dh okLrfod çkflr , oa , l , eth&III@fxêh l s l kkkfor dk; L çkflr fd, x,	etnjh ds en ea fd; s x; s Hkxrkku , oa fd; s x; s vf/kd dk; L dk foj . k				
		eki cgh ds vuq kj ek=k	vko' ; d , l , eth III <sup>15</sup> @fxêh	, l , eth- III @fxêh dk okLrfod çkflr	çkflr fd, x, , l , eth III@fxêh l s l kkkfor dk; L	n'kkZ, x, dk; kfllo r dk; kx dh vf/kd ek=k	vkdyu ds vuq kj etnjh %#i ; % %#i ; %	etnjh %#i ; s yk[k e%
1	2	3	4	5	6	7 (3-6)	8	9 (7 x 8)
1	fcYV , i Lçs xkmfVax	30669.14 oxl ehVj	, l , eth&III 3066.91 ?ku ehVj fxêh 365.02 ?ku ehVj	, l , eth&III 2349.20 ?ku ehVj fxêh 295.71 ?ku ehVj	23492.03 oxl ehVj	7177.11 oxl ehVj	57.95 çfr oxl ehVj	4.16
2	okVj ckmM eçkMe	2338.43 ?kuZ ehVj	, l , eth&III 3110.11 ?ku ehVj	'kù;	'kù;	2338.43 ?ku ehVj	170.90 çfr oxl ehVj	4.00
3	20 feeh çifeDI dkj i s	30669.14 oxl ehVj	fxêh 828.22 ?ku ehVj	fxêh 542.56 ?ku ehVj	20094.98 oxl ehVj	10574.16 oxl ehVj	32.25 çfr oxl ehVj	3.41
4	'khy dkV	30669.14 oxl ehVj	fxêh 276.02 ?ku ehVj	fxêh 116.02 ?ku ehVj	12891.22 oxl ehVj	17777.92 oxl ehVj	16.15 çfr oxl ehVj	2.87
	dy ; ksx							14.44

nku ka dk; kx ds fy, vkdfyr 53046-18 ?ku ehVj ek=k ds fo: ) feêh  
Hkjko vkj jkfyax@l ahMu dk; L dh ek=k Øe'k% 38029-57 ?ku ehVj , oa  
33950-83 ?ku ehVj FkhA

foekui êh ds vâre Nkj ij vfrfjDr i êh dk fueZk fu"i knr ugha fd; s  
x; s tks çkDdyu ea 'kkfey Fkk vkj tks mî ; u ; kstuk vpy] l h i h Mçyw  
Mh] fnYyh ds funF'kdk ds vuq kj foeku dks mMuy nqkZuk l s cpkus ds  
fy, Hkh vko' ; d FkhA VDI h i Mko] , çu dk fueZk Hkh ugha fd; s x; A

- <sup>15</sup> (1) 10 वर्ग मीटर बी यू एस जी कार्य के लिए एक घन मीटर एम एम जी-III की आवश्यकता थी।  
(2) 1 घन मीटर डब्लू बी एम कार्य के लिए 1.33 घन मीटर एम एम जी-III की आवश्यकता थी।  
(3) 20 मिलीमीटर मिश्रीत 10 वर्ग मीटर कारपेट कार्य के लिए 0.27 घन मीटर गिट्टी की आवश्यकता थी।  
(4) 10 घन मीटर शील कोट कार्य के लिए 0.09 घन मीटर गिट्टी की आवश्यकता थी।

1 र्दरक foHkx us gLr jfl n 1/2- j-1/2 ij Hkqrku çfrçf/kr fd; s Fks 1/2ebz 1977½ yfdu ek=k vksj etnij ds fy, l kr 0; fä; k dks g- j- ij 69 yk[k #i; s<sup>6</sup> dk Hkqrku fd; k x; k tks vfu; fer Fkka

1 c) etnijka dks 14-44 yk[k #i; s ds di Vi w k z Hkqrku ds vfrfjDr , l , e th III, fxêh ds de ek=k dk mi; ksx rFkk vi; klr l ä hMu djrs gq rhu djkm+ #i; s dk fuEuLrjh; foHkxh; dk; l dk fu"iknu gq/kA ys[kkijh{kk ds n"VKUr ij ftyk inkf/kdkjh] fd'kuxat 1/2vithy 2007½ us foekui êh dk ijh{k.k , d l febr ftl ea vupMy inkf/kdkjh] dk; ä kyd vfhk; ark vksj iFk fuekZ.k foHkx dk vuq'kku l gk; d 'kkfey Fks }kjk djok; k x; kA l febr dk çfronu bl ckr dh i f"V djrk Fkk fd dk; l fuEu Lrj dk Fkka

ekeyk l jdkj dks çfrofnr fd; k x; k 1/2ebz 2007½ ( muds mUkj vçkr Fks 1/2DVncj 2007½A ekeyk fodkl vk; çä vksj eq; l fpo] Hkou fuekZ.k foHkx l s foe'kz fd; s x; s 1/2uoEcj 2007½A

ykod LokLF; vfhk; æ.k foHkx

#### 4-1-7 di Vi w k z Hkqrku

3-13 yk[k #i; s dk di Vi w k z Hkqrku] i w k z LoPNrk vfhk; ku fuf/k dks pkyw [kkrk ea j [kus ds dkj.k 14-94 yk[k #i; s C; kt dh gkfu vksj vfhkçjd dks 2-91 yk[k #i; s dk vukf/kdr HkqrkuA

dlnz l jdkj çkdk ftys ea dlnh; i qul jfpr xkeh.k LoPNrk vfhk; ku ds i w k z LoPNrk vfhk; ku 1/2i w Lo- v-1/2 ds varxlr xjhch js[kk l s uhps ds i fjokjka ds fy, 'kkçky; dk fuekZ.k] efgykvka ds fy, l kemkf; d LoPNrk Hkou 1/2k- Lo- Hk-1/2 vksj fo | ky; ka ea LoPNrk l fo/kk; j 1/2fo- Lo- l q½ ds fy, 3-20 djkm+ #i; s fuxlr fd; k 1/2uoEcj 2001½A i w Lo- v- ds funf'kdk ds vuq'kj] fuf/k dks cpr [kkrk ea j [kk tkuk Fkka i w Lo- v- fuf/k ij l fpr C; kt dks i w Lo- v- ds l kr ds Hkx ds : i ea 0; oâr gkuk Fkka jkT; l jdkj }kjk Hk 72 yk[k #i; s vi us vak ds : i ea fuxlr fd; s x; s vksj ekpl 2007 rd C; kt ds : i ea 29 yk[k #i; s l xfgfr fd; s x; A bl çdkj] ; kstuk ds dk; k lo; u ds fy, 4-21 djkm+ #i; s mi yC/k Fkka bl ea l s ekpl 2007 rd 27]601 ?kjsyw 'kkçky; ka<sup>17</sup> ds fuekZ.k ij 1-41 djkm+ #i; s [kpl fd; s x; A

çeMyh; dk; kÿ; ] çkdk ds pkj ç[k.Mka<sup>18</sup> ds okmpjka ds ys[kkijh{kk l dh{kk 1/2vçhy&ebz 2007½ ds nkj ku fuEu fyf[kr çkrs mn?kfVr gpl %

<sup>16</sup> मुकेश गुप्ता (8.83 लाख रुपये), सतबीर सिंह (5.25 लाख रुपये), अमर ज्योति रोडवेज (0.66 लाख रुपये), मोहम्मद खालिद अंसारी (13.62 लाख रुपये), राजु कुन्दु (8.14 लाख रुपये), मोहम्मद मस्लय (29.01 लाख रुपये) और रमेश दास (3.43 लाख रुपये)।

<sup>17</sup> मार्च 2006 तक 625 रुपये प्रति इकाई की दर से और अप्रैल 2006 से 1500 रुपये प्रति इकाई की दर से।

<sup>18</sup> बरहट, बाँका, धोरैया और शंभुगंज।



- fnl Ecj 2001 l s tuojh 2003 ds nksj ku foHkx 3-20 djkm+ #i ; s dh iwkl jkf'k dks funf'kd dk mYy@ku djrs gq cfd ds pkyw [kkrk ea j [kk ftl ds dkj.k 14-94 yk[k #i ; s dh C;kt dh gkfu gqA
- vchy 2004 l s tuojh 2006 ds nksj ku rhu c[k.Mka %kksj\$ k] ckdk vksj cjpgV% ea 1791 ?kjsyq 'kk\$ky; ka ds fuekZk ds fy, 8-85 yk[k #i ; s dk Hkqrku fd; k x; k yfdu ukeka ds l ph ea dpy 1741 ykHkkfFkZ; ka ds uke vdr Fks D; kfd l ph ds Øe l a[; k ea vUrj Fkka bl cdkj dk; Zdkjh vfHkdj.k dks 0-25 yk[k #i ; s dk diViwkl Hkqrku fd; k x; kA
- ?kjsyq 'kk\$ky; ykHkkfFkZ; ka ds uke muds ch ih , y Øekad ds vuq kj , d foi = ea vfHkfyf[kr Fks vksj yky dkmZ l a[; k ds vuq kj nrl js foi = ea vfHkfyf[kr Fks Qojh 2004 l s uoEcj 2006 ds chp 297 ykHkkfFkZ; ka ds uke nks ckj ns[ks x; ; 18 ykHkkfFkZ; ka ds rhu ckj ns[ks x; s vksj 4 ykHkkfFkZ; ka ds uke pkj ckj ik; s x; s ftl ds ifj.kkeLo: i 1-73 yk[k #i ; s<sup>19</sup> dk diViwkl Hkqrku fd; k x; kA bl ds vfrjDr] 187 ykHkkfFkZ; ka ds fo: ) 216 0; fä; ka ftl ds ikl , d gh ipk; r@xke ea , d gh ch ih , y l a[; k %tks l ilko ugha Fks% Fks dks nks@rhu ckj Hkqrku fd; k x; k ftl ds dkj.k 1-15 yk[k #i ; s<sup>20</sup> dk diViwkl Hkqrku gqA

uoæj 2004 l s fl rEcj 2005<sup>21</sup> ds chp ceMy ds ikp vfHkçj dka dks iw Lo- vfHk- fuf/k l s l h/ks 2-91 yk[k #i ; s dk Hkqrku fd; k tcd ykHkkfFkZ; ka ds vd nknu l s mu vfHkçj dka dks Hkqrku fd; k tkuk Fkka

bl cdkj] 3-13 yk[k #i ; s dk diViwkl Hkqrku] 14-94 yk[k #i ; s ds C;kt dh gkfu vksj 2-91 yk[k #i ; s dk vukf/kdr Hkqrku gqA ys[kkijh{kk fu"d"kZ ds vk/kkj ij dk; i kyd vfHk; ark us dk; Zdkjh vfHkdj.k k dks jkf'k tek djus dk funf'k fn; kA

ekeyk l jdkj dks çfrofnr fd; k x; k %tgykbl 2007% ( muds mUkj vi klr Fks %DVicj 2007%A ekeyk fodkl vk; çä vksj eq[; vfHk; ark] ykcd LokLF; vfHk; æ.k foHkx l s foe'kZ fd; k x; k %uoEcj 2007%A

<sup>19</sup>  $345 \times 500 = 1.73$  लाख रुपये

<sup>20</sup>  $205 \times 500 + 11 \times 1200 = 1.15$  लाख रुपये

<sup>21</sup> 9.11.04 : 1.80 लाख रुपये, 8.12.04 : 0.28 लाख रुपये, 23.9.05 : 0.84 लाख रुपये

i ; kbj.k , oa ou foHkkx

4-1-8 di Vi vkz Hkkrku

140-05 gDV\$ j okLrfod mi yC/k Hkfe ds fo: ) 400 gDV\$ j ea fn[kk; x; s mtM\$ ou ds iquokl ds dkj.k 35-28 yk[k #i; s dk di Vi vkz Hkkrku gvrkA

mtM\$ ou iquokl 1/4m- o- iq½ ds varxir o{kkjksi.k ; kstuk dks vf/kl fpr {ks= ds l j f{kr ou , oa l j f{kr ou ds vk/kkj ij mtM\$ ou ds okLrfod fLFkr %ou dk çfr'kr½ ds l kFk çLrko@çkDdyu ds vk/kkj ij Lohdr fd; k tkuk FkkA bl ds vfrfjDr] i ksjksi.k tuzy<sup>22</sup> i ksjksi.k jftLVj<sup>23</sup> dks l a'kkfjr fd; k tkuk FkkA i ; kbj.k , oa ou foHkkx] fcgkj 2006 l s 2011 ds nkjku epxj çemy ds 750 gDV\$ j ea mtM\$ ou ds iquokl 1/4m- o- iq½ ds varxir 11 ; kstukvka dks vupkfnr fd; kA 750 gDV\$ j ea vfxæ dk; l ds fy, {ks=; ed; ou l j {kd us 1-01 djkm+ #i; s %Qjoh 2007½ vkofVr fd; A ou l j {kd] Hkkxyig Hkh 130 gDV\$ j ea ml h ; kstuk ds fy, 12-84 yk[k #i; s vkofVr fd; s %ekpl 2007½A

Mh , Q vkj epxj ds vfHkys[kka dh l dh{kk %vxLr 2006½ ds nkjku fuEufyf[kr ckra mn?kfVr gpl %

- dkbz i ksjksi.k tuzy l a'kkfjr ugha fd; s x; s Fks yfdu çemy 14 Hkq[kMks<sup>24</sup> ea ou Hkfe ds 400 gDV\$ j ea iquokl dk; l dk fu"i knu fd; k Fkk vkj 54-29 yk[k #i; s [kpl fd; kA ys[kki jh{kk }kjk vpy vf/kdkjh ds vfHkys[kka dh fr; l tkp l s irk pyk fd dgy ou Hkfe vkj mDr Hkq[kMks dk {ks=Qy 140-05 gDV\$ j FkkA bl çdkj 140-05 gDV\$ j mi yC/k Hkfe ds fo: ) 400 gDV\$ j ea iquokl dk; l l ilko ugha FkkA
- ou dk ?kuRo ds fy; s u çemy vkj u gh mPp çkf/kdkjh }kjk l o{k.k fd; k x; k bl fy, {ks= ea thfor@fo|eku i ksjkka dh çkj fHkd l uph tks çLrko@çkDdyu ds r\$ kjh dk vk/kkj Fkk dk vfHkys[k ugha FkkA ou ds ?kuRo dk vfHkfuf'p; fd; s fcuk o{kkjksi.k dk; l dks fn[kk; k x; kA o{kkjksi.k ds ckn çtkfr vud kj i ksjkka dh thfork] Hkkf'rd l R; ki u çfronu vkj Lo&l and"V çek.k i = tks vupkfnu ds vud kj t: jh Fkj dks mPp çkf/kdkjh ds ikl ugha Hkst s x; A

<sup>22</sup> वन विभाग द्वारा वनरोपण कार्य के लिए पौधरोपण जर्नल एक मूल दस्तावेज है। इसमें पौधा का स्थल, बीज/टहनी का स्रोत, कटाई और छाटाई की अवधि, पौधों के कंटनी/उगाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन और खाद का उपयोग शामिल होता है।

<sup>23</sup> रोपे गये पौधों के अतिरिक्त नहीं जीवित पौधों की विवरण एवं नहीं उगे पौधों के कारण देना।

<sup>24</sup> भूखंड सं. 11, 21, 29, 172, 216, 217, 253, 374, 1040, 1045, 1077, 1078, 1082 और 2077

bl çdkj Hkfe ds 259-95 gDVj<sup>25</sup> ea ou dk i qokl dk l fnX/k fu"i knu ds dkj.k 35-28 yk[k #i ;<sup>26</sup> dk di Vi wkZ Hkqrku gq/kA

ekeyk l jdkj dks çfrofnr fd; s x; s %vxLr 2007½ ( muds mUkj vçklr Fks %vDVicj 2007½A ekeyk fodkl vk; çä ds l kFk foe'kz fd; k x; k %uoEcj 2007½A

4-1-9 l ngkLin oujki.k vkj çk< ds ckn vuj{k.k ij l fnX/k di Vi wkZ Hkqrku

BtB tMka dk l kr ugha fn[kk; s tkus ds dkj.k l fnX/k oujki.k ij 53-11 yk[k #i; s dk 0; ; vkj cg x; s i kSjka ij 54-99 yk[k #i; s dk 0; ; fn[kk; k x; kA

ou foHkkx ds funf'kd ½2000½ ds vuq kj i kSjksi .k tuzy<sup>27</sup> vkj i kSjksi .k jftLVj<sup>28</sup> dk çemyka }kjk l a'kkj.k djuk t: jh Fkka mi fodkl vk; çä l g ed; dk; i kyd inkf/kdkjh] ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k] njHkxk Qjoj 2004 l s ekpl 2005 ds çp ou çemy inkf/kdkjh %o-ç-i-½ dks l i wkZ xkeh.k jkstxkj ; kstuk ¼ axk-jks; k½ ds vrxr l keftd okfudh ds 23 oujki .k ; kstukvka ds fy, 1-36 djkm+ #i; s %uxn % 1-06 djkm+ #i; s vkj 30-27 yk[k #i; s ed; dk 4850-17 Doha/y pkoy½ egS; k fd; kA ; kstuk 2003 l s 2007 rd dk; kflor gks tkuk Fk ftl ds vrxr pkj yk[k BtB tMka dks pkj LFkkl ul ij; k<sup>29</sup> ea mxkuk Fk ftl ea l s 3-22 yk[k BtB tMka dks 19 LFkka ij jki uk Fkka

o- ç- ink-] njHkxk ds vfHkys[kka dh l dh{kk %tykbz 2006] fl rEcj 2007½ ea ik; k x; k fd fnl Ecj 2005 rd 1-08 djkm+ #i; s<sup>30</sup> ds dty [kpl ds fo: ) o{kjksi .k dk; l ij 53-11 yk[k #i; s %uxn % 39-22 yk[k #i; s vkj 13-89 yk[k #i; s ed; dk 2208-73 Doha/y pkoy½ [kpl fd; s x; s yfdu tu 2004 rd BtB tMka ds fodkl @ [kjh ij , oa foHkkxh; BtB tMka ds mi; kx ij dkbz [kpl ugha fd; s x; A BtB tMka ds l kr ds vHkko vkj i kSjksi .k tuzy , oa i kSjksi .k jftLVj ds l a'kkj.k ugha djus ds dkj.k i jk dk; l l fnX/k Fkka çemy }kjk i kSjka dks tykbz 2004 ea ck<+ ds dkj.k cg

<sup>25</sup> 400 हेक्टेयर – 140.05 हेक्टेयर = 295.95 हेक्टेयर

<sup>26</sup> 259.95 हेक्टेयर (दर्शाये गये अधिक क्षेत्र)/400 हेक्टेयर (कुल क्षेत्र) X 54.29 लाख रुपये (दर्शाये गये कुल व्यय) = 35.28 लाख रुपये।

<sup>27</sup> वन विभाग द्वारा वनरोपण कार्य के लिए पौधरोपण जर्नल एक मूल दस्तावेज है। इसमें पौधा का स्थल, बीज/टहनी का स्रोत, कटाई और छाटाई की अवधि, पौधों के कॅटनी/उगाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन और खाद्य का उपयोग शामिल होता है।

<sup>28</sup> रोपे गये पौधों के अतिरिक्त नहीं जीवित पौधों की विवरण एवं नहीं उगे पौधों के कारण देना।

<sup>29</sup> (i) बुचेहा स्थाई नर्सरी, (ii) चरवाहा स्कूल, पचरी, (iii) आई टी आई परिसर, रामनगर और (iv) क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, बेनीपुर

<sup>30</sup> बीज की खरीद : 1.48 लाख रुपये ; पौधों/नर्सरी की खरीद/किराये पर : 3.18 लाख रुपये ; अन्य सामग्रियों की खरीद : 0.65 लाख रुपये ; मजदूरी : 79.91 लाख रुपये और 22.88 लाख रुपये मूल्य का 3637.94 क्विंटल चावल

x; k fn[kk; k x; k yfdu 54-99 yk[k #i; s ¼uxn % 46 yk[k #i; s vkš 8-99 yk[k #i; s eW; dk 1429-21 DohW/ y pkoy½ ck<+ ds ckn vuj{k.k ij [kpZ fd; s x; A vk; ¼ä] njHkæx çemY ¼l rEcj 2004½ us fdl h , s h ubZ ; k ij kuh o{kjksi .k ; kstuk; a ftl dh tkp yfcr Fkh ij dkbZ [kpZ ugha djus ds funZ k fn; A

bl çdkj] ikšjksi .k ds l eFkZu ea fdl h iæ.k ds vHkko ea 1-08 djkm+ #i; s dk l ngkLin di Vi w kZ Hkærkku] l fnX/k oujksi .k , oa bl ds vuj{k.k ij fd; k x; kA ftyk inkf/kdkjh] njHkæx ds çfroun ¼ebZ 2005½ l s Hkh ; g i f"V gkrk gS fd ml {ks= ea muds nkš k ds nkš ku dkbZ oujksi .k ugha ns[ks x; A

mÜkj ea o ç ink us dgk ¼ebZ 2007½ fd jk"Vh; oujksi .k i; kbj .k ckMj i; kbj .k , oa ou ea=ky; ] Hkkjr l jdkj }jk çrfu; ¼ä l keftd l ok l kd kbVh] e/; Hkkjr çHkx] fhkykZ ¼NUkh x<½ }jk LFky fujh{k.k fd; k x; k ¼tykZ 2006¼A bl ds vrfj ä 3]01]998 BtB tMa foHkxh; ul f; ka ea mi yC/k FkA

tcko ekU; ugha Fk D; ksd ikškka ds thfor jgus dh nj l s l æf/kr v/; ; u çfroun 2003&04 ds BtB tMka ds fodkl vkš o{kjksi .k dh txg 2004&05 ds 15 pfär LFkyka ¼8 l s 25 çf'r'kr½ ueuk ikšk ij vk/kkfjr FkA foHkx ds çfroun ds vuZ kj ekpZ 2004 rd o- ç- ink-] njHkæx }jk çfroun ul f; ka ea 3]01]998 BtB tMka ds fo: ) doy 50]998 BtB tMs mi yC/k Fkha vkš u gha bl ds l æg.k dk dkbZ iæ.k FkA

ou , oa i; kbj .k foHkx ¼l rEcj 2007½ ou ds iz/kku e[; ou l j {kd dks ys[kki jh{k fu"d"Z ds vk/kj ij ekeyk dks Nkuchu djus dk funZ k fn; kA

ekeyk l jdkj dks çfroun fd; k x; k ¼vxLr 2007½ ( muds mÜkj vi klr Fks ¼vDVicj 2007¼A ekeyk fodkl vk; ¼ä l s foe'kZ fd; k x; k ¼uoæj 2007¼A

xkeh.k fodkl foHkx

4-1-10 di Vi w kZ Hkærkku

**bfnjk vkokl ; kstuk fuf/k dks xjhch js[kk l s uhps ugha jgus okys i fjokjka dks fn; s tkus ds dkj.k 57-91 yk[k #i; s dk di Vi w kZ HkærkkuA**

bfnjk vkokl ; kstuk] xjhch js[kk l s uhps ¼ch ih , y½ ds i fjokjka dks jgus yk; d xg mi yC/k djkus ds mÍs ; l s dlnz çk; kftr , d ; kstuk FkA

N% ç[k.Mka<sup>31</sup> ds vfHkys[kka dh ueuk ys[kki jh{k l s fuEufyf[kr ckr mn?kfVr gpZ %

<sup>31</sup> नाथनगर (भागलपुर), रजौली (नवादा), रहुई (बिहारशरीफ), रोहतास, पंडोल (मधुबनी) और मांडी (सारण)।

- ch ih ,y l ph l s ykHkkfFkZ; ka dks HkqRku ds fr; Zl tkp l s ik; k x; k fd 222 ekeyka ea 49-14 yk[k #i; <sup>32</sup> , d s ykHkkfFkZ; ka dks fr; s x; sftl dh ch ih ,y l a[; k ch ih ,y l ph ea gh ugha FkhA
- ukFkuxj ¼Hkkxyij½ ç[k.M ea 35 ykHkkfFkZ; ka dks muds jk'ku dkmZ l a[; k ds fo: ) 6-92 yk[k #i; s dk HkqRku fd; k x; k tcf d ch ih ,y l ph ea muds uke ugha ik; s x; s FkA
- jtkSyh ¼uoknk½ jgpZ ¼fcgkj'kjhQ½ vkj iMksy ¼e/kçuh½ ea vkB ekeyka ea nks ykHkkfFkZ; ka dks , d gh ch ih ,y l a[; k ds fo: ) HkqRku dj fn; k x; k ftl ds dkj.k 1-85 yk[k #i; s dk diViwZ HkqRku gqvkA
- ç[kM fodkl inkf/kdkjh] ek;>h ç[kM ¼l kj.k½ 24 ekpZ 2006 dks 36 ykHkkfFkZ; ka dks bZ vk- ; ks ds vUrxZr vkokl ds fuekZk ds fy, 5-40 yk[k #i; s dk pd igyh fdLr Lo: i fuxZr fd; kA ; |fi vçhy&tw 2006 ds nkjku pd dks HkqRku; s x; ; 2-68 yk[k #i; s ¼nll jh fdLr½ dh 'ks'k jkf'k dks ipk; r l fpo ds çek.k i= ds vk/kkj ij fd fuekZk dk; Z fyUVy Lrj rd dj fy; s x; s Fkj igyh fdLr ds fuxZr djus ds , d l l rkg ds Hkhrj mudks fuxZr fd; s x; A

bl çdkj] nll jh fdLr ds fy, 2-68 yk[k #i; s dk vfu; fer fuxZu ds vfrfjDr bZ vk- ; ks fuf/k l s 57-91 yk[k #i; s dk diViwZ HkqRku fd; k x; kA ekeyk ea tkp dh vko' ; drk FkhA

ekeyk l jdkj dks çfrofnr fd; k x; k ¼ebZ 2007½ ( muds mUkj vi klr Fks ¼vDVUçj 2007½A ekeyk fodkl vk; çä vkj eq[; l fpo] xkeh.k fodkl foHkkx l s foe'kZ fd; k x; k ¼uoEcj 2007½A

### ty l d k/ku foHkkx

#### 4-1-11 diViwZ HkqRku

cksMj i hfpax dk; Z ds fu"iknu dks fn[kyk dj 1-05 djkm+ #i; s dk diViwZ HkqRku D; kfd dk; Z dk fu"iknu ty ds mPpre Lrj 46-28 ehVj l s 47-73 ehVj ij l Hko ugha Fkka

ck<+ fu; æ.k ç.e.My] [kxfM+ k }kjk cnyk?kkV&ukxj i kjk rVcalk ds 27-90 fdeh l s 31-11 fdeh rd fjVk; j ykbu<sup>33</sup> ds fuekZk ds fy, 4-16 djkm+ #i; s ds çkDdfyr jkf'k tks i qjhf{kr 5-34 djkm+ #i; s ¼fnl Ecj 2006½ Fkh ds fo: ) 4-36 djkm+ #i; s ¼Qjoh 2006½ dk dk; Z vkn'sk , d l onnd dks

<sup>32</sup> नाथनगर : 6.14 लाख रुपये, रजौली : 2.14 लाख रुपये, रहई : 23.05 लाख रुपये, रोहतास : 6.56 लाख रुपये और पंडौल : 11.25 लाख रुपये।

<sup>33</sup> रिटायर लाईन बाँध के किनारे का एक लाइन है जिसे द्वितीय सुरक्षा के रूप में बनाया जाता है जब मुख्य तटबन्ध पर खतरा रहता है।

2006 ds ck+ vkus ds igys fn; k x; kA 14 t<sub>1</sub>kybz 2006 rd dk; L dk fu"i knu fd; k x; k FkA ty l a k/ku foHkx ds l keku; dk; L ds<sub>1</sub>Mj ds vuq kj dks h unh ij dk; kA dk fu"i knu 31 epl 2006 rd ijk gks tkuk pkfg, FkA

ys[<sub>1</sub>kki jh{kk l dh{kk ea ik; k x; k fd 9 tu l s 12 t<sub>1</sub>kybz 2006 rd 1-05 djkm+ #i; <sup>34</sup> jkf'k dk 9870-20 ?ku ehVj cksMj ihfpx dk; L cl qk LFky ij xyr <æ l s çemy ds yoycd ea dks h unh dk tyLrj 27 ehVj l s 30-75 ehVj ds chp mPp ty Lrj ¼m- t- Lr-½ fn[kkdj fu"ikfnr fd; s x; A ; |fi] dk; i kyd vfHk; ark] e/; xæ çe. My l a&IV iVuk %dlnh; ty vk; ksx] Hkkjr l jdkj½ ds vfHkys[<sub>1</sub>ka ds vuq kj mDr LFkku ij ml h vof/k ds nks ku m- t- Lr- 46-28 l s 47-73 ehVj ds chp l akfjr FkA bl fy, dk; L dk fu"i knu l ngkLin Fk D; kfd m- t- Lr- 46-28 ehVj l s 47-73 ehVj ds chp cksMj ihfpx dk; L l lko ugha Fk ftl ds fy, 1-05 djkm+ #i; s dk diVi w k Hkxrk l onnd dks fd; k x; kA

ekeyk l jdkj dks çrofnr fd; k x; k %uoEcj 2007½ ( foHkx }kjk ed[; vfHk; ark] l eLrhij dks ekeyk dh Nkuchu djus dks dgk %uoEcj 2007½ ekeyk fodkl vk; çä l s foe'kz fd; k x; k %uoEcj 2007½

4-1-12 ugj dk; L dk l fnX/k l a knu

1-33 djkm+ #i; s jkf'k ds ugj dk; L dk l a knu l fnX/k Fk D; kfd de l de 295 fnuka ds dk; L dks 152 fnuka ea l a kfnr fn[kyk; k x; k

if'peh dks kh ugj çemy] cgjh ds v/khu 1-15 djkm+ #i; s ds vkdfyr ykxr okys l djh 'kk[<sub>1</sub>kk ugj ds foHkku fcUnqka ij l kr ugj forfj.k; kj] , d , l , y vkj i y] , d dkVZ i y vkj nks 'kh"z fu; kedka dk fuekZ k dk; L 1-26 djkm+ #i; s dh ykxr ij , d l onnd dks vkofVr fd; k x; k %tuojh 2005½A dk; L ds vxr feeh dk; L ih l h l h@vkj l h l h l j puk] ty fudkl h bR; kfn dk; L l feefyr FkA l onnd dks 50 etnijka dk ysj ykbl a FkA dk; L nks o"kkA ea ijk fd; k tkuk FkA gkykfd dk; L dks 152 fnuka %18 tuojh 2005 l s 18 tu 2005½ ea i w k fn[kyk; k x; k vkj l onnd dks 1-33 djkm+ #i; s dk Hkxrk fd; k x; k %t<sub>1</sub>kybz 2005½A

ys[<sub>1</sub>kki jh{kk l dh{kk %ekpl 2007½ l s fuEufyf[<sub>1</sub>kr mn?kfVr gqk %

- Je foHkx ds ekudka %ebz 2004½ ds vuq kj , d etnij ifr fnu 90 ?kuQhV l s ydj 110 ?kuQhV %vkj r 100 ?kuQhV½ feeh dh [k<sub>1</sub>kbz@Hk<sub>1</sub>kbz djus ea l {ke FkA l onnd ds }kjk 34854 ?kuehVj feeh dk; L dks 152 fnuka ea l a kfnr fn[kyk; k x; k Fk tcd 50 etnijka ds }kjk bl s 246 fnu ea l a kfnr fd; k tkrKA i w l , oa i 'pkr- [k. M eki h dk dkbz vfHkys[<sub>1</sub>k ugha Fk gkykfd fu/kk<sub>1</sub>jr fn'kk funz kka %vDVicj 1977½ ds vuq kj vko'; d FkA bu ekfi ; ka ds ugha jgus ds dkj .k [k<sub>1</sub>kbz@Hk<sub>1</sub>kbz dk; L l R; ki u ; kx; ugha FkA

<sup>34</sup> बॉल्डर का मूल्य : 23.29 लाख रुपये + बॉल्डर की दुलाई : 60.39 लाख रुपये + मजदूरी : 21.18 लाख रुपये = 104.86 लाख रुपये।

- ih l h l h@vkj l h l h l j puk ds çkDdyu ds vuq kj l ðVfjæ] 'kVfjæ yxkus@fudkyuð bV dk; j jfyæ ikLV] ty fudkl h vkfn dk; l ea de l s de 49 fnu<sup>35</sup> yxus pkfg, Fks vkj ; s dk; l [kqkbl dk; l ds ckn gh l ä kfnr fd, tk l drs FkA
- fufonk vkea=.k dh l upuk vkj dk; kñs k ds vuq kj vko'; d dk; l ; kstuk l ðf/kr dkbz vfHkys[k mi yC/k ugha FkA

bl çdkj de l s de 295 fnuka ds dk; l dks 152 fnuka ea l ä kfnr fn[kyk; k x; kA vr% 1-33 djkm+ #i ; s dk ugj dk; l l fnX/k FkA

dk; ð kyd vfHk; ark us crk; k ½ekpl 2007½ fd l ðnd }kj dk; l dks 'kh/kz i jk djus gsrq ; kf=d mi k; ka l s l ä kfnr fd; k x; kA mUkj Lohdk; l ugha Fk D; kf d dk; l ; kstuk , oa rdudh chM ea ; æ vkj l a æ dk dkbz fufn'V fooj.k mYyf[kr ugha FkA l kFk gh] dk; l ea dbz vo; o 'kkfey Fks ftuds i jk djus ds fy, vf/kd l e; dh vko'; drk FkA

ekeyk l jdkj dks çfrofnr fd; k x; k ¼vXlr 2007½ ( mudk mUkj vi klr Fk ¼vDVicj 2007½A

### xkeh.k fodkl foHkx

4-1-13 fjD'kka vkj Bsyka dk l fnX/k Ø; , oa Qthz forj.k

27-63 yk[k #i; s eW; ds fjD'kka , oa Bsyka dk [kjhn l fnX/k Fk D; kf d vki ðUkdUkkz dh dgy fcØh mul s [kjhn xbz ek=k l s de FkA

ftyk xkeh.k fodkl çkf/kdj.k] Hkxyig }kj 2004&05 ds nkjku l ä wkl xkeh.k jkstxkj ; kstuk ds fo'ks'k ?kVdka ¼30 çfr'kr½ ds v/khu ; kstukvka ds dk; kbo; u gsrq ukFkuxj iz[kM dks 32-24 yk[k #i; s çko/kkfud fd, x, A ftyk ifj"kn us 311 fjD'kka , oa 162 Bsyka dh [kjhn , oa vuq ðpr tkfr; ka@tutkfr; ka ds chp muds forj.k gsrq 28-71 yk[k #i; s dh Lohdfr inku dhA yfdu ç[kM fodkl inkf/kdkjh ¼ch Mh vk½ ukFkuxj us Hkxyig fLFkr nks Qeks l s ekpl 2005 l s Qjoj 2006 ds nkjku 27-63 yk[k #i; s eW; ds 297 fjD'kka vkj 159 Bsyka dk Ø; fd; k vkj tuojh 2007 rd 270 fjD'kka , oa 135 Bsyka dk forj.k fd; kA

ch Mh vkj ukFkuxj ds vfHkys[kka dh ueuk tkp ¼nl Ecj 2006 & tuojh 2007½ vkj ys[kki jh{kk }kj fcØh dj dk; kzy; l s fr; d tkp ea fuEufyf[kr Kkr gqvk %

- Qel v l kbfdy , oa l kbfdy ikVl dk fucf/kr Mhyj Fk ftl dh dgy fcØh 3-29 yk[k #i; s Fkh yfdu bl Qel l s 14-67 yk[k #i; s eW; ds fjD'kka@Bsyka dh [kjhn dh xbA

<sup>35</sup> स्लैब के अन्दर टेक को हटाना (21 दिन) + दिवाल, कॉलम एवं सभी संरचना का उध्वाकार सतह (7 दिन) + टेक बीम एवं आर्च को हटाना (21 दिन)।

- Qel c dh 2004&06 ds nkjku dgy fcØh dsy 3-16 yk[k #i ; s Fkh yfdu Qel us 14-76 yk[k #i ; s eW; ds fjD'kka@Bsyka dh vki mÙk dhA
- vfhkJoka ij Hkxrkku ds fy, Lohdfr vkn'sk vfd rFkk ch Mh vks }kjk gLrk{kfjr ugha FkA
- 2-99 yk[k #i ; s eW; ds 27 fjD'kk, i vksj 24 Bsyk, i xk; c Fkh D; kfd bu ds l cdk ea u rks LVkd ea dkbz ifof"Vh Fkh vksj u gh buds forj .k dk dkbz foj .k mi yC/k FkA
- 0-25 yk[k #i ; s eW; ds ikp Bsyka dh cklr ds ifj .kkeLo: i fd; k x; k vaxBs ds Nki nf"V; kX; ugha Fkk vksj ipk; r l od@ch Mh vks }kjk cekf .kr ugha FkA

bl cdkj 27-63 yk[k #i ; s eW; ds fjD'kka , oa Bsyka dh l fnX/k [kjh vksj Qthz forj .k dks udkjk ugha tk l drk gA

ch Mh vks us mÙk fn; k ¼tuojh 2007½ fd ekeys dh tkp dh tk, xhA

ekeyk l jdkj dks cfrofnr fd; k x; k ¼vxlR 2007½ ( mudk mÙk vckr Fkk ¼vDVicj 2007½A

### i Fk fuekz k foHkkx

4-1-14 ihik igy ds fo?kVu vksj iqul x kstu ea gkfu

**fo?kfvR l kefxz ka ds upl ku dks jksdus ea cemly dh foQyrk ds dkj .k 68-95 yk[k #i ; s dh gkfuA**

दानापुर के नजदीक सोन-सती और गंगा नदी के संगम पर अवस्थित पीपा पुल का विघटन और पुनर्संयोजन प्रतिवर्ष क्रमशः जून एवं अक्टूबर में किया जाता है। अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) द्वारा कार्यपालक अभियंता (का.अ.) को निर्देशित किया गया (अक्टूबर 2002) कि विघटन कार्य के दौरान पर्याप्त सावधानी बरती जाये जिससे कि पुल का विघटित अवयव गिरे या खोए नही अन्यथा संबंधित का. अ., सहायक अभियंता (स. अ.) और कनीय अभियंता (क.अ.) को जवाबदेह ठहराया जायेगा और यदि खोए हुए सामग्री की कीमत विघटन से प्राप्त हुए कुल सामग्रियों के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हुई तो विभागीय नियमानुसार वसूली की जायेगी। इस बात पर खास बल दिया गया कि स्थल लेखाएँ और अधिशेष लेखाएँ अ. अ. के उचित सत्यापन के बाद ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसी बात को उत्तरोत्तर बार-बार दुहराया गया (मई, जून, सितंबर 2003 एवं फरवरी 2005)। गैर-अनुसूचीय मदों के दरों का अनुमोदन अनुसूची समिति के संयोजक द्वारा किया जाना चाहिए था।

पटना पथ प्रमंडल (पश्चिम) के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2006) से ज्ञात हुआ कि 1.75 लाख रुपये मूल्य के 680 क्रास वियरिंग की कमी के लिए उत्तरदायी क. अ. के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्रमंडल की इसी निष्क्रियता के कारण खोए हुए सामग्रियों की मूल्य राशि तेजी से बढ़कर 2003-04 में 17.82 लाख रुपये (पुनर्संयोजन के प्राक्कलन का 89.46 प्रतिशत), 2004-05 में 28.58 लाख रुपये



(पुनर्संयोजन के प्राक्कलन का 49.53 प्रतिशत) और 2005-06 में 16.52 लाख रुपये (पुनर्संयोजन के प्राक्कलन का 44.70 प्रतिशत) हो गई। खोई हुई सामग्रियों को न तो विघटन के समय प्रतिवेदित किया गया जैसा कि बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 270, 271 के अनुसार वांछित था और न ही बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 118 और बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता के नियम 273, 274 के अनुसार वांछित स्थल लेखा/अधिशेष लेखा का संधारण किया गया। यहाँ एक रोचक तथ्य है कि पुल के विघटन कार्य एवं विघटित सामग्रियों को सुरक्षित स्थल पर पहुँचाने हेतु संवेदकों को 2003-05 के दौरान 7.03 लाख रुपये<sup>36</sup> का भुगतान किया गया और 2005-06 में विघटित कार्य का विभागीय संपादन किया गया। पुल के पुनर्संयोजन के प्राक्कलन को तैयार करने के समय इन सामग्रियों को खोया हुआ दिखलाया गया था। परवर्ती वर्षों में खोए हुए सामग्रियों की वृद्धि के कारण पुनर्संयोजन का प्राक्कलन बढ़कर 2003-04 में 19.92 लाख रुपये, 2004-05 में 57.70 लाख रुपये एवं 2005-06 में 36.96 लाख रुपये हो गई जबकि पुल की लंबाई अपरिवर्तित रही तथा उषा मार्टिन वायर शेष और गैसेट प्लेट को छोड़कर अन्य सामग्रियों की दर भी अपरिवर्तित रही। खोई हुई मुख्य सामग्रियाँ 204 एंकर<sup>37</sup> और 11280 मीटर वायर रोप<sup>38</sup> थीं जिनका मूल्य क्रमशः 12.24 लाख रुपये और 26.01 लाख रुपये था।

गैर अनुसूचित मदों की मूल्य 43 से 77 प्रतिशत (1.15 करोड़ रुपये<sup>39</sup>) था और दरों का अनुमोदन अनुसूची समिति के संयोजक द्वारा नहीं किया गया था। 69.10 लाख रुपये<sup>40</sup> मूल्य के सामग्रियों के खरीद से संबंधित अभिश्रव उपलब्ध नहीं थे। समान विनिर्दिष्टियों के नट बोल्ट का वजन (प्रति सेट) 2003-04 में 0.05 मैट्रिक टन एवं 2004-05 में 0.30 मैट्रिक टन दिखलाया गया। इस प्रकार वर्ष 2004-05 के दौरान 14.25 मैट्रिक टन<sup>41</sup> पर 4.28 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

प्रमंडल ने जवाब (अक्टूबर 2006) में बतलाया कि जल की सतह में वृद्धि के कारण एंकर और वायर रोप को खींचना सम्भव नहीं था और अन्य अवयवों का नुकसान यातायात की अधिकता के कारण स्वभाविक था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक वर्ष विघटन का कार्य जून<sup>42</sup> में नदी की सतह में वृद्धि के पूर्व ही किया गया था और विघटन कार्य के समय या उसके पश्चात किसी सामग्री के लापता होने को नहीं दिखलाया गया जबकि यह आवश्यक था। अ.अ. के निर्देशों के अनुसार का. अ./स. अ./क.अ. के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई।

<sup>36</sup> 2003-04 (3.37 लाख रुपये), 2004-05 (3.66 लाख रुपये)

<sup>37</sup> 2003-04 (80 अदद), 2004-05 (89 अदद) और 2005-06 (35 अदद)

<sup>38</sup> 2003-04 (3320 मीटर), 2004-05 (4210 मीटर) और 2005-06 (3750 मीटर)

<sup>39</sup> 2003-04 (19.92 लाख रुपये), 2004-05 (57.70 लाख रुपये) और 2005-06 (36.96 लाख रुपये)

<sup>40</sup> एंकर : 12.24 लाख रुपये, उषा मार्टिन वायर रोप : 36.01 लाख रुपये, 4" डाय 6' लंबा नट बोल्ट वासर के साथ : 4.38 लाख रुपये, गैसेट प्लेट : 4.60 लाख रुपये, वासर सहित विभिन्न नापों के नट बोल्ट : 5.79 लाख रुपये, 16 मी. मी. डाय रोप : 5.25 लाख रुपये, मनीला रोप : 0.93 लाख रुपये।

<sup>41</sup> 0.05 टन के दर से 57 सेट = 2.85 मे. टन उपयोग किया गया जबकि 17.10 मे. टन का भुगतान दिखलाया गया।

<sup>42</sup> 2003-04 (28.6.2003), 2004-05 (29.6.04)।

इस प्रकार विघटित सामग्रियों के नुकसान को रोकने में प्रमंडल की विफलता के परिणामस्वरूप 64.67 लाख रुपये<sup>43</sup> की हानि हुई और विनिर्दिष्टियों में परिवर्तन के बिना सामग्री के वजन को अधिक दिखलाए जाने से 4.28 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2007) ; उनके जवाब अप्राप्त थे (अक्टूबर 2007)। मामला को विकास आयुक्त एवं उप सचिव, पथ निर्माण विभाग के साथ विमर्शित किया गया (नवंबर 2007)।

4-2 fu"Qy@0; FkZ 0; ; , oa vf/kd Hkqxrku

ty l d k/ku foHkx

4-2-1 0; FkZ 0; ;

dk; Z ds voekud l i nku ds i fj. kkeLo: i 2004 dh ck<+ ea 42-46 yk[k #i; s dh ykxr l s fufet rVcalk cg x; kA

गंगा-सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटना के द्वारा गंगा नदी के बाँए किनारे पर आर. डी. 3.5 से 6 तक कटाव निरोधी कार्य एक संवेदक को 45.93 लाख रुपये में आवंटित किया गया। कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि मई 2004 थी। कार्य मई 2004 में समाप्त हो गया तथा दिसंबर 2004 में संवेदक को 42.46 लाख रुपये का अंतिम भुगतान कर दिया गया। तटबंध अगस्त 2004 की बाढ़ में बह गया।

गंगा-सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2007) में निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

- प्राक्कलन में निर्धारित 124 साल बल्ला खंभो में लैप-ज्वाईट<sup>44</sup> (व्यास 150 मी मी से 200 मी मी) बनाने का कार्य नहीं किया गया।
- जाली (क्रेट) में ईट भरने से संबंधित 1642.95 घन मीटर कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया जिसके लिए 7.01 लाख ईट की आवश्यकता थी परन्तु निर्माण स्थल पर 6.70 लाख ईट ही उपलब्ध था। इस प्रकार जाली में ईट समुचित तरीके से नहीं भर पाया।
- निर्माण सामग्री जैसे बी ए वायर (12.11 मेट्रिक टन), नाईलान क्रेट (713) खाली सीमेंट बैग (53,099) एवं साल बल्ला (992 मीटर) का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया परन्तु खरीद से संबंधित कोई भी अभिश्रव उपलब्ध नहीं था।
- निर्माण स्थल पर सतह की कार्य पूर्व जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण संगठन द्वारा कार्य एवं प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जाँच से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

<sup>43</sup> 2003-04 (28.6.2003), 2004-05 (29.6.04)

<sup>44</sup> साल बल्ला को उपरी बल्ला से नट एवं बाल्ट के साथ जोड़ने का आयरन ज्वाईट।

- 31 मई 2004 को कार्य पूर्ण दिखलाया गया था जबकि अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कार्य 19 जून 2004 को प्रगति में था।

इस प्रकार कार्य के अवमानक संपादन के कारण तटबंध 2004 के बाढ़ को नहीं झेल पाया जिसके कारण 42.46 लाख रुपये के व्यय व्यर्थ हो गए। 2004 के बाढ़ के बाद जून 2006 तक उसी बिन्दु पर 1.25 करोड़ रुपये का खर्च किया गया।

कार्यपालक अभियंता ने बताया (जून 2007) कि कार्य का संपादन गंगा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर प्रायोगिक तौर पर किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एकरारनामा के अनुसार नहीं किए जाने के कारण कार्य विफल हो गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

4-2-2 *dvko fujks/kh dk; / ds vi wkz / i knu ij fu"Qy 0; ;*

*dk; / ds ckj ckj vi wkz / i knu ds dkj.k rVc/k es gj o"Kz gq dvko / s 2004&06 ds nkjku 6-19 djkm+ #i; ; s dk fu"Qy 0; ; ] / kfk gh / dnd / s 47-61 yk[k #i; ; s dh tpekLk jkf'k dh ol w/h ugha dh xba*

राज्य समीक्षा समिति (एस आर सी) ने 2004 के बाढ़ के पूर्व चंपारण तटबंध के पतजिरवा के नजदीक गंडक के किनारे 26.50 मील और 32 मील के मध्य कटाव को रोकने के लिए कटाव निरोधी कार्य<sup>45</sup> को स्वीकृत किया। एस आर सी ने 2005<sup>46</sup> और 2006<sup>47</sup> के बाढ़ के पूर्व भी उन्हीं बिन्दुओं पर कटाव निरोधी और पुनर्स्थापन कार्य को स्वीकृत किया क्योंकि पूर्व के वर्षों में कराए गए कार्य 2004 और 2005 के बाढ़ में बह गए। विभिन्न वर्षों में किए गए खर्च निम्नलिखित थे :

*##i; ; s djkm+ e#*

<i>vof/k</i>	<i>, djkj ukek / a</i>	<i>çkDdfyr jkf'k</i>	<i>0; ;</i>
2004 के बाढ़ के पूर्व	53 एफ <sup>2</sup> / 03 - 04	3.11	2.29
2005 के बाढ़ के पूर्व	9 एफ <sup>2</sup> , 13 एफ <sup>2</sup> / 04 - 05	4.70	3.90
2006 के बाढ़ के पूर्व	48 एफ <sup>2</sup> / 05 - 06	0.64	0.41
<i>clj ; ksx</i>		<b>8.45</b>	<b>6.60</b>

<sup>45</sup> 25 से.मी. मोटे बोल्टर पिचींग और 12 x 1.2 मी एप्रान के साथ बोल्टर रिभेटमेंट कार्य

<sup>46</sup> पी डी रिटायर्ड रिंग बाँध, सात स्पर (एस-5, एस-6, एस-7, एस-8, एस-12, एस-13, एस-14) का निर्माण कार्य, 6 मी. x 1.2 जालीदार बोल्टर एवं एप्रान के रिंग बाँध के निम्न प्रवाह छोर की सुरक्षा .3 मी मोटे बोल्टर से स्लोप पिचींग, पी डी रिंग बाँध के दरार को बंद करना।

<sup>47</sup> 'नोज' का पुनर्स्थापन, एक मीटर की दूरी पर 'स्पर' के उच्च प्रवाह एवं निम्न प्रवाह 'शैंक' को साल बल्ला से भरने का कार्य, 'टो' के भीतर तीन सतहों में बोल्टर का जालीकरण, 'नोज' में पाइलिंग, उच्च प्रवाह एवं निम्न प्रवाह शैंक पर 3 मी. X 0.6 मी बोल्टर का जालीकरण

कार्य के संपादन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गयी :

- विभाग के वार्षिक बाढ़ कैलेंडर के अनुसार प्राक्कलन की स्वीकृति, कार्य का आवंटन और कार्य की समाप्ति प्रतिवर्ष क्रमशः 12 दिसंबर, 20 जनवरी और 30 अप्रैल को निर्धारित है परन्तु इन कार्यों का संपादन निर्धारित तिथियों के बाद किया गया जिसका विवरण निम्न है :

vof/k	çkDdyu dh Lohdfr dh frffk	dk; l vko&u dh frffk	dk; l dk l à knu
2004 के बाढ़ के पूर्व	13 दिसंबर 2003	30 मार्च 2004	31 जुलाई 2004 (अपूर्ण)
2005 के बाढ़ के पूर्व	05 जनवरी 2005	10 फरवरी एवं 9 मार्च 2005	30 मई 2005 और 21 अक्टूबर 2005 (अपूर्ण)
2006 के बाढ़ के पूर्व	23 दिसम्बर 2005	15 फरवरी 2006	10 जून 2006 (पूर्ण)

- 2004/2005 के बाढ़ के बाद 2004/2005 में आवंटित कार्यों की घटनोत्तर समय वृद्धि की स्वीकृति अनधिकृत रूप से संयुक्त सचिव द्वारा दी गई (नवंबर 2004 एवं सितंबर 2005)। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2005 की मापी जनवरी 2006 में दर्ज की गई जो निगरानी के परिपत्र (दिसंबर 1983) के विरुद्ध था, जिसमें यह उल्लिखित था कि दो माह बाद की मापी विलंब के कारण का उल्लेख करते हुए का. अ. के लिखित अनुमोदन के बाद ही करनी थीं
- भूमि अधिग्रहण, फसल मुआवजा, लीड-स्वीकृति, अ. अ. द्वारा सतह की कार्य पूर्व जाँच और संवेदकों की कार्ययोजना का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। लघु खनिजों (बोल्डर, बालू) के लिए निर्धारित फार्म 'एम' 'एन' 'एफ' (चालान) नहीं प्राप्त किए गए।
- गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन एवं सामग्रियों की खरीद तथा ढुलाई से संबंधित अभिश्रव उपलब्ध नहीं थे।
- 2006 के बाढ़ के पूर्व संवेदकों द्वारा विभागीय सामग्रियाँ यथा साल बल्ला, बी ए वायर और खाली सीमेंट बैगों को कार्य स्थल पर ले जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था, फिर भी संबंधित कार्यों के लिए 6.80 लाख रुपये की राशि दर्शाई गई है जो संदेहास्पद था तथा
- एकरारनामा के अनुसार कार्य को समय सीमा में समाप्त करना था अन्यथा संवेदक से प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत काटा जाना चाहिए था, किन्तु प्रमंडल चार कार्यों के विरुद्ध 47.61 लाख रुपये<sup>48</sup> के जुर्माने की राशि की वसूली करने में विफल रहा।

इस प्रकार बाढ़ के पूर्व कार्य को पूर्ण करने में बार-बार विफल रहने के परिणामस्वरूप 6.19 करोड़ रुपये<sup>49</sup> का व्यय व्यर्थ हुआ क्योंकि 2004 और 2005 के बाढ़ के दौरान

<sup>48</sup> 2.73 लाख रुपये (53 एफ2/2003-04) + 37.84 लाख रुपये (9 एफ2/2004-05) + 2.92 लाख रुपये (13 एफ2/2004-05) + 4.12 लाख रुपये (48 एफ2/2005-06)

<sup>49</sup> 14.72 लाख रुपये (53 एफ2/2003-04) + 2.15 करोड़ रुपये (53 एफ2/2003-04 में प्रयुक्त विभागीय सामग्रियों) + 3.63 करोड़ रुपये (9 एफ2/2004-05) + 26.73 लाख रुपये (13 एफ2/2004-05) = 6.19 करोड़ रुपये

पतजिरवा के नजदीक 26.50 एवं 32 मील के मध्य तटबंध में कटाव हुआ। इसके अलावा 47.61 लाख रुपये जुर्माना की राशि भी संवेदक से वसूली नहीं गई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

ekuo l d k/ku fodkl foHkkx  
¼mPprj f'k{k½

4-2-3 oru dk vf/kd Hkqrku , oa f'k{kdk dh l dk dk voSk fu; ferhdj.k

*I dk ds vfu; fer fu; ferhdj.k Lohdr cy l s vf/kd i nka ds çpkyu vkj oru ds vfu; fer fu/kkj.k ds QyLo: i Hkhejko vçndj fçgkj fo'ofa/ky; ds 'kqkf.kd vkj xj & 'kqkf.kd deçkj; ka dks oru dh jkf'k 41-37 djkm+ #i; s dk vf/kd , oa vfu; fer HkqrkuA*

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अधिनियम) और इसके अधीन नियुक्ति, प्रोन्नति, वेतन भत्ते के भुगतान आदि हेतु बनाए गए विधानों, नियमों और विनियमों के द्वारा विश्वविद्यालय शासित होते हैं। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत अनुदानों से किया जाता है।

भीमराव अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितंबर 2006) से निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

*fo/kku ds fuxr gkus l s i d l dk dh x.kuk*

माननीय उच्च न्यायालय के 1996 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 5859 क आदेशानुसार (फरवरी 2000) वैसे शिक्षक जो समावेशन की तिथि को नियमित रूप से कोई पद धारित नहीं करते थे, बल्कि कुलपति के द्वारा फरवरी 1978 से जनवरी 1986 के दौरान स्वीकृत तीन विधानों में से किसी एक के द्वारा समावेशित किए गए, अपनी हकदारी एवं योग्यता/समयबद्ध प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित तिथियों से सेवा की गणना हेतु अधिकृत होंगे :

अ	यदि प्रथम विधान के अधीन समावेशित	30.06.1977*
ब	यदि द्वितीय विधान के अधीन समावेशित	01.01.1981*
स	यदि तृतीय विधान के अधीन समावेशित	28.02.1982*

\* इन विधानों के निर्गत होने की तिथि

सरकार ने यह भी निदेशित किया (जून 2004) कि विश्वविद्यालय माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को अक्षरशः और उसकी भावना सहित लागू करें।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर विधानों के निर्गत होने के पूर्व की तिथि से सेवाओं की गणना कर अप्रैल 1997 से जुलाई 2006 के दौरान 68 शिक्षकों<sup>50</sup> को 2.37 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

<sup>50</sup> वैसे शिक्षक जो फरवरी 1981 में और अगस्त 1991 एवं जनवरी 1997 के मध्य समावेशित किए गए।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2007) कि उच्च न्यायालय के 1996 के केस सं. 5859 और सरकार के निर्देशों को अभी तक लागू नहीं किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने विभाग को झूठा सत्यापन दिया था कि वेतन के भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किए गए हैं।

*f'k{kdk dh l dkvka dk voSk fu; fefrdj. k*

कुलाधिपति के द्वारा स्वीकृत तृतीय समावेशन विधान (जनवरी 1986) के अनुसार लेक्चरर की सेवाओं के समावेशन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए :

- (i) 28.02.1982 को या इसके पूर्व लेक्चरर के रूप में नियुक्त किए गए थे।
- (ii) संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री की योग्यता रखते हो।
- (iii) संबंधित लेक्चरर जिस पद पर नियुक्त किए गए हों वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से संस्वीकृत हो या पद की संस्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा विभाग को 28.02.1982 को या उसके पूर्व ही प्रस्तावना भेज दी गई हो जिसे या तो विभाग द्वारा बाद में स्वीकृत कर लिया गया हो या कथित प्रस्ताव विचाराधीन हो।

वैसे 221 शिक्षक जिनकी सेवाएँ इस विधान के अधीन अक्टूबर 1994 से जनवरी 1997 के दौरान समावेशित हुईं, के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2007) से पता चला कि 21 शिक्षकों का समावेशन, नियमितीकरण के लिए अर्हक मानकों का पालन किए बिना किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित सारिणी में है :

Øe l a	l ekof'kr f'k{kdk dh l d; k	l ekos'ku dh frffk	dyk& f/ki fr dh Lohdfr dh frffk	i kbz xbz vfu; ferrk
1.	06 <sup>51</sup>	18.12.1979 से 25.01.1981	29.09.1994	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पदों की संस्वीकृति का प्रस्ताव सरकार को निर्धारित तिथि 28.02.1982 के पश्चात भेजा गया।
2.	07 <sup>52</sup>	11.12.1976 से 28.02.1982	04.01.1997	महाविद्यालयों के अस्वीकृत/गैर-अनुशंसित पदों के विरुद्ध नियमितीकरण
3.	06 <sup>53</sup>	22.12.1979 से 28.02.1990	29.09.1994 और 23.03.1996	कुलपति द्वारा प्रारंभ में सिर्फ छः मास के लिए नियुक्त किए गए और बिना किसी पुनर्विस्तार के सेवा में बने रहे थे और इस प्रकार 28.02.1982 को वैध सेवा में नहीं थे।
4.	02 <sup>54</sup>	08.02.1982 से 24.06.1982	29.09.1994 और 04.12.1996	28.02.1982 को अर्हक योग्यता धारण नहीं करते थे।

<sup>51</sup> एम. जे. के. महाविद्यालय, बेतिया-1, टी पी वर्मा महाविद्यालय, नरकटियागंज-2, रामेश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर-3

<sup>52</sup> जी सी महाविद्यालय, हाजीपुर - 5, एस एन एस महाविद्यालय, मोतिहारी -1, आर पी एस महाविद्यालय, चकिया -1

<sup>53</sup> आर डी एस महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर-1, एस आर के जी महाविद्यालय, सीतामढ़ी-1, एम एस महाविद्यालय, मोतिहारी-2, एल एन महाविद्यालय, भगवानपुर - 1, एल एस महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर-1

<sup>54</sup> नीतेश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर-1, आर एस महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर - 1

इसके अतिरिक्त 30 शिक्षकों का समावेशन वैसे पदों के विरुद्ध किया गया जिनकी अनुशंसा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृति हेतु सरकार को 28.02.1982 से पूर्व की गई थी परन्तु इन्हें जुलाई 2007 तक स्वीकृत नहीं किया गया था। साथ ही 28 शिक्षकों के संदर्भ में सेवा के नियमितीकरण की शर्तों को पूरा होने और कुलाधिपति द्वारा तत्संबंधित स्वीकृति का विवरण विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं था।

इसप्रकार अधिनियम की धारा 35 (3) के प्रावधानों और सरकार द्वारा वेतन भुगतान के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर सेवाओं का अवैध नियमितीकरण करने के कारण 2001-02 से 2006-07 के दौरान 51 शिक्षकों को 10.71 करोड़ रुपये (लगभग) का अनधिकृत भुगतान किया गया।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2007) कि शिक्षकों की सेवाओं का समावेशन कुलाधिपति की स्वीकृति के बाद किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये शिक्षक तृतीय विधान में सेवाओं के नियमितीकरण हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते थे। मामले के विस्तृत अन्वेषण की आवश्यकता है।

### Lohdr cy / s vf/kd inka dk çpkyu

अधिनियम की धारा 35 के अनुसार सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वित्तीय दायित्व वाले किसी शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक पद का सृजन नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय, सहायक इकाईयों, स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों के वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' कर्मचारियों की स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि स्वीकृत बल से 142 अधिक पदों का प्रचालन किया जा रहा था जैसा कि निम्न सारिणी में दिखाया गया है :

Øe la	in dk çdkj	Lohdr cy	dk; ĩr cy	vfrrj ä
1	परियोजना अधिकारी	शून्य	2	2 <sup>55</sup>
2	तृतीय श्रेणी	183	241	58 <sup>56</sup>
3	चतुर्थ श्रेणी	102	184	82 <sup>57</sup>
dkj		<b>285</b>	<b>427</b>	<b>142</b>

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन कर विश्वविद्यालय द्वारा 2001-07 के दौरान वेतन भत्ता भुगतान मद में 5.76 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय किया गया।

### oru dk vfu; fer fu/klj. k

यू जी सी के पैकेज के अधीन सरकार ने समयबद्ध योजना के तहत प्रोन्नत रीडरों के वेतनमान को निम्न रूप से परिवर्तित (सितंबर 2005) किया :

Øe la	jhMjka dh Js kh	l ä kkr/kr orueku
1	01-03-1989 तक प्रोन्नत	रुपये 12000-420-18300
2	01-03-1989 के बाद प्रोन्नत	रुपये 10000-325-15200

<sup>55</sup> व्यस्क शिक्षा विभाग-2

<sup>56</sup> विश्वविद्यालय कार्यालय-14 (नियत वेतन-3, नियमित वेतन-11), पुस्तकालय-1, स्नातकोत्तर विभाग-8, विश्वविद्यालय प्रेस-4, व्यस्क शिक्षा विभाग-3, 10 अंगीभूत महाविद्यालय - 28

<sup>57</sup> विश्वविद्यालय कार्यालय : 50 (नियत वेतन), स्नातकोत्तर विभाग - 24, 6 अंगीभूत महाविद्यालय - 8

समयबद्ध प्रोन्नति योजना के अधीन प्रोन्नत 666 रीडरों के वेतन निर्धारण चार्ट की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सरकार की स्वीकृति के बिना और वेतन निर्धारण समिति की बैठक (मई 2006) के संकल्पों का उल्लंघन कर 1 मार्च 1989 के बाद प्रोन्नत 517 रीडरों का वेतन 12000-420-18300 रुपये के वेतनमान में निर्धारित किया गया (अप्रैल 2006) और सभी 666 रीडरों को रीडर के ग्रेड/वेतनमान में पाँच साल पूरा करने पर 14940 रुपये का न्यूनतम वेतन स्वीकृत किया गया। बाद में सरकार द्वारा इसे सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त/योग्यता प्रोन्नति/वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रोन्नत रीडरों के संदर्भ में भी लागू किया गया (मई 2005)।

इस प्रकार अधिनियम की धारा 35 (1) (ii) के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर वेतन का गलत निर्धारण उच्चतर वेतन मान एवं उच्चतर स्टेज में किए जाने के परिणामस्वरूप जनवरी 1996 से मार्च 2000 तक के बकाया भुगतान (मई-जून 2007 के दौरान प्रदत्त) सहित कुल 22.53 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा के उपरोक्त निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2007) बतलाया कि सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकार ने कभी भी न तो बढ़ाए गए वेतनमान की और न ही समयबद्ध प्रोन्नति योजना में प्रोन्नत रीडरों को वेतन का उच्चतर मान स्वीकृत किया था।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (सितम्बर 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

ekuo l d k/ku foHkkx

4-2-4 egxkbZ HkUkk dh vf/kd Hkqrku

foHkkx }kjk cfØ; k ea ngj ds ifj.kkeLo: i egxkbZ HkUkk dh vfrfjDr jkf'k dh ol nyh ugha fd, tkus l s 39-24 yk[k #i; s dh gkfu vkj ol ny fd, x, jkf'k dks dks'kkxkj ea foi f'kr ugha fd, tkus l s 41-03 yk[k #i; s c; kt dh gkfuA l kfk gh 1-44 djkm+ #i; s dh ol nyh fd; k tkuk 'ks'k gA

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मदरसों को अनुदान देती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी ई ओ) को निधि उपलब्ध कराता है जो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मदरसा प्रभारी को दिया जाता है।

अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सीतामढ़ी के डी ई ओ के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2007) से ज्ञात हुआ कि 1988-97 के दौरान मदरसा शिक्षकों को मँहगाई भत्ता से अधिक 71 प्रतिशत तक भुगतान किए जाने की जानकारी होने पर (अप्रैल 1998) विभाग ने सभी डी ई ओ को मदरसों को विमुक्त किए जाने वाले परवर्ती अनुदानों में से अतिरिक्त भुगतानित राशि की कटौती छः किस्तों में कर लेने का निर्देश दिया (अगस्त 2005)। उपरोक्त अवधि में चार जिलों में मदरसा शिक्षकों को 8.27 करोड़ रुपये<sup>58</sup> का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त निर्देश के आलोक में संबंधित जिलों के डी ई

<sup>58</sup> अररिया : 1.70 करोड़ रुपये, किशनगंज : 3.55 करोड़ रुपये, पूर्णिया : 2.15 करोड़ रुपये और सीतामढ़ी : 0.87 करोड़ रुपये



ओ ने मदरसा शिक्षकों के वेतन से 6.44 करोड़ रुपये<sup>59</sup> की वसूली की (2005-07) और उसे कोषागार में जमा करने की जगह चालू खाता में रख दिया। अभी भी जून 2007 तक 1.83 करोड़ रुपये की वसूली किया जाना शेष है। अधिक भुगतान की गई मँहगाई भत्ता की राशि 1.83 करोड़ रुपये में से अगस्त 1996 से फरवरी 2005 के मध्य अवकाश प्राप्त/मृत/पदत्याग/सेवा से निकाले गए 112 शिक्षकों के मँहगाई भत्ता पर अधिक भुगतान की गई राशि 39.24 लाख रुपये अवसूलनीय थी।

उपरोक्त जिलों के डी ई ओ ने बताया (जून 2007) कि सरकार के किसी खास निर्देश के अभाव में वसूल की गई राशि बैंक के चालू खाते में रखी गई।

इस प्रकार 112 शिक्षकों से वसूल नहीं किए जाने से 39.24 लाख रुपये की हानि और कोषागार में 6.44 करोड़ रुपये विप्रेषित नहीं किए जाने से 7.5 प्रतिशत (राज्य की उधार दर) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि (41.03 लाख रुपये) हुई। इसके अतिरिक्त विभाग के अकुशल एवं अप्रभावकारी अनुश्रवण के कारण 1.44 करोड़ रुपये की वसूली किया जाना शेष था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2007) ; जवाब अभी अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)। मामला विकास आयुक्त से विमर्शित किया गया (नवंबर 2007)।

4-3 I fofnd nkf; Uok dk mYy?ku] I onnd dks vns I gk; rk] i fjgk; l@fu"Qy 0; ;

i 'kq kyu , oa eRL; foHkkx@ekuo I d k/ku fodkl foHkkx@LokLF; , oa i fjokj dY; k.k foHkkx

4-3-1 fu"Qy 0; ;

vdk; jr depkfj; k vkj 0; k[; krkvk dks oru Hkqrku ds dkj.k 1-69 djkm+ #i; s dk fu"Qy 0; ;

छ: कार्यालयों/संस्थाओं के माध्यम से संपादित की जाने वाली योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अकार्यरत कर्मचारियों पर निम्नलिखित 1.69 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान किया गया :

<sup>59</sup> अररिया : 1.20 करोड़ रुपये, किशनगंज : 2.96 करोड़ रुपये, पूर्णिया : 1.67 करोड़ रुपये और सीतामढ़ी : 0.61 करोड़ रुपये

foHkkx@dk; kY; @ l dFkk dk uke	vdk; j r dfez; ka dh l d; k	vdk; j r vof/k ds fy, oru Hkkrku		vH; fDr
		vof/k	Hkkrku %# i ; s yk[k e%	
eRL; , oa i 'kj kyu foHkkx जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर	8 <sup>60</sup>	2003-07	33.69 <sup>61</sup>	कर्मि सांढ वितरण, चारा विकास और कुक्कुर पालन हेतु नियुक्त थे। योजना 2003-04 से लागू नहीं थी।
ekuo l d k/ku fodkl foHkkx प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बांका	9	2003-07	30.81 <sup>62</sup>	2003-04 से कोई प्रशिक्षण वर्ग/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित नहीं हुआ है।
ekuo l d k/ku fodkl foHkkx राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, गुलजारबाग	1	सितंबर 2003 से फरवरी 2007	7.65	मैथिली व्याख्याता की नियुक्ति की तिथि (फरवरी 1990) के बाद किसी भी छात्र ने विद्यालय में मैथिली विषय में प्रवेश नहीं लिया।
LokLF; , oa i fj okj dY; k. k foHkkx ए. एन. एम. प्रशिक्षण विद्यालय, सासाराम	10	2001-06	77.13	प्रशिक्षण विद्यालय दिसंबर 1996 से क्रियाशील नहीं है।
LokLF; , oa i fj okj dY; k. k foHkkx ए एन एम प्रशिक्षण विद्यालय, हथुआ, गोपालगंज	7	2004 से नवंबर 2006	19.84	2004-07 के दौरान किसी प्रशिक्षु ने प्रवेश नहीं लिया।
			169-12	

राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, गुलजार बाग ने बताया (मार्च 2007) कि मामला सरकार को संदर्भित कर दिया जाएगा। ए एन एम विद्यालय, सासाराम ने जवाब दिया कि इन कर्मचारियों को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु आयुक्त सह सचिव/निदेशक को कई बार आग्रह किया गया लेकिन कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2006)। उन्होंने यह भी बताया कि इन कर्मचारियों से सदर अस्पताल में काम लिया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इनके वेतन की निकासी ए एन एम प्रशिक्षण विद्यालय के बजट प्रावधान से की जाती थी। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज ने बताया (नवंबर 2006) कि मामला मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को संदर्भित की जाएगी।

इस प्रकार पशुपालन विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने में निष्क्रियता के

<sup>60</sup> 1. मुंगेर : पशु चिकित्सा सहायक -3, अनुसेवक - 2, कार्यकर्ता-1

2. मुजफ्फरपुर : पशु चिकित्सा निरीक्षक - 1, पशु चिकित्सा सहायक - 1, सहायक पशु विकास पदाधिकारी - 1

<sup>61</sup> मुंगेर : 13.72 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 19.97 लाख रुपये

<sup>62</sup> 2003-04 : 9.00 लाख रुपये ; 2004-05 : 8.62 लाख रुपये , 2005-06 : 13.19 लाख रुपये

परिणामस्वरूप 2003-07 के दौरान वेतन भुगतान पर 1.69 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए (सितंबर 2007) ; जवाब अप्राप्त थे (अक्टूबर 2007)।

## Hkou fuekZk foHkkx

### 4-3-2 fo'ks'k ejEefr dk;Z dk I fnX/k fu"i knu

dk;Z fu"i knu grq LFky Li "V ugha jgus ds dkj.k I ngkLi n fo'ks'k ejEefr dk;Z I j 58-66 yk[k #i ; s dk I fnX/k di ViwZ Hkqrku

बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता का नियम 194 यह निर्धारित करता है कि विशेष मरम्मत कार्य (जैसे कि मकान के छतों का पुनर्निर्माण, फर्श का नवीनीकरण आदि) व्यापक प्रकृति के होते हैं और लंबे अंतराल पर असाधारण परिस्थितियों और अधिष्ठीजन के कारण इनकी आवश्यकता होती है। विभागीय पत्र (अक्टूबर 1998) के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि विशेष मरम्मत कार्य का संपादन प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाये। विशेष मरम्मत कार्य के प्राक्कलन में विगत तीन वर्ष में किए गए व्यय का उल्लेख रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय भवन प्रमंडल और पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल के द्वारा पटना स्थित सरकारी भवनों (आवासीय एवं गैर आवासीय) के मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य किया गया। अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

- भवन निर्माण विभाग के अनुदेशों (अक्टूबर 1998, 2003 में संशोधित) के अनुसार भवनों की विभिन्न श्रेणियों के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य के लिए निर्धारित प्रति वर्ग फीट दर के आधार पर दोनों प्रमंडलों की कुल हकदारी 7.58 करोड़ रुपये<sup>63</sup> थी। इस राशि के विरुद्ध विभाग के द्वारा 49.83 करोड़ रुपये<sup>64</sup> का प्रावधान किया गया तथा 46.02 करोड़ रुपये<sup>65</sup> का व्यय किया गया। फलतः 38.44 करोड़ रुपये<sup>66</sup> का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- उपरोक्त नियम और निर्देशों का उल्लंघन कर पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल द्वारा अतिथिशाला संख्या एक से 100 में प्रतिवर्ष विशेष मरम्मत कार्य किया गया। 2004-07 के दौरान वर्षवार व्यय निम्न प्रकार से हुआ :

<sup>63</sup> 4.84 करोड़ रुपये (पाटलिपुत्रा भवन प्रमंडल) + 2.74 करोड़ रुपये (केन्द्रीय भवन प्रमंडल) = 7.58 करोड़ रुपये

<sup>64</sup> 22.07 करोड़ रुपये (पाटलिपुत्रा भवन प्रमंडल) + 27.76 करोड़ रुपये (केन्द्रीय भवन प्रमंडल) = 49.83 करोड़ रुपये

<sup>65</sup> 21.47 करोड़ रुपये (पाटलिपुत्रा भवन प्रमंडल) + 24.55 करोड़ रुपये (केन्द्रीय भवन प्रमंडल) = 46.02 करोड़ रुपये

<sup>66</sup> 21.47 करोड़ रुपये (पाटलिपुत्रा भवन प्रमंडल) + 24.55 करोड़ रुपये (केन्द्रीय भवन प्रमंडल) - 7.58 करोड़ रुपये = 38.44 करोड़ रुपये

वर्ष: 2005-06

वर्ग	विवरण	2004&05	2005&06	2006&07
I	1 से 34	2.57	3.98	4.58
II	35 से 50	2.14	1.66	22.02
III	51 से 66	2.24	अनुपलब्ध*	18.34
IV	67 से 100	2.98	3.66	4.42
	कुल	9.94	9.30	49.36
	2005-07 के दौरान संदिग्ध व्यय		58.66	

\* अनुपलब्ध - प्रमंडल द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया।

माप बहियों की प्रविष्टियों में कार्य स्थल का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। विशेष मरम्मत कार्य के प्राक्कलन में आवश्यक होने के बावजूद विगत तीन वर्षों के व्यय का विवरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार 2005-07 के दौरान दिखलाया गया 58.66 लाख रुपये का कार्य संदिग्ध था।

- 109 आवासीय/गैर आवासीय भवनों की मरम्मत से संबंधित संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि प्रमंडलों ने इन मरम्मतियों पर 6.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।
- सीमेंट, स्टील इत्यादि के खरीद का भी प्रमाण उपलब्ध नहीं था जो कि बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 84 के अधीन आवश्यक था। खरीद संबंधित अभिश्रवों के अभाव में सामग्रियों के वास्तविक उपयोग की जाँच संभव नहीं थी।
- कार्यपालक अभियंताओं (पाटलीपुत्रा एवं केन्द्रीय प्रमंडलों) ने बताया (अक्टूबर 2007) कि उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची, जिसमें अति विशिष्ट व्यक्तियों की इच्छित आवश्यकताएँ सम्मिलित रहती हैं और इन कार्यों के लिए समय समय पर प्राप्त आवंटन के आधार पर व्यय किया गया। साथ ही अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवासों में किया गया विशेष मरम्मत कार्य प्लान्थ एरिया की सीमा में नहीं आता था।

कार्यपालक अभियंता का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संहितीय प्रावधानों एवं विभागीय अनुदेशों (परिपत्र संख्या 4275 दिनांक 17.10.98) का उल्लंघन कर कार्य का संपादन किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

वर्ष: 2005-06

4-3-3 फु"Qy 0; ;

नक़्क़ि क़्क़; क़्क़, oा नक़्क़ i e M y k a d s e /; I k e a t L; d s v H k k o e a 53-22 y k [ k # i ; s d k f u " Q y 0; ; v k j 64-54 y k [ k # i ; s d k i f j g k ; L 0; ;

जल संसाधन विभाग ने बदलाघाट नगरपारा तटबंध के 34.45 कि.मी. (पैकट धार) पर बाढ़ निरोधी स्लूइस (सरकने वाला लंबवत) के निर्माण का निर्णय लिया (मार्च 2000)।

सिविल कार्य का संपादन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं. II, खगड़िया द्वारा किया जाना था जबकि स्लूइस एवं इसकी सरकने वाली प्रणाली का निर्माण एवं संस्थापन कार्य यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा द्वारा किया जाना था। मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा स्लूइस के सिविल कार्य का आवंटन एक संवेदक को 54.65 लाख रुपये में दिया गया (मार्च 2000)। स्लूइस के उपर उठाने की क्षमता की संगणना के दौरान मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना ने पाया (अप्रैल 2004) कि गेट का प्रचालन गैर यांत्रिक ढंग से संभव नहीं था और यांत्रिक उपकरण मितव्ययी एवं यर्थाथपरक नहीं होगा। तदनुसार यांत्रिक स्कंध ने गेट की संरचना में परिवर्तन हेतु केन्द्रीय संरचना संगठन (सी डी ओ) से आग्रह किया जिससे की मानव प्रचालित स्कू हॉइस्ट आसानी से संस्थापित हो सके। बाद में सीडीओ ने गेट की संरचना को परिवर्तित कर फिक्स्ड व्हील वाला कर दिया (अक्टूबर/नवंबर 2004)। इसी दौरान सिविल स्कंध ने खिसकने वाले लंबवत संरचना के अनुसार ढाँचा तैयार कर लिया जिसपर 53.22 लाख रुपये का व्यय हुआ (मार्च 2006) और ढाँचे को यांत्रिक स्कंध द्वारा इस तरह भर दिया गया कि फिक्स्ड व्हील वाली गेट के लिए कोई स्थान नहीं बचा।

इसप्रकार दोषपूर्ण योजना और विभाग के दो प्रमंडलों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण सिविल संरचना पर हुआ 53.22 लाख रुपये का व्यय निष्फल रह गया। स्लूइस के नहीं बनने से प्रमंडल को तटबंध के संधारण एवं खाली स्थानों को बंद रखने में 2004-06 के दौरान 64.54 लाख रुपये<sup>67</sup> का व्यय करना पड़ा जो भविष्य में और बढ़ सकता है।

कार्यपालक अभियंता ने बताया (जुलाई 2007) कि त्रुटि को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

4-3-4 ifjgk; 10; ;

foHkkx ds vfoodi wKZ dk; Z ds ifj. kkeLo: i ck<+ fujks/kh , oa i qL FkkZ u dk; Z ij 1-47 djkm+ #i ; s dk ifjgk; 10; ;

तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी) ने 2002 के बाढ़ से पूर्व (एजेन्डा सं. 76/335) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढागोला के अधीन जरलाही से काढागोला के मध्य बाढ़ से सुरक्षा हेतु गंगा नदी पर 12 स्पर (एस-1 से एस-12) और चार रिटायर लाईन के निर्माण को अनुशंसित किया। लेकिन जल संसाधन विभाग ने 11 स्पर एस 2 से एस 12 और तीन रिटायर लाईन के निर्माण का निर्णय लिया (जनवरी 2002)। हाँलाकि बोल्टडों की कम उपलब्धता के कारण प्रमंडल ने 2002 के बाढ़ के पूर्व सिर्फ छः स्पर (एस-2, एस-3, एस-5, एस-8, एस-11 एवं एस-12) के निर्माण कार्य को हाथ में लिया। चार स्पर (एस-2, एस-3, एस-5 और एस-11) का निर्माण कार्य 2002 के बाढ़ के पूर्व 5.89 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो गया जबकि स्पर एस-8 का कार्य 2003 के बाढ़ के पूर्व 1.26 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुआ। स्पर-4 का निर्माण नहीं किए जाने के कारण स्पर-3 एवं स्पर-5 के बीच 2004 के बाढ़ के दौरान गंभीर कटाव हो गया जिसके कारण 2005 के बाढ़ के पूर्व 39.91 लाख रुपये पुनर्स्थापन कार्य और 2005 के बाढ़ के दौरान 3.65 लाख रुपये के बाढ़ प्रतिरोधक कार्य की आवश्यकता

<sup>67</sup> 2004-05 : 32.76 लाख रुपये (सामंजन अभिश्रव संख्या - 1 दि. 27.09.06), 2005-06 : 31.78 लाख रुपये (अभिश्रव संख्या - 1 दि. 08.07.2006)

पड़ी। इन प्रयासों के बावजूद स्पर-5 को बचाया नहीं जा सका। बाद में विभाग को 2.53 करोड़ रुपये<sup>68</sup> की लागत पर स्पर-4 के निर्माण कार्य एवं स्पर-5 के पुनर्निर्माण कार्य के प्रस्ताव को स्वीकृत (दिसम्बर 2005) करना पड़ा। दोनों कार्य 2.12 करोड़ रुपये<sup>69</sup> की लागत से पूर्ण हो गए (जून 2006)।

यदि 2002 के बाढ़ के पूर्व स्पर-4 का निर्माण कार्य कर लिया जाता तो स्पर-5 के पुनर्स्थापन एवं बाढ़ प्रतिरोधी कार्य पर हुए 1.47 करोड़ रुपये<sup>70</sup> के व्यय से बचा जा सकता था।

कार्यपालक अभियंता (का. अ.) ने जवाब दिया (नवंबर 2006) कि एजेंडा 76/335 में स्पर-4 कार्य शामिल नहीं था और गंभीर कटाव के मद्देनजर प्रमंडल ने 2003, 2004 एवं 2005 के बाढ़ के पूर्व बार-बार स्पर-4 के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव दिया किन्तु प्रस्ताव को विभाग ने नहीं स्वीकार किया।

का. अ. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अन्य स्पर के साथ स्पर-4 का निर्माण कार्य भी तकनीकी प्रतिवेदन के अनुसार संस्वीकृत हुआ था (जनवरी 2002)। 2002 में सरकार के द्वारा कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रमंडल के पास छः महीने का समय था जो कि बोल्टों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

## xg %i fyl ½ foHkx

4-3-5 fu"Oy 0; ;

vkbz th %kkohtu½ ds }kjk fdjkl u rsy tu l v dh vfoadiwzk [klhn ds ifj.kkeLo: i 2-61 djkm+ #i ; s dk fu"Oy 0; ; A

किरासन (उपयोग पर प्रतिबंध एवं उच्चतम दर का निर्धारण) आदेश, 1993 के पाराग्राफ 3 प्रावधान करता है कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए गए किरासन तेल का उपयोग जलावन एवं प्रकाश व्यवस्था को छोड़कर किसी अन्य कार्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। केन्द्रीय या राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश में उल्लेखित अन्य उद्देश्य के लिए किरासन तेल के उपयोग की अनुमति दे सकती है।

पुलिस महानिरीक्षक (आई जी) प्रोवीजन, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2007) से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार से जेनरेटर सेट प्रचालन में किरासन तेल के उपयोग की अनुमति प्राप्त किए बगैर 2.61 करोड़ रुपये का 522 पोर्टेबल जेनरेटर सेट (जेनसेट) (प्रति सेट मूल्य .50 लाख रुपये) की खरीद की गई (मार्च 2007)। इन 522 जेन सेटों

<sup>68</sup> स्पर-4 का निर्माण : 1.45 करोड़ रुपये एवं स्पर-5 का पुनर्स्थापन : 1.08 करोड़ रुपये

<sup>69</sup> स्पर-4 का निर्माण : 1.09 करोड़ रुपये एवं स्पर-5 का पुनर्स्थापन : 1.03 करोड़ रुपये

<sup>70</sup> बाढ़ निरोधी : 3.65 लाख रुपये, 2005 के बाढ़ के पहले स्पर-5 का पुनर्स्थापन कार्य : 39.91 लाख रुपये तथा स्पर-5 का पुनर्निर्माण : 1.03 करोड़ रुपये।

के एक दिन में आठ घंटा प्रचालन के लिए प्रति माह 1.87 लाख लीटर किरासन तेल की आवश्यकता थी।

यहाँ एक रोचक तथ्य है कि पुलिस महानिदेशक (डी जी पी) ने खरीद करने के बाद किरासन तेल की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति हेतु जुलाई 2006 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से अनुरोध किया। इस प्रकार किरासन तेल के उपयोग की अनुमति प्राप्त किए बगैर जेनसेट का क्रय आदेश निर्गत करने से 2.61 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल हुआ।

आई जी (प्रोवीजन) ने यह स्वीकार करते हुए कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किरासन तेल का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया, बताया कि पुलिस अधीक्षकों (एस पी) द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन से मासिक कोटा के अंतर्गत प्राप्त किरासन तेल से जेनसेट का प्रचालन किया जा रहा था। साक्ष्यस्वरूप 10 जिलों के एस पी के पत्र की फोटो प्रतिलिपी संलग्न की गई।

जवाब अस्वीकार्य थे क्योंकि एस पी के द्वारा भेजे गए पत्र में उस स्रोत का कोई उल्लेख नहीं था जहाँ से जेनसेट के प्रचालन हेतु किरासन तेल प्राप्त किया गया। साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कोटा निर्धारित किए बगैर जिला पदाधिकारियों द्वारा किरासन तेल की व्यवस्था करना अनुमेय नहीं था। 10 एस पी में से दो ने अपने पूर्व के पत्र में डी जी पी को सूचित किया था कि जिला प्रशासन द्वारा किरासन तेल की व्यवस्था नहीं किए जाने से जेन सेट अनुपयुक्त पड़े थे। वैशाली जिले के एस पी ने पुष्टि किया (मई 2007) कि किरासन तेल का प्रावधान नहीं किए जाने से जेनसेट उपयोग नहीं किए गए। गया के एस पी ने भी पुनः पुष्टि किया (नवंबर 2007) कि किरासन तेल की व्यवस्था नहीं किए जाने से जेन सेट बिना उपयोग के पड़े रहे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

ty l d k/ku foHkx

4-3-6 viwkd; l i j fu"Qy 0; ;

Hkfe vf/kxg.k ds fcuk ck<+ fujkskh Lybl ds fuekZk ds ifj.kkeLo: i 33-67 yk[k #i; s dk fu"Qy 0; ; A

जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा घोघराहा गाँव के नजदीक सोरमाराहाट-हाया घाट तटबंध के 6.5 कि.मी. पर बाढ़ निरोधी स्लूइस के निर्माण कार्य हेतु 51.62 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई (दिसम्बर 2000)। मुख्य अभियंता द्वारा जनवरी 2001 में 50.96 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा ने अनुसूचित दर से पाँच प्रतिशत अधिक दर पर (39.91 लाख रुपये) एक एकरारनामा किया। कार्य को जून 2001 तक पूर्ण करना था, जिसे बाद में विस्तारित कर मार्च 2003 कर दिया गया। मार्च 2003 तक संवेदक द्वारा मात्र 33.67 लाख रुपये का कार्य संपादित किया गया और कार्य अपूर्ण रह गया (अक्टूबर 2007)।

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2005) में यह पाया गया कि भूमि अधिग्रहण के बिना ही कार्य को प्रारंभ कर दिया गया। फरवरी 2003 में ही जिला भू-अधिग्रहण अधिकारी को 6.25 लाख रुपये उपलब्ध करा दिया गया लेकिन भूस्वामियों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका और कार्य अपूर्ण रह गया।

इस प्रकार संहितीय प्रावधानों के विपरित बिना भूमि अधिग्रहण किए ही कार्य प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप कार्य अधूरा रह गया और 33.67 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

कार्यपालक अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2007) कि भूमि अधिग्रहण के पश्चात कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन जिला भू-अधिग्रहण पदाधिकारी, समस्तीपुर ने बताया (अक्टूबर 2007) कि कार्यपालक अभियंता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने के कारण भूमि अधिग्रहण संभव नहीं हो सका।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

xkeh.k fodkl foHkkx

4-3-7 fu"Qy 0; ;

Lo- t- xk- Lo- ; ks ds rgr vkB ftyka ea 3-86 djkm+ #i ; s dk fu"Qy 0; ; , oa vuqku ds 69-04 djkm+ #i ; s dk vfu; fer HkxrkuA

ग्रामीण गरीब परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार (भा स) के द्वारा स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया। योजना के अंतर्गत, स्वयं सेवी समूहों (स्व. से. स.) स्वरोजगारियों की नियमित आय के लिए आय उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बैंक साख एवं सरकारी अनुदान के द्वारा सहायता दिया जाना था।

योजना कोष का 20 प्रतिशत संबंधित स्वयं सेवी समूहों/स्वरोजगारियों की जरूरतों के अनुसार आधारभूत संरचना के विकास हेतु उपयोग किया जाना था। स्वरोजगारियों को ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रशिक्षण द्वारा न्यूनतम दक्षता प्रदान करना आवश्यक था। परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन, अभिलेखों के रख रखाव तथा ऋणों की वसूली सहित योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि गा वि ए) उत्तरदायी थी।

¼½ vk/kkjHkur I j'puk dks'k

जि गा वि ए, समस्तीपुर एवं औरंगाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2007) से पता चला कि 9.70 करोड़ रुपये उपलब्ध कोष के विरुद्ध आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु 3.86 करोड़ रुपये व्यय किये गये परन्तु व्यय निष्फल थे जैसा कि नीचे तालिका में दिखलाया गया है :



ftyk dk uke	dk'skka dks tkjh djus dh frfFk	0; ; %dj kM+ #i ; s e% e%	ys[ kki jh{Kk
जि ग्रा वि ए, समस्तीपुर	12.02.2000	1.25	प्रशिक्षण मान्य /स्थापित अभियंत्रण कॉलेजों, औ प्र सं, पॉलिटैकनिक एवं सहायक संस्थानों में दिया जाना था परन्तु 21 प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों (प्र. उ. के.) का निर्माण स्वरोजगारियों/स्व. से. स. की जरूरतों को सुनिश्चित किये बिना ही करवा दिया गया। इस प्रकार, मई 2007 तक सभी प्र उ के अकार्यशील थे।
जि ग्रा वि ए, समस्तीपुर	2001-02	0.05	जि ग्रा वि ए, समस्तीपुर द्वारा दुग्ध पार्लरों का निर्माण निष्फल था क्योंकि मई 2007 तक ये अकार्यरत थे।
जि ग्रा वि ए, समस्तीपुर	फरवरी 2002 और सितंबर 2004	0.50	मिथिला दुग्ध संघ (समस्तीपुर) को प्रशीतन प्लांट के निर्माण एवं स्थापना के लिए किया गया भुगतान अनियमित था क्योंकि संघ के 50 प्रतिशत सदस्य स्वरोजगारी नहीं थे।
जि ग्रा वि ए, समस्तीपुर	सितंबर 2000 एवं जनवरी 2002	1.16	जि ग्रा वि ए ने सहायक अभियंता, ग्रामीण विशेष प्रमंडल-I, समस्तीपुर को 22 दुकानों के निर्माण हेतु 1.16 करोड़ रुपये अग्रिम दी परन्तु 0.57 करोड़ रुपये मूल्य के मात्र सात दुकान पूर्ण किये गये। ये दुकान भी अकार्यरत थे (मई 2007)। शेष राशि 0.59 लाख रुपये का मई 2007 तक उपयोग नहीं किया गया था।
जि ग्रा वि ए, समस्तीपुर	2001-02	0.15	पाँच दुकानों का निर्माण अधुरा था (मई 2007)।
औरंगाबाद	2004-06	0.75	मछली पालन के लिए 13 तालाबों के पुनरुद्धार, मिट्टी कार्य एवं चापाकल तथा एक बुनकर शेड बनाने पर व्यय किये गये परन्तु अगस्त 2007 तक किसी स्वरोजगारी का चयन नहीं किया गया। इसप्रकार 75 लाख रुपये का निवेश निष्फल रहा।
dy		<b>3.86</b>	

### वृत्त वृत्त

स्व. ग्रा. स्व. योजना के निर्देशनों का उल्लंघन कर स्वरोजगार के लिए न्यूनतम दक्षता एवं बिना प्रशिक्षण प्रदान किये ही सात जिलों<sup>71</sup> में 96,751 लाभार्थियों को 68.85 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया (2003-07)।

आगे जि ग्रा वि ए, भोजपुर और गया के अभिलेखों से पता चला कि 2000-04 के दौरान 310 स्वरोजगारियों को 63 लाख रुपये (ऋण : 44.37 लाख रुपये एवं अनुदान : 18.54 लाख रुपये) का भुगतान किया गया। ऋणों की वापसी न करने के बावजूद चूककर्ता स्वरोजगारियों के विरुद्ध 18.54 लाख रुपये का अनुदान समायोजित कर दिया गया।

इस प्रकार स्व ग्रा स्व योजना के अन्दर 69.04 करोड़ रुपये<sup>72</sup> अनुदान का अनियमित भुगतान एवं 3.86 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

<sup>71</sup> अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी।

<sup>72</sup> 68.85 करोड़ रुपये + 18.54 लाख रुपये = 69.04 करोड़ रुपये

## y?kq fl pkbz foHkkx

4-3-8 fu"Oy 0; ;

203 l yVQkeks ds fuekZk ij 2-57 djksM+ #i ; s dk 0; ; fu"Oy jgkA bl ds vfrfjDr 107 iEi l s/k dh LFkkiuk ij 37-66 yk[k #i ; s dk 0; ; l ngkLin Fkka

लघु सिंचाई प्रमंडल, सहरसा में आर आई डी एफ फेज-VIII के तहत 90 प्रतिशत नाबार्ड ऋण से पोषित लघु सिंचाई (ल. सिं.) विभाग ने 4.27 करोड़ रुपये की लागत से 262<sup>73</sup> बार्ज लिफ्ट सिंचाई योजना<sup>74</sup> को स्वीकृत किया। वार्ज योजना उत्प्लावित प्लेटफॉर्म के निर्माण एवं प्लेटफॉर्म पर पम्प सेटों की स्थापना कर लागू किया गया। बार्ज स्थल का चयन लाभार्थियों की समिति, पंचायत एवं संबंधित ल. सिं. प्रमंडल के बीच हुए करार के आधार पर किया जाना था। निर्माण के बाद योजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु संबंधित लाभार्थी समितियों को सौंपा जाना था।

262 पम्प सेटों की खरीद हेतु मुख्य अभियंता, ल. सिं., भागलपुर ने आगरा की एक निजी कम्पनी को क्रय आदेश निर्गत किया (मार्च 2004)। क्रय आदेश में अन्य बातों के साथ 10 अ. श. के वायु शीतलेय डीजल इंजनों की पूरकों के साथ आपूर्ति एवं मुख्य अभियंता, ल. सिं. विभाग, भागलपुर कार्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में डी जी एस एवं डी द्वारा निरीक्षण के बाद प्रतिस्थापन शामिल था।

सहायक अभियंता, सहरसा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण (मार्च 2006) के अनुसार पम्पों की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापना की गई तथा सभी 262 पम्प सेटों के लिए एजेंसी को एक करोड़ रुपये का भुगतान (मार्च 2006) किया गया।

उत्प्लावित चबूतरों के निर्माण हेतु, प्रमंडल द्वारा तीन एजेंसियों के साथ 3.62 करोड़ रुपये<sup>75</sup> मूल्य के नौ करार किए गये (जनवरी-फरवरी 2004) तथा अप्रैल 2007 तक 3.39 करोड़ रुपये<sup>76</sup> का भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की जाँच (मई 2007) से निम्नलिखित का पता चला :

- पम्प सेटों की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा स्थापना से संबंधित स. अ., सहरसा का प्रमाण गलत था क्योंकि मधेपुरा उप प्रमंडल के अंतर्गत 20.77 लाख रुपये मूल्य के 59 पम्प सेट पता लगाने योग्य नहीं थे जिसे प्रतिष्ठापित तो किया गया परन्तु लाभार्थी समितियों को नहीं सौंपा गया के रूप में दिखाया गया था एवं जिसकी पुष्टि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन में की गई (मई 2007) थी। उसी

<sup>73</sup> सहरसा अनुमंडल : 119, सुपौल अनुमंडल : 82 एवं मधेपुरा अनुमंडल : 61

<sup>74</sup> निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई हेतु नदी या झील में उत्प्लावित प्लेटफॉर्म पर स्थापित पंपसेट।

<sup>75</sup> फर्म 'अ' : (1 एफ<sup>2</sup> : 45,67,016 रुपये, 2 एफ<sup>2</sup> : 40,13,439 रुपये, 3 एफ<sup>2</sup> : 35,98,255 रुपये, 4 एफ<sup>2</sup> : 37,36,650 रुपये, 5 एफ<sup>2</sup> : 41,51,833 रुपये तथा 6 एफ<sup>2</sup> : 42,90,227 रुपये), फर्म 'ब' : (7 एफ<sup>2</sup> : 42,90,227 रुपये तथा 8 एफ<sup>2</sup> : 38,75,044 रुपये) एवं फर्म 'स' (9 एफ<sup>2</sup> : 37,36,650 रुपये)

<sup>76</sup> 1 एफ<sup>2</sup> : 9वाँ चालू लेखा तक 39,54,285 रुपये, 2 एफ<sup>2</sup> : 3रा चालू लेखा तक 31,40,636 रुपये, 3 एफ<sup>2</sup> : 6ठा चालू लेखा तक 30,09,404 रुपये, 4 एफ<sup>2</sup> : 3रा चालू लेखा तक 37,36,486 रुपये, 5 एफ<sup>2</sup> : 5वाँ चालू लेखा तक 41,51,094 रुपये, 6 एफ<sup>2</sup> : 2रा चालू लेखा तक 40,41,455 रुपये, 7 एफ<sup>2</sup> : अंतिम 42,90,227 रुपये, 8 एफ<sup>2</sup> : अंतिम 38,75,044 रुपये तथा 9 एफ<sup>2</sup> : 9वाँ चालू लेखा तक 37,36,656 रुपये।

प्रकार सुपौल उप प्रमंडल के अन्दर 16.89 लाख रुपये मूल्य के 48 पम्प सेट उत्प्लावित चबूतरों के निर्माण बिना ही प्रतिष्ठापित, स्थापित एवं लाभार्थी समितियों को सौंपे गये दिखाए गए थे। इस प्रकार, 37.66 लाख रुपये मूल्य के 107 पम्प सेटों का संस्थापन संदेहास्पद था।

- मु. अ. कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में डी जी एस एवं डी के निरीक्षण का कोई अभिलेख नहीं था।
- बीजकों/चालानों एवं प्रत्येक पैक की अन्तर्वस्तु की जानकारी वाली पैकिंग सूची को प्राप्त किये बिना ही 131 पम्प सेटों के लिए भुगतान किया गया।
- 262 उत्प्लावित चबूतरों में से 59 पूर्ण थे और शेष 203 अधूरे थे। 2.57 करोड़ रुपये का व्यय अधूरे उत्प्लावित चबूतरों पर किया गया था।
- स्टॉक रजिस्टर तथा स्थल लेखों का रख रखाव नहीं पाया गया।
- स्थलों के चयन संबंधी कोई करार अभिलेखित नहीं था।

इस प्रकार, अधूरे चबूतरों पर 2.57 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ एवं 37.66 लाख रुपये मूल्य के 107 पम्प सेटों का संस्थापन संदेहास्पद था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

## खे.क फोडल फोहक

### 4-3-9 फु"Qy 0; ;

फुक 0{kkjki .k ds xfc; uk ds fuekzk ij 48-58 yk[k #i ; s dk fu"Qy 0; ; A

अगस्त 2004 और दिसम्बर 2004 के दरम्यान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि ग्रा वि अभि), जहानाबाद ने लघु सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद को 48.60 लाख रुपये उपलब्ध कराया। 48.60 लाख रुपये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स. ग्रा. रो. यो.) के सामाजिक वानिकि के लिए निर्धारित थे। तटबंध, आहर, पाईन और तालाब के किनारे लगाए जाने वाले वृक्षों की रक्षा के लिए 6075 ईटों के गैबियनों के निर्माण के लिए जि. ग्रा. वि. अभि., जहानाबाद ने पूरी राशि विमुक्त कर दिया। जबकि गैबियनों के अन्दर वृक्षों के वृक्षारोपण के लिए कोई निधि का प्रावधान नहीं था।

जि. ग्रा. वि. अभि., जहानाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2006) में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2004 से फरवरी 2005 के दरम्यान 6075 गैबियनों का विनिर्माण रुपये 48.58 लाख के व्यय से किया गया। जबकि अप्रैल 2007 तक वृक्षारोपण नहीं किया गया चूँकि जि. ग्रा. वि. अभि. द्वारा किसी निधि का प्रावधान नहीं किया गया जिसके कारण रुपये 48.58 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

उप विकास आयुक्त, जहानाबाद ने जवाब में कहा (अप्रैल 2007) कि वृक्षों की उपलब्धता के लिए वन विभाग से पत्राचार (मई 2007) किया गया और वृक्षारोपण हेतु आदर्श प्राक्कलन बनाने के लिए जिला अभियंता को निर्देश (जुलाई 2005) दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वृक्षारोपण 2007 तक नहीं किया गया और वृक्षों के वृक्षारोपण के लिए निधि का प्रावधान गैबियनों के विनिर्माण के साथ ही जि. ग्रा. वि. अभि., जहानाबाद के द्वारा किया जाना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

4-4 vfuf; fer@fuf"Ø; 0; ; ] fuf/k dk vojks/ku@nq i ; ksx

ekuo l d k/ku fodkl foHkkx

4-4-1 fuf/k dk vojks/ku , oa c; kt dh gkfu

fcuk ifj; kstuk çfronu vkj dk; kll; u ; kstuk ds 22 djkm+ #i ; s dh fuf/k dh fodkl h ds QyLo: i fuf/k dk vojks/ku , oa 71 yk[k #i ; s ds c; kt dh gkfuA

बिहार वित्तीय नियमावली (बि. वि. नि.) के नियम 13 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के नीचे टिप्पण प्रावधानित करते हैं कि कोई धन की निकासी कोषागार से नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इसकी तुरंत देयता की आवश्यकता न हो। बि. वि. नि. के नियम 13 के नीचे टिप्पण में यह निदेशित है कि कोई धन न तो इस आधार पर कोषागार से निकाला जा सकता है कि सक्षम प्राधिकार ने इस खर्च को स्वीकृत कर दिया है और न तो कोषागार से धन निकाल कर इसे खाते में आवंटन के व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा करने की इजाजत है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2007) में प्रकट हुआ कि मानव संसाधन विकास विभाग (मा. सं. वि. वि.) ने 22 करोड़ रुपये निकाल कर (2004-06) बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद (बि. इं. शि. प.) को 100 प्लस-2 विद्यालयों<sup>77</sup> को सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) शिक्षा के लिए उपलब्ध कराया जो कि मई 2007 तक अव्यहृत रहा। जबकि 10 माह गुजर जाने के बाद निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बि. इं. शि. प. को बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (बेलट्रान) को राशि हस्तांतरित करने के लिए निदेश (फरवरी 2007) दिया। बि. इं. शि. प. ने बेलट्रान को राशि हस्तांतरित नहीं किया और इसी बीच सरकार ने बि. इं. शि. प. को बंद करने का निर्णय (अप्रैल 2007) ले लिया। बि. इं. शि. प. ने 16 करोड़ रुपये को सावधि जमा में रखा और एक करोड़ रुपये को बचत खाता में रखा और अप्रैल 2007 तक 71 लाख रुपये का ब्याज अर्जित किया।

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना ने राज्य के मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लड़कों के लिए समीउलतल्ला (जमुई) में एवं लड़कियों के लिए डेहरी (रोहतास) में आवासीय उच्च विद्यालय बनाने का निर्णय (2004-05) लिया। तदनुसार विभाग ने प्रत्येक विद्यालय को 2.5 करोड़ रुपये उपलब्ध (मई 2005) कराया (1.75 करोड़ रुपये भवन निर्माण के लिए और 75 लाख रुपये प्रत्येक विद्यालय के स्थापना व्यय के लिए)। न तो मई 2007 तक विद्यालय भवन के निर्माण के लिए भू-अर्जन किया गया न तो परियोजना प्रतिवेदन ही बनाया गया। विद्यालय शिक्षा

<sup>77</sup> प्रत्येक विद्यालय रुपये 17.00 लाख

समिति को बिना परियोजना प्रतिवेदन और भू-अर्जन के पाँच करोड़ रुपये की विमुक्ति वित्तीय नियम और वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध था।

जबकि सरकार ने विकास कार्यों पर हुए खर्च के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से बाजार ऋण लिया और 2.03 करोड़ रुपये पर ब्याज का भुगतान किया/करना था। अतः सरकार को 71 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

अतः बिना कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना और परियोजना प्रतिवेदन के निधि की निकासी के कारण 12 माह से 24 माह तक 22 करोड़ रुपये अवरुद्ध रहा परिणामस्वरूप 71 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

4-4-2 dEl; Wj ds Ø; ij fuf"Ø; 0; ;

cf'kfk.k dbrka ds fy, 38-21 yk[k #i; s ds dEl; Wj , oa l gk; d mi dj.k Hkou fuekZk ugha gkus ds dkj.k fuf"Ø; i M# jgA

बिहार सरकार ने 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा के लिए जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (जि. क. प्र. के.) की स्थापना का निर्णय लिया। केन्द्र को जिला कम्प्यूटर संस्था (जि. कं. सं.) द्वारा प्रबंधित होना था जिस संस्था को निबंधित होना आवश्यक था। राज्य उच्च विद्यालय, अररिया और जिला विद्यालय, दरभंगा के जि. क. प्र. के. में 100 कम्प्यूटर (50 कम्प्यूटर प्रत्येक केन्द्र) स्थापित करना था। उपरोक्त के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने भवन निर्माण विभाग (मार्च 2003) को दोनों विद्यालयों में केन्द्र के निर्माण के लिए रुपये 22.56 लाख (1.28 लाख रुपये प्रत्येक विद्यालय के लिए) उपलब्ध कराया। केन्द्र के लिए कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण निदेशालय स्तर पर प्राप्त किए जाने थे।

दोनों विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2005) के क्रम में यह पाया गया कि 18.99 लाख रुपये का 48 कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर और 7.5 के. भी. ए. की उर्जा आपूर्ति प्रणाली, अररिया को आपूर्ति (मार्च 2005) किया गया और 19.22 लाख रुपये का कम्प्यूटर (मार्च 2003) दरभंगा को दिया गया जिन्हें प्रस्तावित कम्प्यूटर केन्द्र का भवन निर्माण अधूरा रहने एवं विद्यालयों को हस्तान्तरित नहीं करने के कारण जुलाई 2007 तक स्थापित नहीं किया जा सका। जिला विद्यालय, दरभंगा के मामले में स्थापना के दिन से 36 माह की वारंटी अवधि बिना इस्तेमाल के ही समाप्त हो गई। जि. क. स., अररिया का निबंधन लेखापरीक्षा की तारीख तक लंबित था (जुलाई 2007)।

फलस्वरूप 38.21 लाख रुपये के खर्च से प्रशिक्षण केन्द्र के लिए प्राप्त किए गए कम्प्यूटर और उसके सहायक उपकरण 27 से 51 माह तक निष्क्रिय पड़े रहे जिससे योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

## Je] fu; kstu , oa cf' k{k.k foHkx

4-4-3 o) koLFkk i\$ku fuf/k dh de çkflr] nq i ; ksx vksj vuqj ; ksx

o) koLFkk i\$ku fuf/k ds çfd ea iM\$ jgus ds QyLo: i i\$kuj ykHk l. ofpr jgs vksj 44-03 yk[k #i ; s ds ç; kt dh gkfu gpA bl ds vykok #i ; 52-63 yk[k dk Quhbj ds Ø; ] Hkou ds ejEerh vksj nfud etnjka dk Hkxrku ea nq i ; ksx fd; k x; kA

भारत सरकार ने निदेश दिया (अक्टूबर 1995) कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा. सा. स. का.) के अंतर्गत प्रशासनिक खर्च मद में उपलब्ध निधि का उपयोग प्रचार, छपाई एवं मनी आर्डर बढ़ा में करना चाहिए था न कि वेतन, वाहन, उपकरण आदि में। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (रा. वृ. पे.) और राज्य वृद्धावस्था पेंशन (रा. वृ. पे.) का वितरण प्रखण्ड के द्वारा 2005-06 तक शिविर लगाकर और 2006-07 से सीधे डाकघर में लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करके करना था। निम्नांकित पाया गया :

- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पाँच कार्यालयों (पटना, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर) के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (रा. सा. स. का. के घटक) के प्रशासनिक व्यय के लिए रुपये 53.63 लाख<sup>78</sup> का 2003-07 के दरम्यान फर्नीचर के क्रय/आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की मरम्मती और दैनिक भोगी कर्मचारियों के भुगतान पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा दुरुपयोग किया गया।
- पाँच जिलों<sup>79</sup> के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई - जून 2007) में प्रकट हुआ कि 2006-07 के पहले का रा. वृ. पे. की निधि 6.29 करोड़ रुपये बैंको में जमा थी। ये निधि समस्तीपुर और मधुबनी के डाकघरों में हस्तान्तरण के लिए कोषागार में जमा की जानी थी।

अतः निधि के बैंकों में पड़े रहने से पेन्शनरों को लाभ से वंचित रखा गया एवं 44.03 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

- सरकार ने प्रधान डाक घर में हस्तांतरित करने के लिए निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को 25.24 करोड़ रुपये उपलब्ध (2006-07) कराये। जबकि निदेशक ने मार्च 2007 में 13.29 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 11.95 करोड़ रुपये विमुक्त किया। फलस्वरूप प्र. डा. घ., पटना ने उपरोक्त राशि को अगले वित्तीय वर्ष में जिला डाक घरों (समस्तीपुर एवं मधुबनी) को विमुक्त किया (अप्रैल 2007 से मई 2007)। 2.69 करोड़ रुपये उपरोक्त जिला मुख्य डाक घरों में जून 2007 तक प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप वृद्धावस्था पेंशनरों को लाभ से वंचित रखा गया।

अतः 53.63 लाख रुपये का फर्नीचर के क्रय, भवनों की मरम्मती इत्यादि पर दुरुपयोग किया गया, 6.29 करोड़ रुपये के जिला डाक घर में हस्तांतरण करने के बदले बैंकों में

<sup>78</sup> पटना : 13.70 लाख रुपये (आवंटन का 99.63 प्रतिशत), बेतिया : 12.27 लाख रुपये (आवंटन का 56.16 प्रतिशत), मधुबनी : 11.44 लाख रुपये (आवंटन का 28.70 प्रतिशत) और समस्तीपुर : 16.22 लाख रुपये (आवंटन का 53.97 प्रतिशत)

<sup>79</sup> पटना, सीतामढ़ी, बेतिया, समस्तीपुर और मधुबनी

जमा करने से 44.03 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई और 2.69 करोड़ रुपये की कम प्राप्ति हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

i 'kq̄ kyu , oa eRL; ¼nð/k mRi knu fodkl ½ foHkkx

4-4-4 dññh; vuñku dk nq̄ i; kx

dk's'kh {ks= Mjñh fodkl ds fy, 34-10 yk[k #i; s dh fuf/k dk nq̄ i; kx  
dk; kll; u vññkñj.k dh bdkbz ds l ñ<ñdj.k ea fd; k x; kA

भारत सरकार (भा. स.) ने गहन डेरी विकास कार्यक्रम (ग. डे. वि. का.) का आरंभ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, लोगों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए, रोजगार की संभावना का सृजन करने के लिए और ग्रामीण इलाके से विशेषकर पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की आय के स्तर को सुधारने के लिए किया था। भारत सरकार ने मई 2004 में 64.67 लाख रुपये विमुक्त किया।

निदेकश, डेरी विकास, बिहार, पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल/मई 2007) में प्रकट हुआ कि भारत सरकार (नवम्बर 2001) ने कोशी क्षेत्रों के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में डेरी विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया। तदनुसार राज्य सरकार ने कॉमफेड को भारत सरकार से प्राप्त राशि में से 64.47 लाख रुपये उपलब्ध (मई 2004) कराया। कॉमफेड ने उपरोक्त राशि को योजना के कार्यान्वयन के लिए देशरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक संघ लि. (दे. रा. दु. सं.), बरौनी को उपलब्ध कराया।

वस्तुगत एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार दे. रा. दु. स., बरौनी ने दिसम्बर 2006 तक 59.02 लाख रुपये खर्च किया और 5.45 लाख रुपये की शेष राशि को अपने पास रखा जो कि मई 2007 तक अव्यहृत रही। इसके अतिरिक्त 59.02 लाख रुपये में से 24.92 लाख रुपये की राशि उपरोक्त जिलों में योजना के कार्यान्वयन में खर्च की गई और 34.10 लाख रुपये की शेष राशि अपनी इकाई के लिए सामान<sup>80</sup> के क्रय में खर्च की गई जबकि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश कार्यान्वयन अभिकरण के लिए क्रय को रोकता है।

अतः दे. रा. दु. स., बरौनी ने 34.10 लाख रुपये के केन्द्रीय अनुदान का अपनी इकाई के सुदृढीकरण में दुरुपयोग किया और योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

सरकार ने जवाब दिया (जून 2007) कि बरौनी डेरी के सुदृढीकरण पर किया गया खर्च कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव और केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृत खर्च ब्यौरे के अनुसार था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निधि विशेषकर कोशी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में डेरी विकास के लिए उपलब्ध कराई गई थी। सामानों का इस्तेमाल कोशी क्षेत्र के दुग्ध विकास समिति को करना था, न कि दे. रा. दु. स., बरौनी को।

<sup>80</sup> एस एस खोपन 120 ली. क्षमता का घुमावदार कैंप : 2.34 लाख रुपये ; गुलाबजामुन फ्राइंग पैन कैन : 5.41 लाख रुपये, गुलाबजामुन सुगर सिरप बनाने का पैन : 5.77 लाख रुपये ; दही बनाने और पैकिंग उपकरण : 7.23 लाख रुपये, दुध का स्टेनलेस स्टील केन : 13.35 लाख रुपये।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

4-5 fu; ked ekeys@vfu; fer 0; ; vkj vl;

ykod LokLF; vfhk; æ.k foHkkx

4-5-1 vfu; fer 0; vkj l fnX/k mi; ksx

*i fr; kxh ckyh l s cpus ds fy, 0; vkn's'k dks VqdM's es foHkkftr dj  
76-49 yk[k #i; s ds vfrfjDr iqt'k dk vfu; fer 0; fd; k x; kA bl ds  
vykok l kexh dk mi; ksx l fnX/k Fkk D; kfd l kexh [kkrk vkj pki kdy ds  
fu/kk'j r LFkku vfhkyf[kr ugha FkA*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो. स्वा. अभि. वि.) ने प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति और क्षेत्रिय क्रय समिति<sup>81</sup> द्वारा स्वीकृत दर की अनुशंसा के बाद सामग्री<sup>82</sup> के क्रय के लिए निर्देश (अगस्त 2006) जारी किया। विभागीय निर्देश (अक्टूबर 1987) के अनुसार इंडिया मार्क II गहरा चापाकल के अतिरिक्त पुर्जे का क्रय यूनीसेफ द्वारा स्वीकृत अर्हताप्राप्त आपूर्तिकर्ता या राज्य के आई एस आई मार्क उत्पादक से करना था। इसके अतिरिक्त, बी. पी. डब्ल्यू. डी. की कंडिका 159 के प्रावधान के अनुसार निविदा का मूल्य एक लाख रुपये से ज्यादा होने की स्थिति में एन. आई. टी. का प्रचार समाचार पत्र/इंटरनेट के माध्यम से करना आवश्यक था। सर्तकता विभाग ने निर्देश दिया (मार्च 1994 और फरवरी 2000) कि केवल विभागाध्यक्ष ही बिना निविदा/दर को आमंत्रित किये 2000 रुपये तक के नकद भुगतान पर कार्य/आपूर्ति के कार्यान्वयन की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत थे और विभागाध्यक्ष भी अपनी क्षमता में लाने के लिए किसी कार्य/आपूर्ति को खंडित करने के लिए सक्षम नहीं थे।

लो. स्वा. अभि. वि., गया के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन कर 111 निवेदित दरों (अप्रैल 2006 से फरवरी 2007) के आधार पर जून 2006 और मार्च 2007 के बीच 76.49 लाख रुपये के चापाकल के अतिरिक्त पुर्जों की खरीद की गई। प्रिंट मिडिया के द्वारा प्रचार नहीं किया गया। उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए निवेदित दर को खंडित कर दिया गया जिसमें राज्य के बाहर के आपूर्तिकर्ता से 44.70 लाख रुपये के इंडिया मार्क II गहरे चापाकल के अतिरिक्त पुर्जों का क्रय भी शामिल था। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता जाँच भी नहीं की गई और विपत्र/इनवायस के आधार पर भुगतान बिना भंडार पंजी में दर्ज होने के प्रमाण पत्र के ही किया गया जबकि बिहार लोक कार्य लेखा (बि. लो. का. ले.) संहिता के नियम 118 के अनुसार आवश्यक था।

अतिरिक्त पुर्जे क. अभि. को जारी किए गए जिन्होंने बाद में इसे नलकूप खलासी को जारी कर दिया जबकि अतिरिक्त पुर्जे की पावती नलकूप खलासी से नहीं ली गई जो वि. लो. नि. ले. संहिता के नियम 121 के अनुसार आवश्यक था। इसके अलावा क.

<sup>81</sup> क्षेत्र के वरिष्ठतम अधीक्षण अभियंता (अधी. अभि.) के साथ क्षेत्रिय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में काम से संबद्ध अधी. अभि. और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में।

<sup>82</sup> आई. एम. II एवं III नलकूप के स्पेयर पार्ट्स, पी. वी. सी. टंकी, 1 एवं 2 अश्व शक्ति क्षमता के सबमर्सिबल पंप, 40 मि. मी. व्यास से कम का जी. आई. पाईप, ब्लीचींग पाउडर, सभी प्रकार के रसायन आदि।



अभि. द्वारा सामग्री खाता प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि बि. लो. नि. ले. संहिता के नियम 123 के अनुसार इसकी मासिक प्रस्तुती करनी थी। चापाकल, जिसमें अतिरिक्त पुर्जे लगाए गए थे, का सही जगह निर्धारण अभिलेख में नहीं था और मा. पु. में माप दर्ज नहीं था। अतः सामग्री का उपयोग संदिग्ध था।

कार्यपालक अभियंता ने कहा (जुलाई 2007) कि उच्च अधिकारी की सहमति से निवेदित दरों पर क्रय किया गया। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि विभागाध्यक्ष भी क्रय को खंडित करने में सक्षम नहीं थे और पूरा क्रय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन कर किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

4-5-2 foKki u dh Nikbz ij vfu; fer 0; ;

jkt; ty , oa LoPNrk fe'ku }kjk l ekpkj i=ka ds foKki uk ij 45-92  
yk[k #i;s dh ijh fuf/k ds vfu; fer [kpz ds dkj.k vi;kr tu  
tkx: drk dk l tu gpkA

माँग और जागरूकता सृजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी पूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा निर्देश (मई 2002) में उत्प्रेरकों और स्थानीय संप्रेषण चैनल जैसे कि कठपुतली, नुक्कड़ नाटक, भजन मंडली इत्यादि का उपयोग करते हुए सूचना शिक्षा संप्रेषण क्रिया (सू. शि. सं) करने का प्रावधान करता है। राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (रा. गाँ. पे. मि.) के मार्गदर्शिका में दी गई सू. शि. सं. के क्रियाकलापों की विस्तृत सूची में अंतः व्यक्ति संप्रेषण (घर-घर मिलना), ऑडियो-विजियुल प्रचार, होर्डिंग और दीवाल लेखन को सम्मिलित किया गया था।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा. ज. स्व. मि.) के संप्रेषण एवं क्षमता विकास इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2007) में प्रकट हुआ कि :

- सू. शि. सं. के लिए उपलब्ध छः करोड़ रुपये में से 1.80 करोड़ रुपये जिला जल एवं स्वच्छता समिति (जि. ज. स्व. स.) को हस्तान्तरित किया गया और 3.69 करोड़ रुपये 31 मार्च 2007 तक बिना खर्च किए पड़े रहे। रा. ज. स्व. मि. द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन पर (मार्च 2006 और जून 2007 के बीच) उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 45.92 लाख रुपये खर्च किया गया।
- विज्ञापन पर खर्च निरर्थक था क्योंकि जिन छः समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा था उनका कुल दैनिक वितरण 9.53 लाख था जबकि कुल आबादी 8.30 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आबादी 3.57 करोड़ थी जिसमें से 3.18 करोड़ (89 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे<sup>83</sup>। पुनः 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर 41 प्रतिशत थी। जन सम्पर्क विभाग की भी राय थी (अप्रैल 2007) कि समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जनता को सूचना उपलब्ध कराने के मामले में उचित और पर्याप्त नहीं था। रा. ज. स्व. मि. के सदस्य सचिव ने उच्च

<sup>83</sup> रुरल वाटर सप्लाय ऐंड सैनिटेशन सेक्टर (आर. डब्ल्यू. एस. एस.) वीजन, स्ट्रैटेजी ऐंड पॉलिसी ऑफ बिहार (मार्च 2006)।

कार्यकारी समिति से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं किया और 2.31 करोड़ रुपये<sup>84</sup> का खर्च किया (जुलाई 2007)।

रा. ज. स्व. मि. के सदस्य सचिव ने जवाब दिया कि गरीबी रेखा से उपर की लगभग 50 लाख की जनसंख्या शिक्षित थी और जो विज्ञापन पढ़ और समझ सकती थी। उत्तर मान्य नहीं था चूंकि जागरूकता बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय के रूप में समाचार पत्र विज्ञापन पर आश्रित रहने और अन्य प्रभावी तरीके जैसे अंत संप्रेषण (घर घर मिलना), ऑडियो-विजिअल प्रचार, होर्डिंग और दीवाल लेखन को दरकिनार करने के कारण पूर्ण स्वच्छता के संदेश का कम प्रसार हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2007) ; उत्तर प्राप्त हुआ (अक्टूबर 2007) जिसे उपर्युक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

fo/kku I Hkk I fpoky;

4-5-3 vfu; fer 0; ;

fo/kku I Hkk ds ekuuh; v/; {k }kjk depkfj; k dh vuf; fer fu; fDr@ckuifr ds i fj. kkeLo: i 26-42 djkm+ #i; s dk vukf/kdr 0; ; A

बिहार विधान सभा सचिवालय (नियुक्ति एवं सेवाओं की शर्त) नियमावली 1964 के नियम 3 के अधीन प्रावधान के द्वारा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को किसी वित्तीय वर्ष या इसके किसी भाग के लिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के सृजन की शक्ति प्राप्त है बशर्ते कि उन पदों के वेतन और भत्ता की पूर्ति इस वर्ष के बजट के बचत से हो जाए। इन पदों को वित्त विभाग की सलाह से सृजित किया जा सकता था लेकिन माननीय अध्यक्ष को प्रथम श्रेणी के पदों का सृजन करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी।

बिहार विधान सभा सचिवालय के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (नवंबर 2006) कि 1975-2005 के दौरान 139 से 388 तक प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन<sup>85</sup> माननीय अध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के सलाह के बिना किया गया और इन पदों के विरुद्ध नियुक्त कर्मगण 2000-06 के दौरान बने रहे।

हालांकि माननीय अध्यक्ष को प्रथम श्रेणी के पदों के सृजन की शक्ति प्राप्त नहीं थी लेकिन 2000-05 के दौरान प्रथम श्रेणी के पांच स्वीकृत पद के विरुद्ध 41 पदों का सृजन वित्त विभाग की सलाह के बिना किया गया। इन पदों पर हुए व्यय को अनुपूरक बजट<sup>86</sup> से पूरा किया गया।

<sup>84</sup> सू. शि. सं. : 51 लाख रुपये, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को अंतरित : 1.80 करोड़ रुपये

<sup>85</sup> अतिरिक्त कार्मिक सचिव : 03, अनुभाग अधिकारी : 55, उपसचिव : 18, प्रशासनिक अधिकारी : 77, अधीक्षक (टंकन) : 10, अधीक्षक (रूटीन) : 04, सहायक मार्शल : 02, प्रधान टंकक : 05, अवर अनुवादक : 03, अनुसेवक : 56, सहायक अनुसाधक : 01, सूचीकर : 01, अभ्यर्थी अनुसेवक : 33, प्रधान चालक : 01, प्रहरी : 04, फराश : 15, मेहतर : 13, चालक : 12, सहायक सचिव : 75 कुल संख्या : 388

<sup>86</sup>

o"l	ctV iko/kku	vujjd ctV	ipjhf{kr ctV
2004-05	629.03	55.45	684.48
2005-06	773.70	67.65	841.35

इसप्रकार माननीय अध्यक्ष द्वारा अस्थाई रूप से सृजित पदों के विरुद्ध 139 से 343 व्यक्तियों के सेवा में बने रहने के कारण 2000-06 के दौरान वेतन भुगतान पर 26.42 करोड़ रुपये का अनाधिकृत व्यय हुआ।

इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति किए जाने में भी नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

- आवेदनों को रोजगार निबंधन कार्यालय के माध्यम से आमंत्रित नहीं किया गया।
- फरवरी 2004 में 16 तृतीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया गया जो अर्हक योग्यता नहीं रखते थे।
- सीमित विभागीय परीक्षा के बाद मार्च 2004 में 24 चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति सृजित पदों के विरुद्ध लिपिक के रूप में की गई। हालांकि चतुर्थ श्रेणी में न्यूनतम तीन साल की अर्हक सेवा के विरुद्ध इन कर्मचारियों ने केवल 10 महीने ही सेवा प्रदान की थी।
- काल बाधित योग्यता सूची/पैनल से छः सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति जुलाई 2004 से अप्रैल 2005 के मध्य की गई।
- 2002 में अनुमोदित योग्यता सूची/पैनल जो सिर्फ एक वर्ष के लिए प्रभावी था, से छः चालकों की नियुक्ति मार्च 2005 में की गई।
- विज्ञापनों में अर्हक योग्यता एवं रिक्त पदों की संख्या को नहीं दर्शाया गया था।

सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय ने जवाब दिया (दिसंबर 2007) कि चार अलग-अलग रिट याचिकाओं के द्वारा 16 ग्रुप III कर्मचारियों, 24 ग्रुप IV कर्मचारियों, छः चालकों एवं छः सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई तथा मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित था। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ही लेखा परीक्षा आपत्ति का उचित जवाब होगा। सचिव का मतव्य अमान्य था क्योंकि उनके द्वारा भेजे गए जवाब में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी स्थगनादेश का उल्लेख नहीं था। विधान सभा सचिवालय द्वारा लेखापरीक्षा को रिट याचिका का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि माँग की गई थी।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बिहार विधान परिषद में हुई अनियमित नियुक्ति का उल्लेख था। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा वित्त विभाग को मामला संदर्भित किया गया। लेखा परीक्षा की आपत्ति से वित्त विभाग की सहमति थी।

## mtkl foHkkx

4-5-4 vfu; fer 0; ;

*cdl l; kt ds fopyu }kjk cMk dh LFkki uk ykxr , oa vkfnR; l ksyj l kll  
ds j [k&j [kko ij 1-64 djKM+ #i ; s dk vukf/kdr 0; ; A*

बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेंसी (ब्रेडा) का वित्त पोषण केन्द्र/राज्य अनुदान द्वारा अपनी स्थापना व्यय एवं विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व्यय को पूरा करने हेतु किया गया था। विभाग ने बैंक में संचित योजनागत कोष पर उत्पन्न ब्याज के इस्तेमाल पर निषेधादेश निर्गत (दिसम्बर 2003) किया था।

निदेशक, ब्रेडा, पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2003-06 के दौरान ब्रेडा ने स्थापना पर 3.62 करोड़ रुपये व्यय किया जबकि प्रावधान 2.25 करोड़ रुपये था। 1.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय जमा किये गये योजनागत कोष पर उत्पन्न बैंक ब्याज (9.71 करोड़ रुपये) से पूरा किया गया था।

आगे, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (गै. ऊ. सो. मं.), भारत सरकार ने पुनप्रयोज्य ऊर्जा उपकरणों के विक्रय एवं विक्रीबाद सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदित्य सोलर शॉप की संस्थापना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया।

इन्हें सामान्य वाणिज्यिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना था तथा विक्रय एवं सेवा द्वारा भविष्य में प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के लिए इनसे आय अर्जित करने की अपेक्षा की गई थी।

गै. ऊ. सो. मं. ने 2002-03 के दौरान ब्रेडा को आदित्य सोलर शॉप की संस्थापना हेतु 6.35 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध कराया। 2003-07 के दौरान मात्र 1.82 लाख रुपये की प्राप्ति के विरुद्ध ब्रेडा ने आदित्य सोलर शॉप की संस्थापना हेतु 66 वर्षों के लिए पट्टे पर जमीन अधिग्रहण करने तथा स्थापना एवं प्रचालन लागतों पर 35.65 लाख रुपये<sup>87</sup> व्यय किया। 8.17 लाख रुपये (प्राप्ति : 1.82 लाख रुपये ; अनुदान : 6.35 लाख रुपये) की प्राप्ति से अधिक 27.48 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय केन्द्र/राज्य कोष, जिन्हें योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त किया गया था, के संचय पर उत्पन्न ब्याज से पूरा किया गया। अगस्त 2003 से लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च 2007) तक दुकान क्रियाशील नहीं थी क्योंकि पुनप्रयोज्य ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों का सामान एवं ऊर्जा संरक्षण उपकरण दुकान में उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, सरकारी निर्देश, जो योजना कोष पर उत्पन्न ब्याज से स्थापना व्यय का निशेध करता था, के विपरीत 1.64 करोड़ रुपये<sup>88</sup> का अनधिकृत व्यय किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007) ; जवाब अप्राप्त था (अक्टूबर 2007)।

<sup>87</sup> स्थान के लीज की लागत : 19.65 लाख रुपये, आंतरिक सजावट इत्यादि : 5.41 लाख रुपये, दुकान के उद्घाटन की लागत : 0.30 लाख रुपये, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता : 9.24 लाख रुपये, दुकान की रख रखाव लागत : 1.05 लाख रुपये।

<sup>88</sup> 1.37 करोड़ रुपये + 27 लाख रुपये।

v/; k; &V

I j d k j h foHkkxka ea vkarfjd fu; æ . k ç . kkyh

df" k foHkkx

5-1 df" k foHkkx ea vkarfjd fu; æ . k ç . kkyh

ef; kd" k k

vkarfjd fu; æ . k , d l æ Bu dh ç ç ã k ç f Ø ; k dk , d , dh d' r Hkkx gš ftl dh LFkkiuk mfpr : i l s ; g l fuf' pr djus ds fy, dh x ; h fd l pkyu çHkkodkj h , oa ferØ ; f ; rkiw k z gš foÜkh ; ç fronu , oa vk d M s fo' ol uh ; gš r Fkk mi ; ç i fu ; e , oa vf / kfu ; e dk vu i j ky u gk s j g k gš r k f d l æ Bu ds m i s' ; dks ç k l r fd ; k tk l d A df" k foHkkx ds p ; fur { ks = ka dh vkarfjd ç . kkyh ij l eh { k k ea ; g n' k k z k x ; k fd ct V h ; } 0 ; ; , oa l pkyu fu ; æ . k dks etcir djus dh vko' ; drk gš d i v egüoiw k z fu" d" k z uhps fn ; s x ; s gš %

ctV fu; æ . k vçHkkodkj h Fkk ftl ds ifj . kkeLo : i cpr] vH ; i z k , oa vuko' ; d vu i j d vu nku ç k l r g v k A

% d f M d k 5-1-5-1%

[ k j k c foÜkh ; 0 ; o L F k k ds ifj . kkeLo : i 31 e k p l 2007 d k s 98-09 d j k M + # i ; s ds M h l h fo i = , oa 24-92 d j k M + # i ; s ds v l e k ; k f t r v f x æ F k A

% d f M d k 5-1-5-6 , oa 5-1-5-7%

moj d] ç h t , oa e n k ds ueu k t k i p y { ; l s d k Q h u h p s F k A voekud ueu k ij d k b z d k j b k b z u g h a dh x ; h F k h A

% d f M d k 5-1-6-6%

# i ; s 1-01 d j k M + ds 0 ; ; ds c k o t i n e n k , oa t y t k i p l f o / k k L F k k f i r u g h a fd ; k x ; k F k k A g k V ds f o d k l i j 0 ; ; fd ; s x ; s 1-38 d j k M + # i ; s v y k H k d k j h j g A

% d f M d k 5-1-6-7 , oa 5-1-6-8%

ç h t m R i k n u Q k e z ds 154 f u f" Ø ; d f e z ; k a ds o s r u H k q x r k u ij 2002 & 07 ds n k j k u 21-32 d j k M + # i ; s 0 ; ; fd , x , A

% d f M d k 5-1-7%

vkarfjd y s [ k k i j h { k k d k v k P N k n u f u E u F k k p i f d o" k z 2002 & 07 ds n k j k u 334 d k ; k z y ; k a ea l s f l Q l 17 d k ; k z y ; k a dh g h y s [ k k i j h { k k dh x b z F k h A

% d f M d k 5-1-8-2%

### 5-1-1 ç L r k o u k

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है कि इसका विभागीय संचालन निर्धारित नियम एवं अधिनियम के अनुरूप तथा मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी रूप से हो रहा है ताकि इसका यथोचित आश्वासन मिले कि संगठन का उद्देश्य प्राप्त हो रहा है।

कार्यकारी व्यवस्था 1979 की नियमावली के अनुसार कृषि विभाग कृषि शिक्षा, विस्तार एवं अनुसंधान, कीट से सुरक्षा, पौध बिमारियों से निवारण, कृषि विपणन तथा भंडारण के लिए जिम्मेवार था।

कृषि उद्योग विकास निगम, बीज निगम, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि बाजार पर्षद का प्रशासनिक नियंत्रण भी कृषि विभाग के पास था।

राज्य में खाद्यान्न, तेलहन व दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम यथा, मैक्रो मोड प्रबन्ध (2002) एवं तेलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपाम) की शुरुआत (2004) की गयी थी।

### 5-1-12 / xBukRed <kpk

कृषि उत्पादन आयुक्त (कृ. उ. आ.) विभाग के समग्र प्रभारी तथा राज्य में कृषि गतिविधियों के योजना एवं व्यवस्था के लिए जिम्मेवार थे। उनकी सहायता के लिए कृषि निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, सात संयुक्त निदेशक, 11 उप निदेशक, 36 जिला कृषि पदाधिकारी (जि. कृ. पदा.), 20 सहायक मृदा वैज्ञानिक, प्राचार्य (प्रशिक्षण केन्द्र) तथा 50 अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी थे।

### 5-1-3 ysfkkihkk ds mīś;

लेखापरीक्षा का उद्देश्य जाँच करना था कि :

- बजटीय एवं व्यय नियंत्रण पर्याप्त था ;
- मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारी रूप से विभाग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संचालन नियंत्रण पर्याप्त था ;
- अनुश्रवण पर्याप्त था ; तथा
- प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उपयुक्त थी।

### 5-1-4 ysfkkihkk {ks= , oa cfØ; k

वर्ष 2002-07 की अवधि के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा जनवरी 2007 एवं जुलाई 2007 के बीच निदेशक, कृषि विभाग, 10 जिला कृषि पदाधिकारियों<sup>1</sup>, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, तीन बीज जाँच प्रयोगशालाओं<sup>2</sup> तथा चार मृदा जाँच प्रयोगशालाओं<sup>3</sup>, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय तथा बिहार राज्य कृषि विपणन समिति के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से की गई।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्रियाविधि पर चर्चा के लिए जुलाई 2007 में प्रवृष्टि बैठक की गई। विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ अक्टूबर 2007 में की गयी बैठक के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ ही अनुशासकों पर विचार किया गया।

<sup>1</sup> भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं पटना

<sup>2</sup> धौली, दरभंगा तथा पटना।

<sup>3</sup> गया, छपरा, गोपालगंज तथा मुजफ्फरपुर

ys[ kki jh{kk fu"d"kl

5-1-5 folkh; çcalku

5-1-5-1 ctV fu; ekoyh ds vuq's kka dk vuqj kyu

सी ओ एस ओ<sup>4</sup> में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण की सबसे अच्छी प्रक्रिया दी गई है जो कि आंतरिक नियंत्रण के लिए स्वीकृत नमूना है। भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम-64 के माध्यम से मुख्य लेखा अधिकारी यथा मंत्रालय/विभाग के सचिव के कर्तव्य एवं दायित्व का वर्णन करते हुए सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण के अनुपालन के लिए विस्तृत अनुदेशों को निर्धारित किया है। हालांकि, बिहार वित्तीय नियमावली में ऐसा प्रावधान नहीं है (अक्टूबर 2007)।

बिहार बजट नियमावली एवं स्थायी निर्देशों के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (नि. एवं व्य. पदा.) को प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई तक विभाग को चालु वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन एवं अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन उपलब्ध कराना था एवं 1 अक्टूबर तक विभाग द्वारा इसे वित्त विभाग को भेज देना था।

वर्ष 2002-07 के दौरान नि. एवं व्य. पदा. से बजट प्राक्कलन प्राप्त करने में एक से सात महीनों का तथा कृषि विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजने में एक से तीन महीनों का विलम्ब हुआ। यह प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा बजट प्राक्कलनों के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित नियंत्रण नहीं अपनाया गया। वर्ष 2002-07 के दौरान बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नवत् थे :

##i; s djkm+e#

o"kl	ctV iko/kku	vuq'jd çko/kku	dny	0; ;	cpr ¼fr' kr½
2002-03	211.38	16.45	227.83	138.76	89.07(39)
2003-04	205.47	4.61	210.08	136.17	73.91(35)
2004-05	198.16	15.38	213.54	158.55	54.99(26)
2005-06	245.14	0.00	245.14	241.15	3.99(2) <sup>5</sup>
2006-07	195.66	92.87	288.53	247.95	40.58(14)
; kx	1055.81	129.31	1185.12	922.58	262.54(22)

(स्रोत : विस्तृत विनियोजन लेखा)

तालिका से यह देखा गया कि वर्ष 2005-06 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में काफी बचत थी। अव्यवहृत शेष को 25 मार्च तक अभ्यर्पण करने के बजट नियमावली के प्रावधान के बावजूद, अनुबद्ध तिथि के बाद 31 मार्च को 260.45 करोड़ रुपये (22 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया।

5-1-5-2 dtlnt; fuf/k dk de mi; kx

मैक्रोमोड के तहत उपलब्ध 109.50 करोड़ रुपये तथा आइसोपाम के तहत 17.44 करोड़ रुपये के विरुद्ध वर्ष 2002-07 एवं 2004-07 के दौरान क्रमशः 79.32 करोड़ रुपये एवं 11.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मैक्रोमोड के तहत वर्ष 2002-06 के दौरान 33 एवं 35 प्रतिशत के बीच तथा आइसोपाम के तहत 2004-07 के दौरान 22 एवं 66 प्रतिशत के बीच अव्यवहृत निधि, केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत निधि को व्यवहार में लाने में विभाग की विफलता प्रदर्शित करता था।

<sup>4</sup> कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑरगेनाइजेशन ऑफ द नेशनल कमिशन ऑन फ्रॉडुलेन्ट फाइनॉन्शियल रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रीडवे कमिशन।

<sup>5</sup> राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत प्राप्त 100 करोड़ रुपये बजट प्रावधान में शामिल नहीं थे।

ftyk , oa folhkkx Lrj  
ij foyEc ds dkj.k  
ctV r\$ kjh ckf/kr  
gmk

31 ekpl dks fuf/k dk  
vH; iZk

5-1-5-3 0; ; dk l ek' kks'ku u gkuk

0; ; dk l ek' kks'ku  
ugha

बिहार वित्त नियमावली के नियम 475 के अनुसार विभागीय नियंत्रण पदाधिकारी को महालेखाकार की पुस्तिकाओं से विभागीय व्यय के आँकड़ों का मिलान करना चाहिए। विभाग ने उपरोक्त अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए आँकड़ों का मिलान नहीं किया था। व्यय का लगातार समाशोधन न होने से गंभीर अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5-1-5-4 jkdM+ cgh ds l dkkj. k ea =fV

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 के अनुसार सभी वित्तीय कार्रवाई को तुरन्त रोकड़ बही में प्रविष्ट हो जाना चाहिए तथा कार्यालय प्रधान को प्रत्येक महीना के अन्त में रोकड़ शेष का सत्यापन करना चाहिए। निम्नलिखित देखा गया :

- निदेशक ने शीर्ष 2401 फसल उत्पादन के तहत 31 मार्च 2007 को 2.06 करोड़ रुपये आहरित किया परन्तु जुलाई 2007 तक रोकड़ बही में लेन देन की प्रविष्ट नहीं की गई।
- क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि प्रत्येक महीना के अन्त में मासिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
- नमूना जाँचित जिलों में, बैंक एवं रोकड़ बही के शेष में कुल 2.53 करोड़ रुपये का अन्तर था। समाशोधन के अभाव में जालसाजी, दुर्विनियोजन जैसी गम्भीर अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- जिला कृषि कार्यालय, मुंगेर में, मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से उपार्जित 1.07 लाख रुपये के ब्याज को रोकड़ बही में नहीं लिया गया था।

jkdM+ cgh dk ekfI d  
l R; ki u ugha fd; k  
x; k  
cfd , oa jkdM+ cgh  
ds ' ksk ds chp 2-53  
djkdM+ #i ; s dk vlrj

5-1-5-5 rRdkfyd vko'; drk ds cxj fuf/k dk vkjg. k

बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार जब तक तुरन्त भुगतान की आवश्यकता न हो, कोषागार से कोई भी राशि की निकासी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से आहरित राशि के अव्यवहृत शेष को वित्तीय वर्ष के अन्त के पहिले वापस कर देना चाहिए।

नमूना जाँचित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों ने तात्कालिक आवश्यकता के बगैर निधि का आहरण किया तथा अव्यवहृत रोकड़ को नकद, डी सी आर/ बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में रखा। वर्ष 2002-07 के दौरान 1.34 करोड़ रुपये से 8.43 करोड़ रुपये के बीच शेष था जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है :

kyk[k #i ; se#

Øe l a	ft- N- ink- dk uke	31 ekpl dks jkdM+ ' ksk				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	भागलपुर	23.67	15.65	38.10	48.70	103.11
2.	भोजपुर	3.78	1.46	0.96	27.66	56.95
3.	छपरा	19.29	28.72	30.60	38.83	70.98
4.	दरभंगा	6.57	7.58	30.60	22.40	129.64
5.	गया	40.24	32.40	58.49	37.37	129.92
6.	गोपालगंज	4.85	3.41	5.58	6.09	23.63
7.	मधुबनी	6.34	13.73	36.08	49.07	94.59
8.	मुंगेर	11.09	14.37	8.19	18.71	28.90
9.	मुजफ्फरपुर	7.84	15.59	16.52	45.57	85.14
10.	पटना	10.26	20.06	36.35	21.78	120.35
	; kx	<b>133.93</b>	<b>152.97</b>	<b>261.47</b>	<b>316.18</b>	<b>843.21</b>



वित्तीय वर्ष के अन्त में अत्यधिक अन्त शेष वित्तीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए संहित प्रावधान का उल्लंघन कर निधि की निकासी की गयी थी। पुनः, चूँकि निधि बैंक में रखी गयी थी इसलिए वह सरकार के रोकड़ शेष का भाग नहीं थी।

5-1-5-6 विपत्र के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी सी) विपत्र, अगले महीने (नवम्बर 2006 से संशोधित छः महीना) की 25 तारीख तक महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें विफल होने पर ए सी विपत्र से अगली किसी भी निकासी की अनुमति नहीं थी।

98-09 विपत्र के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी सी) विपत्र, अगले महीने (नवम्बर 2006 से संशोधित छः महीना) की 25 तारीख तक महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें विफल होने पर ए सी विपत्र से अगली किसी भी निकासी की अनुमति नहीं थी।

बिहार कोषागार संहिता के नियम 322 (2) के अनुसार आहरित सार आकस्मिक (ए सी) विपत्र के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी सी) विपत्र, अगले महीने (नवम्बर 2006 से संशोधित छः महीना) की 25 तारीख तक महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें विफल होने पर ए सी विपत्र से अगली किसी भी निकासी की अनुमति नहीं थी।

वर्ष 2002-07 के दौरान निदेशक के कार्यालय (87.09 करोड़ रुपये)<sup>6</sup> तथा नमूना जाँचित जिलों (11 करोड़ रुपये)<sup>7</sup> में 98.09 करोड़ रुपये के डी सी विपत्र महालेखाकार को प्रस्तुत करने हेतु लंबित थे। 11.00 करोड़ रुपये में से, विभिन्न अभिकरणों (जिला परिषद, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, भवन प्रमण्डल आदि) के विरुद्ध 2.76 करोड़ रुपये के असमायोजित अग्रिम थे, 3.84 करोड़ रुपये बैंक में थे, 0.52 करोड़ रुपये असैनिक जमा में रखे थे तथा 3.88 करोड़ रुपये अस्वीकृत अभिश्रव के रूप में थे। अतः विगत पाँच वर्षों से ए सी विपत्रों के समायोजन का अनुश्रवण करने में विभाग विफल रहा। निदेशालय से 87.09 करोड़ रुपये के डी सी विपत्र का विवरण माँगा गया था परन्तु नहीं दिया गया।

5-1-5-7 विपत्र के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी सी) विपत्र, अगले महीने (नवम्बर 2006 से संशोधित छः महीना) की 25 तारीख तक महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें विफल होने पर ए सी विपत्र से अगली किसी भी निकासी की अनुमति नहीं थी।

कृषि विभाग के मैनुअल की कंडिका 232 निर्दिष्ट करता है कि तात्कालिक भुगतान की आवश्यकता के बगैर अग्रिम की निकासी नहीं करनी चाहिए तथा द्वितीय अग्रिम तब तक नहीं देना चाहिए जब तक प्रथम अग्रिम का हिसाब न हो जाए। अग्रिम को नियमित रूप से एवं तुरन्त समायोजित करना चाहिए तथा अग्रिम के कोई भी नहीं खर्च किये गये शेष को अविलम्ब वापस कर देना चाहिए।

31 मार्च 2007 को असमायोजित अग्रिमों का विवरण तालिका में दर्शाया गया है :

24-92 विपत्र के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी सी) विपत्र, अगले महीने (नवम्बर 2006 से संशोधित छः महीना) की 25 तारीख तक महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें विफल होने पर ए सी विपत्र से अगली किसी भी निकासी की अनुमति नहीं थी।

विपत्र के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी सी) विपत्र, अगले महीने (नवम्बर 2006 से संशोधित छः महीना) की 25 तारीख तक महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें विफल होने पर ए सी विपत्र से अगली किसी भी निकासी की अनुमति नहीं थी।

क्र.सं.	विवरण	विवरण	विवरण					कुल
			2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	
1.	कृषि निदेशक, पटना	34	356.52	490.63	543.66	125.92	892.61	2409.34
2.	भागलपुर	28	0.31	0	0	0.79	5.18	6.28
3.	भोजपुर	2	0	0	1.48	0	0	1.48
4.	छपरा	146 (16.06.1987 से)	6.42	0.25	3.10	2.72	4.36	16.85
5.	दरभंगा	25 (31.01.1983 से)	1.57	0	0	0.54	0	2.11
6.	गया	24 (20.10.1997 के पहले से)	1.80	0.86	0.40	5.63	0.95	9.64
7.	गोपालगंज	1 (1982-83 से)	0.15	0	0	0	0	0.15
8.	मधुबनी	37 (3.11.1987 से)	0.38	0	0.72	2.02	1.84	4.96

<sup>6</sup> (1) वृहत शीर्ष 2401 - फसल उत्पादन : 2003-04 - 10.17 करोड़ रुपये, 2004-05 : 15.54 करोड़ रुपये, 2005-06 : 5.04 करोड़ रुपये एवं 2006-07 : 51.34 करोड़ रुपये

(2) वृहत शीर्ष 2415 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा : 2004-05 : 0.16 लाख रुपये, 2005-06 : 0.79 लाख रुपये एवं 2006-07 : 4.99 करोड़ रुपये

<sup>7</sup> 2002-03 : 97 लाख रुपये, 2003-04 : 1.44 करोड़ रुपये, 2004-05 : 3.34 करोड़ रुपये, 2005-06 : 54 लाख रुपये एवं 2006-07 : 4.71 करोड़ रुपये

वर्षों से लंबित अग्रिम यह दर्शाता है कि नियंत्रण कारगर नहीं था। तीन नमूना जाँचित जिलों में 22.50 लाख रुपये<sup>8</sup> का भुगतान पूर्व के अग्रिमों के समायोजित किये बगैर उसी कार्य के लिए किया गया था।

Øe l a	ftyk dk uke	ekeyk dh l a; k	rd yfcr vfxæ dh jkf'k					
			2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	dy
9.	मुंगेर	1	0	0	0	0	0.20	0.20
10.	मुजफ्फरपुर	108 (03.11.1987 से)	0.52	7.34	0	18.32	1.35	27.53
11.	पटना	61 (06.06.1988 से)	0.02	0.15	0.19	0.08	13.09	13.53
	dy	467 ekeys	367.69	499.23	549.55	156.02	919.58	2492.07

वर्षों से लंबित अग्रिम यह दर्शाता है कि नियंत्रण कारगर नहीं था। तीन नमूना जाँचित जिलों में 22.50 लाख रुपये<sup>8</sup> का भुगतान पूर्व के अग्रिमों के समायोजित किये बगैर उसी कार्य के लिए किया गया था।

### 5-1-5-8 वल; foHkkxks dks vfxæ dh xbl fuf/k dk vuqjo.k u gkuk

कृषि विभाग के मैनुअल के खण्ड 233 प्रावधानित करता है कि अग्रिम लेजर के विभिन्न लेखाओं का त्रैमासिक तुलन करना चाहिए तथा सम्बद्ध अधिकारी से हस्ताक्षरित होना चाहिए। लेखा को हस्ताक्षरित करने वाले पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तीन महीना से ज्यादा समय से लंबित अग्रिम की वसूली या समायोजन करने की कोशिश की गई है। नमूना जाँच से पता चला कि विभाग द्वारा यह प्रावधान का पालन नहीं किया गया जिससे लंबित अग्रिम काफी समय तक रहा तथा तदन्तर ब्याज की हानि हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

- फल एवं सब्जी फेडरेशन की स्थापना के लिए मार्च 2005 में बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन फेडरेशन लिमिटेड (कॉमफेड) को 3.53 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। कॉमफेड ने फेडरेशन की स्थापना के लिए कोई कार्रवाई नहीं की तथा 27 महीना के बाद पूरी राशि को वापस (जुलाई 2007) कर दिया। फेडरेशन की स्थापना के लिए विभाग द्वारा उचित अनुश्रवण नहीं करने के कारण सरकार को 83 लाख रुपये की सूद की हानि हुई।
- आठ नमूना जाँचित जिलों में, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2003-05 के दौरान जिला परिषद (जिप) को 2.41 करोड़ रुपये<sup>9</sup> का अग्रिम दिया गया। इसमें से 1.30 करोड़ रुपये<sup>10</sup> योजनाओं के कार्यान्वयन के बगैर दो से 40 महीने की देरी से वापस किया गया तथा 1.11 करोड़ रुपये जिप द्वारा रख लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 49.42 लाख रुपये की ब्याज की हानि हुई तथा मैक्रोमोड एवं आइसोपाम योजना का कार्यान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

### 5-1-6 l pkyu fu; &.k

#### 5-1-6-1 foHkkxh; eLuvy

कार्य की प्रक्रिया, जिम्मेवारी, संरचना एवं नियंत्रण प्रणाली निर्धारित करते हुए प्रत्येक संगठन के पास एक विस्तृत मैनुअल होना चाहिए। विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया

<sup>8</sup> छपरा (7.25 लाख रुपये), पटना (7.87 लाख रुपये) तथा गया (7.38 लाख रुपये)।

<sup>9</sup> भागलपुर (36.84 लाख रुपये), भोजपुर (9.26 लाख रुपये), छपरा (49.86 लाख रुपये), दरभंगा (18.45 लाख रुपये), गया (14.25 लाख रुपये), मधुबनी (44.52 लाख रुपये), मुंगेर (13.63 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (54.66 लाख रुपये)

<sup>10</sup> भागलपुर (25.89 लाख रुपये), छपरा (38.17 लाख रुपये), मुंगेर (11.40 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (54.66 लाख रुपये)।

का प्रलेख एवं इसको अद्यतन करना आवश्यक है। पुनः सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत मुख्य विभागीय निर्देश एवं संशोधन पत्र से समाहित गार्ड फाइल को भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रभावकारी नियंत्रण के लिए संधारित करना है। कृषि विभाग के पास वर्ष 1956 में संधारित एक मैनुअल है। विभाग के कार्यकलाप में बढ़ोतरी के बावजूद इसे अद्यतन नहीं किया गया था।

### 5-1-6-2 fuf/k dk fopyu

; k=k HkUkk njj Hkk"k  
foi =] fo | r foi = ds  
Hkxrkku ij ch vkj  
ch , u }kjk vuf/kdr  
: i l s [kpz fd; k  
x; k

प्रमाणित बीज कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बिहार लघु किसान कृषि व्यापार संघ को 7.35 करोड़ रुपये की राशि का अग्रिम दिया गया था (जनवरी 2007)। इसमें से बिहार राज्य बीज निगम (बी आर बी एन) को प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए 7.02 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये। हाँलाकि, बी आर बी एन द्वारा अनाधिकृत रूप से विचलन किया गया तथा यात्रा भत्ता, दूरभाष विपत्र एवं विद्युत बकाये आदि पर 1.54 करोड़ रुपये खर्च किये गये। बी आर बी एन द्वारा निधि के अनधिकृत विचलन के लिए विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।

### 5-1-6-3 cht cnykbl

Ol yka ds fy, cht  
cnykbl nj ekud l s  
de Fkh

बिहार बीज योजना के अनुसार स्व-निषेचित फसल के लिए 25 प्रतिशत एवं प्रति निषेचित फसल के लिए 33 प्रतिशत निर्धारित बीज बदलाई दर था। यद्यपि, वर्ष 2004-07 के दौरान मक्का को छोड़कर खरीफ फसल में सात से बारह प्रतिशत तथा मक्का एवं राई को छोड़कर रबी फसल में पाँच से ग्यारह प्रतिशत बदलाई दर था।

अतः अनाज एवं दलहन के बीज बदलाई दर मानक से काफी कम थे। यद्यपि, बीज बदलाई दर को बढ़ाने के लिए विभाग ने नई बीज योजना (मई 2007) तैयार किया है।

### 5-1-6-4 Ol y {ks= ea c<ksrjh ugha

वर्ष 2002-07 के दौरान कुल फसल क्षेत्र 79.46 लाख हेक्टेयर ही रहा। कुल अनाज उत्पादन 2002-03 में 110.85 लाख टन से घटकर 2005-06 में 81.12 लाख टन हो गया। फसल क्षेत्र<sup>11</sup> के स्थिर रहते अनाज उत्पादन में कमी, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य प्राप्ति में विभाग की विफलता दर्शाता है।

### 5-1-6-5 Hkkfrd l R; ki u ds cxj vupku nkok cLr r fd; k x; k

किसानों को आपूरित खाद का भौतिक सत्यापन प्रथम बिन्दु यथा बफर भंडार पर नहीं किया गया जैसा कि सरकार द्वारा निर्देशित (जुलाई 2003) था। भंडार पंजी में प्रविष्टि से तीन से 40 महीना की अवधि के बाद मात्रा का सत्यापन किया गया था। फार्म-ए<sup>12</sup> में भौतिक सत्यापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रतिवेदन वर्ष 2002-06 के दौरान छः से 35 महीना की देर से विभाग के पास प्रस्तुत किया गया था तथा 2006-07 के लिए फार्म अभी तक प्रस्तुत किया जाना था। इसी तरह, फार्म-बी<sup>13</sup> में प्रतिवेदन 2 से 35

<sup>11</sup> कुल फसल क्षेत्र = शुद्ध बोआई क्षेत्र + एक बार से ज्यादा उपज क्षेत्र।

<sup>12</sup> फार्म - ए : खाद की प्राप्ति के एक महीना के अन्दर प्रस्तुत किया जाने वाला जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की गई भौतिक सत्यापन की विवरणी।

<sup>13</sup> जिलों से फार्म ए की प्राप्ति के दो महीने के अंदर कृषि निदेशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बिक्री के प्रतिवेदन की विवरणी।

महीनों की देरी से 2002-06 के दौरान राज्य/केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया था। विस्तृत विवरण निम्नवत् था :

वर्ष	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार
2002-03	44844.82	10-40	17-35	14-35
2003-04	23272.90	6-28	6-24	2-23
2004-05	73197.10	4-22	9-21	4-22
2005-06	102362.72	3-15	8-15	4-15

अतः भौतिक सत्यापन के बगैर अनुदान दावा प्रतिवेदन भारत सरकार को अग्रसारित किया गया था।

#### 5-1-6-6 [कन] चत , oa enk dh xq koUkk tkp

वर्ष 2002-07 के दौरान एक खाद गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला, पटना, सात बीज जाँच प्रयोगशाला एवं चार मृदा जाँच प्रयोगशाला के निष्पादन के संदर्भ में नमूना के विश्लेषण से पता चला कि :

- खाद के कुल 7397 नमूना के विरुद्ध 2002-05 के दौरान 5950 नमूना का विश्लेषण किया गया था। इसमें से 162 नमूने अवमानक पाये गये थे। अवमानक पाये गये नमूनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
- 1,79,400 नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 54715 (30 प्रतिशत) बीज नमूनों की जाँच की गई थी।
- 1,94,500 नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध चार प्रयोगशालाओं में सिर्फ 40,670 (21 प्रतिशत) मृदा नमूनों की जाँच की गई थी।

अतः विभाग बीज, खाद तथा मृदा के संदर्भ में किसानों को वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहा।

#### 5-1-6-7 enk , oa ty tkp ; ks'kkyk dh LFkki uk

1-01 djkm+ #i ; s ds  
0 ; ; ds ckotm enk  
, oa ty tkp  
; ; ks'kkyh dh  
LFkki uk u gkuk

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (आर ए यू), पूसा, समस्तीपुर को इसके नौ कृषि विज्ञान केंद्रों (कृ वि के)<sup>14</sup> में मृदा एवं जल प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 1.06 करोड़ रुपये दिया। आर ए यू के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2007) से पता चला कि विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 2004 से मार्च 2005 के दौरान उपकरण, रसायन, शीशा बर्तन की खरीद पर 67 लाख रुपये खर्च किया तथा मृदा एवं पौध सर्वेक्षण, भण्डार सुविधा बनाने एवं खुदरा सामान की खरीद के लिए कृ वि के को 6.30 लाख रुपये विमुक्त किया। पुनः प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए इसके अभियंत्रण प्रमंडलों को 27.63 लाख रुपये की राशि विमुक्त (फरवरी-मार्च 2005) की गयी।

<sup>14</sup> कृषि विज्ञान केंद्र : अगवानपुर (बाढ़), अगवानपुर (सहरसा), बाँका, हरनौत, हरिहरपुर, जाले, खुदाबन्दपुर, मुँगेर एवं सरैया

यद्यपि, विश्वविद्यालय अधिकारियों ने वर्ष 2005-07 के दौरान 33.93 लाख रुपये की उपयोगिता का अनुश्रवण नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (मई 2007) विश्वविद्यालय अधिकारियों ने उक्त कार्य की स्थिति सूचना देने के लिए कृ वि के को निर्देश (मई 2007) दिया। प्रयोगशाला भवन (5), तकनीकी विशेषज्ञ एवं विद्युत आपूर्ति (3) तथा मृदा विज्ञान के विशेषज्ञ (1) के नहीं रहने के फलस्वरूप सभी प्रयोगशाला अकार्यशील थे।

1.01 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद कृ वि के में मृदा एवं जल जाँच प्रयोगशाला कार्यशील नहीं बनाया जा सका तथा किसानों को मृदा जाँच सुविधा प्रदान करने में प्रयोगशाला विफल रहा।

#### 5-1-6-8 gkV dk fodkl

gkV ds fodkl ij  
fd, x, 1-38 djkm+  
#i ; s ds 0 ; ; fu"Qy  
jgs

कृषि आयुक्त ने वर्ष 2003-04 के लिए मैक्रोमोड प्रबंधन योजना के अंतर्गत हाट के विकास के लिए बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (बि रा कृ वि प) को 2.38 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश (2.65 करोड़ रुपये की उपलब्ध केन्द्रीय निधि में से) विमुक्त (मार्च 2004) किया। बि रा कृ वि प ने कृषि हाट, मुसल्लहपुर (पटना), मुजफ्फरपुर तथा गुलाब बाग (पूर्णियाँ) में जल निकासी सुविधा के लिए 2.36 करोड़ रुपये के आकलित लागत पर कार्य ग्रहण किया तथा कार्य प्रमण्डलों<sup>15</sup> को वर्ष 2005-07 में कार्यान्वयन के लिए 1.58 करोड़ रुपये विमुक्त किया।

अक्टूबर 2006 तक कार्य के विरुद्ध प्रमण्डलों द्वारा सिर्फ 1.38 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसी बीच, बिहार सरकार ने बि रा कृ वि प को विघटित (सितम्बर 2006) कर दिया तथा तदन्तर, सितम्बर 2006 से सभी चालू योजनाओं को अपूर्ण छोड़ दिया गया। चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए अभी तक (सितम्बर 2006) कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अपूर्ण योजनाओं पर किया गया 1.38 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

#### 5-1-7 ekuo 'kfa' caku

o"kl 2002&07 ds  
nkjku cht mRi knu  
ds fuf"Ø; deipkfj ; ka  
ds oru Hkqrku ij  
21-32 djkm+ #i ; s  
0 ; ; fd ; s x ; s

किसी भी संगठन की मानव शक्ति का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि विभाग के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध मानव शक्ति का अधिकतम फायदा प्राप्त हो।

निदेशक ने विभाग के स्वीकृत बल एवं पदस्थापित बल की संख्या उपलब्ध नहीं कराया। नमूना जाँचित जिलों में मार्च 2007 तक सभी संवर्गों में 39 से 48 प्रतिशत की रिक्ति थी। पुनः 154 बीज उत्पादन केन्द्रों के 407 कर्मचारी वर्ष 2002-07 के दौरान निष्क्रिय रहे चूँकि उक्त अवधि में कोई बीज का उत्पादन नहीं हुआ हालांकि इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर वर्ष 2002-07 के दौरान 21.32 करोड़ रुपये<sup>16</sup> व्यय किये गये। सचिवालय स्तर पर कोई भी सेवा पुस्तिका अद्यतन नहीं थी तथा कर्मचारियों की सेवा का सत्यापन नहीं किया गया था। अवकाश लेखा का भी संधारण नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि विभाग में मानव शक्ति प्रबंधन अपर्याप्त था जिससे विभाग का कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं गतिविधियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं।

<sup>15</sup> मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया

<sup>16</sup> 2002-03 : 4.21 करोड़ रुपये, 2003-04 : 3.96 करोड़ रुपये, 2004-05 : 3.64 करोड़ रुपये, 2005-06 : 3.94 करोड़ रुपये तथा 2006-07 : 5.57 करोड़ रुपये

### 5-1-8 वकार्फिद यस्क्कि जहक्क / fgr vuपुओ.क

#### 5-1-8-1 vuपुओ.क

अनुश्रवण एक मुख्य नियंत्रण साधन है जिसे विभाग द्वारा प्रभावकारी रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। यद्यपि मासिक बैठक का आयोजन किया जाता था, वह उच्चतर उत्पादन एवं उत्पादकता में परिणत नहीं हुआ। वितरित किये गये खाद एवं बीज की गुणवत्ता का अनुश्रवण नहीं किया जाता था।

#### 5-1-8-2 वकार्फिद यस्क्कि जहक्क

वकार्फिद यस्क्कि जहक्क  
dk dkQh de  
vkPNknu

आंतरिक लेखापरीक्षा को विभागीय नियमावली, अधिनियम एवं पद्धति के अनुपालन के स्तर की जाँच एवं मूल्यांकन करना था ताकि विभाग के जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

कृषि विभाग के नियंत्रण के तहत कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध कार्यशील नहीं था। यद्यपि, वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध की स्थापना (1953) की गयी थी। वर्ष 2002-07 के दौरान, कृषि विभाग के 334 में से 17 कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा हो सका था जो दर्शाता था कि इकाईयों का आच्छादन काफी कम था।

#### 5-1-8-3 / kfof/kd यस्क्कि जहक्क ds vuफुØ; k dh deh

vi ; klr vuपुØkhz  
dkj bkbz ds dkj .k  
yfcr यस्क्कि जहक्क  
vki fUk; ka dk l p;

जून 2007 तक 32.33 करोड़ रुपये के 68 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) से संबंधित 347 कंडिकायें निपटारा हेतु लंबित थीं। इसमें से 28 नि. प्र. से संबंधित 31 कंडिकाएँ, संभावित गबन (6.21 लाख रुपये)<sup>17</sup>, हानि (3.41 लाख रुपये)<sup>18</sup>, वसूलनीय राशि (2.77 लाख रुपये)<sup>19</sup> तथा अलाभकारी व्यय (6.45 करोड़ रुपये)<sup>20</sup> जैसी गंभीर अनियमितताओं से संबंधित थीं।

यह लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शीघ्र कार्रवाई के ठीक से ध्यान देने हेतु अनुक्रिया की कमी तथा उचित व्यवस्था का अभाव दर्शाता है।

#### 5-1-9 fu"d"kl

कृषि विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण पाया गया। बजटीय एवं व्यय नियंत्रण कमजोर था जैसा कि बजट प्रावधान के विरुद्ध तदन्तर बचत, बैंक शेष एवं रोकड़ बही शेष के बीच असमायोजित अन्तर, लंबित डी सी विपत्र तथा असमायोजित अग्रिम से परिलक्षित था। विभाग ने अपना मैनुअल विगत 50 वर्षों में अद्यतन नहीं किया था। अप्रभावकारी संचालन नियंत्रण के परिणामस्वरूप वर्ष 2002-07 के दौरान कुल फसल क्षेत्र स्थिर रहीं। साथ ही कृषि उत्पादन में कमी आई तथा मृदा एवं जल जाँच प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई। निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन भुगतान से अकुशल मानव शक्ति प्रबंधन का पता चलता था। आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तार

<sup>17</sup> 2003-04 : 1.11 लाख रुपये तथा 2006-07 : 5.10 लाख रुपये।

<sup>18</sup> 2003-04 : 3.41 लाख रुपये।

<sup>19</sup> 2003-04 : 2.62 लाख रुपये तथा 2004-05 : 0.15 लाख रुपये।

<sup>20</sup> 2002-03 : 32.87 लाखरुपये, 2003-04 : 5.17 करोड़ रुपये, 2004-05 : 0.94 करोड़ रुपये तथा 2005-06 : 1.08 लाख रुपये।

अपर्याप्त था तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार द्वारा संपादित सांविधिक लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव पाया गया।

*Vuqkd k, j*

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम-64 के जैसा एक प्रावधान बिहार वित्तीय नियमावली में बनाया जाए।
- बजट नियंत्रण प्रणाली प्रभावी बनाई जाए ताकि आवश्यकताओं का वास्तविक निर्धारण एवं समय पर निधि का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- रोकड़ बही एवं बैंक समाशोधन के निर्धारित नियंत्रण जाँच सुनिश्चित किया जाए ताकि सम्भावित जालसाजी एवं गबन को रोका जा सके।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2007) ; उनका उत्तर अप्राप्त था (अक्टूबर 2007) ।

i Vuk

¼v: .k døkj fl g½  
ç/kku egkys[kkdkj ¼ys[kki jh{kki¼ fcgkj

çfrgLrk{kfj r

ubz fnYyh

¼fot; ðnz ukFk dksy½  
Hkkjr ds fu; æd egkys[kki jh{k

i f j f ' k " V & I

i f j f ' k " V & 1-1

Hkkx d % l j d k j h y s [ k s d h l j p u k , o a L o # i

¼ n H k z % d f M d k 1-1 i " B & 1 ½

l j d k j h y s [ k s d h l j p u k % राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है  
(i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

Hkkx I % l f p r f u f / k

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, बाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) क अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है।

Hkkx II % v k d f L e d r k f u f / k

संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैया कराता है। तत्पश्चात विधानमंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

Hkkx III % y k s d y s [ k k

कुछ विशेष लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।



Hkkx&[k  
 ¼ nHkZ % dFMDk 1-1] i "B&1½

foÜk ys[ks dk vfHkU; kl

fooj . kh	vfHkU; kl
विवरणी सं. 1	राज्य के संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियों एवं संवितरण इत्यादि राज्य सरकार के लेनदेन का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरणी सं. 2	पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी जो वर्ष 2006-07 के अंत तक प्रगामी व्यय को प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 3	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्य व्यय एवं अनुरक्षण प्रभार, पूँजीगत परिव्यय, निवल लाभ या हानि इत्यादि देता है।
विवरणी सं. 4	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश इंगित करता है जिसमें, आंतरिक ऋण से, भारत सरकार से उधार, अन्य दायित्व एवं ऋण का ब्याज भुगतान शामिल है।
विवरणी सं. 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, किए गए पुनर्भुगतान, बकाये की वसूली इत्यादि का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा इकट्ठा किये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई गारंटी का संक्षिप्त विवरण देता है।
विवरणी सं. 7	रोकड़ शेष एवं उससे किए गए निवेश का संक्षिप्त विवरण देता है।
विवरणी सं. 8	31 मार्च 2007 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश है।
विवरणी सं. 9	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं व्यय प्रदर्शित करता है।
विवरणी सं. 10	वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय के वितरण को इंगित करता है।
विवरणी सं. 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखा को इंगित करता है।
विवरणी सं. 12	अलग-अलग योजना एवं गैर योजना के अंतर्गत लघुशीर्षों द्वारा राजस्व व्यय एवं वृहत शीर्षवार पूँजीगत व्यय का लेखा प्रदर्शित करता है।
विवरणी सं. 13	वर्ष 2006-07 की अवधि एवं उसके अंत तक विस्तृत पूँजीगत व्यय को दर्शाता है।
विवरणी सं. 14	वर्ष 2006-07 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारिता बैंकों एवं सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करता है।
विवरणी सं. 15	वर्ष 2006-07 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय एवं प्रधान स्रोत जिससे उस व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई गई, का वर्णन करता है।
विवरणी सं. 16	ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत, प्राप्तियों, भुगतान एवं शेष का विस्तृत लेखा देता है।

fooj . kh	vfhku; kl
विवरणी सं. 17	बिहार सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज वाले दायित्वों के विस्तृत लेखा को प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 18	महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण राशि का भुगतान, 31 मार्च 2007 को शेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 19	आरक्षित निधि के कर्णांकित शेष का विस्तृत वर्णन करता है।

Hkkx&x

1/1 nHkZ % dflMdk 1-2 ( i "B&4½

v/; k; &I ea ç; Ør 'kCnka dh l pph , oa mudh x.kuk dk vk/kkj

'kCn	x.kuk dk vk/kkj
मानक की प्लवनशीलता	मानक वृद्धि की दर / जी एस डी पी वृद्धि
एक दूसरे मानक (वाई) की तुलना में मानक (एक्स) की प्लवनशीलता	मानक (एक्स) की वृद्धि दर / मानक (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (आर ओ जी)	{(चालू वर्ष राशि / पूर्व वर्ष राशि)-1} x 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाये + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / {(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्वों की राशि + चालू वर्ष का राजकोषीय दायित्व)2} x 100
भारित ब्याज दर ( $I_w$ )	$I_w = \sum_i^n I_i W_i$ जहाँ $I_i$ राज्य के ऋण के iवें स्टॉक पर ब्याज दर है एवं $W_i$ राज्य के कुल जमा ऋण के iवें स्टॉक का अंश है।
ब्याज विस्तार	जी एस डी पी वृद्धि - भारित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	जमा पूँजी x ब्याज विस्तार
ऋण बकाया के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज {(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)2} x 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियाँ $\frac{?kVko}{?kVko}$ मुख्य शीर्ष 2048 - ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन - में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

**i f j f' k"V&1-2**  
 ¼ n h k z % d f M d k 1-2-2 ( i "B & 4 ½  
 j k T ; d s f u t h j k t d k s' k h ; l q k k j e k x l d s i f j . k k e l d r d  
 % # i ; s d j k M + e #

	çkDdyu vk/kkj o"kl	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
d- j k T ; j k t L o y s' k k							
1. निजी कर राजस्व	2890	3348	3934	4523	5020	5597	6241
2. निजी करेत्तर राजस्व	320	418	298	342	353	363	374
3. निजी कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	3210	3765	4232	4865	5373	5961	6615
4. केन्द्रीय कर एवं अधिभार में भागीदारी	7628	9117	10480	12156	13237	15222	17543
5. योजना अनुदान	1466	2148	3047	3721	4094	4503	4953
6. गैर-योजना अनुदान	152	684	1357	1648	1735	1830	1935
7. कुल केन्द्रीय स्थानांतरण (4 से 5)	9245	11949	14883	17526	19065	21555	24431
8. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+7)	12455	15714	19116	22391	24438	27515	31047
9. योजना व्यय	1084	1996	3315	4171	4463	4776	5158
10. गैर-योजना व्यय	11627	12642	15953	17608	18665	17785	22357
11. वेतन व्यय	5020	5005	7372	7831	8066	8308	8557
12. पेंशन	2269	2325	2748	3020	3259	3527	3794
13. ब्याज भुगतान	3343	3474	3633	4210	4400	4840	5324
14. सब्सिडी-सामान्य	0	0	0	0	0	0	0
15. सब्सिडी -उर्जा	2209	730	1409	730	917	800	700
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	12711	14638	19269	21780	23128	24560	27514
17. वेतन+पेंशन+ब्याज (11+12+13)	10632	10804	13752	15061	15725	16675	17676
18. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में (17/8)	85	69	72	67	64	61	57
19. राजस्व आधिक्य/घाटा (8-16)	-255	1076	-153	611	1310	2955	3532
[k- l f p r j k t L o y s' k k							
1. उर्जा क्षेत्र में हानि/लाभ निवल वास्तविक सब्सिडी स्थानांतरण	758	775	943	979	760	590	340
2. उर्जा उपयोगी लेखा में वर्ष में देनदारी में वृद्धि	-667	-637	-646	-670	-500	-400	-300
3. बजटीय उधार से परे/पी एस यू द्वारा एस पी भी उधार/पी एस यू का बाहरी बजट के ब्याज का भुगतान	36	32	35	83	58	64	70
4. कुल (1 से 3)	127	170	332	392	318	254	110
5. l f p r j k t L o ? k k V k (d.19 + [k4)	-383	906	-484	219	992	2701	3422
x- l f p r _ . k :							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	37453	42483	43641	47962	52122	54928	58006
2. कुल बकाया गारंटी जिसमें (क) बजट से परे उधार एवं एस पी भी उधार के कारण गारंटी	711	831	1311	2283	2542	2833	3161
?k- i p t h x r y s' k k							
1. पूँजीगत परिव्यय	1549	1205	3307	4912	5158	5416	6228
2. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	2569	1128	1647	332	365	402	442
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	10	15	68	51	54	56	59
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ							
3. l d y j k t d k s' k h ; ? k k V k ¼ t h , Q M h ½							
चालू कीमत पर (बिहार सरकार) जी एस डी पी वास्तविक/काल्पनिक नाम मात्र वृद्धि दर (%)	56412	62792	68465	76115	84724	94422	105361
	7.73	1.98	7.36	6.02	4.91	2.97	2.92

वि.सं. 1-2 (B&3)

2006-07 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सं. 1-2 (B&3)

2005-06			2006-07			2005-06			2006-07			
क्र.सं.	विवरण	राजस्व	अनुदान	कुल	विवरण	राजस्व	अनुदान	कुल	विवरण	राजस्व	अनुदान	कुल
17836.71	कर राजस्व	4033.08		4033.08	कर राजस्व	8205.83	437.20	8643.03	कर राजस्व	16519.74	4065.31	20585.05
3561.10	करेत्तर राजस्व	511.28		511.28	करेत्तर राजस्व	5538.38	2378.83	7917.21	करेत्तर राजस्व			
522.30	संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	13291.72		13291.72	संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	4225.69	1026.86	5252.55	संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश			
10420.59	गैर योजना अनुदान	1683.41		1683.41	गैर योजना अनुदान	849.87	134.74	984.61	गैर योजना अनुदान			
1201.08	राज्य योजना हेतु अनुदान	2445.24		2445.24	राज्य योजना हेतु अनुदान	192.13	321.60	513.73	राज्य योजना हेतु अनुदान			
1555.66	केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान	144.29		144.29	केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान	13.84	3.17	17.01	केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान			
89.99	केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	974.17		974.17	केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	33.32	97.42	130.74	केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान			
485.99					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
					श्रम एवं श्रम कल्याण	32.74	636.16	395.90	श्रम एवं श्रम कल्याण			
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	175.50	430.68	606.18	सामाजिक कल्याण एवं पोषण			
					अन्य	15.29	1.20	16.49	अन्य			
					कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	277.15	308.00	585.15	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप			
					ग्रामीण विकास	530.08	788.79	1318.87	ग्रामीण विकास			
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	354.49	80.81	435.30	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			
					उर्जा	1078.90	1.74	1080.64	उर्जा			
					उद्योग एवं खनिज	24.01	62.33	86.34	उद्योग एवं खनिज			
					परिवहन	412.38	1.76	414.14	परिवहन			

1/4#i ; s djkm+ e#

çkflr; k;				l forj .k			
2005-06		2006-07	2005-06				2006-07
			88.94	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	94.52	5.85	100.37
			4.20	l gk; rk& unku , oa vd knku	4.00		4.00
	ii [kM c ea ys tk, x, jktlo ?kkVs		80.71	ii [kM c ea ys tk, x, jktlo vf/k' k'sk			2498.14
17837.71	dy [kM v [kM c% vU;	23083.19	17836.71				23083.19
1518.47	iii LFkk; h vfxæ rFkk jkdM+ 'k'sk fuos'k dks 'kkfey djrs gq vkj ãhkd jkdM+ 'k'sk	1887.58	2083.90	ii i pthxr i fj0; ;	78.76	5132.37	5211.13
			71.91	l kekl; l ok, j	73.91	81.19	155.10
			328.43	l kekt d l ok, j	3.53	592.34	595.87
			29.14	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		106.44	106.44
			137.91	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		168.13	168.13
			124.20	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	3.53	249.11	252.64
			37.18	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण		59.01	59.01
				सामाजिक कल्याण एवं पोषण		6.84	6.84
				अन्य		2.81	2.81
			1683.56	vkfkd l ok, j	1.32	4458.84	4460.16
			93.19	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1.31	9.93	11.24
			404.23	ग्रामीण विकास		1289.28	1289.28
			591.46	सिंचाई एवं		631.70	631.70

çkflr; k				l forj .k			
2005-06			2006-07	2005-06			2006-07
					बाढ़ नियंत्रण		
				302.01	उर्जा		433.76
				5.29	उद्योग एवं खनिज		411.47
				274.99	परिवहन		1661.57
				12.39	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.01	21.13
50.86	iv __.k , Oa vfxeka dh ol wjh		7.40	1747.82	iii __.k , Oa vfxeka dk l forj .k	115.84	199.48
	उर्जा परियोजनाओं से			1735.27	उर्जा परियोजनाओं हेतु	55.78	123.51
4.29	सरकारी सेवकों से	4.29		3.68	सरकारी सेवकों को	7.21	7.21
46.57	अन्य से	46.57		8.87	अन्य को	52.85	75.97
80.71	vjktLo vkf/kD; de gvk		2498.14				
3770.37	vi ykd __.k çkflr; k		2357.86	980.76	iv ykd __.k dk i qllkxrk		1024.98
3768.55	अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	3768.55		492.90	अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	707.61	
	अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के तहत कुल लेनदेन				अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के तहत कुल लेनदेन		
1.82	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1.82		487.86	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम	317.37	
5694.52	vi ykd ys[kk çkflr; k		9224.07	4414.87	vi ykd ys[kk l forj .k		8016.04
1087.66	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1087.66		722.65	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	617.11	
439.62	आरक्षित निधि	439.62		0.00	आरक्षित निधि		
1886.05	जमा एवं अग्रिम	1886.05		1471.49	जमा एवं अग्रिम	2144.65	
211.45	उचंत एवं विविध	211.45		181.14	उचंत एवं विविध	153.13	
2069.74	प्रेषण	2069.74		2039.59	प्रेषण	5101.15	
				1887.58	vii j kdm+ va' ksk		1407.58

1/4#i ; s djkm+ e#

çkflr; k				l forj .k				
2005-06			2006-07	2005-06				2006-07
				-1125.59	रिजर्व बैंक में जमा	-1028.59		
				160.09	स्थायी अग्रिम आदि सहित विभागीय रोकड़ शेष	209.54		
				2853.08	रोकड़ शेष निवेश	2226.62		
11114.93	; ksc [kM v		15975.05	11114.93				15975.05



**विभाग V&III**  
**अध्याय 1-2 ( विभाग 3½)**

विवरण, आदि ; क्र

क्रमांक ; से

2005-06	विवरण		2006-07
<b>17836.71</b>		जित्तों के लिए ; क्र	<b>23083.19</b>
<b>50.86</b>		... के , आ वफाई के दिनों के लिए	<b>7.40</b>
<b>2789.61</b>		यहां ... के (के लिए)	<b>1332.88</b>
<b>1279.65</b>		यहां ... के (के लिए)	<b>1208.03</b>
	365.01	लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि में वृद्धि	395.05
	414.56	जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि	869.48
	439.62	आरक्षित निधियों में वृद्धि	0.00
	30.31	उच्चत एवं विविध लेनदेनों का निवल प्रभाव	6.65
	30.15	प्रेषण लेनदेनों का निवल प्रभाव	-63.15
			जित्तों के लिए (के लिए)
<b>21956.83</b>	<b>कुल</b>		<b>25631.50</b>
2005-06	विवरण		2006-07
<b>17756.00</b>		जित्तों के लिए ; क्र	<b>20585.05</b>
<b>1747.82</b>		फंडों के , आ वफाई ; क्र के लिए ... के लिए	<b>315.32</b>
<b>2083.90</b>		यहां ... के ; क्र	<b>5211.13</b>
<b>369.11</b>		जित्तों के लिए (के लिए)	<b>-480.00</b>
<b>21956.83</b>	<b>कुल ; क्र</b>		<b>25631.50</b>

**i jf'k"V&IV**  
 1/4 nHkZ % dMdk 1-5-5 ( i "B&18½

ekpl 2007 rd Hkxrk fd, x, l gk; rk vupku ftuds mi ; kfxrk  
 çek.k i = fl rEcj 2007 rd vçklr Fks

*##i; syk[k e#*

o"lz	cdk; s mi ; kfxrk çek.ki =		çklr mi ; kfxrk çek.ki =		mi ; kfxrk çek.ki = çrhf{kr	
	l a[; k	jkf'k	l a[; k	jkf'k	l a[; k	jkf'k
14.11.2000 तक	20190	111182.83	--	--	20190	111182.82
2001-02	452	26161.66	--	--	452	26161.66
2002-03	40	3427.67	--	--	40	3427.67
2003-04	61	15005.87	--	--	61	15005.87
2004-05	89	20854.61	3	270.35	86	20584.25
2005-06	80	99783.93	5	595.61	75	99188.32
2006-07	284	191240.83	22	21337.18	262	169903.65
vupku ; kx	<b>21196</b>	<b>467657.40</b>	<b>30</b>	<b>22203.14</b>	<b>21166</b>	<b>445454.24</b>

**i f j f' k "V & v**  
**1/1 nHkz % d f Mdk 1-5-6 ( i "B&18½**

Lok; Ük' kkl h fudk; ka }kjk jkT; fo/kkf; dk dks l kã s x, ys[kkvka dh  
oLrñLFkfr dk fooj.k

Øe l a	fudk; dk uke	fu- e- ys i- dks l kã s x, ys[kk dh ys[kkijh{kk vof/k	o"kz tc rd ds ys[kk cdk; s gã	o"kz tc rd ds ys[ks çLrñ fd, x,	o"kz tc rd ys[kkijh{kk çfronu tkjh	o"kz tc rd ys[kkijh{kk çfronu jkT; fo/kkf; dk dks l kã s x,	ys[kkijh{kk çfronu dks r\$ kj ugha dj us ds dkj.k
1	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	2003-04	2002-03	1993-94	1993-94	वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टिप्पणी बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना से संवीक्षा हेतु प्राप्त हुई है। वर्ष 1999-2000 से 2002-03 तक वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा, वर्ष 1994-95 से 1998-99 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को तैयार करने के बाद की जायगी।
2	बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2002-03	1999-02 to 2002- 03	1998-99	1988-89	1986-87	वर्ष 1989-90 से 1998-99 तक की प्रारूप पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार होने की प्रक्रिया में है (31-07-07)।
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2006-07	2005-06	2003-04	--	वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली गई है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अंतिम प्रक्रिया में है (31-07-07)। विधानमंडल को पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सुपूर्द करने की वस्तुस्थिति (31-07-07) लेखापरीक्षा को अभी तक सूचित नहीं की गई है।

**i f j f ' k " V & VI**  
 ॥ n h k z % d f M d k 1-6 ( i " B & 18 1/2

f c g k j l j d k j d h f o U k h ; f L F k f r d k l k j

31 ekpl 2006 dks	nkf; Ro		31 ekpl 2007 dks
(#i ; s dj kM+ e9)			(#i ; s dj kM+ e9)
<b>25181.52</b>		vkrfjd __.k	<b>26828.55</b>
	10810.02	ब्याज वाले बाजार ऋण	10392.46
	-4.56	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.28
	13.46	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	24.55
	14362.60	अन्य संस्थानों आदि से ऋण	16411.26
<b>1125.59</b>		अर्थोपाय अग्रिम रिजर्व बैंक के पास जमा में कमी	<b>1028.58</b>
<b>8551.01</b>		dlnz l j d k j l s __.k , oa vfxe	<b>8236.86</b>
	360.91	1984-85 से पूर्व के ऋण	3.91
	254.41	गैर-योजना ऋण	97.72
	7866.46	राज्य योजना कार्यक्रमों हेतु ऋण	8065.32
	9.13	केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों हेतु ऋण	8.53
	17.14	केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रमों हेतु ऋण	18.42
	42.96	अर्थोपाय अग्रिम	42.96
<b>350.00</b>		vkdfledrk fuf/k	<b>350.00</b>
<b>8765.73</b>		y?kq cpr] Hkfo"; fuf/k vkfn	<b>9160.78</b>
<b>3020.37</b>		tek	<b>3886.48</b>
<b>976.25</b>		vkjfk{kr fuf/k	<b>976.25</b>
		ç'sk.k var' k'sk	
		mpar , oa fofo/k var' k'sk	
<b>47970.47</b>		dy	<b>50467.50</b>
31 ekpl 2006 dks	i f j l E i f U k ; k j		31 ekpl 2007 dks
(#i ; s dj kM+ e9)			(#i ; s dj kM+ e9)
<b>19168.57</b>		l dy foUkh; i f j 0 ;	<b>24379.70</b>
	805.64	कपनियां, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	821.10
	18362.93	अन्य पूँजीगत परिव्यय	23558.60
<b>13573.66</b>		__ .k , oa vfxe	<b>13881.57</b>
	11436.57	उर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	11615.86
	2074.21	अन्य विकास ऋण	2199.48
	62.88	सरकारी सेवकों आदि को ऋण	66.23
<b>198.73</b>		vfxe	<b>195.36</b>
<b>1612.74</b>		ç'sk.k var' k'sk	<b>1675.89</b>
<b>955.18</b>		mpar , oa fofo/k var' k'sk	<b>948.54</b>
<b>3013.17</b>		j k d M +	<b>2436.16</b>
		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
	159.90	विभागीय अंतशेष	209.30
	0.19	स्थायी रोकड़ अग्रदाय	0.24
	2853.08	रोकड़ शेष का निवेश तथा अन्य आरक्षित निधि का निवेश	2226.62
		रिजर्व बैंक के पास जमा	

31 अप्रैल 2006 दस	विधि ई ई यूके; कि			31 अप्रैल 2007 दस
(# ; s dj kM+ e)			(# ; s dj kM+ e)	
<b>9448.42</b>		विधि ई ई यूके; कि		<b>6950.28</b>
	-80.71	चालू वर्ष का राजस्व घाटा का योग/कम राजस्व अधिशेष	(-)2498.14	
	9529.13	पूर्व वर्ष तक संयुक्त घाटा विविध सरकारी लेखे	9448.42	
<b>47970.47</b>		दस		<b>50467.50</b>

**i f j f ' k " V & VII**  
**¼ n H k Z % d f M d k 1-6( i " B & 18 ½**  
**j k T ; I j d k j d s f o ù k d s d k y c ) v k j d M s**

¼ # i ; s d j k M + e s

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
[ k M v % ç k f l r ; k j					
b d k b z d h I d ; k					
1- j k t L o ç k f l r ; k j	10968	12456	15714	17837	23083
(i) d j j k t L o	2761(25)	2890(23)	3347(21)	3561(20)	4033(17)
बिक्रय, व्यापार आदि पर कर	1648(60)	1637(57)	1891(57)	1734(49)	2081(52)
राज्य उत्पाद	242(9)	240(8)	272(8)	319(9)	382(9)
वाहन पर कर	178(6)	209(7)	213(6)	302(8)	181(4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	348(13)	418(14)	429(13)	505(14)	455(11)
भू-राजस्व	36(1)	34(1)	33(1)	55(2)	75(2)
अन्य कर	309(11)	352(13)	509(15)	646(18)	859(20)
(ii) d j j k j j k t L o	261(2)	320(3)	418(3)	522(3)	511(2)
(iii) I d k h ; d j k a , o a ' k y d k a e a j k T ; k d k	6549(60)	7628(61)	9117(58)	10421(58)	13292(58)
(iv) H k k j r I j d k j I s v u p k u	1397(13)	1618(13)	2832(18)	3333(19)	5247(23)
2- f o f o / k i p t h x r ç k f l r ; k j	1				
3- d o y j k t L o , o a x s & _ . k i p t h x r ç k f l r ; k j ¼ 1 \$ 2 ½	10968	12456	15714	17837	23083
4- _ . k , o a v f x e k a d h o l m y h	16	10	15	51	7
5- y k d _ . k ç k f l r ; k j	4190	5069	7623	3770	2358
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2935	4249	5969	3768	2355
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1255	820	1654	2	3
6- I f p r f u f / k e a d o y ç k f l r ; k j ¼ 3 \$ 4 \$ 5 ½	15174	17535	23352	21658	25448
7- v k d f l e d r k f u f / k ç k f l r ; k j	-	-	-	-	-
8- y k d y s k k ç k f l r ; k j	5584	7440	4092	5695	9224
9- j k T ; d h d o y ç k f l r ; k j ¼ 6 \$ 7 \$ 8 ½	20758	24975	27444	27353	34672

[ k M c % 0 ; ;

10- j k t L o 0 ; ;	12255(88)	12711	14638	17756	20585
योजना	1354 (11)	1084(9)	1996(14)	2736(15)	4065(20)
गैर-योजना	10901(89)	11627(91)	12642 (86)	15020 (85)	16520(80)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6574(54)	7176(56)	7803(53)	8523(48)	8643(42)
आर्थिक सेवाएँ	1763(14)	1498(12)	2036(33)	2367(13)	4021(20)
सामाजिक सेवाएँ	3916(32)	4033(32)	4795(14)	6862(38)	7917(38)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.82	4	4	4	4
11 i p t h x r 0 ; ;	970	1549	1205	2084	5211
योजना	970(100)	1493(96)	1170(97)	2061(99)	5132(98)
गैर-योजना	UX. ;	56(4)	35(3)	23(1)	79(2)
सामान्य सेवाएँ	81(8)	22(1)	68(6)	72(3)	155(3)
आर्थिक सेवाएँ	747(77)	1364(88)	1000(83)	1684(81)	4460(86)
सामाजिक सेवाएँ	142(15)	163(11)	137(11)	328(16)	596(11)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
12- .k , oa vfxeka dk l forj.k	747	2569	1128	1748	315
13- dy 10\$11\$12½	13972	16829	16971	21588	26111
14- ykd .k dk i qHkkrku	1526	2802	3084	981	1025
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	145	422	361	493	708
अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों	1381	2380	2723	488	317
15- vkdfLedrk fuf/k dks fofu; kstu	-	-	-	-	-
16- l fpr fuf/k l s dy l forj.k 13\$14\$15½	15498	19631	20055	22569	27136
17- vkdfLedrk fuf/k l forj.k	-	-	-	-	-
18- ykd y[kk l forj.k	4822	5789	5519	4415	8016
19- jkT; l jdkj }kj k dy l forj.k 16\$17\$18½	20320	25420	25574	26984	35152
[kM l % ?kkVk					
20- jktLo ?kkVk 1&10½	(-)1287	(-)255	1076	81	2498
21- jkt dks'kh; ?kkVk 3\$4&13½	(-)2988	(-)4363	(-)1242	(-)3700	(-)3021
22- çkj fHkd ?kkVk ½&½@ vkf/kD; ½\$½ ½21&23½	(-) 34	(-)1020	(+)2232	(-)51	(+)395
[kM n % vU; vkqM					
23- C; kt Hkkrku ½ jktLo 0; ; ea 'kkfey½	3022	3343	3474	3649	3416
24- jktLo cdk; k ½ dks'bd ea dj , oa dj ½ jktLo çkflr; ka dk çfr' kr½	1485(49)	1357(42)	1101(29)	1345 (9)	' kU;
25- LFkkuh; fudk; ka dks folkh; l gk; rk	1022	788	813	1110	1017
26- mi ; kx fd, x, vFkk k; vfxæ@ vkqj MkqV ½ finu½	1	44	3	' kU;	' kU;
27- vFkk k; vfxæ@ vkqj MkqV ij C; kt	ux.;	5	ux.;	' kU;	' kU;
28- l dy jkT; ?kj syw mRi kn ½ th , l Mh i h½	64275	65994	71092 (P)	76568 (Q)	81270 (V)
29- jkt dks'kh; nkf; Uo ½ o'kkæ½	35249	37453	42483	46495	49089
30- C; kt l fgr yfcr çR; kHkr ½ o'kkæ½	393	471	473	605	608
31- xkj à/h nh xbl vf/kdre jkf' k ½ o'kkæ½	ux.;	1531	1531	1531	1538
32- vi wkZ i fj; kst ukvka dh l a	22	22	18	6	6
33- vi wkZ i fj; kst ukvka ea vo: ) i pth	' kU;	vuq	1183	2393	2393

fVli .kh %

\* fcgkj l jdkj }kj k çnÜk vuqfur vkqM s o'kZ 2006&07 ea l a kkf/kr

**i f j f' k"V&VIII**  
 1/1 nHkZ % d f Mdk 1-6-3 ( i "B&19½

foHkkxh; çcf/kr okf.kfT; d@v) &okf.kfT; d mi Øe ftUgk&us  
 LFkki uk dky l s gh çkQkekZ ys[kk r\$ kj ugha fd; k g\$

Øe l a	okf.kfT; d@v) bkf.kfT; d mi Øeka ds uke	bdkbz dh l a[; k	mi Øeka dh LFkki uk dh frffk
	i 'kq kyu , oa eRL; foHkkx		
1	केन्द्रीय पॉल्ट्री फार्म, पटना	1	दिसम्बर 1948
2	क्षेत्रीय पॉल्ट्री फार्म, भागलपुर	1	दिसंबर 1959
3	क्षेत्रीय पॉल्ट्री फार्म, मुजफ्फरपुर	1	अक्टूबर 1971
	m   ksx foHkkx		
4	आदर्श लौह कार्यशाला	5	1956-61
5	आदर्श काष्ठ कार्यशाला	8	1956-64
6	अधिप्राप्ति केन्द्र	7	--
7	शोरा शोधक कारखाना, महेशी, पूर्वी चम्पारण	1	1953
	mRi kn , oa e   fu"ks  foHkkx		
8	अफीम भंडार का क्रय एवं विक्रय	1	--
9	अनाज गोला	1	1947-48
	; ksx	<b>26</b>	



**ijf'k"V&IX**  
¼ nHkz % dffMdk 1-6-3 ( i "B &19½

foHkkx }kjk ixf/kr okf.kfT; d@v) bkf.kfT; d mi Øe ftuds  
çkQkekz ys[ks cdk; k gS

Øe l a	okf.kfT; d@v) l okf.kfT; d mi Øeka ds uke	ys[kk dh fLFkfr
	df"k foHkkx	
1	राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियां	1977 के बाद (नवंबर से अक्टूबर)
	x'g %dkj k½ foHkkx	
2	विनिर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, भागलपुर	1981 से 2006 (जनवरी से दिसम्बर)
3	विनिर्माण विभाग केन्द्रीय कारा, बक्सर	1987 से 2006 (जनवरी से दिसंबर)

**i f j f ' k " V & x**  
 ¼/ n h k z % d f / d k 2-3-2 ( i " B & 33 ½  
 o j s { k s = f t l e a o g r c p r ¼ 10 d j k M + # i ; s , o a m l l s v f / k d ½ g p l

¼ # i ; s d j k M + e #

Øe l a	v u n k u l a @ f o h k k x	y s [ k k ' k h " k z o g r @ y ? k @ m i ' k h " k z	e [ ; c p r
d j k t L o n U k e r			
<b>I</b>	20 LokLF; ] f p f d R I k f ' k { k k , o a i f j o k j d Y ; k . k f o h k k x	2210 f p f d R I k , o a y k d LokLF;	
1.		0001-पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल 01 - 110 - 0001	26.59
2.		0002 दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल 01-110-0002	17.57
3.		0009 भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल 01-110-0009	12.56
4.		0014 अनुमंडल अस्पताल 01-110-0014	13.80
5.		0005 अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय) 01-200-0005	13.15
6.		0002-अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03-101-0002	14.22
7.		0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03-103-0001	89.11
8.		0001 रेफरल अस्पताल 03-110-0001	35.07
9		0602 कालाजार सहित राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 03-101-0602	16.51
		<b>2211-परिवार कल्याण</b>	
10		0602 स्वास्थ्य केन्द्र 2211-00-101-0602	37.90
<b>II</b>	<b>39-vki nk i c / k u f o h k k x</b>	<b>2245 प्राकृतिक विपदाओं से राहत</b>	
11		0003 अन्य कार्य (कृषि कार्यो के लिए कृषि विभाग को अनुदान) 01-800-0003	27.97
12		0001 विकलांग व्यक्तियों एवं असहाय के लिए नकद भुगतान 02-101-0001	24.42
13		0002 खाद्यान की आपूर्ति 02-101-0002	39.88

Øe l a	vupku l a@foHkkx	ys[ kk ' kh" kZ ogr@y?kq@mi ' kh" kZ	er[; cpr
14		0002 जनसंख्या का निष्क्रमण 02-112-0002	15.86
15		0005 स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नकद भुगतान 02-800-0005	10.00
<b>III</b>	<b>48 'kgjh fodkl foHkkx</b>	<b>2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता</b>	
16		0102 वित्त विभाग की अनुशंसा पर पेयजल आपूर्ति एवं निकासी के लिए सहायता 01-192-0102	11.48
17		0116 समेकित शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों के सहाय्य अनुदान 02-800-0116	10.00
18		0122 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना 02-800-0122	
<b>IV</b>	<b>50 लघु सिंचाई विभाग</b>	<b>2702 y?kq fl pkbZ</b>	
19		0001 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण 02-005-0001	12.41
20		0002 सरकारी नलकूप 03-103-0002	11.36
21		0105 राष्ट्रीय सम विकास योजना 03-103-0105	255.00
<b>V</b>	<b>51 dY; k. k foHkkx</b>	<b>2235 l kekf t d l g {kk , oa dY; k. k</b>	
22		0602 समग्र बाल विकास योजना 02 - 102 - 0602	46.53
23		0603 बाह्य प्रायोजित योजना (विश्व बैंक) राज्य प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना 02 - 102 - 0603	62.10
		<b>2236 i k'k. k</b>	
24		0102 गर्भवती महिला, बच्चे एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं को पोषक भोजन वितरण के लिए योजना 02 - 101 - 0102	136.32

Øe l a	vupku l a@foHkkx	ys[kk 'kh"KZ ogr@y?k@mi 'kh"KZ	er[; cpr
25		0802 कुपोषित गर्भवती / प्रसवोपरांत महिलाओं एवं किशोरी लड़कियों के खाद्यान वितरण हेतु विशेष योजना	
		02-101-0802	15.18
		<b>dy ^d^:</b>	<b>1272.84</b>
		<b>[k i pthxr nÙkeÙk</b>	
<b>VI</b>	<b>10 mtkZ foHkkx</b>	<b>6801 mtkZ ifj; kstuk ds fy, __.k</b>	
26		0105 बिहार राज्य जल विद्युत निगम के लिए ऋण (नाबार्ड)	
		00-201-0105	24.50
27		0004 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्गत बांड के विरुद्ध बकाया भुगतान	
		00-800-0004	13.00
28		0101 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण	
		00-800-0101	20.26
29		0106 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण ए.पी.डी. पी.आर.डी.	
		00-800-0106	150.03
<b>VII</b>	<b>36 ykd LokLF; vfhk; æ.k foHkkx</b>	<b>4215 tykiwrZ, oa LoPNrk ij i pthxr ifj0; ;</b>	
30		0602 केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना	
		01 - 102 - 0602	218.52
31		0603 त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना	
		02 - 102 - 0603	20.52
32		0103 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना (नलकूप, कूप पाइप इत्यादि)	
		01-102-0103	25.28
33		0116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	
		01 - 102 - 0116	16.25
34		0117-ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	
		01-102-0117	13.09
<b>VIII</b>	<b>49 ty l d k/ku foHkkx</b>	<b>4700 cgr fl pkbZ ij i pthxr ifj0; ;</b>	
35		0101 कोशी वेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना	
		01-800-0101	19.06
36		0102 कोशी वेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना (ए.आइ.बी.पी.)	
		01-800-0102	65.81

Øe l a	vupku l a@foHkkx	ys[kk 'kh"KZ ogr@y?k@mi 'kh"KZ	eq; cpr
37		0101 स्थापना 03-001-0101	11.44
38		0103 सोन वेसिन (कार्य) हेतु सिंचाई परियोजना 03-800-0103	20.60
39		0102 किउल, बदुवा चंदन वेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 04-800-0102	24.83
40		0103 किउल, बदुवा चंदन वेसिन (कार्य) नाबार्ड प्रायोजित परियोजना 04-800-0103	11.00
41		0102 सोन वेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 80-800-0102	15.57
42		0103 किउल, बदुवा चंदन वेसिन (कार्य) नाबार्ड प्रायोजित परियोजना 80-800-0103	14.33
		<b>4711 ck&lt;+fu; æ.k ifj; kstuk ij i wthxr ifj0; ;</b>	
43		0111 बाढ़ नियंत्रण तटबंध पथ योजना (नाबार्ड प्रायोजित योजना) (कार्य) 01-001-0111	13.92
44		0112 नाला परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) (कार्य) 01-001-0112	74.06
45		0404 कमला नदी के तटबंध का उँचाई सुदृढीकरण एवं तटबंध का विस्तार (भारतीय प्रभाग) (100 प्रतिशत केन्द्रांश) 01-001-0404	10.41
46		0409 बागमती नदी के तटबंध का सुदृढीकरण एवं विस्तार 01-001-0409	48.48
47		0602 तिमहानी कुरसेला तटबंध का निर्माण कार्य 01-800-0602	10.00
48		0610 गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य 01-800-0610	42.35
49		0611 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत जल निकासी परियोजना 01-800-0611	15.00
<b>clq ^[k^:</b>			<b>898.31</b>

Øe l a	vunku l a@foHkkx	ys[kk 'kh"KZ ogr@y?k@mi 'kh"KZ	er[; cpr
	x i pthxr Hkkfjr		
VIX	14 ykd __.k dk i pthxrku	6003 jkT; l jdkj dk vtrfjd __.k	
50		एम 0009 13.85 बिहार राज्य विकास ऋण, 2006	
		00-101-एम 0009	186.04
51		0001 भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि साख कोष से ऋण	
		00-105-0001	10.36
52		0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	
		00-110-0001	1000.00
53		0001 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूति	
		00-111-0001	47.08
54		0002 वर्ष 1984-85 से प्राप्त ऋण	
		01-102-0002	40.68
55		0001 वर्ष 1989-90 से प्राप्त प्रखंड ऋण	
		02-101-0001	126.98
56		0001 लघु बचत ऋण	
		07-105-0001	10.49
57		0001 वर्ष 1979-80 का समग्र ऋण 25 वर्ष एवं 30 वर्ष का समग्र ऋण, 30 वर्ष से अधिक वार्षिक पुनर्भुगतान योग्य	
		07-107-0001	16.52
58		0001 1979-84 समग्र ऋण 30 वर्ष से अधिक वार्षिक पुनर्भुगतान के योग्य	
		07-108-0001	16.93
		dy ^X^:	1455.08
		dy ; ksx %d+[k+x½	3626.23

**विशेष विवरण**  
 अनुसूची 2-3-3 (विभाग 33½)

यह सारणी 0; ; 2007 के लिए विवरणों के अनुसार है। इसमें 2007 के लिए विवरणों के अनुसार है।

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	विवरण
1.	4 - ए.सी.पी. के निर्गत न होने एवं यात्रा भत्ता विपत्रों को समर्पित न होने के कारण बचत 0.12 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों को सूचित नहीं किया गया।	9.26	2.04 (22.06)	प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति एवं बिजली विपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत 0.12 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
2.	6 & 7 - विपत्रों को समर्पित न होने के कारण बचत 4.83 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।	36.72	19.79 (53.90)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
3.	7 - विपत्रों को समर्पित न होने के कारण बचत 4.83 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।	11.00	2.27 (20.67)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
4.	11 - ए.सी.पी. के आदेश, के निर्गत न होने एवं यात्रा भत्ता विपत्रों को समर्पित न होने के कारण बचत 4.83 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।	23.77	5.35 (22.52)	ए.सी.पी. के आदेश, के निर्गत न होने एवं यात्रा भत्ता विपत्रों को समर्पित न होने के कारण बचत 4.83 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।
5.	12 - मंत्रियों एवं उपमंत्रियों की कम संख्याओं के कारण थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।	93.94	21.04 (22.40)	19.00 करोड़ रुपये ऋण का बचत मंत्रियों एवं उपमंत्रियों की कम संख्याओं के कारण थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।
6.	17 - विपत्रों को समर्पित न होने के कारण बचत 4.83 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।	37.85	10.54 (27.86)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
7.	18 - विपत्रों को समर्पित न होने के कारण बचत 4.83 करोड़ रुपये थी। शेष राशि के कारणों के संबंध में नहीं सूचित किया गया।	94.62	34.12 (36.06)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

Øe l a	vunku@fofu; kst u dh l a; k vkj uke	vunku@ fofu; kst u dh jkf' k	cpr dh jkf' k %cko/kku dk çfr'kr dks'B e%z	l jdkj }kjk çLrç cpr ds eç; dkj .k
d- jktLo nUker çHkkx				
8.	20 - LokLF; fpfdRI k f' k{kk , oa i fjokj dY; k.k foHkkx	1258.46	355.35 (28.24)	रेफरल अस्पताल के निर्माण में 1.70 करोड़ रुपये का बचत व्यय की असाध्यता के कारण, एवं 4.80 करोड़ रुपये की बचत निधि की स्वीकृति न होने के कारण, 57.42 करोड़ रुपये की बचत 12वें वित्त आयोग द्वारा अधिक उदृष्टी के कारण थी। 25.24 करोड़ रुपये की बचत कर्मियों को मानदेय का भुगतान कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रों का किराया एवं केन्द्र सरकार क्षरा निधि की विमुक्ति नहीं होने के कारण था। 44.16 करोड़ रुपये का बचत मरम्मती कार्य हेतु निधि का अव्यवहृत होने, ए.सीपी प्रोन्नति के कारण भुगतान होने एवं मशीनी उपकारण का क्रय न होने के कारण था।
9.	23-m   ksx foHkkx	107.44	30.15(28.06)	22.93 करोड़ रुपये की बचत योजना परिव्यय की कमी के कारण एवं शेष राशि के कारणों के संबंध में सूचित नहीं किया गया।
10.	29 - [kuu , oa HkrRo foHkkx	8.95	2.45 (27.39)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
11.	30-vYi l a; d dY; k.k foHkkx	4.62	1.55(33.55)	बचत वित्त विभाग द्वारा निधि की स्वीकृति न मिलने, कम्प्यूटरीकरण न होने, आर्थिक उपाय एवं रिक्त पद के कारण थी।
12.	33 - dkfebd , oa i z kkl fud l qkkj foHkkx	18.30	8.22 (44.89)	बचत निधि के आहरण न होने, पद रिक्त होने एवं प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण थी।
13.	39 - vki nk i zaku foHkkx	209.20	152.54 (72.91)	बचत होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
14.	43 - foKku , oa i kof/kdh foHkkx	42.35	18.50 (43.68)	बचत होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
15.	45 - xUuk foHkkx	27.34	11.03 (40.33)	बचत स्वीकृति की अप्राप्ति एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण थी।
16.	48 - 'kgjh fodkl foHkkx	736.15	351.77 (47.78)	अधिकांश मामले में बचत के कारणों के को सूचित नहीं किया गया है।



Øe l a	vunku@fofu; kstu dh l a; k vkj uke	vunku@ fofu; kstu dh jkf' k	cpr dh jkf' k	l jdkj }kjk çlrç cpr ds eç; dkj .k
				çko/kku dk çfr' kr dks'B e½
				½#i ; s djkm+ e½
d- jktLo nUker çHkkx				
17.	50 - y?kq fl pkbz foHkkx	425.91	289.99 (68.09)	पूँजीगत 5.54 रुपये एवं राजस्व में 260.40 करोड़ रुपये की बचत योजना परिव्यय में कमी के कारण थी 5.46 करोड़ रुपये की बचत का कारण पदाधिकारियों, कर्मियों को ए.सी.पी प्रोन्नति के तहत लाभ प्राप्त न होने एवं कार्य प्रभारित कर्मियों की सेवा समाप्त करने से थी।
18.	51 - dY; k.k foHkkx	854.85	284.67 (33.30)	नई आँगनबाड़ी केन्द्रों के चालू न रहने के कारण 109.99 करोड़ रुपये की बचत हुई। शेष बचत राशि के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया है।
19.	52 - ; pkj dyk , oa l dfr foHkkx	31.30	6.72 (21.46)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
20.	53 - LokLF; ] ½pfdRI k f' k{k , oa ns' kh vkSk/k½ foHkkx	143.36	65.13 (45.43)	योजना परिव्यय में कमी के कारण 50 करोड़ रुपये की बचत हुई शेष बचत के संबंध में सूचित नहीं किया गया है।
	; ksx (d) :	<b>4175.39</b>	<b>1673.25</b>	
[k. - i pthxr nUker i Hkkx				
21.	3 Hkou fuekZ k , oa vkokl foHkkx	126.60	75.94 (59.98)	शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 26.05 करोड़ रुपये की बचत हुई एवं शेष बचत राशि के संबंध में सूचित नहीं किया गया है।
22.	10-mtkZ	849.77	229.61(27.02)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
23.	11 - mRi kn , oa e   fu"ky'k foHkkx	36.00	30.12 (83.66)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
24.	12 - foUk foHkkx	9.95	2.74 (27.57)	आबंटन आदेश प्राप्त न होने के कारण 2.10 करोड़ रुपये की बचत हुई।
25.	17 - foUk ½okf.kT; dj½	9.15	4.34 (47.39)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
26.	22-x'g foHkkx	149.62	94.97(63.47)	केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण 22.77 करोड़ रुपये की बचत हुई। शेष बचत राशि के संबंध में सूचित नहीं किया गया है।
27.	26-Je] fu; kstu , oa i f' k{k.k foHkkx	4.49	1.68(37.42)	प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 1.68 करोड़ रुपये की बचत हुई।

Øe l a	vunku@fofu; kstu dh l a; k vkj uke	vunku@ fofu; kstu dh jkf' k	cpr dh jkf' k	l jdkj }kjk çLrçr cpr ds eç; dkj .k
			çko/kku dk çfr' kr dks'B eç	
			%#i ; s djkm+ eç	
d- jktLo nùker çHkkx				
28.	36 - ykd LokkLF; vfHk; æ.k foHkkx	566.90	318.63 (56.21)	योजना परिव्यय में कमी के कारण में 7.72 करोड़ रुपये की बचत हुई। अंतिम बचत 3.95 करोड़ रुपये के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
29.	49 - ty l d k/ku foHkkx	1047.19	463.82 (44.29)	आर्थिक उपयों के कारण बचत हुई एवं अधिकांश मामलों में बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
30.	50 - y/kq fl pkbz foHkkx	109.05	60.72 (55.68)	योजना परिव्यय में कमी के कारण 42.45 करोड़ रुपये की बचत हुई शेष बचत राशि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	; ksx ([k) :	<b>2908.72</b>	<b>1282.57</b>	
x - iwthxr Hkkfjr i Hkkx				
31.	14 - __.k dk i qHkx rku	2199.86	1174.88 (53.41)	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	; ksx (x) :	<b>2199.86</b>	<b>1174.88</b>	çfr' krrk
dy ; ksx	(d+ [k+x)	<b>9283.97</b>	<b>4130.70</b>	<b>44.49</b>

**i f j f ' k " V & X I I**  
**¼ n h k z % d f l d k 2-3-4 ( i " B & 3 4 ½**

l r r c p r d s e k e y j i R ; x d e k e y s e a n k s d j k M + # i ; s ; k v f / k d ; k d y  
i k o / k k u d k 1 0 i f r ' k r ; k v f / k d

Øe l a	v u n k u @ f o f u ; k s t d h l a , o a u k e	c p r j k f ' k ¼ # i ; s d j k M + e a ½ v k j c k o / k k u l s b l d k ç f r ' k r d k ' B d e a		
o " k z		2004-05	2005-06	2006-07
<b>d &amp; j k t l o n ù k e r</b>				
1.	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	24.39(26)	24.75(25.29)	20.10(12.27)
2.	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	12.67(12.25)	17.01(14.05)	40.47(19.31)
3.	6-निर्वाचन	32.68(18)	37.30(26.98)	19.79(53.90)
4.	12-वित्त विभाग	415.81(81)	39.65(42.99)	21.04(22.40)
5.	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	14.39(40.02)	5.94(18.92)	10.54(27.86)
6.	20-स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण) विभाग	207.41(26)	457.13(34.35)	355.35(28.24)
7.	23-उद्योग विभाग	9.23(25)	9.56(24.88)	30.15(28.06)
8.	27-विधि विभाग	41.15(25)	74.10(34.89)	29.54(16.49)
9.	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	9.09(53.97)	10.63(58.12)	8.22(44.90)
10.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	42.14(17)	54.71(20.04)	36.53(12.57)
11.	41-पथ निर्माण विभाग	26.64(11)	31.94(10.94)	37.82(10.96)
12.	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	12.02(28)	4.62(11.90)	18.50(43.67)
13.	45-गन्ना विभाग	2.05(17.66)	6.45(42.97)	11.03(40.33)
14.	50-लघु सिंचाई विभाग	29.95(10.74)	128.97(31.08)	289.99 (68.09)
15.	51-कल्याण विभाग	163.72(34)	212.86(29.40)	284.66(33.30)
16.	52-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	2.98(16)	5.38(19.51)	6.72(21.46)
; k s x %		<b>1046.32</b>	<b>1121.00</b>	<b>1220.45</b>
<b>[ k &amp; i p t h x r n ù k e r</b>				
1.	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	37.17(41)	97.33(71.76)	75.94(59.98)
2.	12-वित्त विभाग	11.89(80)	7.43(66.88)	2.74(27.57)
3.	22- गृह विभाग	72.96 (100)	79.27(93.54)	94.97(63.48)
4.	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	97.98(59)	209.96(63.44)	318.63(56.21)
5.	41-पथ निर्माण विभाग	576.98(80)	385.13(59.66)	176.20(10)
6.	49-जल संसाधन विभाग	241.73(39)	313.30(35.72)	463.82(44.29)
7.	50- लघु सिंचाई विभाग	20.34(25.50)	42.49(59.87)	60.72(55.68)
; k s x		<b>1059.05</b>	<b>1134.91</b>	<b>1193.02</b>
<b>x &amp; j k t l o H k k f j r ç H k k x</b>				
1	14- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1095.37(26.19)	2243.66(69.58)	1174.88(53.41)
; k s x		<b>1095.37</b>	<b>2243.66</b>	<b>1174.88</b>
d y ; k s x ¼ d \$ [ k \$ x ½		<b>3200.74</b>	<b>4499.57</b>	<b>3588.35</b>

**i jf'k"V&xiii**  
**¼ nHkz % dflMdk 2-3-5 ( i "B&34½**

o"kz 1977&78 l s o"kz 2005&06 rd dk vkf/kD;

o"kz	vunku@ fofu; kstu dh l a; k	vunku@ fofu; kstu l a; k	vkf/kD; dh jkf'k	jkf'k ftl ds fy, yks ys l - dks Li "Vhdj .k çLrqr ugha fd; k x; k ¼#i ; s dj kM+ e½
1977-78	2	5, 24	0.4	0.40
1978-79	2	17, 27	16.17	16.17
1979-80	1	17	33.46	33.46
1980-81	2	12, 17	26.03	26.03
1981-82	7	3, 11, 12, 13, 15, 17, 24	39.24	39.24
1982-83	2	12, 22	4.79	4.79
1983-84	2	11, 12	9.98	9.98
1984-85	2	3,14	2.62	2.62
1985-86	2	10, 13	14.83	14.83
1986-87	1	13	65.62	65.62
1987-88	6	9, 19, 25, 38, 48	244.76	244.76
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	85.15
1989-90	3	25, 27, 38	99.4	99.4
1990-91	4	37, 38, 42, 43	92.07	92.07
1991-92	2	6, 38, 43	85.11	85.11
1992-93	2	25, 38	93.25	93.25
1993-94	2	25, 37	157.68	157.68
1994-95	1	37	170.61	170.61
1995-96	3	25, 36, 37	213.22	213.22
1996-97	3	20, 23, 37	22.44	22.44
1997-98	1	7	0.01	0.01
1998-99	1	30	0.33	0.33
1999-00	5	10, 13, 14, 40, 50	196.23	196.23
2000-01	5	5, 13, 15, 25, 32	712.34	712.34
2001-02	1	15	491.24	491.24
2002-03	2	15, 47	10.15	10.15
2003-04	7	10, 11, 14, 15, 30, 32, 50	3782.34	3782.34
2004-05	4	19,20,21,46	5.68	5.68
<b>2005-06</b>	<b>4</b>	<b>10,39,40,46</b>	<b>349.56</b>	<b>349.56</b>
<b>; kx</b>			<b>7024.71</b>	<b>7024.71</b>

**विशेष खर्च**

अनुसूची 2-3-5 (विशेष खर्च)

विवरण: ; के अंतर्गत व्यय के विवरण का विवरण ( )  
 विवरण, अंक, अंक, अंक, अंक, अंक, अंक

अंक, अंक, अंक

क्र.सं.	विवरण	विवरण	अंक	अंक	अंक	अंक
d-	अनुसूची 2-3-5					
I	12-अनुसूची 2-3-5	2070-अनुसूची 2-3-5				
1		0008-विविध एवं आकस्मिक व्यय 00-502-0008	1.00	3.05	2.05	205.00
II	15-अनुसूची 2-3-5	2071-अनुसूची 2-3-5				
2		0002-उत्तरवर्ती बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन भूगतान 01-101-0002	681.04	684.14	3.10	0.46
III	19-अनुसूची 2-3-5	2406-अनुसूची 2-3-5				
3		0126-राष्ट्रीय सम विकास योजना 01-101-0001	10.00	14.00	4.00	40.00
[अनुसूची 2-3-5 अंतर्गत]						
IV	54-अनुसूची 2-3-5	4515-अनुसूची 2-3-5				
4		0101-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 00-103-0101	425.21	467.84	42.63	10.03

Øe l a	vupku l a	ogr@y?kq @ mi 'kh"lz	çko/kku	0; ;	vkf/kD;	vkf/kD; dk çfr'kr
[k- i pthxr i Hkkx&i Hkkfjr						
v	14-yksd __.k dh ol myh	6003-jkT; l jdkj dk vkrfjd __.k				
5		एम0015- 13.75% बिहार राज्य विकास ऋण, 2007 00-101-एम0015	0.0001	186.01	186.01	186009900.00
6		0003-8.5% कर रहित विशेष बांड (उर्जा बांड) 00-106-0003	103.78	207.56	103.78	100.00
	dy		<b>1221.0301</b>	<b>1562.60</b>	<b>341.57</b>	

**i f j f' k" V&xv**

¼ nHkZ % dñMdk 2-3-5 ( i "B&34½

y/kq ' kh"kkā ea fcuk ctV i ko/kku ds 0; ; i R; sd ekeys ea y?kq ' kh"kkā ea i ko/kku ds fo: ) 20 yk[k ; k vf/kd dk 0; ;

Ø- I -	vupku@fofu; kstu dh l a , oa uke	ogr@mi @y?kq ys[kk ' kh"kkā; kst uk	i ko/kku %ey+i j d½	okLrfod 0; ;	vkf/kD;
<b>jktLo i Hkx&amp;nUkeUk</b>					
<b>I</b>	<b>44-ek/; fed , oa 0; Ld f' k{kk</b>	<b>2202-l kekl; f' k{kk</b>			
1		0109-बिहार शिक्षा परियोजना 01-800-0109	0.00	2.56	2.56
<b>i wthxr i Hkx&amp;nUkeUk</b>					
<b>II</b>	<b>41- i Fk fuekZ k foHkx</b>	<b>5054- i Fk , oa i yka ij i wthxr i fj0; ;</b>			
2		0102-विविध कार्य अग्रिम (मोबिलाइजेशन एवं टूल्स)	0.00	76.42	76.42
<b>III</b>	<b>49-ty l d k/ku foHkx</b>	<b>4700-ogr fl pkbZ ij i wthxr i fj0; ;</b>			
3		0103-स्टॉक उचंत (सोन वेसीन) 03-799-0103	0.00	2.41	2.41
4		<b>4701-e/; e fl pkbZ ij i wthxr i fj0; ;</b>			
5		0101-विविध लोक कार्य अग्रिम 4701-03-799-0101	0.00	8.46	8.46
6		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय			
7		0101-विविध लोक कार्य अग्रिम 4711-01-799-0101	0.00	0.56	0.56

Ø- l -	vupku@fofu; kstu dh l a , oa uke	ogr@mi @y?kq ys[kk 'kh"kk@; kstuk	i ko/kku %eny+i j d½	okLrfod 0; ;	vkf/kD;
i pthxr i Hkkx& Hkkfjr					
v	14-__ . kka dk i qHkkx rku	6004-dlnz l jdkj l s __.k , oa vfxæ			
8		0020 वर्षाच्छादित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विकास परियोजना 6004-04-800-0020	0.00	0.46	0.46
9		0021-व्यापक प्रबंधन 6004-04-800-0021	0.00	0.34	0.34
		clg	<b>0.00</b>	<b>91.21</b>	<b>91.21</b>



ijf'k"V&xvi  
 % dflMdk 2-3-7 ( i "B&35½

fooj.kh tgtk; vuq; j d çko/kku vuko' ; d Fks

%#i ; s djkm+e#

Øe l a	vuqku@fofu; kst u dh l a , oa uke	ey vuqku@ fofu; kst u	0; ;	cpr	vuko' ; d i j d vuqku@ fofu; kst u dh j kf' k
1	2	3	6	7	4
d&jktLo çHkkx nÜker					
1	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	208.29	169.08	39.21	1.26
2	6. निर्वाचन	35.83	16.93	18.90	0.89
3	11-उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	22.29	18.42	3.87	1.48
4	12-वित्त विभाग	85.26	72.89	12.37	8.67
5	15-पेंशन	3017.57	2496.09	521.48	8.17
6	16-राष्ट्रीय बचत	2.40	2.35	0.05	0.26
7	17-वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	32.77	27.30	5.47	5.08
8	18-खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्यिक विभाग	89.49	60.50	28.99	5.13
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	981.43	903.11	78.32	277.03
10	22-गृह विभाग	1468.58	1401.13	67.45	171.15
11	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	18.05	17.17	0.88	0.23
12	27-विधि विभाग	175.77	149.59	26.18	3.36
13	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	8.20	6.50	1.70	0.75
14	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4.35	3.07	1.28	0.26
15	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	15.58	10.08	5.50	2.72
16	35-योजना एवं विकास विभाग	484.96	411.32	73.64	0.61
17	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	153.31	130.26	23.05	1.06
18	39-आपदा प्रबंधन विभाग	157.65	56.67	100.98	51.56

Øe l a	vunku@fofu; kst u dh l a , oa uke	ewy vunku@ fofu; kst u	0; ;	cpr	vuko' ; d i j d vunku@ fofu; kst u dh j kf' k
1	2	3	6	7	4
19	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	286.05	254.04	32.01	4.52
20	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	41.85	23.85	18.00	0.50
21	47-परिवहन विभाग	8.60	7.72	0.88	0.28
22	48-शहरी विकास विभाग	684.39	384.38	300.01	51.76
23	49-जल संसाधन विभाग	318.24	305.11	13.13	18.92
24	50-लघु सिंचाई विभाग	415.09	135.91	279.18	10.82
25	51-कल्याण विभाग	786.95	570.19	216.76	67.91
26	52-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	29.43	24.58	4.85	1.87
27	53-स्वास्थ्य (चिकित्सा, शिक्षा एवं देशी औषधि विभाग)	110.71	78.23	32.48	32.66
28	54-ग्रामीण विकास (आर.ई.ओ., पी.आर., एम.एल.ए./ एम.एल.सी., के.के. योजना) विभाग	591.19	586.16	5.03	45.90
	<b>dy</b>	<b>10234.28</b>	<b>8322.63</b>	<b>1911.65</b>	<b>774.81</b>
	[k&i wthxr i #kx&nUkelk				
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	119.30	50.66	68.64	7.30
2	10-उर्जा विभाग	769.69	620.16	149.53	80.08
3	22-गृह विभाग	85.05	54.65	30.40	64.57
4	23-उद्योग विभाग	13.32	0.64	12.68	5.32
5	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	17.90	17.71	0.19	2.55
6	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	24.50	23.74	0.76	1.09
7	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	419.70	248.27	171.43	147.20
8	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	26.00	23.89	2.11	0.80
9	49-जल संसाधन विभाग	976.80	583.37	393.43	70.39

Øe l a	vunku@fofu; kst u dh l a , oa uke	ey vunku@ fofu; kst u	0; ;	cpr	vuko' ; d i j d vunku@ fofu; kst u dh j kf' k
1	2	3	6	7	4
10	50-लघु सिंचाई विभाग	68.62	48.33	20.29	40.43
11	51-कल्याण विभाग	54.92	53.34	1.58	4.02
12	53-स्वास्थ्य(चिकित्सा शिक्षा एवं देशी औषध) विभाग	30.00	27.33	2.67	3.23
	dy	<b>2605.80</b>	<b>1752.09</b>	<b>853.71</b>	<b>426.98</b>
x&jktLo i Hkkx & Hkkfjr					
1	15-पेंशन	3017.57	2496.09	521.48	8.17
2	32-विधानमंडल विभाग	0.16	0.13	0.03	0.08
3	34-बिहार लोक सेवा आयोग	6.08	5.79	0.29	0.12
	dy	<b>3023.81</b>	<b>2502.01</b>	<b>521.80</b>	<b>8.37</b>
?k&iwthxr Hkkfjr					
1	14-ऋण का पुनर्भूगतान	2196.94	1024.98	1171.96	2.92
	dy	<b>2196.94</b>	<b>1024.98</b>	<b>1171.96</b>	<b>2.92</b>
	dy; ksx (d+ [k+x+?k)	<b>18060.83</b>	<b>13601.71</b>	<b>4459.12</b>	<b>1213.08</b>

**i j f ' k " V & x v i i**  
**¼ n h k z % d f M d k 2-3-7 ( i " B & 35 ½**

ekeyka dh foofj.kh t g k j ç k l r v u i j d i k o / k k u v f / k d l k f c r g u ¼ ç R ; ç d  
 ekeys ea 20 y k [ k # i ; s l s v f / k d d h c p r ½

¼ # i ; s d j k M + e #

Øe l a	v u p k u @ f o f u ; k s t u d h l a , o a u k e	e m y ç k o / k k u	0 ; ;	o k l r f o d v k o ' ; d r k	v u i j d ç k o / k k u	v f / k ' k s ' k v u i j d ç k o / k k u
d	j k t l o i h k k x & n ù k e ù k					
1	1-कृषि विभाग	195.66	248.03	52.37	92.87	40.50
2	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	95.22	143.66	48.44	68.54	20.10
3	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	7.18	7.22	0.04	2.08	2.04
4	9- सहकारिता विभाग	70.99	122.17	51.18	54.84	3.66
5	10-उर्जा विभाग	430.64	1093.88	663.24	669.94	6.70
6	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	51.16	66.96	15.80	22.62	6.82
7	21- उच्चतर शिक्षा विभाग	767.61	827.73	60.12	74.06	13.94
8	22-गृह विभाग					
9	23- उद्योग विभाग	44.81	77.30	32.49	62.63	30.14
10	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	248.18	502.20	254.02	267.17	13.15
11	32-विधानमंडल	40.29	44.47	4.18	10.57	6.39
12	38- निबंधन विभाग	30.70	36.86	6.16	8.92	2.76
13	42- ग्रामीण विकास विभाग	797.22	900.39	103.17	296.82	193.65
14	44- माध्यमिक प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	4117.02	4378.49	261.47	531.94	270.47
15	45-गन्ना विभाग	15.66	16.32	0.66	11.69	11.03
	; k x d	<b>6912.34</b>	<b>8465.68</b>	<b>1553.34</b>	<b>2174.69</b>	<b>621.35</b>
16	i p t h x r i h k k x & n ù k e ù k					
17	9- सहकारिता विभाग	13.45	53.40	39.95	40.49	0.54
18	11-उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	1.00	5.88	4.88	35.00	30.12
19	12- वित्त विभाग	4.45	7.21	2.76	5.50	2.74
20	17-वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	4.50	4.81	0.31	4.65	4.34

Øe l a	vunku@ fofu; kstu dh l a , oa uke	ewy çko/kku	0; ;	okLrfod vko' ; drk	vuij j d çko/kku	vf/k' ksk vuij j d çko/kku
21	20- स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	101.87	140.80	38.93	46.26	7.33
22	41- पथ निर्माण विभाग	1245.97	1660.57	414.60	590.80	176.20
23	54-ग्रामीण विकास (आर.ई. ओ., पी.आर., एलएलए/एमएलसी., के.के. वाय. योजना) विभाग	975.01	1241.53	266.52	348.07	81.55
	; ksx [k	2346.25	3114.20	767.95	1070.77	302.82
	dy ; ksx (d+[k)	9258.59	11579.88	2321.29	3245.46	924.17

**i f j f ' k " V & X V I I I**  
 1/4 n h k z % d f l / d k 2-3-8 ( i " B & 35 1/2

v u f p r @ v R ; f / k d v H ; f i z k a d h f o o j . k h 1/4 , d d j k M + # i ; s ; k v f / k d 1/2

1/4 # i ; s d j k M + e z

Ø e l a	v u n k u @ f o f u ; k s t u d h l a , o a u k e	y s f k k 1/4 e f ; @ y / k q @ m i ' k h " k z	d y ç k o / k k u e y \$ i j d	v H ; i z k 1/4 i q u o z f u ; k s t u 1/2	d y	0 ; ;	v H ; i z k @ i q u o f u ; k s t u d s c k n v k f / k D ;
d & j k t L o n ù k e r ç H k k x							
I	2-i ' k j k y u , o a e R L ; i k y u f o H k k x	2405- e R L ;					
1		0001 मत्स्य विकास योजना 2405-00-001-0001	7.22	1.85	5.37	5.39	0.02
II	3-H k o u f u e k z k , o a v k o k l f o H k k x	2059- y k d d k ; l					
2		0009-प्रखंड भवन का रख-रखाव 2059-01-053-0009	13.07	4.59	8.48	8.62	0.14
III	22-X g f o H k k x	2055-पुलिस					
3		0002-पुलिस आदेश 2055-00-111-0002	42.48	1.49	40.99	48.88	7.89
IV	27-f o f / k f o H k k x	2014-U ; k ; i z k k l u					
4		0001-सिविल एवं सेसन कोर्ट 2014-00-105-0001	148.24	22.38	125.86	126.47	0.61
V	29- [ k k u , o a H k i r R o f o H k k x	2853-v y k g [ k u u , o a [ k f u t m   k s x					
5		0001-खनन एवं भूतत्व स्थापना 2853-02-001-0001	6.14	1.70	4.44	4.87	0.43
VI	39-v k i n k i z a k u f o H k k x	2245-i k d f r d v k i n k v k a i j j k g r					
6		0003-अन्य कार्य (कृषि कार्य हेतु कृषि विभाग को अनुदान) 2245-01-102- 0003	50.68	38.19	12.49	22.71	10.22
7		0004-स्वरोजगार 2245-01-102-0004	7.51	7.51	0.00	0.46	0.46

Øe l a	vunku@ fofu; kstu dh l a , oa uke	ysfkk /ed; @y/kq@ mi 'kh"klz	dy cko/kku ey \$ ij d	vH; iZ k ¼i qfofz fu; kstu½	dy	0; ;	vH; iZ k@ i qfofu; ks tu ds ckn vkf/kD;
8		0001-असहाय एवं विकलांग व्यक्तियों को नकद भुगतान 2245-02-101-0001	30.00	28.36	1.64	5.58	3.94
9		0002-खाद्यान की आपूर्ति 2245-02-101-0002	45.00	44.12	0.88	5.12	4.24
10		0001-चारा की आपूर्ति 2245-02-104-0001	1.10	1.10	0.00	0.05	0.05
11		0002-जनसंख्या की निष्क्रमण 2245-02-112-002	17.00	16.12	0.88	1.14	0.26
12		0001-मानव के लिए दवा की आपूर्ति 2245-02-282-001	1.10	1.03	0.07	0.16	0.09
13		0005- स्वरोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नकद भुगतान 2245-02-800-0005	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>vii</b>	<b>40-jktLo , oa Hkfe l qkkj foHkkx</b>	<b>2053-ftyk iz kkl u</b>					
14		0001-जिला प्रशासन 2053-00-093-0001	60.55	11.12	49.43	49.51	0.08
		<b>; ksx (d)</b>	<b>440.09</b>	<b>189.56</b>	<b>250.53</b>	<b>278.96</b>	<b>28.43</b>
[k	ipthr nUkeUk i Hkkx						
<b>viii</b>	<b>54-xkeh.k fodkl ¼vkj-b-vk-] ih- vkj-] , e, y, - , e , y l h] ds ds ; kst uk½ foHkkx</b>	<b>4515-vU; xkeh.k fodkl dk; Øe ij ipthr ifj0; ;</b>					
15		0101-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 4515-00-103-0101	425.21	17.01	408.20	467.84	59.64
		<b>dy ([k)</b>	<b>425.21</b>	<b>17.01</b>	<b>408.20</b>	<b>467.84</b>	<b>59.64</b>
[k	jktLo Hkkfjr i Hkkx						
<b>ix</b>	<b>13-C; kt Hkqrku</b>	<b>2049- C; kt Hkqrku</b>					
16		0001-नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज 2049-01-200-0001	21.52	7.93	13.59	13.59	0.00
		<b>; ksx (X)</b>	<b>21.52</b>	<b>7.93</b>	<b>13.59</b>	<b>13.59</b>	<b>0.00</b>
	<b>dy ; ksx (d+ [k+x)</b>		<b>886.82</b>	<b>214.50</b>	<b>672.32</b>	<b>760.40</b>	<b>88.07</b>

**i f j f' k"V&XIX**  
 ¼/ nHkz % d f M/dk 2-3-9 ( i "B&35½

vH; fi r ugha dh xbl çR; kf' kr cpr ¼, d djKM+ #i ; s l s vf/kd½

¼#i ; s djKM+ e½

Øe l a	vunku@fofu; kstu dh l a , oa uke	cpr	vH; ï .k	vukH; fi r cpr	cpr dk çfr' kr
<b>d- jktLo çHkkx &amp; nÙker</b>					
1	1-कृषि विभाग	40.51	27.05	13.46	33.23
2	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	20.10	18.73	1.37	6.82
3	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	40.47	26.91	13.56	33.51
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2.04	0.66	1.38	67.65
5	6-निर्वाचन	19.79	18.21	1.58	7.98
6	12-वित्त विभाग	21.04	19.40	1.64	7.79
7	15-पेंशन	529.65	4.72	524.93	99.11
8	18-खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	34.12	4.46	29.66	86.93
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	355.35	241.56	113.79	32.02
10	21-उच्चतर शिक्षा विभाग	13.94	0.00	13.94	100.00
11	22-गृह विभाग	238.60	226.48	12.12	5.08
12	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	13.15	10.48	2.67	20.30
13	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	8.22	1.68	6.54	79.56
14	36-लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	24.12	13.48	10.64	44.11
15	41-पथ निर्माण विभाग	37.82	33.16	4.66	12.32
16	42-ग्रामीण विकास विभाग	193.65	164.42	29.23	15.09
17	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	18.50	0.22	18.28	98.81
18	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	270.46	148.8	121.66	44.98
19	45-गन्ना विभाग	11.03	7.51	3.52	31.91
20	46-शहरी विकास विभाग	351.77	319.6	32.17	9.15
21	49-जल संसाधन विभाग	32.05	29.81	2.24	6.99
22	50-लघु सिंचाई विभाग	289.99	280.89	9.10	3.14
23	51-कल्याण विभाग	284.67	186.29	98.38	34.56
24	52-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	6.72	5.57	1.15	17.11



Øe l a	vunku@fofu; kst u dh l a , oa uke	cpr	vH; ï . k	vukH; fi r cpr	cpr dk çfr' kr
25	53-स्वास्थ्य (चिकित्सा, शिक्षा एवं देशी औषधि) विभाग	65.14	54.00	11.14	17.10
26	54-ग्रामीण विकास (आर.इ.ओ., पी. आर., एम. एल.ए./एम.एल.सी. तथा के. के. योजना) विभाग	50.94	38.31	12.63	24.79
	; kx (d)	<b>2973.84</b>	<b>1882.40</b>	<b>1091.44</b>	
[k & i pthxr çHkkx & nÙker					
1	3-भवन निर्माण विभाग	75.94	44.54	31.40	41.35
2	10- उर्जा विभाग	229.61	218.09	11.52	5.02
3	36-लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	318.64	4.75	313.89	98.51
4	41-पथ निर्माण विभाग	176.20	174.52	1.68	0.95
5	42- ग्रामीण विकास विभाग	3.74	1.24	2.50	66.84
6	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2.20	0.00	2.20	100.00
7	49-जल संसाधन विभाग	463.82	438.92	24.90	5.37
8	50- लघु सिंचाई विभाग	60.72	42.45	18.27	30.09
9	53- स्वास्थ्य (चिकित्सा, शिक्षा एवं देशी औषधि)	5.90	1.00	4.90	83.05
10	54- ग्रामीण विकास (आर.इ.ओ., पी. आर., एम. एल.ए./एम.एल.सी. तथा के. के. योजना) विभाग	81.55	67.27	14.28	17.51
	; kx ([k)	<b>1418.32</b>	<b>992.78</b>	<b>425.54</b>	
x-jktLo i Hkkx-Hkkfj r					
1	13-ब्याज भुगतान	801.41	13.74	787.67	98.29
2	15-पेंशन	1.37	0.00	1.37	100.00
	; kx (x)	<b>802.78</b>	<b>13.74</b>	<b>789.04</b>	
?k-i pthxr i Hkkx - Hkkfj r					
1	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	1174.88	1014.33	160.55	13.67
	; kx (?k)	<b>1174.88</b>	<b>1014.33</b>	<b>160.55</b>	
	dy ; kx (d+[k+x+x)	<b>6369.82</b>	<b>3903.25</b>	<b>2466.57</b>	

i j f ' k " V & x x  
 % d n H k z % d f M d k 2-3-10 ( i " B & 36 1/2

ekpl 2007 ds vf're fnu vH; fi r jkf' k

% # i ; s d j k M + e %

Øe l a	vunku@fofu; kst u dh l a , oa uke	ekpl 2007 ds vf're fnu vH; fi r jkf' k
d	jktLo çHkx&nÜker	
1	1- कृषि विभाग	27.05
2	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	18.73
3	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	26.91
4	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	0.66
5	6- निर्वाचन	18.21
6	7-निगरानी	1.97
7	8-नागरिक उड्डयन विभाग	0.33
8	9- सहकारिता विभाग	3.98
9	10-उर्जा विभाग	6.67
10	11-उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	5.28
11	12-वित्त विभाग	19.40
12	15- पेंशन	4.72
13	16- राष्ट्रीय बचत	0.31
14	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	10.21
15	18- -खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	4.46
16	19- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	10.14
17	20- स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	241.56
18	22- गृह विभाग	226.48
19	23- उद्योग विभाग	29.36
20	24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	0.61
21	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम विभाग	0.18
22	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	10.48
23	27- विधि विभाग	29.24
24	29- खनन एवं भूगर्भ विभाग	2.88
25	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1.55
26	31- संसदीय कार्य विभाग	0.26
27	32-विधानमंडल	5.98
28	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1.68
29	35- योजना एवं विकास विभाग	74.15
30	36- लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	13.48
31	37-राजभाषा विभाग	1.37
32	38- निबंधन विभाग	6.54

Øe l a	vunku@fofu; kst u dh l a , oa uke	ekpl 2007 ds vf're fnu vH; fi r jkf'k
33	39-आपदा प्रबंधन	174.12
34	40- राजस्व एवं भूसुधार विभाग	35.73
35	41-पथ निर्माण विभाग	33.17
36	42- ग्रामीण विकास विभाग	164.43
37	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	0.22
38	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	148.81
39	45-गन्ना विभाग	7.51
40	46- पर्यटन विभाग	0.03
41	47-परिवहन विभाग	0.85
42	48-शहरी विकास विभाग	319.60
43	49-जल संसाधन विभाग	29.81
44	50-लघु सिंचाई विभाग	280.89
45	51-कल्याण विभाग	186.29
46	52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	5.57
47	53- स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा एवं देशी औषधि	54.00
48	54- ग्रामीण विकास (आर.ई.ओ., पी. आर., एम.एल.ए./एम.एल.सी. तथा के. के. योजना) विभाग	38.31
	; kx	<b>2284.17</b>
[k	jktLo foHkkx -Hkkfj r	
1	5- राज्यपाल का सचिवालय	0.14
2	13- ब्याज का भुगतान	13.74
3	28- बिहार का उच्च न्यायालय	4.41
4	32-विधानमंडल	0.11
5	34- बिहार लोक सेवा आयोग	0.35
	; kx	<b>18.75</b>
x	i pthx r i Hkkx-nÙkeÙk	
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	44.54
2	10- उर्जा विभाग	218.09
3	11- उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	30.12
4	12- वित्त विभाग	2.17
5	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	4.34
6	20- स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	7.32
7	22- गृह विभाग	94.77
8	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1.68
9	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.01
10	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1.85
11	36- लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	4.75

Øe l a	vunku@fofu; kst u dh l a , oa uke	ekpl 2007 ds vfire fnu vH; fi r jkf' k
12	38- निबंधन विभाग	0.28
13	40- राजस्व एवं भूसुधार विभाग	0.01
14	41- पथ निर्माण विभाग	174.52
15	42- ग्रामीण विकास विभाग	1.23
16	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	0.03
17	45- गन्ना विभाग	0.02
18	46- पर्यटन विभाग	0.07
19	49- जल संसाधन विभाग	438.93
20	50- लघु सिंचाई विभाग	42.45
21	51- कल्याण विभाग	5.59
22	52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	0.01
23	53- स्वास्थ्य (चिकित्सा, शिक्षा एवं देशी औषधि)	1.00
24	54- ग्रामीण विकास (आर.इ.ओ., पी. आर., एम.एल.ए./एम.एल.सी. तथा के. के. योजना) विभाग	67.27
	; kx	<b>1143.05</b>
<b>D</b>	<b>i pthxr i Hkkx-Hkkfjr</b>	
1	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	1014.33
	; kx	<b>1014.33</b>
	dg ; kx (d+ [k+x)	<b>4460.30</b>

**i f j f' k"V&xxi**  
**¼ nHkZ % d fMdk 2-3-11 ( i "B&36½**

I a w kZ ¼ko/kkuka dk mi ; ksx ugha fd; s tkus dh fooj.kh ¼i kap djkm+ #i ; s ; k  
 vf/kd ds ¼R; ¼d ekey½

¼#i ; s djkm+ e½

Øe I a	vunku I a@ foHkkx	ogr- 'kh"Z@vf/kd cpr dk {ks=	dy vunku@fofu; kst u
<b>I-xj &amp; ; kst uk ' kh"Z</b>			
<b>d jktLo&amp;nÙkeÙk</b>			
<b>I</b>	<b>15-i ð ku</b>	<b>2071-i ð ku , oa vll; I øk fuofr ykHk</b>	
1.		0004 उत्तरवर्ती बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को मंहगाई राहत का भुगतान	
		2071-01-101-0004	16.71
<b>II</b>	<b>36 ykd LokLF; vfhk; æ.k foHkkx</b>	<b>2215 ty vki frZ , oa LoPNrk</b>	
2		0001 नलकूप की मरम्मती हेतु गावों को सहायता अनुदान	
		2215-00 - 198 - 0001	7.20
<b>III</b>	<b>39 vki nk i ¼ku foHkkx</b>	<b>2245 i kdfrd vki nk vka l s jkgr</b>	
3		0005-स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नकद भुगतान	
		2245-02-800-0005	10.00
4		0001-आपदा राहत कोष	
		2245-05-101-0001	153.23
<b>IV</b>	<b>44- ek/; fed] i kFkfed , oa 0; Ld f' k{kk foHkkx</b>	<b>2202-l kekU; f' k{kk</b>	
5		0001-पंचायत शिक्षा मित्र को मानदेय हेतु अनुदान	
		2202-01-98-0001	10.00
6		0004-मध्याह्न भोजन	
		2202-01-800-0004	10.00
7		0011-सर्व शिक्षा अभियान	
		2202-01-800-0011	10.00
<b>V</b>	<b>53- LokLF; ¼fpdRI k] f' k{kk , oa ns kh vkskf/k½</b>	<b>2210-fpdRI k , oa ykd LokLF;</b>	
8		0017-इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	
		2210-05-105-0017	10.00

Øe l a	vupku l a@ foHkkx	ogr- 'kh"l@vf/kd cpr dk {ks=	dy vupku@fofu; kst u
	[k i pthxr nUker		
<b>VI</b>	<b>10 mtkZ foHkkx</b>	<b>6801 mtkZ ifj; kstuk ds fy, __.k</b>	
9		0004-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्गत बांड के विरुद्ध बकाया का भुगतान	
		6801-00-800-0004	13.00
<b>VII</b>	<b>12 foUk foHkkx</b>	<b>7610-l j dkjh dfeZ; ka dks __.k</b>	
10		0002-अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम	
		7610-00-201-0002	10.00
<b>VIII</b>	<b>22 xg foHkkx</b>	<b>4055 ifyl ij i pthxr ifj0; ;</b>	
11		0001 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार की समतुल्य राशि	
		4055-00 - 207 - 0001	72.00
	x&i pthxr Hkkfjr		
<b>IX</b>	<b>14 __.k dk i pthxrku</b>	<b>6003 jkT; l j dkj dk vkrfjd __.k</b>	
12		0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	
		6003-00 - 110 - 0001	1000.00
	II-योजना शीर्ष		
	क-राजस्व दत्तमत्त प्रभाग		
		परिशिष्ट-XXVI (II) में उल्लिखित चार मामले	290.18
	ख-पूँजीगत दत्तमत्त प्रभाग		
		परिशिष्ट-XXVI (II) में उल्लिखित सात मामले	251.03

dy ; ksx : **1863.35**

**विभाग V & XXII**  
**नियम 2-3-12 (B & 36)**

वस्तु एवं सेवा कर का विवरण

क्र. सं. 1/2007

क्र. सं.	वस्तु एवं सेवा कर का विवरण	वस्तु एवं सेवा कर	प्रतिशत	वस्तु एवं सेवा कर	वस्तु एवं सेवा कर
( रुपये करोड़ में )					
<b>वस्तु एवं सेवा कर</b>					
1.	9 - लघु उद्योग	125.83	3.66	3.98	0.32
2.	19 - औद्योगिक	73.78	6.82	10.14	3.32
3.	29 - [कृषि, पशु चिकित्सा] वस्तु एवं सेवा कर	8.95	2.45	2.88	0.43
4.	38 - फुटपाथ वस्तु एवं सेवा कर	39.62	2.76	6.54	3.78
5.	39 - वित्त व सेवा वस्तु एवं सेवा कर	209.20	152.54	174.12	21.58
	<b>कुल (द) :</b>	<b>457.38</b>	<b>168.23</b>	<b>197.66</b>	<b>29.43</b>
<b>वस्तु एवं सेवा कर</b>					
6	38 - फुटपाथ वस्तु एवं सेवा कर	1.36	0.13	0.28	0.15
	<b>कुल (क) :</b>	<b>1.36</b>	<b>0.13</b>	<b>0.28</b>	<b>0.15</b>
<b>कुल (द+क) :</b>		<b>458.74</b>	<b>168.36</b>	<b>197.94</b>	<b>29.58</b>

**i f j f' k"V&xxiii**  
**¼ nHkZ % dMdk 2-3-13 ( i "B&36½**

ekpl 2007 ea 0; ; dh rhoꝛk

dk'skkxkj ekg	jktLo 0; ;	iꝛthxr 0; ;	dy 0; ;	çR; d frekgh ea 0; ; dk çfr'kr	ekpl ekg ea 0; ; dk çfr'kr
अप्रैल	6.42	4.70	11.12		
मई	145.04	23.69	168.73		
जून	1154.20	43.07	1197.27		
; kx	<b>1305.66</b>	<b>71.46</b>	<b>1377.12</b>	<b>5</b>	
जुलाई	1873.58	52.19	1925.77		
अगस्त	1280.12	78.66	1358.78		
सितम्बर	1154.92	70.90	1225.82		
; kx	<b>4308.62</b>	<b>201.75</b>	<b>4510.37</b>	<b>18</b>	
अक्टूबर	1574.38	165.59	1739.97		
नवम्बर	834.67	394.99	1229.66		
दिसम्बर	1291.79	608.24	1900.03		
; kx	<b>3700.84</b>	<b>1168.82</b>	<b>4869.66</b>	<b>19</b>	
जनवरी	2282.57	274.51	2557.08		
फरवरी	1471.20	227.78	1698.98		
मार्च 2007 (पी)	6710.85	2267.71	8978.56		
मार्च 2007 (एस)	805.30	999.10	1804.40		
; kx:	<b>11269.92</b>	<b>3769.10</b>	<b>15039.02</b>	<b>58</b>	<b>42</b>
dy ; kx (fuoy)	<b>20585.04</b>	<b>5211.13</b>	<b>25796.17</b>	<b>100.00</b>	



**i f j f' k"V&xxiv(i)**  
**1/1 nHkZ % dMdk 2-3-14 ( i "B&36½**  
**vI ek' kKf/kr 0; ; dh foj . kh**

%#i ; s djkm+e#

Øe l a	ogr 'kh"Z	fu; a=h i nkf/kdkfj; ka dh l a; k	vkf' kd l ek' kKf?kr	vI ek' kKf/kr jKf' k
1.	2011-राज्य विधायिका	2	9.13	35.47
2.	2012-राज्यपाल	1		3.05
3.	2013-मंत्रि परिषद	1	1.42	4.10
4.	2014-न्याय प्रशासन	2	32.72	145.34
5.	2015-निर्वाचन	1	2.59	76.76
6.	2029-भू-राजस्व	4	0.18	156.75
7.	2030-मुद्रांक एवं निबंधन	1	23.5	13.35
8.	2039-राज्य उत्पाद	1	9.45	8.85
9.	2040- विक्रय कर	1	11.15	16.15
10.	2041-वाहन कर, परिवहन	1	0	6.03
11.	2045-अन्य कर	1	0.12	0.40
12.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ	1		2.35
13.	2049-ब्याज भुगतान	1		3415.66
14.	2051-लोक सेवा आयोग	1	0.96	6.13
15.	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ	48	12.21	43.92
16.	2053-जिला प्रशासन	2	24.15	471.81
17.	2054-प्रशिक्षण एवं लेखा प्रशासन	1	0.04	28.96
18.	2055-पुलिस	2	133.27	1080.44
19.	4055-पुलिस	1		16.55
20.	2056-कारा	1	31.27	46.41
21.	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	4	4.33	3.93
22.	2059-लोक कार्य	2	25.32	37.38
23.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	12	1.41	106.00
24.	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1		2497.09
25.	2075-विविध सामान्य सेवाएँ	1		0.00
26.	2202-सामान्य शिक्षा	2	12.35	5191.48
27.	2203-तकनीकी शिक्षा	1		23.49
28.	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	2.71	11.99
29.	2205- कला एवं संस्कृति	1		1.05
30.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3		847.82
31.	2211-परिवार कल्याण	1		136.80
32.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1	0.18	195.88
33.	2217-नगर विकास	1		279.58
34.	2220-सूचना एवं प्रसारण	1	10.06	6.95
35.	2225-अनु. जाति, अनु. ज. जा. एवं अ. पि. व. का कल्याण	1		130.74
36.	2230-श्रम एवं नियोजन	3	104.61	291.30
37.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2	63.65	230.79
38.	2236-पोषण	1		260.87

Øe l a	ogr 'kh"l	fu; a=h i nkf/kdkfj; ka dh l q; k	vkf' kd l ek' kkf?kr	vl ek' kkf/kr j kf' k
39.	2245-प्राकृतिक आपदाओं हेतु सहाय्य	1		36.89
40.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	1	0.0031	2.71
41.	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			2.81
42.	2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	12	3.18	10.60
43.	2401-फसल उत्पादन	1	143.81	101.51
44.	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	1	3.42	6.41
45.	2403-पशुपालन	1		71.95
46.	2404-दुग्ध विकास	1		58.94
47.	2405-मत्स्य	1	1.34	8.62
48.	2406-वन एवं वन्य जीवन	8	61.58	4.11
49.	2415-कृषि अनुसंधान	1	2.12	79.23
50.	2425-सहकारिता	1	27.25	12.52
51.	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	1	1.26	1.09
52.	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1		51.57
53.	2505-ग्रामीण रोजगार	1	0.02	735.48
54.	2506- भू-सुधार	1		0.00
55.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2	3.02	521.99
56.	2700-वृहत सिंचाई	1	36.44	60.10
57.	2701- मध्यम सिंचाई		11.86	36.88
58.	2702-लघु सिंचाई	1	1.68	112.36
59.	2705-कमांड क्षेत्र विकास	1		54.50
60.	2711-बाढ़ नियंत्रण	1	22.23	20.61
61.	2801- उर्जा	1		1078.90
62.	2810-गैर परम्परागत उर्जा के स्रोत			1.74
63.	2851-ग्राम्य एवं लघु उद्योग	1	0.2	55.53
64.	2852-उद्योग		1.18	23.05
65.	2853-अलौह खनन एवं धातु उद्योग	1	3.54	2.85
66.	3053-नागरिक उड्डयन	1		1.10
67.	3054-पथ एवं पुल	1	7.74	103.33
68.	5054- पथ एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय			843.75
69.	3055- पथ परिवहन	1		1.14
70.	3075-अन्य परिवहन सेवाएँ	2		0.23
71.	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	12	2.13	16.96
72.	3452-पर्यटन	1	1.78	1.58
73.	3454-जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	3		15.01
74.	3456-असैनिक आपूर्ति	1	0.45	58.28
75.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3	4.06	0.12
76.	3604- स्थानीय निकायों एवं पी आर ई को क्षतिपूर्ति एवं आबंटन	1		4.00
77.	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1		14.59

Øe l a	ogr 'kh"l	fu; a=h i nkf/kdkfj ; ka dh l d; k	vkf' kd l ek' kkf?kr	vl ek' kkf/kr j kf' k
78.	4058- लेखन एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	1		0.00
79.	4059- लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1		32.20
80.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1		70.56
81.	4202-शिक्षा एवं खेल आदि पर पूँजीगत परिव्यय	1		106.44
82.	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1		168.13
83.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	1		1.07
84.	2216- आवास	1		0.15
85.	4225-अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अ. पि. वर्गों के कल्याण हेतु पूँजीगत परिव्यय	1		59.01
86.	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1	2.02	4.82
87.	4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	1		0.00
88.	4406-वन एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	1	0.77	0.02
89.	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	1	7.93	2.52
90.	4515-ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1	9.5	396.84
91.	4700-वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1	36.45	59.88
92.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		4.31	7.60
93.	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1		0.28
94.	4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूँजीगत परिव्यय	1	13.76	28.83
95.	4801- उर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	1		433.76
96.	4810- गैर परम्परागत उर्जा स्रोत पर पूँजीगत परिव्यय	1		0.00
97.	4885-उद्योग एवं खनिज पर पूँजीगत परिव्यय	1		411.47
98.	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	1	8.33	8.81
99.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1		0.00
100.	5053- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	1		1.00
101.	dy	<b>204.00</b>	<b>940.14</b>	<b>21838.05</b>

## i f j f ' k " V & XXIV (II)

% n h k z % d f M d k 2-3-14 ( i " B & 36 1/2  
foHkxokj v l ek' k k f / k r 0 ; ; d h f o o j . k h

Ø- I-	foHkx dk uke	fu; æh i nkf/kdkjh	v l ek' k k f / k r j k f ' k % # i ; s d j k M + e %
1	वित्त विभाग	(I) सचिव, वित्त विभाग	6049.74
2	I-सामान्य विभाग मानव संसाधन विभाग III-तकनीकी शिक्षा	I-सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा II-सचिव, उच्च शिक्षा, पटना III- उप सचिव, कला एवं संस्कृति IV-उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	5334.45
3	ग्रामीण विकास विभाग	I-आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग	1709.88
4	उर्जा विभाग	I-सचिव, उर्जा विभाग	1514.40
5	स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	सचिव, स्वास्थ्य विभाग	1349.70
6	गृह विभाग	I-निदेशक एवं महानिरीक्षक, बिहार पटना. II-आई.जी. (कारा), गृह विभाग	1143.40
7	पथ एवं पुल	I-मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग	948.45
8	सामाजिक कल्याण	I-सचिव, कल्याण विभाग	702.35
9	राजस्व विभाग	सचिव, राजस्व मंडल, राजस्व विभाग	805.12
10	उद्योग विभाग	निदेशक, उद्योग	490.05
11	नगर विकास	सचिव, नगर विकास	476.53
12	जल संसाधन विभाग	आयुक्त सह सचिव, जल संसाधन विभाग	310.04
13	श्रम एवं नियोजन	सचिव, श्रम विभाग	291.3
14	कृषि विभाग	सचिव, कृषि विभाग	188.24
15	पशुपालन विभाग	सचिव, पशुपालन विभाग	139.51
16	विधि विभाग	सचिव, विधि विभाग	145.34
		; k s x	<b>21598.50</b>

**ifj'k"V&XXV(I)**  
*nkZ % dMdk 2-3-15( i "B&37½*

½ ; kstukxr ; kstuk ds vxr cpr dh foj . kh

*½ i ; s djkm+ e½*

; kstuk, j	dy çko/kku %ey \$ ij d½	okLrfod 0; ;	cpr	; kstuk, j
1. राज्य योजना	10622.90	8456.76	2166.14	20.39
2. केन्द्र योजना	94.54	19.18	75.36	79.71
3. केन्द्र प्रायोजित	1506.41	921.21	585.20	38.85
dy	<b>12223.85</b>	<b>9397.15</b>	<b>2826.70</b>	<b>23.12</b>
4. गैर योजनागत	19623.62	16714.35	2909.27	14.83
5. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2199.86	1024.98	1174.88	53.41
dy ; kx fuoy	<b>34047.33</b>	<b>27136.48</b>	<b>6910.85</b>	<b>20.30</b>
6. व्यय की कमी	0.00	7.09	-7.09	
dy ; kx l dy	<b>34047.33</b>	<b>27143.57</b>	<b>6903.76</b>	

**i f j f' k"V&XXV(II)**  
 ॥ nHkZ % dMdk 2-3-15 ( i "B&37%

॥I½ ; kst ukxr ; kst ukvka ds vrxr i kip djkm+ #i ; s ; k vf/kd dh cpr foj . kh

%#i ; s djkm+ e#

Øe I a	vuqku I a	ys[kk 'kh"KZ ved; @y?k@mi 'kh"KZ@; kst uk½	dy çko/kku %eny\$ij d½	okLrfod 0; ;	cpr
d	j kT; ; kst uk				
<b>I</b>	<b>3</b>	<b>4059-yksd dk; Lij i pthxr ifj0; ;</b>			
<b>1</b>		0111 भवन निर्माण (माध्यमिक शिक्षा) 4059-80-051-0111	26.20	0.15	26.05
<b>II</b>	<b>10</b>	<b>6801-mtkZ ifj; kst ukvka ds fy, __.k</b>			
<b>2</b>		0105 बिहार राज्य विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड) 6801-00-201-0105	52.17	27.67	24.50
<b>3</b>		0101 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-800-0101	83.26	63.00	20.26
<b>4</b>		0106- बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण, एपी.डी.आर.पी. 6801-00-800-0106	150.03	0.00	150.03
<b>III</b>	<b>18</b>	<b>3456-vl fud vki frl</b>			
<b>5</b>		0102 जिला प्रभार-जन वितरण प्रणाली(उपभोक्ता संरक्षण) 3456-00-800-0102	28.04	0.01	28.03
<b>IV</b>	<b>21</b>	<b>2202-l kekl; f' k{kk</b>			
<b>6</b>		0118 राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन संस्थान हेतु 2202-03-102-0118	20.00	1.55	18.45
<b>V</b>	<b>22</b>	<b>2070 vl; iz kkl fud l ok, j</b>			
<b>7</b>		0102 अग्निशमन उपकरण का क्रय 2070-00-108-0102	9.51	3.71	5.80
<b>VI</b>	<b>23</b>	<b>2852 m   ksx</b>			
<b>8</b>		0110 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार सहायतानुदान पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर 2852-80-102-0110	34.19	11.26	22.93
<b>VII</b>	<b>35</b>	<b>2053 ftyk iz kkl u</b>			
<b>9</b>		0104 राष्ट्रीय सम विकास योजना 2053-00-800-0104	345.00	285.00	60.00

Øe l a	vunku l a	ys[kk 'kh"KZ ved; @y?k@mi 'kh"KZ@; kst uk½	dy çko/kku %eny\$ij d½	okLrfod 0; ;	cpr
<b>VIII</b>	<b>36</b>	<b>4215-tyki frl , oa LoPNrk ij i wthxr ifj0; ;</b>			
<b>10</b>		0101 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति सामान्य 4215-01-102-0101	52.18	25.32	26.86
<b>11</b>		0102 20,000 जनसंख्या तक ग्रामीण/उपनगर क्षेत्र 4215-01-102-0102	8.00	2.72	5.28
<b>12</b>		0103 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना (नलकूप, कुआँ, पाइप इत्यादि) 4215-01-102-0103	42.00	16.72	25.28
<b>13</b>		0116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के आधारभूत विकास हेतु नाबार्ड से ऋण 4215-01-102-0116	35.00	18.75	16.25
<b>14</b>		0117 ग्रामीण पइप जलापूर्ति योजना -न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 4215-01-102-0117	15.00	1.91	13.09
<b>15</b>		0118 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय कार्यक्रम के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना 4215-01-102-0118	7.88	2.20	5.68
<b>IX</b>	<b>41</b>	<b>5054-i Fk , oa iwyka ij i wthxr ifj0; ;</b>			
<b>16</b>		0103 पुल (नाबार्ड ऋण) 5054-03-101-0103	80.00	50.55	29.45
<b>17</b>		0102 मुख्य पथ 5054-03-337-0102	678.29	501.08	177.21
<b>18</b>		0104 सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना, पथ निर्माण 5054-03-337-0104	7.65	0.68	6.97
<b>19</b>		0106 केन्द्रीय पथ कोष 5054-03-337-0106	80.00	36.42	43.58
<b>20</b>		0101 पुल 5054-03-101-0101	180.57	173.55	7.02
<b>X</b>	<b>42</b>	<b>2501-xkeh.k fodkl grq fo'kš'k dk; Øe</b>			
<b>21</b>		0102 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2501-01-800-0102	84.10	48.71	35.39
		<b>2505</b>			
<b>22</b>		0110 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2505-01-701-0110	118.00	100.84	17.16

Øe l a	vunpu l a	ys[kk 'kh"KZ %ed; @y?k@mi 'kh"KZ@; kst uk½	dy çko/kku %eny\$ij d½	okLrfod 0; ;	cpr
23		0102 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2505-60-105-0102	200.00	125.77	74.23
24		0103 राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2505-60-105-0103	120.00	86.54	33.46
		<b>2515 vl; xkeh.k fockl dk; Øe</b>			
25		0001 प्रक्रमोत्तर-2 प्रखंड 2515-00-102-0001	130.00	107.65	22.35
XI	43	<b>2203 rduhdh f' k{kk</b>			
26		0103 निदेशक तकनीकी शिक्षा 2203-00-001-0103	14.60	2.30	12.30
XII	44	<b>2202-l kekl; f' k{kk</b>			
27		0101 पंचायत शिक्षा मित्रों को अनुदान हेतु मानदेय 2202-01-198-0101	74.25	56.87	17.38
28		0011 सर्व शिक्षा अभियान 2202-01-198-0011	10.00	0.00	10.00
29		0101 मध्य विद्यालय के उपकरण हेतु क्रय 2202-01-052-0101	7.50	0.75	6.75
XIII	45	<b>2401 Ql y mRi knu</b>			
30		0109 गन्ना विकास 2401-00-108-0109	13.69	6.90	6.79
XIV	48	<b>2215-tyki frl , oa LoPNrk</b>			
31		0102 वित्त आयोग की अनुशंसा पर पेय जल आपूर्ति एवं निकासी के लिए सहायता 2215-01-192-0102	30.00	18.52	11.48
32		0116 समेकित नगर विकास हेतु नगर स्थानीय निकायों को अनुदान 2215-01-193-0116	10.00	0.00	10.00
33		0122 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन योजना 2215-01-800-0122	500.00	182.15	317.85
XV	49	<b>4700- ogr fl pkbz ij i wthxr ifj0; ;</b>			
34		0101 कोशी वेसिन (कार्य) हेतु सिंचाई योजना 4700-01-800-0101	20.00	0.94	19.06
35		0102 कोशी वेसिन (कार्य) हेतु सिंचाई योजना (ए.आई.बी.पी.) 4700-01-800-0102	100.00	34.19	65.81



Øe l a	vunku l a	ys[kk 'kh"KZ ved; @y?kq@mi 'kh"KZ@; kst uk½	dy çko/kku %eny\$ij d½	okLrfod 0; ;	cpr
36		0103 किउल बढुआ चंदन बेसिन (नाबार्ड प्रायोजित योजना) (कार्य) 4700-04-800-0103	11.00	0.00	11.00
		4701-e/; e fl pkbz ij i wthxr ifj0; ;			
37		0102 कोशी बेसिन (कार्य) हेतु सिंचाई योजना (नाबार्ड प्रायोजित योजना) 4701-03-800-0102	20.00	4.43	15.57
38		0103 किउल बढुआ चंदन बेसिन (कार्य) (नाबार्ड प्रायोजित योजना) 4701-04-800-0103	23.17	8.84	14.33
		4711-ck<+fu; æ.k ifj; kst ukvka ij i wthxr ifj0; ;			
39		0108 गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना 25 प्रतिशत राज्यांश (कार्य) 4711-01-001-0108	9.53	2.52	7.01
40		0111 बाढ़ नियंत्रण बाँध परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित योजना) (कार्य) 4711-01-001-0111	16.00	2.08	13.92
41		0112 निकासी परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित योजना) (कार्य) 4711-01-001-0112	75.00	0.94	74.06
XVI	50	2702-y?kq fl pkbz			
42		0105 राष्ट्रीय सम विकास योजना 270--03-103-0105	255.00	0.00	255.00
		4702- y?kq fl pkbz ij i wthxr ifj0; ;			
43		0101 लघु सिंचाई 4702-00-101-0101	8.47	2.93	5.54
44		0102 सतही सिंचाई परियोजना (ए. आई. बी. पी.) 4702-00-101-0102	10.00	0.00	10.00
45		0101 नलकूप योजनाओं के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण 4702-00-102-0101	64.66	35.00	29.66
XVII	51	2236 i ksk.k			
46		0102 गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं धाय माताओं के लिए पोषक भोजन वितरण हेतु योजना 2236-02-101-0102	397.20	260.88	136.32

Øe l a	vunku l a	ys[kk 'kh"KZ ved; @y?k@mi 'kh"KZ@; kst uk½	dgy çko/kku %eny\$ij d½	okLrfod 0; ;	cpr
47		0802 पोषकेत्तर गर्भवती महिलाओं एवं प्रसवोत्तर माँ के लिए पोषक भोजन वितरण हेतु योजना 2236-02-101-0802	15.18	0.00	15.18
		4235 l kekftd l j {kk , oa dY; k.k ij iwthxr ifj0; ;			
48		0101 सामाजिक कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण. 4235-02-051-0101	9.50	4.02	5.48
XVIII	54	4515 vl; xkeh.k fodkl dk; Øe ij iwthxr ifj0; ;			
49		0103 मुख्यमंत्री का ग्रामीण संपर्क पथ योजना 4515-00-103-0103	300.00	227.15	72.85
50		0104 मुख्यमंत्री का सेतु निर्माण योजना 4515-00-103-0104	50.00	0.00	50.00
		; ksx	<b>4631.82</b>	<b>2543.17</b>	<b>2088.65</b>
[k	dlnh; i k; kftr ; kst uk				
XIX	20	2210-fpfdRI k , oa ykxd LokLF;			
51		0602 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कालाजार सहित 2210-06-101-0602	28.61	12.10	16.51
		2211-ifjokj dY; k.k			
52		0602 स्वास्थ्य उप केन्द्र 2211-00-101-0602	138.10	100.19	37.91
XX	36	4215-tyki frl , oa LoPNrk ij iwthxr ifj0; ;			
53		0602 केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 4215-01-102-0602	374.42	155.90	218.52
54		0603 त्वरित नगर जलापूर्ति योजना 4215-01-102-0603	25.00	4.48	20.52
XXI	41	5054 i Fk , oa i yka ij iwthxr ifj0; ;			
55		0601 अंतर्राज्यीय महत्वपूर्ण पथ संपर्क 5054-80-800-0601	10.00	0.00	10.00
56		0602 अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पथ संपर्क 5054-80-800-0602	10.00	0.00	10.00
XXII	44	2202 l kekU; f' k{kk			
57		0605 आइ.टी.सी. परियोजना 2202-02-109-0605	19.48	2.25	17.23

Øe l a	vunku l a	ys[kk 'kh"KZ %ed[; @y?k@mi 'kh"KZ@; kst uk½	dy çko/kku %eny\$ij d½	okLrfod 0; ;	cpr
<b>XXIII</b>	<b>49</b>	4711-ck<+fu; æ.k ifj; kst ukv/ka ij i pthxr ifj0; ;			
<b>58</b>		0602 तिमुहानी कुरसेला बाँध पर निर्माण कार्य 4711-01-800-0602	10.00	0.00	10.00
<b>59</b>		0610 गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य 4711-01-800-0610	50.00	7.65	42.35
<b>60</b>		0611 सहायक केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जल निकासी परियोजना 4711-01-800-0611	20.00	5.00	15.00
<b>XXIV</b>	<b>51</b>	2235-l kekftd l j {kk , oa dY; k.k			
<b>61</b>		0602 समग्र बाल विकास योजना 2235-02-102-0602	204.10	157.57	46.53
<b>62</b>		0603 बाह्य प्रायोजित योजना (विश्व बैंक राज्य प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना) 2235-02-102-0603	66.66	4.56	62.10
		; kx	<b>956.37</b>	<b>449.70</b>	<b>506.67</b>
x	dlnh; ;	dst uk dk; Øe			
<b>XXV</b>	<b>35</b>	3454-tul a[; k] l o[k.k , oa l kf[; dh			
<b>63</b>		0401 आर्थिक जनगणना 3454-02-204-0401	7.27	0.69	6.58
<b>XXVI</b>	<b>49</b>	4711-ck<+fu; æ.k ifj; kst uk ij i pthxr ifj0; ;			
<b>64</b>		0404 कमला नदी के तटबंध का विस्तार (भारतीय भाग) एवं उँचाईकरण एवं सुदृढीकरण (100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता) 4711-01-800-0404	20	9.59	10.41
<b>65</b>		0409 बागमती नदी के बाँध सुदृढीकरण एवं विस्तार 4711-01-800-0409	50	1.52	48.48
		; kx	<b>77.27</b>	<b>11.80</b>	<b>65.47</b>
		l dy ; kx %d\$ [k\$ x½	<b>5665.46</b>	<b>3004.67</b>	<b>2660.79</b>

## i f j f ' k " V &amp; X X V I

1/1 anhkz % dafMdk 2-3-16 ( i "B&amp;38%

vkdfLed dk'sk l s vfxe dh vfu; fer vkgj .k ds n'kkz s x; s ekeys dh fooj .kh

1/1#i ; s yk[k e%z

Ø- l a	Lohdfr l a[ ; ka , oa fnukad	foHkkx ys[kk 'kh"kz %ogr@y?ki@mi 'kh"kz vupku@ekax l a[ ; k	vfxe dk mí\$ ;	vfxe dh j kf' k	dy cpr dh j kf' k	dy vH; fi r j kf' k	vH; fDr
1	209/2006-07 दिनांक 13.3.2007 एस -III	गृह विभाग अनुदान संख्यां 22 वृहत शीर्ष 2056 कारा 101-0104	राज्य के 54 कारा के लिए जेनरेटर का क्रय एवं कारा का आधुनिकीकरण	118.80	118.80	118.80	54 जेनरेटरों के क्रय हेतु अग्रिम से कोई व्यय नहीं किया गया। यह दर्शाया कि अग्रिम बिना उचित आकलन एवं आवश्यकता के अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
2	01/2006-07 दिनांक 26.4.2006	उर्जा विभाग अनुदान सं.-10 वृहत शीर्ष 2801 उर्जा 80-190- 0001	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संसाधन अंतर  पूरक मांग 33/200607 रु. 54000.00 अग्रिम <u>12506.00</u> 66506.00	12506.00			मूल बजट में 1077.50 करोड़ रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध 412.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, 5.40 करोड़ रुपये पूरक एवं 125.06 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम। जुलाई 06 में पारित प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जा सकता था।
3	249/2006 दिनांक 15.3.2007 एस III	चिकित्सा विभाग अनुदान सं. 20 वृहत शीर्ष 4210 सह-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 02-051-0101	अनुमंडल केन्द्र के 689 भवनों का निर्माण (नाबार्ड प्रायोजित योजना)	3893.16			व्यय आवश्यक प्रवृत्ति का नहीं था मार्च में पारित तीसरे अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जा सकता था तथापि 52.87 करोड़ रुपये के आलकन के विरुद्ध मूल बजट में मात्र 13.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया एवं 38.94 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया गया।
4	236/2006-07 / दिनांक 14.3.2007 एस-III	गृह विभाग अनुदान सं. 22 वृहत शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 60-800-0108	कब्रिस्तान की चारदीवारी 100.00	100.00	20.00	0.06	व्यय आवश्यक प्रवृत्ति का नहीं था प्रावधान मूल बजट में किया जा सकता था।
5	201/2006-07 दिनांक 12.3.2007 एस-III	गृह विभाग अनुदान सं. 22 वृहत शीर्ष 2055 पुलिस 00-109- 0005	जनवरी 07 से मार्च 07 तक सहायक आरक्षी का वेतन	1600.00	638.94	638.94	व्यय आवश्यक प्रकृति का नहीं था। मार्च में पारित तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था।

क्र. सं.	दिनांक	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	
6	162/2006-07 दिनांक 12.6.2006 एस-I	उद्योग विभाग अनुदान सं. 23 वृहत् शीर्ष 6885 उद्योग 01-190-0110	बिहार राज्य वित्त निगम को ब्याज रहित ऋण	7100.00		व्यय आवश्यक प्रकृति का नहीं था। प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट दत्तमत जुलाई 06 में किया जा सकता था।	
7	04/2006-07 दिनांक 3.05.6 एस-I	गृह विभाग अनुदान सं. 22 वृहत् शीर्ष 2055 पुलिस 00-109-0005	वर्ष 2006-07 के लिए 5000 सहायक पुलिस को वेतन यात्रा भत्ता का भुगतान	2280.00	638.94	638.94	व्यय आवश्यक प्रकृति का नहीं था। प्रावधान द्वितीय अनुपूरक बजट दिसम्बर में किया जा सकता था। तथापि इस उद्देश्य हेतु प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट में पहले ही किया गया था।
8	23/2006-07 दिनांक 4.07.06 एस-I	जल संसाधन विभाग अनुदान सं.-49 वृहत् शीर्ष 4700 वृहत् परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय 80-800-0101	पूर्वी गंडक नहर के पुर्नस्थापन हेतु राष्ट्रीय सम विकास योजना का भुगतान	1000.00	999.01	996.73	व्यय आवश्यक प्रकृति का नहीं था। प्रावधान दूसरे अनुपूरक बजट दिसम्बर में किया जा सकता था। तथापि संपूर्ण प्रावधान अव्यवहृत रहा।
9	18/2006-07 दिनांक 20.0606 एस-I	शहरी विकास विभाग वृहत् शीर्ष 2215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-192-0102 अनुदान सं. 48	वित्त आयोग की अनुशंसा पर पेय जलापूर्ति एवं निकासी के लिए सहायता	1500.00	1147.77		30.00 करोड़ रुपये आवश्यकता के विरुद्ध 15.00 करोड़ रुपये मूल बजट में प्रावधानित था, बम: बी. सी. एफ. से अग्रिम की आवश्यकता हुई। दूसरे अनुपूरक बजट दिसम्बर में पारित होने तक प्रतीक्षा किया जाना चाहिए था।
10	07/2006-07 दिनांक 19.05.06 एस-I	ग्रामीण विकास विभाग अनुदान सं. 54 वृहत् शीर्ष 2015 निर्वाचन 00-109-0002	पंचायत/स्थानीय निकाय के निर्वाचन हेतु व्यय	4504.61	843.61	843.61	व्यय अप्रत्याशित नहीं हो सकता था। प्रावधान नियमित बजट में किया जाना चाहिए था। 66.87 करोड़ रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध 21.82 करोड़ रुपये का प्रावधान मूल बजट में किया गया।
11	12/2006-07 दिनांक 27.5.06 एस-I	ग्रामीण विकास विभाग अनुदान सं. 54 वृहत् शीर्ष 2015 निर्वाचन 00-101-0001	राज्य निर्वाचन आयोग हेतु एम्बेसडर कार के क्रय का भुगतान (पंचायती राज)	4.09			व्यय वैसा नहीं है जो अप्रत्याशित हो सके। प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था।
12	128/2006-07 दिनांक 10.01.07 एस-III	स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अनुदान सं. 20 वृहत् शीर्ष 2210 चिकित्सा	कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम के वेतन आकस्मिक इत्यादि के	159.06	370.79		जारी योजना के कारण व्यय अप्रत्याशित नहीं था और प्रावधान मूल बजट/ प्रथम अनुपूरक बजटमें किया जाना

Ø- I a	Lohdfr l a; ka, oa fnukad	foHkkx ys[kk 'kh"KZ %ogr@y?kq@mi 'kh"KZ vuunku@ekax l a; k	vfxe dk mí's;	vfxe dh j kf' k	dy cpr dh j kf' k	dy vH; fir j kf' k	vH; fDr
		01-200-0002	लिए सहायता				चाहिए था।
13	121/2006-07 दिनांक 29.12.06 एस-III	माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग अनुदान सं. 44 वृहत शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 01-800- 0106	अनौपचारिक शिक्षा के कर्मियों को वेतन, आकस्मिक इत्यादि का भुगतान	628.08	109.57	79.19	जारी योजनाओं हेतु व्यय अप्रत्याशित था, मार्च 07 में पारित मूल बजट/पुरक बजट में प्रावधान किया जा सकता था।
14	191/2006-07 दिनांक 7.3.07 एस-III	उच्चतर शिक्षा विभाग, अनुदान सं. 21 मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 03-102-0119	नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्व विद्यालय को भू अधिनियम के लिए भुगतान	873.96			व्यय अप्रत्याशित प्रकार का नहीं था, प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था।
15	226/2006-07 दिनांक 14.03.07 एस-III	माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग अनुदान सं. 44 वृहत शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 02-107- 0601	राष्ट्रीय छात्र वृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान	75.64			व्यय अप्रत्याशित प्रकार का नहीं था, प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था।
16	188/2006-07 दिनांक 6.3.07	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग अनुदान सं. 44, मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं नियोजन 02-800-0102	राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए भुगतान	2804.00			व्यय ऐसा था कि मार्च 07 में पारित तीसरे अनुपूरक बजट तक बजट प्रावधान का प्रतीक्षा किया जाना चाहिए था।
	215/2006-07 दिनांक 13.3.07		II	4830.73			
	216/2006-07 दिनांक 13.3.07		III कुल 10940.00	3305.27			
217/2006-07 दिनांक 13.3.07 एस-III							
17	218/2006-07 दिनांक 13.3.07 एस III	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग अनुदान सं. 26 मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60-102-0001	राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए भुगतान	3168.98	157.21	157.10	व्यय अप्रत्याशित नहीं था। मूल बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था।
18	237/2006-07 दिनांक 14.3.07 एस-III	गृह विभाग अनुदान सं. 22 वृहत शीर्ष 2055 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60-200- 0003	स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता का भुगतान	1193.52	160.45	80.46	तथैव
19	180/2006-07 दिनांक 22.2.07 एस-III	आपदा प्रबंधन विभाग अनुदान सं. 39 वृहत शीर्ष 2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएँ 00-090-0017	कर्मचारियों को एसीपी की अतिरिक्त राशि का भुगतान	8.68	17.92	17.82	तथैव

क्र. सं.	दिनांक	विवरण	प्रकार	अनुदान सं.	वृद्धि	शेष	विवरण	प्रकार	अनुदान सं.	वृद्धि	शेष
20	222/2006-07 दिनांक 13.3.07 एस -III	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अनुदान सं. 36 वृद्ध शीर्ष. 2215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-101-0004	ए.सी.पी. प्रोन्नति के बाद कर्मियों को वेतन का भुगतान		105.96	771.68	614.44	व्यय अप्रत्याशित प्रकार का नहीं था, प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था।			
21	138/2006-07 दिनांक 24.01.07 एस -III	कृषि विभाग अनुदान सं. 1 वृद्ध शीर्ष 2401 फसल पालन 00-109-0111	विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम को मदद		251.72	287.22	266.87	व्यय अप्रत्याशित प्रकार का नहीं था, प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था। 13वाँ पूरक बजट मार्च 2007-08 में पारित किया गया।			
22	185/2006-07 दिनांक 2.3.07 एस - III	जल संसाधन विभाग अनुदान सं. 49 वृद्ध शीर्ष 4711 बाढ़ नियंत्रण पूँजीगत परिव्यय 01-800-0113	जमींदारी बाँध का पुर्नवास		500.00	484.64	428.27	5 करोड़ रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध 15.36 लाख रुपये व्यय किये गये। बचत योजनाओं की स्वीकृति न होने तथा निविदा को अंतिम रूप देने में बिलंब के कारण हुआ यह अनावश्यक अग्रिम सिद्ध हुआ।			
23	137/2006-07 दिनांक 24.01.07 एस -III	वित्त विभाग अनुदान सं. 12 वृद्ध शीर्ष 7610 सरकारी कर्मियों को ऋण 00-202-0004	विधानमंडल के सदस्यों को मोटरकार क्रय हेतु अग्रिम		300.00			व्यय अप्रत्याशित प्रकार का नहीं था, प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था। तथापि 6.00 करोड़ रुपये के आकलन के विरुद्ध मूल बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया एवं बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया गया।			
	136/2006-07 दिनांक 24.01.07	तथैव	भवन निर्माण अग्रिम		50.00			तथैव			
	135/2006-07 दिनांक 24.01.07	तथैव	सदस्यों को मोटरकार अग्रिम कुल 400.00		50.00	157.99	106.99	तथैव			
24	184/2006-07 दिनांक 28.02.07 एस -III	वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर) अनुदान सं. 17 वृद्ध शीर्ष 4047 अन्य राजकोषीय सेवाएं 00-050-0101	चेक पोस्ट के लिए भू-अधिग्रहण हेतु भुगतान		464.65			तथैव, 4.64 करोड़ रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध मूल बजट में कोई राशि प्रावधानित नहीं की गई एवं 4.64 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया गया।			

क्र. सं.	दिनांक	विवरण	प्रकार	मूल्य	प्रतिशत	व्यय	विवरण
25	241/2006-07 दिनांक 14.3.07 एस -III	उच्च न्यायालय अनुदान सं. 28 वृहत शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन 00-102-0104	माननीय उच्च न्यायालय कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण	208.00	11.92	3.89	यह शीघ्र भुगतान वाला नहीं था। प्रावधान मार्च 2007 में पारित अनुपूरक बजट में किया जा सकता था। तदनंतर, 3.89 लाख रुपये 31 मार्च 2007 को अभ्यर्पित किया गया।
26	89/2006-07 दिनांक 15.11.06	वित्त विभाग अनुदान सं.12 वृहत शीर्ष 2054 कोषागार एवं लेखा प्रशासन 00-097-0001	I- कोषागार एवं उप कोषागार में जेनरेटर का क्रय	77.65		155..39	31 मार्च 2007 को 155.39 लाख अभ्यर्पित किये गये।
	47/2006-07 दिनांक 26.8.06		II-जेनरेटर के लिए ईंधन का क्रय	15.00			
27	44/2006-07 दिनांक 19.8.06 एस -III	आपदा प्रबंधन विभाग अनुदान सं. 39 वृहत शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 01-800-0003	कृषि कार्य के लिए कृषि विभाग को अनुदान	3450.00	2796.80	3818.88	अधिकांश प्रावधान अव्यवहृत रहे एवं 31 मार्च 2007 को 38.19 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये।
28	53/2006-07 दिनांक 21.09.06 एस -II	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अनुदान सं. 30 वृहत शीर्ष 4225 अनु. जाति. जन जाति एवं अ.पि.व. के कल्याण हेतु पूँजीगत परिव्यय	अल्पसंख्यक के (हज भवन) का निर्माण	254.86	0.00		व्यय ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रकार का हो सकता था प्रावधान नियमित/दूसरे अनुपूरक बजट दिसंबर 2006 में पारित किया जा सकता था। तथापि 2.69 करोड़ प्राक्कलन के विरुद्ध मूल बजट में 13.96 लाख रुपये प्रावधान किया गया।
29	41/2006-07 दिनांक 8.6.06	गन्ना विभाग अनुदान सं. 45 वृहत शीर्ष 6860 उपभोक्ता उद्योग हेतु ऋण 04-190-0001	I-गन्ना फैक्ट्रीयों को ऋण	884.00			व्यय आकस्मिक प्रकृति का नहीं था। प्रावधान दिसंबर 2006 में पारित दूसरे अनुपूरक बजट में किया जा सकता था। तथापि 8.87 करोड़ रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध मूल बजट में 3.34 लाख रुपये प्रावधान किया गया।
	74/2006-07 दिनांक 6.11.06 एस -II		II-वर्ष 2002-03 से 2005-06 के लिए लेखा परीक्षा	1.48			
30	93/2006-07 दिनांक 16.11.06	लघु सिंचाई विभाग, समापन अनुदान सं. 50 वृहत शीर्ष 4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 00-101-0101	नई/अपूर्ण सिंचाई योजनाओं का समापन	400.00	553.65	553.65	व्यय आकस्मिक प्रकृति का नहीं था। प्रावधान दिसंबर 2007 में पारित दूसरे अनुपूरक बजट में प्रावधान 5.54 करोड़



Ø- I a	Lohdfr l a; ka, oa fnukad	foHkkx ys[kk 'kh"KZ %ogr@y?kq@mi 'kh"KZ vuunku@ekax l a;-; k	vfxe dk mí's;	vfxe dh j kf' k	dy cpr dh j kf' k	dy vH; fi r j kf' k	vH; fDr
	94/2006-07 दिनांक 16.11.06 एस-II	तथैव	तथैव अनुपूरक अनुदान 275.00 रु.	10.00			रुपये में किया प्रावधान किया जा सकता था। तथापि 6.85 करोड़ रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध 2.75 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान में प्रावधित किये गये एवं रु. 5.56 करोड़ का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना परिव्यय में कमी के कारण था।
31	92/2006-07 दिनांक 16.11.06 एस-II	लघु सिंचाई विभाग, समापन अनुदान सं. 50 वृहत शीर्ष 4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 00-102-0103	नई/अपूर्ण लिफ्ट सिंचाई योजनाओं हेतु नाबार्ड से ऋण	1000.00	414.11	407.46	व्यय आकस्मिक प्रकार का नहीं था। प्रावधान दिसंबर 07 में पारित दूसरे अनुपूरक बजट में किया जा सकता था। तथापि 13.00 करोड़ रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध अनुपूरक बजट में 3.00 करोड़ प्रावधित किये गये एवं 31 मार्च को 4.07 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये एवं 6.65 लाख रुपये बचत मुख्यतः योजना परिव्यय में कमी के कारण था।
			पूरक यथा स्वीकृति आदेश सं. 136/2006-07 रु. 300.00				
32	(I)43/2006- 07 दिनांक 18.8.06 एस-II	श्रम एवं नियोजन विभाग अनुदान सं. 26 मुख्य शीर्ष 2230 श्रम एवं नियोजन मं.	बी.डी. श्रमिकों का भवन निर्माण (I). वर्ष 2006. 07 में जमुई जिला में 1016 घर का निर्माण	406	202.28		कुल प्रावधान 4.54 करोड़ रुपये के विरुद्ध 2.51 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार अग्रिम आंशिक रुप से आवश्यक सिद्ध हुआ।
	(II) 105/2006-07 दिनांक 24.11.07 एस-II	तथैव 01-109- 0401	(II) वर्ष 2006-07 में बेगूसराय में 116 भवनों का निर्माण 2006- 07	47.6			
33	50/2006-07 दिनांक 13.9.06 एस-II	नगर विकास विभाग अनुदान सं. 48 वृहत शीर्ष 2217 नगर विकास 80-191-0001	नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्रिय समिति को गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु वेतन महगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान	1002	86.77	86.77	व्यय अप्रत्याशित नहीं था, प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था।

Ø- l a	Lohdfr l a; ka, oa fnukad	foHkkx ys[kk 'kh"KZ %ogr@y?kq@mi 'kh"KZ vuqku@ekax l a;-; k	vfxe dk mí's;	vfxe dh j kf' k	dy cpr dh j kf' k	dy vH; fi r j kf' k	vH; fDr
34	(I) 225/2006-07 दिनांक 14.3.07	उच्चतर शिक्षा विभाग अनुदान सं. 21 वृहत शीर्ष 2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएँ 00-090-0001	उत्तराखंड चुनाव में निर्वाचन पर्यवेक्षक के लिए उपसचिव के यात्रा हेतु यात्रा व्यय (1) उच्चतर शिक्षा में नये उपसचिव के पद हेतु वेतन, मँहगाई भत्ता आदि का भुगतान	0.35	0.44		व्यय ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित हो सकता है। प्रावधान नियमित बजट में किया जा सकता था। तथापि यात्रा व्यय उत्तराखंड सरकार 2015 निर्वाचन से भारत किया जाना चाहिए।
	(II)200/2006 -07 दिनांक 9.3.07 एस -II			1.12			
			dy	61134.97	10990.53	10014.26	

## अनुसूची V & XXVII

अनुसूची 3-1-13 (अनुसूची B&51½)

प्रतिवेदन में 1998-99 के दौरान अनुसूची 4-1 के अंतर्गत 2002-07 के दौरान निम्नलिखित विवरणों का विवरण दिया गया है-

क्र.सं.	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
1	प्रारंभिक व्यय कार्य व्यय के 109 से 179 प्रतिशत के बीच था	मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का कंडिका 4.1 बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति को प्रतिवेदन संख्यां 416 द्वारा संदर्भित किया गया था लेकिन अक्टूबर 2007 तक की गई कार्रवाई का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।	स्थापना व्यय कार्य पर हुए व्यय से 1.39 से 8.94 प्रतिशत अधिक था।	
2	महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण रजिस्टर संधारित नहीं था।		व्यय का अनुश्रवण करने हेतु वांछित कार्य नियंत्रण रजिस्टर संधारित नहीं था।	
3	कार्य के लक्ष्य की तुलना में भौतिक प्राप्ति काफी कम तथा दयनीय थी।		भौतिक प्राप्ति दयनीय थी। 1740 स्वीकृत नलकूपों के विरुद्ध 1593 नलकूप निष्पादन हेत लिए गये जिसमें से 1500 नलकूपों को चालू किया गया।	
4	सिंचाई संभावना का रूका रहना और सृजित सिंचाई संभावना का अल्प उपयोग		अल्प उपयोजन। 2002-07 के दौरान सिंचाई की दर 28742 से 41555 रुपये रही। 2002-07 के दौरान औसत उपयोग केवल सात प्रतिशत थी।	
5	भारी स्थापना व्यय एवं राजस्व की दयनीय वसूली		सिंचाई का दयनीय उपयोजन एवं मात्र 12 प्रतिशत जलकर की वसूली	
6	अपूर्ण/परित्यक्त नलकूपों पर निष्फल व्यय 31.10 करोड़ रुपये		अक्रियाशील पुराने नलकूपों (फेज V) पर 2.15 करोड़ रुपये और अपूर्ण नलकूपों (फेज III) पर 2.33 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय	
7	3.27 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नलकूपों में विद्युतीकरण नहीं किया गया		नलकूपों का विद्युतीकरण नहीं- 212 नलकूपों का विद्युतीकरण नहीं किया गया और बिहार विद्युत बोर्ड के पास 2.85 करोड़ रुपये अनुपयुक्त पड़े रहे।	
8	डीजल जेनरेटर सेट एवं सवमर्सिवल पम्प का अविवेकपूर्ण क्रय : 6.02 करोड़ रुपये		1.24 करोड़ रुपये मूल्य के सामग्रियों जैसे डी. जी. सेट, सवमर्सिवल पम्प की अधिप्राप्ति (फेज-VIII)	
9	बिना कार्य के बने रहे कर्मचारियों पर निरर्थक व्यय : 3.50 करोड़ रुपये		निष्क्रिय कर्मों पर 0.95 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय	
10	सार्थक अनुश्रवण की कमी और नियोजन, अनुश्रवण, क्रय एवं लेखांकन इकाईयों के मध्य सामंजस्य का अभाव		कमजोर अनुश्रवण और मूल्यांकन का नहीं किया जाना	

## Table V & XXVIII

(Table 3.2.9.1; B-61)

2002-03 to 2006-07 के लिए ; कुल जनसंख्या व जनसंख्या के अन्दर आच्छादन का प्रतिशत

क्र. सं.	विवरण	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		जनसंख्या	योजना के अन्दर आच्छादन	कुल जनसंख्या	योजना के अन्दर आच्छादन	कुल जनसंख्या	योजना के अन्दर आच्छादन	कुल जनसंख्या	योजना के अन्दर आच्छादन	कुल जनसंख्या	योजना के अन्दर आच्छादन
1.	0-3 वर्ष के बच्चे	28,51,480	5,81,472 (20)	36,25,215	11,79,469 (33)	61,65,408	22,60,440 (37)	61,95,511	23,87,088 (39)	62,25,924	23,95,487 (38)
2.	3से 6 वर्ष के बच्चे	25,32,806	9,29,005 (37)	32,20,085	9,77,900 (30)	54,76,403	22,57,086 (41)	55,03,141	23,87,872 (43)	55,21,858	23,95,713 (43)
3.	गर्भवती महिलाएं	6,59,004	99,536 (15)	8,38,200	1,04,775 (13)	14,25,528	5,70,211 (40)	14,32,488	5,72,995 (40)	14,37,360	5,74,944 (40)
4.	दुग्धपान कराने वाली माँ	4,39,336	66,537 (15)	5,58,800	69,850 (13)	9,50,352	3,80,141 (40)	9,54,992	3,81,997 (40)	9,58,240	5,74,944 (60)
5.	किशोरियाँ							71,62,440	1,79,061 (03)	71,86,800	3,83,296 (05)
	कुल	<b>64,82,626</b>	<b>16,76,370 (26)</b>	<b>82,42,300</b>	<b>23,31,994 (28)</b>	<b>1,40,17,691</b>	<b>54,67,878 (39)</b>	<b>2,12,48,572</b>	<b>59,09,013 (28)</b>	<b>2,13,30,182</b>	<b>59,29,110 (28)</b>

(स्रोत : आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किया गया आंकड़ा)

## विशेष & XXIX

(लोकसभा अधिनियम-3.2.9.4; वि-63)

प्रयोगशाला के तहत निम्नलिखित के लिए

चॉकलेट का पोषक तत्व	विशेष	प्रयोगशाला		प्रयोगशाला		प्रयोगशाला		प्रयोगशाला	
		500	%	10	%	50	%	7.5	%
प्रयोगशाला	बैच नं.	जांच में पाया गया	%	जांच में पाया गया	%	जांच में पाया गया	%	जांच में पाया गया	%
आइ.टी. एल. लैब, दिल्ली	बी-36	368.70	73.74	6.06	60.60	42.60	85.20	5.51	78.71
	बी-36	368.70	73.74	6.06	60.60	42.60	85.20	5.51	78.71
	बी-25	325.70	65.14	7.20	72.00	44.90	89.80	4.67	66.71
फिक्की, दिल्ली	बी-044	201.25	40.25	5.14	51.40	1.74	3.48	4.27	61.00
	बी-086	298.45	59.69	7.08	70.80	50.75	100.00	4.00	57.14
	बी-123	328.92	65.78	4.40	44.00	60.92	100.00	4.45	63.57
फिक्की, दिल्ली द्वारा प्र.म.ले. बिहार	बीएच-108	375.84	75.17	10.51	100.00	56.05	100.00	6.31	90.14
	बी-100	408.17	81.63	9.37	93.70	12.91	25.82	4.44	63.43
	एम-40	390.09	78.02	11.59	100.00	61.66	100.00	6.81	97.28
ए आर बी आर ओ, दिल्ली	बी -38	18.12	3.60	4.14	41.40	0.00	0.00	4.71	67.28
सी एच ओ के एस आई, इंदौर	एम ओ-26	0.00	0.00	6.62	66.18	2.72	5.44	NA	NA
	बी एच-106	0.00	0.00	6.86	68.60	2.98	5.96	NA	NA
	बी एच-60	265.32	53.06	13.55	100.00	33.65	67.30	4.94	70.57
	बी एच-37	471.87	94.37	13.87	100.00	46.25	92.50	6.49	92.71
	बी एच-128	463.47	92.69	13.97	100.00	46.75	93.50	6.33	90.44
सी एफ टी आर आई, मैसूर	बी एच-091	146.00	29.20	2.42	24.20	322.00	100.00	1.00	14.28
	बी -36	256.00	51.20	3.10	31.00	32.60	65.20	0.60	8.57
	बी एच-126	169.00	33.80	2.20	22.00	31.80	63.60	0.80	11.43
	एम-050	265.00	53.00	4.38	43.80	3.08	6.16	1.64	23.42
श्रीराम प्रयोगशाला, दिल्ली, द्वारा प्र.म. ले. बिहार	बी एच-128	232.10	46.42	6.70	67.00	27.90	55.80	4.70	67.14
	बी -01	185.70	37.14	3.80	38.00	26.60	53.20	6.40	91.43
	एम-051	236.40	47.28	7.20	72.00	27.40	54.80	7.30	100.00
	बी -21	213.70	42.74	5.90	59.00	27.70	55.40	5.40	77.14
	एम-055	290.90	58.18	9.50	95.00	29.40	58.80	7.80	100.00
	बी एच-126	270.50	54.10	6.80	68.00	28.60	57.20	5.10	72.85
एवन खाद्य प्रयोगशाला, दिल्ली, द्वारा प्र.म. ले. बिहार	बी एच-113	784.08	100.00	10.02	100.00	82.71	100.00	8.80	100.00
	बी एच-125	727.79	100.00	10.36	100.00	105.86	100.00	7.30	100.00
	बी -35	575.70	100.00	10.14	100.00	89.74	100.00	7.26	100.00
	बी -37	790.00	100.00	10.01	100.00	74.75	100.00	7.68	100.00
	एम-060	763.87	100.00	10.04	100.00	113.68	100.00	7.83	100.00
	एम-049	816.91	100.00	10.03	100.00	103.29	100.00	8.49	100.00
औसत		<b>355.10</b>	<b>61.61</b>	<b>7.71</b>	<b>72.56</b>	<b>52.70</b>	<b>68.53</b>	<b>5.40</b>	<b>7393</b>

कमी ( प्रतिशत)	38.39	27.44	31.47	26.07
कमी का प्रभावी मूल्य (रुपये)	1,48,99,764	1,06,51,262	1,22,15,311	1,01,18,784

## i f j f' k"V & XXX

(I n h k z d a M d k 3.2.17.1; i "B-68)

v k x u c k M h d h n k a d h l a q r H k k s r d l R; k i u d s f u " d " k z

Ø- l a.	बा.वि.प.का. का नाम	निरिक्षित आंगनबाड़ी केन्द्र की कुट संख्यां	निरिक्षित आंगनबाड़ी की संख्यां	निष्कर्ष				
				[k y s v k x u c k M h d h d y l a ; k a	पाये गये चालु आंगनबाड़ी की कुट संख्यां	आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति	बंद पाये गये आंगनबाड़ी केन्द्र की कुट संख्यां	बंद पाये गये आंगनबाड़ी केन्द्र की कुल संख्या
1.	ताजपुर, समस्तीपुर	08, 05, 20, 09, 06, 02, 68, 147, 36, 38	10	4	06, 68, 147, 36	17 से 30	08, 05, 20, 09, 02, 38	06
2.	सौर बाजार, भागलपुर	13, 15	02	2	13, 15	13 और 27	---	--
3.	सोनहौला, भागलपुर	107, 87, 91	03	2	87, 91	05 और 10	107	01
4.	कोइलवर, भोजपुर	39, 38, 37	03	-	--	--	39, 38, 37	03
5.	गुथनी, सीवान	03, 39, 09, 10, 72, 28	06	2	72, 28	24 और 18	03, 39, 09, 10	04
6.	कोच, गया	144, 127, 05, 150	04	2	05, 150	16 और 18	144, 127	02
7.	दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा	141, 151, 04, 139, 140, 22	06	1	140	13	141, 151, 04, 139, 22	05
8.	बिहिया, भोजपुर	28	01	-	--	--	28	01
9.	शाहपुर, भोजपुर	161, 16, 08	03	-	--	--	16, 08, 161	03
10.	अरेराज, पूर्व चम्पारण	3, 6, 7, 9, 11, 10, 12, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 42, 87, 88, 89, 96	18	4	7, 15, 89, 3	03, 08, 03	6, 9, 11, 10, 12, 8, 13, 14, 16, 17, 42, 87, 88, 96	14
11.	चेरिया बरियारपुर, बेगुसराय	56, 95, 66, 67	04	1	95	35	56, 66, 67	03
12.	भागलपुर, सदर	81, 79, 80, 62, 61	05	3	81, 62, 61	30, 35, 35	79, 80	02
13.	मांझा, गोपालगंज	63, 17, 92, 08, 06, 02, 03, 07, 140, 139, 141, 143, 145, 146, 144, 214	16	3	63, 17, 214	20, 12, 14	92, 08, 06, 02, 03, 07, 140, 139, 141, 143, 145, 146, 144	13
14.	बैकुंठपुर, गोपालगंज	26, 27, 30, 31, 35, 32, 28, 29, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	16	2	35, 29	04, 20	26, 27, 30, 31, 32, 28, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	14
15.	राजनगर, मधुवनी	07, 111, 195, 110, 107, 145, 190	07	2	110, 107	30, 31	07, 111, 195, 145, 190	05
	कुल		<b>104</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0-35</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

## 1998-99 के दौरान 4-1 एन एम 2002-07 के दौरान

(1998-99 के दौरान 4-1 एन एम 2002-07 के दौरान)

1998-99 के दौरान 4-1 एन एम 2002-07 के दौरान

क्र. सं.	शीर्षक	कड़िका का सार	लो.ले.सं. की अनुशंसा/ सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	वर्तमान स्थिति 2002-07
1	3.2.4 (iv) सिविल डिपोजिट में रखे गए निधि	1992-95 के दौरान 1.55 करोड़ रुपये सिविल डिपोजिट में रखे गये।	लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन सं. 387 के द्वारा विचार प्रकट किया कि उठाई गई बिन्दुओं के माननयी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण प्रतिवेदन की अनुशंसाओं को स्थगित रखा जा सकता है।	वर्ष 2002-07 के दौरान नमूना जाँचित 100 परियोजनाओं के 5.65 करोड़ रुपये सिविल डिपोजिट में रखे थे।
(ii)	3.5.4 (v) भारत सरकार की निधि को राज्य प्राप्ति में जमा किया गया	1994-95 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त योजना निधि के 11.40 करोड़ रुपये राज्य प्राप्ति में जमा किये गये।		2002-07 के दौरान 100 परियोजना के द्वारा भारत सरकार की 1.28 करोड़ रुपये की निधि को राजस्व प्राप्ति में जमा किया गया।
2	3.5.4.2 (iii) समायोजित/वसूल नहीं किये गये अग्रिम	विभिन्न अभिकरणों से जून 1999 तक 11.96 करोड़ रुपये की अग्रिम की समायोजित /वसूली नहीं की गई।		100 परियोजनाओं के 48.27 करोड़ रुपये जुलाई 2007 तक असमायोजित/अवसूलित रहे।
(ii)	3.5.4.2 (iv) भारी नकद शेष	मार्च 1995 तक 40.02 करोड़ रुपये के भारी नकद शेष को रखना दुर्विनियोजन एवं दुरुपयोग की जोखिम से परिपूर्ण था।		140.03 करोड़ रुपये का भारी अंतशेष पाया गया।
3.	3.5.5 (i) उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया गया और आहरित निधि का व्यय नहीं किया गया।	80.98 करोड़ की विनिधानित निधि में से 58.25 करोड़ रुपये खर्च किये गये, 17.45 करोड़ रुपये व्यपगत हो गये और 5.28 करोड़ रुपये अव्यवहृत रहे।		विमुक्त किये गये राशि 720.39 करोड़ रुपये के विरुद्ध 589.46 करोड़ का उपयोग किया गया और 130.93 करोड़ रुपये अव्यवहृत रहे।
4.	3.5.6.3 (i) लक्ष्य प्राप्ति में भारी कमी	वर्ष में निर्धारित 300 दिवस के विरुद्ध आठ से 98 दिवस एस एन पी का प्रावधान किया गया।		2002-07 के दौरान औसतन सात प्रतिशत ए डब्ल्यू सी के द्वारा 300 प्रति वर्ष निर्धारित मानक के विरुद्ध 225 एस एन पी का प्रावधान किया गया।
5.	3.5.6.3 (ii) रोग प्रतिरोधन	रोग प्रतिरोधन रजिस्टर, कार्ड का संधारण नहीं किया गया।		रोग प्रतिरोधन रजिस्टर का संधारण ए डब्ल्यू सी या चिकित्सक/ए एन एम द्वारा नहीं किया गया।
6.	3.5.6.3 (iii) स्वास्थ्य जाँच का दयनीय कार्यान्वयन	केन्द्रों पर ए डब्ल्यू डब्ल्यू के द्वारा कोई अभिलेख जैसे टीकाकरण रजिस्टर, जन्मपूर्व कार्ड, डिलिवरी कार्ड, जन्मपूर्व/पश्चात कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड का संधारण नहीं किया गया।		माताओं को जन्मपूर्व/पश्चात कार्ड निर्गत नहीं किया गया और माताओं के पास प्रसवोपरान्त ए डब्ल्यू डब्ल्यू द्वारा किये गये निरीक्षण का कोई अभिलेख नहीं था।

क्र. सं.	शीर्षक	कड़िका का सार	लो.ले.सं. की अनुशंसा/ सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	वर्तमान स्थिति 2002-07
7.	3.5.6.3 (iv) 1992-97 के दौरान कोई परामर्शी सेवा नहीं थी।	अन्य स्वास्थ्य संगठनों को कोई भी मामला परामर्श हेतु नहीं भेजा गया।		ऑगनबाड़ी केन्द्र में स्वास्थ्य जाँच एवं परामर्शी सेवा उपेक्षित थी।
8.	3.5.6.3 (vi) विद्यालय पूर्व शिक्षा	विद्यालय पूर्व शिक्षण किट की आपूर्ति नहीं की गई।		2002-07 के दौरान विद्यालय पूर्व शिक्षण किट की आपूर्ति दयनीय थी।
9.	3.5.6.4 अतिरिक्त मुद्दे	ऑगनबाड़ी केन्द्रों और सी डी पी भवनों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया।		ऑगनबाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना कार्यालयों के लिए भारत सरकार की निधि का उपयोग नहीं किया गया और 1390 ऑगनबाड़ी केन्द्र और 10 परियोजना कार्यालय के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 38 केन्द्र और दो कार्यालयों का निर्माण किया गया।
10.	3.5.6.5 (9) चापाकल का क्षीण प्रावधान	अधिकतर ऑगनबाड़ी केन्द्रों में सुरक्षित पेय जल की सुविधा नहीं थी।		केवल तीन प्रतिशत ऑगनबाड़ी केन्द्रों में सुरक्षित पेय जल की सुविधा थी।
11.	3.5.6.5 (स) स्वास्थ्य किट	केवल 31 प्रतिशत ऑगनबाड़ी केन्द्रों में चिकित्सा किट की आपूर्ति की गई।		2003-07 के दौरान 0 से 14 प्रतिशत ऑगनबाड़ी केन्द्रों में चिकित्सा किट की आपूर्ति की गई।
12.	3.5.6.5 (द) आई सी डी एस कर्मियों का प्रशिक्षण	आई सी डी एस कर्मियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण		37 प्रतिशत ऑगनबाड़ी सेविकाएँ अप्रशिक्षित थीं।
13.	3.5.8 मानवशक्ति प्रबंधन	मार्च 1999 तक पर्यवेक्षी कर्मियों /अधिकारियों के 43 से 67 प्रतिशत पद रिक्त थे।		पर्यवेक्षी कर्मियों /अधिकारियों के 66 से 86 प्रतिशत पद रिक्त थे।
14.	3.5.10 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	यद्यपि राज्य स्तर पर संयोजन समिति का गठित की गई थी लेकिन राज्य स्तर पर होने वाले तिमाही बैठक का कोई अभिलेख नहीं था।		यद्यपि सरकार के द्वारा योजना के अनुश्रवण हेतु पांच समितियाँ गठित की गई थी लेकिन इन बैठकों में लिए गये निर्णयों अथवा कार्यवाही प्रतिवेदन का अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। सी डी पी ओ या पर्यवेक्षिकाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया गया।



## i f j f ' k " V & XXXII

(I n H k L : d f M d k - 3.3.8.4, i " B - 77)

Li " V L F k y d k m Y y s [ k f d ; s f c u k f u " i k f n r d k ; l d h f o o j . k h

(# i ; s y k [ k e j

Ø- l a	i e M y	dk ; l dk uke	d j k j l a ; k	i k D d f y r j k f ' k	0 ; ;	f u " i k n u d k e g h u k
1.	प.नि.प्र. मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर – पुरानी मोतिहारी पथ का विशेष मरम्मत	15एफ <sub>2</sub> /04-05	12.07	11.99	मार्च 2005
		खाबड़ा–लादुरा पथ का नवीकरण	17एफ <sub>2</sub> /04-05	12.92	12.92	जुलाई 2005
		मुजफ्फरपुर – हाजीपुर पथ का विशेष मरम्मत	23एफ <sub>2</sub> /05-06	34.55	28.01	जून 2006
		मुजफ्फरपुर – पुरानी मोतिहारी पथ का नवीकरण	20एफ <sub>2</sub> /05-06	26.47	26.46	मार्च 2006
		हाजीपुर–लालगंज –वैशाली–बखरा पथ का नवीकरण विशेष मरम्मत	10एफ <sub>2</sub> /06-07	37.69	35.03	जून 2007
2.	प.नि.प्र. दरभंगा	वी आई पथ पंडा सराय –बेला–माब्बी पथ, दरभंगा–समस्तीपुर पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मत	1 एफ <sub>2</sub> / 05-06 से 5 एफ <sub>2</sub> /05-06	89.12	80.92	जुलाई 2005 से अगस्त 2005
		3.	प.नि.प्र. कटिहार	पूर्णियां–कदवा–सामाली – आजमनगर पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मती .	6 एफ <sub>2</sub> / 06-07	12.29
कुरुंग–गायघाट पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मती	8 एफ <sub>2</sub> /06-07	15.15		13.96	मार्च 2007	
दुमार–पोठिया रोड का गड़ढा भराई	16एफ <sub>2</sub> /06-07	19.05		15.33	मार्च 2007	
सराय –कुरुसेला पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मती	25एफ <sub>2</sub> /06-07	66.03		57.78	जून 2007	
4.	प.नि.प्र.,समस्तीपुर	समस्तीपुर–ताजपुर पथ का पॉट पैच	17एफ <sub>2</sub> /06-07	24.86	24.08	जून 2007
5.	रा.उ.पथ–1, मुजफ्फरपुर	रा.उ.पथ 28 का आवधिक नवीकरण कार्य	14एफ <sub>2</sub> /06-07	284.16	283.13	अप्रैल 2007
	; k s x			<b>634.36</b>	<b>599.84</b>	

## i f j f ' k " V & XXXIII

(I n H k z : d f M d k - 3.3.8.4, i " B - 78)

dk; l dk fu"i knu , oa eki , d gh fnu fd; s tkus ds dkj .k l ngkLi n Hkxrkku dk  
fooj .k

i eMy dk uke	djkj l d; k@ o"kl , oa dk; l dk uke	0; ; %dj kM+ # i ; s e#	vflk; fDr; ka
प.नि.प्र., पथ प्रमंडल, दरभंगा	सकरी-बहेरा पथ का पॉट पैच, करार संख्यां 11 एफ <sub>2</sub> /05-06 दिनांक 12.04.05	0.08	रॉलिंग एवं संपीडन, मिट्टी कार्य, पी. एम.सी., डब्ल्यू.बी.एम. पर बी.यू.एस. जी., एस.एम.जी. II, ., एस.एम.जी. III, जी.एस.बी. का एक ही दिन निष्पादन (18-10-2005)
प.नि.प्र., पथ प्रमंडल, दरभंगा	डी.बी.4 पथ का पॉट पैच करार सं. 13 एफ <sub>2</sub> /05-06 दिनांक.21.02.05	0.06	- तथैव - (20.5.05)
प.नि.प्र., पथ प्रमंडल, दरभंगा	पंडासराय बेला मब्बी पथ का पॉट पैच मरम्मत करार सं. 3 एफ <sub>2</sub> /04-05 दिनांक 11.04.05	0.07	कार्य के विभिन्न परतों का एक ही दिन निष्पादन (7.7.05) जैसे- 50mm लेवलिंग कोर्स एवं 20 mm प्रीमिक्स कारपेट
प.नि.प्र., पथ प्रमंडल, सं. I, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर-पुराणी मोतिहारी पथ का विशेष मरम्मत, करार सं. 20 एफ <sub>2</sub> /05-06 दिनांक 17.01.06	0.26	जी.एस.बी , डब्ल्यू.बी.एम. , बी.यू. एस.जी., एस.डी.बी.. सी. कार्य का एक ही दिन में (3.3.06). निष्पादन
तथैव	मुजफ्फरपुर-पूसा पथ का पुर्नस्थापन कार्य; 6 एफ <sub>2</sub> /04-05 दिनांक 4.12.04	0.15	(i) 1.25 लाख, 0.32 लाख सीमेंट के खाली बोरे में बालु भरकर सीने के बाद दो टुटे बिन्दुओं के बीच एक ही दिन (09.12.04 एवं 14.12. 04) गिराना (ii) बिना स्वीकृत मापों के ही मिट्टी कार्य का निष्पादन (9.12.04)
		0.07	
प.नि.प्र., मोतिहारी	एम.टी.जी. पथ का मरम्मत करार सं. 16 एफ <sub>2</sub> /06-07 दिनांक 15.12.06	0.21	बी सी जी पर डब्ल्यू बी एम; टैक कोट; एस डी बी सी; पी एम सी का एक ही निष्पादन (31.3.07).
प.नि.प्र., पथ प्रमंडल, समस्तीपुर	विद्यापति -काकाघाटी पथ का विशेष मरम्मत, करार सं. 11 एफ <sub>2</sub> /05-06	0.22	कार्य स्थल से 50 कि.मी. दूर बरौनी से 20.124 एम.टी. अलकतरा का उठाव, इसका कार्य में उपयोग, निष्पादित कार्य का माप, विपत्र की तैयारी एवं भुगतान सबों का निष्पादन एक ही दिन (14.03.06) ।
; kx		<b>1.12</b>	

## Table A & XXXIV

(Annex: para-3.3.8.4, B-78)

This table shows the details of the work done during the year ending 31st March 2007. It is divided into four columns: (i) Name of the work, (ii) Estimated cost, (iii) Actual cost, and (iv) Remarks.

Name of the work	Estimated cost	Actual cost	Remarks
प.नि.वि पथ प्रमंडल, दरभंगा	पंडासराय बेला मब्बी पथ में मरम्मत कार्य करार सं. 46 एफ <sub>2</sub> /04-05; 3 एफ <sub>2</sub> /05-06; 24 एफ <sub>2</sub> /05-06; 75 एफ <sub>2</sub> /05-06; 76 एफ <sub>2</sub> /05-06; 77 एफ <sub>2</sub> /05-06 और 34 एफ <sub>2</sub> /06-07	0.59	5 से 11 महीने (अगस्त 2005 से मार्च 2007) के अंदर एक ही लम्बाई पर बारम्बार मरम्मत कार्य
रा.उ.पथ प्रमंडल-1 मुजफ्फरपुर	रा.उ.पथ 28 के किमी 580 से 583, 585 से 595, 604 (पी) से 608 में पी/आर से एनएच 28, करार सं. 14 एफ <sub>2</sub> /06-07 दिनांक 8.12.06	0.20 0.06	(i) कि मी 13 के विभिन्न बिन्दुओं पर 1300 मी. की दूरी में सफाई, रोलिंग एवं संपीड़न, टैक कोट एवं बी. एम कार्य (ii) माप बही में दर्ज की गई मात्रा को बिना किसी अभिलिखित कारण को कम कर टैक कोट कार्य को 3990 वर्ग मी. और एस डी बी सी कार्य को 350 वर्ग मी. से 99.75 वर्ग मी. किया गया।
-तथैव-	प्रचलन गुणवत्ता में सुधार कार्य (किमी 569, 573 से 581) और सुदृढीकरण कार्य (किमी 521 से 523 रा.उ.पथ 28; करार सं. 6 एफ <sub>2</sub> /05-06 और 6 एफ <sub>2</sub> /06-07	0.11	एकरारित मात्रा से अधिक कार्य का निष्पादन (टैक कोट-1884.07 वर्ग.मी., 3468.51 वर्ग.मी.; अलकतरा मैकेडम 131.25 घन.मी., 147.20 घन.मी.) अलकतरा प्राप्ति के समर्थन में बिना कोई साक्ष्य के अधिकेय कार्य
रा.उ.पथ प्रमंडल-1 मुजफ्फरपुर	रा.उ.पथ 28 के किमी 488 से 519 और 521 से 533; में लघु मरम्मत कार्य करार सं. 19 एफ <sub>2</sub> /02-03; 2 एफ <sub>2</sub> /03-04; 16 एफ <sub>2</sub> /03-04; 19 एफ <sub>2</sub> /03-04; 20 एफ <sub>2</sub> /03-04; 21 एफ <sub>2</sub> /03-04; 31 एफ <sub>2</sub> /03-04; 33 एफ <sub>2</sub> /04-05; 13 एफ <sub>2</sub> /05-06; और 14 एफ <sub>2</sub> /05-06	1.96	जनवरी 2004 से 2006 के दौरान बारम्बार मरम्मत कार्य।
कुल		2.92	

## i f j f ' k " V & XXXV

(I n H k Z : d f M d k - 3 . 3 . 8 . 7 , i " B & 8 1 )

v o f / k f o L r k j i j u g h a o l y h x ; h n M d k f o o j . k

(Rs. in y k / h)

i æ M y d k u k e	d k ; L d k u k e	d j k j l a ; k a	i k D d f y r y k x r	d k s f u / k k j r v o f / k d s v n j d k ; L i j k d j u s e a v l Q y j g u s d s d k j . k l o n d l s o l y u h ; n M
पथ प्रमंडल, मधुवनी	आर बी पी पथ एवं झंझारपुर – मधुपुर पथ	37 एफ <sub>2</sub> / 04 - 05	61.70	6.17
पथ प्रमंडल, रामनगर	लौरिया–रामनगर पथ का विशेष मरम्मत	8 एफ <sub>2</sub> / 04 - 05	21.49	2.15
- तथैव -		24 एफ <sub>2</sub> / 04 - 05	40.00	4.00
- तथैव -		25 एफ <sub>2</sub> / 04 - 05	34.27	3.43
पथ प्रमंडल, किशनगंज	के टी टी जी पथ	28 एफ <sub>2</sub> / 04 - 05	97.49	9.75
- तथैव -	डब्ल्यु एस, के.डी.पथ	51 एफ <sub>2</sub> / 04 - 05	68.14	6.81
- तथैव -	बी आर बी पथ के एस पी पुल का निर्माण	31 एफ <sub>2</sub> / 04 - 05	28.64	2.86
- तथैव -	डे बाजार पौवा खली पथ के 17 कि मी में एस पी पुल के पहुँचपथ का निर्माण	20 एफ <sub>2</sub> / 05 - 06	32.44	3.24
पथ प्रमंडल, दरभंगा	बहेडा–बहेडी पथ के 6 किमी में एस पी पुल का निर्माण	9 एफ <sub>2</sub> / 05 - 06	46.75	4.67
रा.उ.पथ-1 प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	रा.उ.पथ-28 के 597 से 608 किमी में पॉट पैच का कार्य	3 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	13.53	1.35
- तथैव -	रा.उ.पथ-28 के 582 से 595, 604 (पी) से 608 तक में पॉट पैच का कार्य	14 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	274.55	27.46
पथ प्रमंडल, मोतिहारी	चकिया मथुरापुर पथ का विशेष मरम्मत	9 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	46.51	4.65
- तथैव -	विशेष मरम्मत एम टी जी पथ	16 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	46.77	4.68
पथ प्रमंडल, कटिहार	बस्तौल झौआ– सोनौली पथ के 10 (पी) और 11 (पी) में पी सी सी	14 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	33.22	3.32
- तथैव -	सपनी पी डब्ल्यु डी पथ से हस्सनगंज पथ के किमी 5 (पी) के सात में विशेष मरम्मत	31 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	63.90	6.39

वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
पथ प्रमंडल, समस्तीपुर	समस्तीपुर-ताजपुर पथ किमी 3 से 12 का विशेष मरम्मत	17 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	24.86	2.49
- तथैव -	पी आर एच डी पथ का विशेष मरम्मत किमी 1 से 3 (पी)	6 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	28.70	2.87
- तथैव -	सरायरंजन-कक्कड़घाटी पथ का विशेष मरम्मत किमी 2(पी) से 6	16 एफ <sub>2</sub> / 06 - 07	76.10	7.61
<b>द्वि</b>			<b>1039.06</b>	<b>103.90</b>

## i f j f ' k " V & XXXVI

(I n H k : d f M d k - 3.3.8.8, i " B & 81)

d k ; k a d s v o ; o k a d h v i w k r k l s l a c f / k r f u j F k d 0 ; ; d k f o o j . k

/ # i ; s y k [ k e #

क्र. सं.	कार्य का नाम	करार सं./ वर्ष	प्राक्कलित लागत	कार्य के अधुरे मद	कार्य की प्राक्कलित मात्रा	कार्य की मात्रा जिसे पूरा नहीं किया गया	अधुरे कार्यों पर व्यय
1	विशेष मरम्मत पहलगढ़-बेरलाही-रामपुर-डुमरिया मोहिनी-जबरा पहाड़पुर-डुमरिया विजली लिंक पथ (कि मी. 2, 3, 7 से 18)	7एफ <sub>2</sub> / 2003-04	177.46	सेमी डेन्स अलकतरा कांक्रीट, बील्ट अप स्प्रे ग्राउडिंग	1073.48 घ.मी <sup>3</sup> 42939.11 घ.मी <sup>2</sup>	605.14घ.मी <sup>3</sup> 37251.45घ.मी <sup>2</sup>	137.33
2	महथौर-गोरौल-चक्का-अलीनगर-जमालपुर पथ का विशेष मरम्मत (कि मी 6 से 8(पी))	63एफ <sub>2</sub> / 2004-05	99.60	गिट्टी ग्रेड. II एवं III संपीडन, टैक कोट, अलकतरा मैकेडम	493.88 घ.मी <sup>3</sup> 493.88 घ.मी <sup>2</sup> 6585 घ.मी <sup>2</sup> 329.25 घ.मी <sup>3</sup>	413घ.मी <sup>3</sup> 181.41घ.मी <sup>3</sup> 2418.75घ.मी <sup>2</sup> 120.93घ.मी <sup>3</sup>	72.83
3	महथौर-गोरौल-चक्का. अलीनगर-जमालपुर पथ के रोड क्रस्ट का विशेष मरम्मत (कि मी 8 (पी) और 9 (पी))	106एफ <sub>2</sub> / 2004-05	37.79	उपर्युक्त एस एम जी - III टैक कोट, अलकतरा मैकेडम एवं एस.डी.बी.सी.	168.75 घ.मी <sup>3</sup> 3375.0 घ.मी <sup>2</sup> 84.37 घ.मी <sup>3</sup>	शून्य शून्य शून्य	21.25
4	पंडासराय-बेला-मब्बी पथ (कि मी 1(पी) से 6(पी), वी.आई.पी पथ (कि मी 4)	3 से 4एफ <sub>2</sub> / 2005-06	34.48	50 mm समतलीकरण कोर्स, 20 mm प्री मिक्स कारपेट, मिट्टी कार्य, रोलींग एवं संपीडन	3836.89 घ.मी <sup>3</sup> 5755.33 घ.मी <sup>2</sup> 696.70 घ.मी <sup>2</sup> 696.70 घ.मी <sup>3</sup>	2487.35घ.मी <sup>3</sup> 3508.8घ.मी <sup>3</sup> शून्य शून्य	26.66
5	सरैया-जैतपुर-मोतीपुर पथ का विशेष मरम्मत एवं नवीकरण कार्य (कि मी 1, 17, 18, 22, 26 (पी) और 27 (पी)) आयुक्त सह सचिव, प.नि. वि. के आदेश से निरस्त(अप्रैल 2006) कर दिया गया	22एफ <sub>2</sub> / 2005 - 06	47.68	कार्य आयुक्त सह सचिव, प.नि.वि. के आदेश से निरस्त कर दिया गया (अप्रैल 2006)  आयुक्त सह सचिव, प. नि. वि. के आदेशानुसार कार्य को निरस्त कर दिया गया था (अप्रैल 2006)			23.63
	योग						281.70

## अनुसूची V & XXXVII

(अनुसूची 3.3.9.2, अ-82)

राज्य सड़क विकास कार्य (लाख रुपये में)

विवरण	क्र.सं./दिनांक	अनुमानित व्यय (लाख रुपये में)
एल एस टी पथ का सुदृढीकरण (कि मी 0 से 12.7)	29एफ <sub>2</sub> /2001-02	112.55
लौरिया-रामनगर एवं तोहरी पथ का विशेष मरम्मत एवं सतह नवीकरण (कि मी 26 (पी), 27 (पी), 28 (पी), 29 (पी), 30 (पी), 32 (पी) से 34)	2एफ <sub>2</sub> /2004-05 5एफ <sub>2</sub> /2004-05	41.15
किशनगंज - दानापुर पथ का सुदृढीकरण एवं चौड़करण कार्य (कि मी 0 से 3.2)	51एफ <sub>2</sub> /2005-06	35.09
रा.उ.पथ 28 में यातायात पुनर्बहाली का कार्य (कि मी 527 (पी) से 533 (पी))	15एफ <sub>2</sub> /2005-06	7.71
लौरिया-रामनगर पथ के विभिन्न कि मी का विशेष मरम्मत एवं सतह नवीकरण	8एफ <sub>2</sub> , 24एफ <sub>2</sub> , 25एफ <sub>2</sub> /2006- 07	95.48
रघुनाथपुर - बलरामपुर पथ का सुधार (कि मी 1 से 5)	19एफ <sub>2</sub> /2006-07	76.48
रा.उ.पथ 28 का आवधिक नवीकरण (कि मी 582, 583, 585 से 595 और 604 (पी) से 606 (पी))	14एफ <sub>2</sub> /2006-07	283.82
रा.उ.पथ 28 में पॉट पैच कार्य (कि मी 597 से 608)	3एफ <sub>2</sub> /2006-07	0.00
कुल		<b>652.28</b>

## i f j f ' k " V & XXXVIII

(I n H k k : d f M d k 3.4.7.2, i " B & 91)

, l t h v k j o k b l @ d k e d s c n y s v u k t @ u j s x k f u f / k d s n q i ; k s x d h f o o j . k h

Ø- l a	ftyk dk uke	o"kl	; kst uk	उप-शीर्ष	j kf' k (लाख रुपये में)	0; ; dk mnns ;
1	नालंदा	2006-07	नरेगा	नरेगा निधि	6.50	टेन्ट हाउस, हिलसा को भुगतान
		2002-03 2003-04	एस.जी. आर.वाई	आकस्मिकताएं	3.60 0.51	इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन,
		2006-07	नरेगा	आकस्मिकताएं	8.00 4.66 0.75	लोक सभा निर्वाचन, टेन्ट हाउस, विडियोग्राफी
2	गया	2003-04	एस.जी. आर.वाई	एस.जी.आर.वाई निधि	10.59	वाहनों की खरीद, वेतन भुगतान
		2002-2006	एस.जी. आर.वाई	एस.जी.आर.वाई निधि	0.34	कार्यालय व्यय, वाहन का मरम्मत एवं आकस्मिकता.
		2004-05	एस.जी. आर.वाई	एस.जी.आर.वाई आकस्मिकताएं	10.59	टेलिफोन, ईंधन, लेखा परीक्षा फी एवं स्टेशनरी छपाई
		2006-07	नरेगा	नरेगा	12.87	चापाकल का संस्थापन (सोहेपुर पंचायत), बारंगधर, सदीपुर, भोरे, काइया, भदेजा मानपुर ब्लॉक में) नारदपुर, बजोरा धोबी प्रखंड में नवान बोध गया ब्लॉक में।
3	मधुवनी	2005-06	एस.जी. आर.वाई	एस.जी.आर.वाई निधि	6.58 4.88 0.28 1.40	कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति लाभ, अम्बेसडर कार का क्रय, जेनरेटर, कार्यालय एवं क्वार्टर का मरम्मत. (जिला परिषद)
		2006-07	नरेगा	नरेगा	4.06	चापाकल का संस्थापन (सोहेपुर पंचायत), बारंगधर, भोरे, नर्नाक)
4	मुजफ्फरपुर	2004-05	एस.जी. आर.वाई	एस.जी.आर.वाई निधि	3.20	जिला बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भुगतान.
		2005-06	एन.एफ. एफ. डब्ल्यु पी.	आकस्मिकताएं	0.95 2.10	चेयरमैन, जि.प. के आवासीय कार्यालय हेतु जेनरेटर का क्रय गोदरेज मेज, कुर्सी, आलमारी इत्यादि का क्रय



Ø- l a	ftyk dk uke	o"kl	; kst uk	उप-शीर्ष	jkf' k (लाख रुपये में)	0; ; dk mnns ;
		2004-05 2005-06	एस.जी. आर.वाई	एसजीआरवाई निधि	0.32	दैनिक मजदूरों का भुगतान।
		2004-05	एस.जी. आर.वाई	एसजीआरवाई	0.70	चापाकल का संस्थापन
5	मुंगेर		काम के बदले अनाज	आकस्मिकताएं  आकस्मिकताएं	9.69  0.16	जि.पदा. के लिए कार का क्रय, डी.डी.सी. का यात्रा भत्ता एवं शेल फोन का क्रय
6	सुपौल	नवंबर 2003 से मार्च 2006	एस.जी. आर.वाई	आकस्मिकताएं	3.71	श्री बी. के. दास, चेयरमैन, जिला बोर्ड का यात्रा भत्ता।
		जुलाई 2006 से फरवरी 2007	एस.जी. आर.वाई	आकस्मिकताएं	1.05	श्रीमती अंजू देवी,, चेयरमैन, जि.बोर्ड
7	समस्तीपुर	2006-07	नरेगा	आकस्मिकताएं	1.65 0.16	लेखा परीक्षा फी दैनिक मजदूर.
dy					<b>99.70</b>	

## i f j f ' k " V & XXXIX

( I n H k z d f M d k 3.4.7.2, i " B-91)

d- vll; dk; kly; ka dks varfjr fd, x, fuf/k dk fooj.k

Øe l a	ftyk dk uke	o"kz	; kst uk	mi 'kh"kz	varfjr jkf'k	fdl s , oafdl iz kstu ds fy,
1	मुजफ्फरपुर (डी.आर.डी.ए.)	2004-05 2005-06	काम के बदले अनाज	आकस्मिकताएं	12.59 yk[k 10.00 yk[k	नजारत उप समाहर्ता, जिला नजारत, मुजफ्फरपुर नजारत उप समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारियों, पूर्व एवं पश्चिम, जिले के सी ओ (औराई, कटरा, काँटी, मुरौल, गायघाट, बान्द्रा, बोचहा, साहेबगंज, मोतीपुर, पारू, सरैया, कुढ़नी, मीनापुर, मुशहरी, सकरा
2	समस्तीपुर (डी.आर.डी.ए.)	2006-07	नरेगा		1.00 yk[k	जिलाधिकारी, दरभंगा मिथिला महोत्सव
3	दरभंगा	2004-05	काम के बदले अनाज	आकस्मिकताएं	0.50 yk[k 12.50 yk[k 1.20 yk[k 2.00 yk[k	आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, जिलाधिकारी, दरभंगा, एस डी ओ (सदर, बेनीपुर एवं बिरौल) बीडीओ (मनीगाछी, बेनीपुर, बिरौल, अलीनगर, के स्थान पूर्व, बहेड़ी, धनश्यामपुर, के स्थान, गौड़ा बौराम, जाले
4.	मुंगेर	2006-07	नरेगा	आकस्मिकताएं	0.65 yk[k 3.00 yk[k 4.00 yk[k	आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल जिलाधिकारी, मुंगेर एसडीओ (सदर, खड़गपुर और तारापुर)
dy					47.44 yk[k	

## Table 3.4.9.4 & XL

(Annexure 3.4.9.4; B-95)

Table 3.4.9.4 & XL

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम परिषद का नाम	प्रविप के द्वारा निर्गत किया गया जॉब कार्ड	नमूना जांच में निर्गत पाया गया जॉब कार्ड	अंतर	अभियुक्तियां
1.	सुपौल	चतपुर	रामपुर	1550	200	1350	5.3.07 को डीपीसी को प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया। जुलाई 2007 में नमूना जांच किया गया। प्रतिवेदित ऑकड़ें वास्तविकता से अधिक थे।
			दहारिया	740	165	575	
			धीबाहा	405	320	85	
			माधोपुर	600	338	262	
2.	सुपौल	प्रतापगंज	भवानीपुर	1500	1217	283	
3.	दरभंगा	बहादूरपुर	वाजितपुर	1200	924	276	
			जलवर	400	200	200	
4.	मुजफ्फरपुर	सकरा	रामपुर कृष्णा	565	422	143	
			रूपनपट्टी	912	795	117	
			मथुरापुर				
			धहुरी	464	282	182	
			इशहाक				
			केशवपुर	494	467	27	
			सरमस्तपुर	464	350	114	
			<b>द्वारा</b>	<b>9294</b>	<b>5680</b>	<b>3614</b>	

## i f j f ' k " V & XLI

( I n H k z d a f M d k 3.4.10.2; i " B-97)

vukt dk ys[kk ugha fd; k tkuk

( f D o a / y e s )

; kst uk dk uke	ft yk dk uke	v f i l k d j . k dk uke	एफ सी आई/एस एफसी से उठाया गया अनाज	अनाज की वास्तविक स्थिति	अंतर (बिना लेखा के)
एस.जी. आर.वाई	1. नालंदा	जिला परिषद, नालंदा	3,050.89	-	3,050.89
		प्रविप, चंडी	10,524.13	7,605.52	2,918.61
		प्रविप, नुरसराय	10,403.00	7,279.36	3,123.64
	2. गया	प्रविप, चंडी	7,499.51	5,766.40	1,733.11
	3. समस्तीपुर	विशेष प्रमंडल सं. 1, गया	12,003.00	2,084.81	9,918.19
		प्रविप, विभूतीपुर	7,793.42	1,832.86	5,960.56
		dly	<b>51,273.95</b>	<b>24,568.95</b>	<b>26,705.00</b>
काम के बदले अनाज	4. मुंगेर	एस.एफ.सी, मुंगेर	1,61,675.33	1,53,544.00	8,131.33
		प्रविप, जमालपुर, धरहरा,	19,660.53	17,734.18	1,926.35
		वरियारपुर, खड़गपुर, तारापुर	14,751.70	5,508.52	9,243.18
	5. समस्तीपुर	प्रविप, विभूतीपुर	2,882.48	233.92	2,648.56
		प्रविप, मोहनपुर	15,900.00	13,900.00	2,000.00
	6. कटिहार	प्रविप, कदवा	6,951.31	5,637.01	1,314.30
	7. गया	प्रविप, अमास	3,353.69	3,108.69	245.00
		प्रविप, गुरारू	11,005.00	10,311.75	693.25
		प्रविप, बांकेबाजार	7,737.04	7,654.36	82.68
		प्रविप, डुमरिया	3,532.00	3,527.00	05.00
	8. मुजफ्फरपुर	प्रविप, शेरघाटी	12,623.00	12,258.08	364.92
		प्रविप, कोंच	210.17	124.72	85.45
		जि.परिषद, मुजफ्फरपुर			
		dly	<b>2,60,282.25</b>	<b>2,33,542.23</b>	<b>26,740.02</b>
		dly ; ksx	<b>3,11,556.20</b>	<b>2,58,111.18</b>	<b>53,445.02</b>

लागत: 5345 मे.ट. 13,200 रुपये प्रति मे.ट. = 7.06 करोड़ रुपये

## अग्रिम व्यक्तियों की संख्या एवं लंबित अग्रिम की राशि

(अनुसूची 3.4.10.6; B-100)

अग्रिम व्यक्तियों की संख्या, लंबित अग्रिम की राशि, दंड स्वरूप ब्याज (लाख रुपये में)

, लंबित अग्रिम की राशि

क्र. सं.	जिला का नाम	अभिकरण का नाम	अग्रिम लिए व्यक्तियों की संख्या	लंबित अग्रिम की राशि (लाख रुपये में)	दंड स्वरूप ब्याज (लाख रुपये में)
1.	दरभंगा	विशेष प्रमंडल, दरभंगा	17	410.24	85.66 (2 से 4 वर्ष)
2.	गया	विशेष प्रमंडल क्र.1, गया	8 (JEs)	183.00	38.43 (2 वर्ष)
		प्र.वि.प., गुरारू	17	4.22	1.39 (2 से 5 वर्ष)
3.	कटिहार	जिला परिषद, कटिहार	11	42.45	10.17 (1 से 5 वर्ष)
		एन आर ई पी, कटिहार	03	2.15	1.00 (4 वर्ष)
4.	मधुवनी	विशेष प्रमंडल, रहिका	12	68.51	31.80 (4 वर्ष)
		विशेष प्रमंडल, मधुवनी	13	136.84	45.29 (3 वर्ष)
5.	मुजफ्फरपुर	जिला परिषद, मुजफ्फरपुर	08	128.35	39.60 (3 वर्ष)
6.	नालंदा	डी.आर.डी.ए.	07	24.62	11.43 (4 वर्ष)
7.	समस्तीपुर	प्र.वि.प., मोहनपुर	13	11.31	4.72 (2 से 5 वर्ष)
8.	सुपौल	विशेष प्रमंडल, सुपौल	06	520.44	241.53 (4 वर्ष)
		जिला परिषद, सुपौल	06	618.22	286.92 (4 वर्ष)
	कुल		<b>121</b>	<b>2150.35</b>	<b>797.94</b>

अग्रिम व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यपालक अभिकरण का नाम	अग्रिम लिए व्यक्तियों की संख्या	अदत्त अग्रिम की राशि	दांडिक ब्याज
1.	दरभंगा	विशेष प्रमंडल, दरभंगा	17	1541.55	191.70 (2 से 3 वर्ष)
2.	गया	प्र.वि.प., बोधगया	05	7.60	शून्य
		प्र.वि.प., खिजरसराय	10	2.93	0.29 (1 वर्ष)
3.	कटिहार	विशेष प्रमंडल, कटिहार	06	97.77	20.53 (2 वर्ष)
		एन आर ई पी, कटिहार	23	179.40	37.67 (2 वर्ष)
4.	मधुवनी	प्र.वि.प., बेनीपट्टी	13	25.77	2.57 (3 वर्ष)
5.	सुपौल	विशेष प्रमंडल, सुपौल	37	95.00	9.50 (1 वर्ष)
		जिला परिषद, सुपौल	04	202.00	21.11 (1 वर्ष)
	योग		<b>115</b>	<b>2152.02</b>	<b>283.37</b>
	कुल योग		<b>236</b>	<b>4302.37</b>	<b>1081.31</b>

## i jf'k"V & XLIII

(1 nHkz dMdk 3.4.11, i "B-101)

foHkxh; i kf/kdkfj; ka }kjk [kkyh xuh ckjs ds ugha cps tkus ds dkj.k gkfu dk foj.k

क्र. सं.	जिला का नाम	योजना का नाम	वर्ष	कुल वितरित अनाज विवन्तल में	एक विवन्तल में दो बोरों की दर से बोरों की कुल संख्या	रुपये छ: प्रति बैग की दर से खाली बोरों का मूल्य (रुपये लाख में)
1	नालंदा	एस.जी.आर.वाई	<u>2002-03</u> 2005-06	3,66,800.60	7,33,601	44,01,606 या <b>44.02</b>
2	मधुवनी	एस.जी.आर.वाई काम के बदले अनाज	<u>2002-03</u> 2005-06 2004-05	2,51,480.00 42,864.00	5,88,688	35,32,128 या <b>35.32</b>
3	मुजफ्फरपुर	एस.जी.आर.वाई, काम के बदले अनाज	<u>2004-05</u> 2005-06	5,10,326.00 1,67,640.00	10,20,652 3,35,280	61,23,912 <u>20,11,680</u> 81,35,592 या <b>81.36</b>
4	मुंगेर	एस.जी.आर.वाई एस.जी.आर.वाई एस.जी.आर.वाई, काम के बदले अनाज	2002-03 2003-04 2005-06 2005-06 2006-07	1,535.30 94,360.00 57,694.46 35,320.30 74,606.00	5,27,032	31,62,186 or <b>31.62</b>
5	कटिहार	एस.जी.आर.वाई काम के बदले अनाज	<u>2001-02</u> 2005-06 <u>2004-05</u> 2005-06	3,21,566.12 1,45,112.96	9,33,358	56,00,148 या <b>56.00</b>
6	समस्तीपुर	एस.जी.आर.वाई काम के बदले अनाज	<u>2001-02</u> 2005-06 <u>2004-05</u> 2005-06	3,15,871.24 1,91,366.93	10,14,476	60,86,856 or <b>60.87</b>
7	दरभंगा	एस.जी.आर.वाई काम के बदले अनाज	<u>2001-02</u> 2005-06 <u>2004-05</u> 2005-06	3,97,024.00 96,000.00	9,86,048	59,16,288 या <b>59.16</b>
8	गया	एस.जी.आर.वाई	2004-05	2,272	4,544	<b>0.27</b>
9	सुपौल	एस.जी.आर.वाई काम के बदले अनाज	<u>2003-04</u> 2004-05 2004-05	56,069.00 11,912.00	1,35,962	<b>8.16</b>
	<b>clq</b>			<b>31,39,820.91</b>	<b>62,79,641</b>	<b>376.78</b>

## 1.1.1.1 & XLIV

(1.1.1.1: 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1)

31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)

क्र. सं.	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण 2002-07
1.	अव्यवहृत निधि	1992-99 के दरम्यान ज.रो.यो., मी. वे.यो एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल अव्यवहृत राशि कमशः 8, 15, और 4 प्रतिशत थी।	लो. ले.स. के विमर्श के दौरान सरकार का ज्ञापन नहीं सौंपा गया/लो.ले.सं ने अनुशंसा किया कि सरकारी ज्ञापन के अभाव में समीक्षा में उछाये गये आपत्ति सही है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कर्वाई के बाद लो.ले.सं. को तीन महीन में प्रतिवेदन भेज दी जाएगी।	2002-07 के दौरान एस. जी. आर. वाई और कम के बदले अनाज के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि 15 प्रतिशत के निर्धारित सीमा के विरुद्ध 16 से 71 प्रतिशत थी।
2.	निधि का विचलन	नौ डी.आर.डी.ए. द्वारा जे.आर.वाई., ई.ए.एस., एवं एम.डब्ल्यू.एस. के 10.28 करोड़ रुपये का विचलन अन्य कार्यों में किया गया जिसमें से 9.34 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण मार्च 1999 तक 95.47 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई		दो डी.आर.डी.ए. , दो बी.डी.ओ. , एक जिला परिषद के द्वारा एस.जी.आर.वाई और नरेगा की 2.05 करोड़ रुपये की निधि का विचलन अन्य कार्यों पर किया गया। अगस्त 2007 तक निधि के प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण 0.41 करोड़ रुपये ब्याज की हानि
3.	निधि का अनाधिकृत हस्तांतरण	नौ डी.आर.डी.ए. द्वारा जे.आर.वाई. और ई.ए.एस. निधि के 1.28 करोड़ रुपये का हस्तांतरण आकस्मिकता व्यय को पूरा करने के लिए अन्य कार्यालयों को किया गया।		चार डी.आर.डी.ए. द्वारा काम के बदले अनाज एवं नरेगा के 47.44 लाख रुपये की निधि का हस्तांतरण अनाधिकृत रूप से अन्य कार्यालयों में किया गया।
4.	निधि का दुरुपयोग	दस डी.आर.डी.ए. द्वारा जे.आर.वाई. और ई.ए.एस. निधि के 1.54 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया।		सात डी.आर.डी.ए. द्वारा एस. जी.आर.वाई. और काम के बदले अनाज और नरेगा के एक करोड़ रुपये के निधि का दुरुपयोग किया गया।
5.	चालू खाता में निधि के रखे जाने से ब्याज की हानि	दस बी.डी.ओ. , एक डी.एफओ द्वारा जे. आर.वाई एस.और ई.ए.एस. के निधि का प्रचालन चालु खाते में किया गया जिसके कारण मार्च 1999 तक 109.22 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।		एक बी.डी.ओ. , एक जिला परिषद और एक विशेष प्रमंडल द्वारा एस.जी.आर.वाई और नरेगा की निधि का प्रचालन चालु खाते में किया गया जिसके कारण मार्च 2007 तक 0.17 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

Ø- I a	'kh"kd	dfMdk dk I kj	yksysl a dh vuq akk/l jdkj }kjk i Lrkfor dkj bkbz	orëku fLFkr 2002-07
6.	रोकड़ बही में ब्याज को क्रेडिट नहीं करना।	एक डी.आर.डी.ए. और एक बी.डी.ओ. द्वारा जे. आर.वाई एस.ओ. और ई.ए. एस. के निधि का 1992-98 के दौरान प्राप्त 138.75 लाख रुपये ब्याज का क्रेडिट रोकड़ बही में नहीं किया गया।		एस.जी.आर.वाई और नरेगा के अधीन 9/05 से 02/07 के दौरान प्राप्त 4.07 लाख रुपये ब्याज को तीन प्रखंडों के रोकड़ बही में नहीं लिया गया।
7.	ए.ए.पी. में शामिल किये बिना कार्य का निष्पादन	दो डीआरडीए के द्वारा 72.51 लाख रुपये का अग्रिम वैसे कार्य के लिए दिया गया जो ईएएस और जेआरवाई के एएपी में शामिल नहीं था।		दो जिला परिषद, एक बीडीओ तथा एक विशेष प्रमंडल द्वारा एसजीआरवाई तथा नरेगा के अधीन 9.41 करोड़ रुपये के 293 कार्य का निष्पादन किया गया जो एएपी में शामिल नहीं था।
8.	बिक्री कर और बाजार शुल्क का प्रतिपूर्ति नहीं किया गया।	दो डीआरडीए द्वारा 92-97 के दौरान 20.37 लाख रुपये के बिक्री कर और बाजार समिति कर की प्रतिपूर्ति के लिए मई 1999 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।		2002-06 के दौरान आठ डीआरडीए में 24.87 करोड़ रुपये बिक्री कर एवं बाजार शुल्क के रूप में दिये गये।
9.	रोजगार सृजन का भ्रामक प्रतिवेदन	राज्य द्वारा भारत सरकार को जेआरवाई के अधीन 1989 से 1999 के दौरान सृजित रोजगार की उपलब्धि के बारे में भेजा गया प्रतिवेदन वास्तविक मस्टर रोल के भुगतान पर आधारित नहीं थे। मजदूरी तत्व को दैनिक न्यूनतम मजदूरी से भाग देने पर 6296.97 श्रम दिवस के रोजगार का सृजन होता है जबकि राज्य द्वारा 1989-99 के दौरान 8524.31 लाख श्रम दिवस की उपलब्धि दिखाया गया।		नौ जिलों में नरेगा के अधीन 2006-07 के दौरान सृजित श्रम दिवस और उसपर किया गया व्यय वास्तविक संगणना के आधार पर नहीं था। अकुशल श्रम पर किये गये व्यय को न्यूनतम दैनिक मजदूरी से भाग देने पर 311.65 लाख श्रम दिवस आता है लेकिन राज्य द्वारा इसे 318.18 लाख श्रम दिवस दिखलाया गया था।
10.	महिला रोजगार 30 प्रतिशत से कम था।	1989-99 के दौरान जेआरवाई के अधीन महिला लाभार्थी की हिस्सेदारी 16 से 28 प्रतिशत थी।		2002-07 के दौरान एसजीआरवाई एवं काम के बदले अनाज और नरेगा के अधीन महिला नियोजन की हिस्सेदारी 17 से 28 प्रतिशत थी।
11.	परिसम्पत्तियों की सूची / परिसंपत्ति रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया।	राज्य जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर परिसंपत्तियों की सूची संधारित नहीं की गई।		राज्य जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर परिसंपत्ति रजिस्टर संधारित नहीं की गई।
12.	परित्यक्त कार्य पर निरर्थक व्यय	छः जिलों में जेआरवाई और ईएएस के अधीन 1.77 करोड़ रुपये के 349 कार्य छोड़े गये।		2002-06 के दौरान पांच जिलों में एसजीआरवाई और काम के बदले अनाज के अधीन 600 कार्य के छोड़े जाने से 8.93 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।



Ø- I a	'k"kd	dfMdk dk I kj	yksysl a dh vud akk/l jdkj }kjk i Lrkfor dkj bkbz	orëku fLFkfr 2002-07
13.	अपूर्ण कार्य पर भारी व्यय	1992-97 के दौरान जेआरवाई और ईएएस के अधीन छः जिलों में प्रारंभ किये गये 778.39 लाख रुपये के व्यय के बाद भी 651 कार्य जून 1999 तक अपूर्ण रहे।		2002-06 के दौरान नौ जिलों में प्रारंभ किये गये 53.15 करोड़ रुपये के व्यय के बाद भी 2918 कार्य अगस्त 2007 तक अपूर्ण रहे।
14.	जाली और भ्रामक मस्टर रोल पर भुगतान	वर्ष 1993-99 के दौरान पांच जिलों के 19 प्रखंडों में 907 मस्टर रोल पर किये गये 80.32 लाख रुपये के भुगतान के संबंध में प्रकट हुआ कि जेआरवाई और ईएएस के अधीन मजदूरी का भुगतान जाली मस्टर रोल पर किया गया।		एसजीआरवाई, काम के बदले अनाज और नरेगा के अधीन नौ जिलों में 88 कार्यों के लिए 2003-06 के दौरान जाली मस्टर रोल पर 19.81 लाख रुपये का भुगतान जाली मजदूरों को किया गया।
15.	कम दर से मजदूरी का भुगतान	पांच प्रखंडों में मजदूरी का भुगतान राज्य द्वारा समय समय पर अनुमोदित मान्य न्यूनतम मजदूरी दर 7.59 लाख रुपये के विरुद्ध 5.91 लाख किया।		तीन जिलों के 40 मस्टर रोल से प्रकट हुआ कि एसजीआरवाई, काम के बदले अनाज और नरेगा के अधीन 38769 श्रम दिवस के लिए मान्य 29.08 लाख रुपये के विरुद्ध 26.30 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
16.	उच्च प्राथमिकता वाले कार्य की उपेक्षा	वर्ष 1993-99 के दौरान कार्य की स्वीकृति में प्राथमिकता के मानक का अनुसरण नहीं किया गया। ई ए एस के अधीन चिह्नित निधि के प्राथमिकता के अनुसार ग्रामीण लिंक पथों का निर्माण करना था। इसके विपरीत विद्यमान ग्रामीण पथों के उन्नयन, मरम्मत एवं रख-रखाव पर पूरा व्यय किया गया।		नरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण योजना को प्राथमिकता दिए जाने के नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्रामीण संयोजन पर बल दिया गया।

## i f j f ' k " V & XLV

( / n t h k z d f l M d k 3.5.15, i " B-115)

31 ekpl 2001 dks l eklr gq o"kl ds fy, ys[kk ij h{kk %l foy% ifronu es bfxr ij Urq fo | eku vfu; ferrk, A

क्र. सं.	शीर्षक	कंडिका का सार	लॉ.लें.स. की अनुशंसाएं/ सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	वर्तमान स्थिति 2002-07
1	योजना लक्ष्य की प्राप्ति	अप्रैल 1997 को राज्य में 5100 एन. सी. और 16000 पी.सी. टोला थे।	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अक्टूबर 2007 तक मामले पर लोक लेखा समिति द्वारा विमर्श नहीं किया गया क्योंकि यह मामला अविभाजित बिहार से संबंधित था।	मार्च 2007 में 18486 एन.सी. और 36850 पी.सी. टोले थे।
		कार्यक्रम के कार्यान्वयन योजना का अभाव		विभाग द्वारा 2002-07 के दौरान वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया गया।
2.	वित्तीय व्यय एवं परिव्यय	भारत सरकार द्वारा अपने कुल विनिधान का केवल 12 प्रतिशत विमुक्त किया गया जिसके 42 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा सका।		भारत सरकार द्वारा अपने कुल विनियोजन का 73 प्रतिशत विमुक्त किया गया जिसमें 21 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा सका।
3.	भौतिक प्रगति	1997-2001 के दौरान चापाकल को गाड़ने के लक्ष्य से चार से 54 प्रतिशत कम प्राप्ति		2005-07 के दौरान चापाकल को गाड़ने के लक्ष्य से राज्य में 43 प्रतिशत तथा नमूना जांच में 65 प्रतिशत कम प्राप्ति
4.	कार्य का निष्पादन	नमूना जांच में पाया गया कि पाइप जलापूर्ति योजना 78.87 लाख रुपये व्यय के बावजूद मार्च 2001 तक अपूर्ण रहे।		नमूना जांच में पाया गया कि 25.35 करोड़ रुपये व्यय के बावजूद मार्च 2007 तक 46 योजनाएं एक से तीन वर्षों की अवधि तक अपूर्ण रहे।
		नमूना जांच में पाया गया कि विद्युत, सिविल एवं यांत्रिक त्रुटियों के कारण पांच वर्षों से 324 पाइप जलापूर्ति योजना अक्रियाशील थी।		नमूना जांच में पाया गया कि 10 पूर्ण योजनाओं में से चार विद्युतीकरण के अभाव में अक्रियाशील थी और पांच योजनाएं क्लोरीनेटर के अभाव में पेय जल की व्यवस्था करने में विफल रहे।
		हस्त पावती पर अनियमित भुगतान - 50.07 लाख रुपये		हस्त पावती पर अनियमित भुगतान 10.54 करोड़ रुपये.

क्र. सं.	शीर्षक	कंडिका का सार	लॉ.लें.स. की अनुशंसाएं/ सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई	वर्तमान स्थिति 2002-07
5.	जल जांच प्रयोगशाला	14 प्रमंडलों में एक प्रमंडल में प्रयोगशाला उपलब्ध थी। जल की रसायनिक एवं जैविक अशुद्धियों की जांच की व्यवस्था नहीं थी। लौह तत्वों से मुक्त सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।		38 प्रमंडलों में 14 प्रमंडल में प्रयोगशाला उपलब्ध थी। जल की रसायनिक एवं जैविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया।
6.	सामग्री प्रबंधन	आवश्यकता से अधिक क्रय के कारण 45.18 लाख रुपये की सामग्री का अवरोधन।		चापाकल से संबंधित सभी सामग्रियों के क्रय नहीं करने के कारण 15.03 लाख रुपये की सामग्री का अवरोधन।
7.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	निष्प्रभावी अनुश्रवण तंत्र। विभाग के द्वारा चलायी गई पेय जल आपूर्ति योजना का प्रभाव लक्षित समूह पर नहीं पड़ा।		विभाग के नियोजन, अनुश्रवण, क्रय, बजटिंग और कार्यान्वयन ईकाई में सामंजस्य का अभाव था।